खण्ड-330, अंक-4
बुधवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1900
(22 मार्च, 1978 ई0)

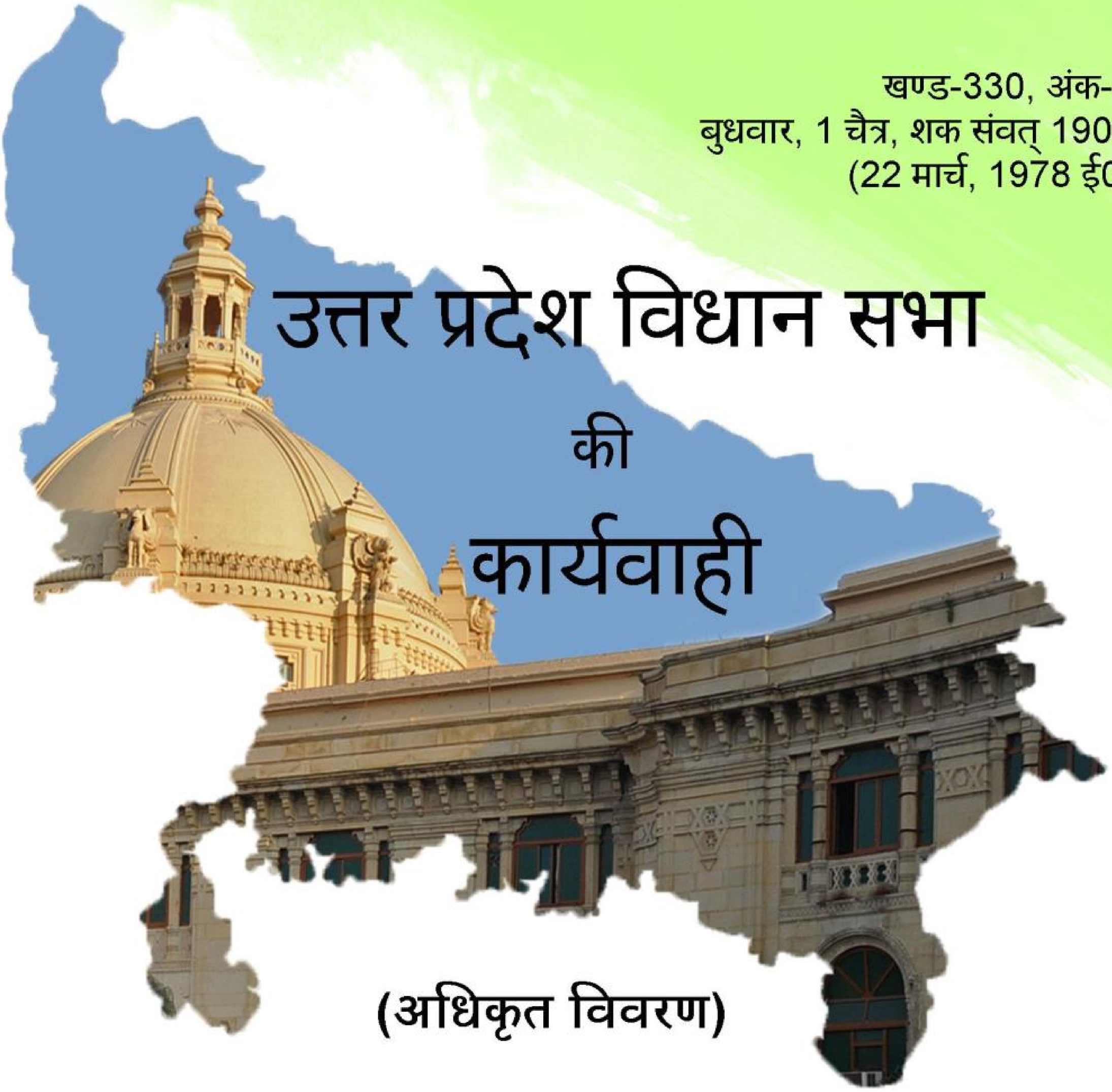

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 330 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	287–291
प्रश्नोत्तर	291–350
बिहार की जनता के आंदोलन के कारण ट्रेनों के आवागमन अवरुद्ध होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	350
आगरा, अलीगढ़ एवं गोरखपुर जनपदों में हरिजन बालिकाओं के साथ बलात्कार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	350
आगरा जिले के फिरोजाबाद स्थित सरोजनी नायडू चिकित्सालय की दवाओं की अवैध बिक्री के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	351
उत्तर प्रदेश के गोंड जाति को अनुसूचित जाति की सुविधाओं से वंचित किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	351–352
लालगंज, रायबरेली में पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	352–353
सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर मंत्रियों द्वारा न दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति	353–355
विधान सभा के वर्ष में 3 अधिवेशन न करने तथा नब्बे दिन की बैठक न कराने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	355–356
दिनांक 27 सितम्बर, 1977 को नियम 49 की चर्चा में श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी, वकील, प्रतापगढ़ के सामान को कुर्क करने वाले दरोगाओं को आश्वासन देने के बावजूद निलम्बित न किये जाने पर मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	356–357
लाल बाग क्षेत्र में कांग्रेस (आई0) के तत्वावधान में निकाले गए जुलूस पर हुए तथाकथित गोलीकांड, आंसू गैस प्रहार, लाठी चार्ज व गिरफ्तारी के संबंध में हुए वक्तव्य पर गलत बयानी करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	357–359
युवा जनता के प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में गलत बयानी के विषय में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	359–360
विभिन्न समितियों तथा स्थानीय निकायों में सदस्यों के निर्वाचन की तिथि में परिवर्तन की सूचना	360
कतिपय–विषय	360–361
मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 (पुरः स्थापित किया गया)	361

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुरः स्थापित किया गया)	361–362
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	362
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	362–365
श्री नारायण दत्त तिवारी तथा उनके दल द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर दिये गये संशोधनों को छापने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	366–367
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	367–400
बजट साहित्य के वितरण के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था की सूचना ..	400
1978–79 का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	401–425
1978–79 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	425–426
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978 (पारित) ..	426–433
उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978 विधान परिषद् से वापसी की सूचना	433
दिनांक 17 मार्च, 1978 को लखनऊ में कांग्रेस (आई0) के प्रदर्शन में लाठी चार्ज के वक्तव्य पर मुख्य मंत्री का शोधन वक्तव्य	433–434
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	434–435
वाराणसी में प्रतिरक्षा मंत्री, श्री जगजीवन राम द्वारा डाक्टर सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण करने के उपरांत कुछ व्यक्तियों द्वारा उसे गंगाजल से धोये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	435–443
नत्थियां	444–452

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 22 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 362

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री

गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नरायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री

बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुत्रांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री

राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री

सखावत हुसैन, श्री
सत्य देव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 22 मार्च, 1978

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विधान परिषद् के उत्साद्दन का संकल्प

**1—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी), श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) तथा श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कष्ट करेगी कि सन् 1972 में उत्तर प्रदेश विधान सभा ने विधान परिषद् को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया था ? अगर हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

वर्ष 1972 में नहीं वरन् 1970 में संविधान के अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान परिषद् को उत्सादित करने का एक संकल्प तत्कालीन विधान सभा द्वारा पारित किया गया था। पारित किये गये संकल्प की सूचना विधान सभा सचिवालय द्वारा लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को भेजी गयी थी। बाद में परिषद को उत्सादित किये जाने के संकल्प को निरस्त करने के लिए एक असरकारी संकल्प की सूचना दी गयी थी परन्तु उस पर तत्कालीन विधान सभा द्वारा विचार न हो पाया और कुछ समय के पश्चात वह विधान सभा विघटित हो गई। इसके अतिरिक्त तत्कालीन लोक सभा भी विघटित हो गई थी।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, 28 अप्रैल, 1970 को श्री नित्यानन्द स्वामी ने जो इस विधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने एक संकल्प रखा था और वह पारित भी हुआ था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या सरकार या शासन ने लोक सभा, राज्य सभा या केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र लिखा था और क्या उसकी सूचना उनको मिली थी और अगर नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई स्मरण-पत्र लिखा गया ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, यह बात सही है कि इसकी सूचना वहां लोक सभा, राज्य सभा को दी गयी थी। उसके बाद पत्र भी आया था, उसके जवाब में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया था कि जो संकल्प पारित हुआ और उसको निरस्त करने के लिये जो बैठक हुई दोनों के क्रम में उन्होंने यह कहा कि पहले जो संकल्प पारित हुआ, उसमें 220 विधायकों ने पक्ष में मत दिया और 22 विधायकों ने विरोध में मत दिया, लेकिन उनका यह कहना था कि जितनी उपस्थिति थी, उस उपस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया और दूसरा प्रश्न उन्होंने यह उठाया कि उस संकल्प को निरस्त करने के लिये यहां जो बैठक प्रस्तावित थी, उस दिन दूसरे कारणों से वह सभा हुई नहीं और उस संकल्प के सम्बन्ध में विचार नहीं हो सका इन दोनों प्रश्नों के कारण विचार नहीं हो सका और जब वह लोक सभा में आया तो विचार होने के पहले ही लोक सभा भंग हो गयी ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने लोकसभा, राज्य सभा या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा था या अपनी सिफारिश भेजी थी ? मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है और अगर भेजा है, तो कब भेजा था ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, इसका तो जवाब दे दिया। यहां से पत्र लिखा गया था और वहां से उसका जवाब भी आया ।

श्री अध्यक्ष--

कोई स्मरण-पत्र दिया ? उनका कहना है कि क्या आपने इस सम्बन्ध में कोई स्मरण-पत्र भेजा है केन्द्रीय सरकार को ?

श्री मधुकर दिघे--

इस सरकार ने नहीं, पिछली सरकार ने भेजा है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

वह पत्र पढ़कर सुना दें अगर सरकार ने कोई पत्र भेजा है ।

श्री अध्यक्ष--

पूरा पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । उसका सारांश बता दें ।

श्री मधुकर दिघे--

यह मान्यवर, मई, 1970 का पत्र है, जो तत्कालीन सचिव, विधान सभा ने भेजा था और उसमें यह लिखा था कि प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के अनुच्छेद 101 तथा 'भारत का संविधान, के अनुच्छेद 169 के खंड (1) के अन्तर्गत मुझे यह आदेश हुआ है कि उत्तर

प्रदेश विधान सभा द्वारा अपने दिनांक 29 अप्रैल, 1970 के उपवेशन में पारित निम्नलिखित संकल्प की प्रतिलिपि आपके पास भेज दूं--

"यह सदन संकल्प करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद् का उत्सादन किया जाये"। यह पत्र भेजा गया था।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष--

आप जवाब देने दीजिये। इतना व्याकुल नहीं होना चाहिये।

श्री मधुकर दिघे--

जैसा मैंने कहा कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने एक पत्र भेजा था, जिसमें यह कान्ट्रोवर्सी खड़ी हो गयी थी कि जो उपस्थिति थी, उसका ख्याल नहीं रखा गया, केवल वोटिंग का ख्याल रखा गया। आप चाहें तो उसे भी पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--

सारांश बता दीजिए।

श्री मधुकर दिघे--

उनका यह कहना था कि "परन्तु इस तर्क में त्रुटि यह है कि "and voting" शब्द न जोड़े जाते तो शब्द "two thirds of the Members of the Assembly present" केवल रह जाते। यह कन्ट्रोवर्सी इसको पारित करने में है। उस सम्बन्ध में जो तत्कालीन केन्द्रीय सरकार के विधि मन्त्री श्री हनुमन्थैया थे उनका पत्र निम्न प्रकार है। तब तक संविद सरकार आ गयी थी।

"You must have read in the papers of the 25th controversy that arose in the Lok Sabha on the 24th November relating to the abolition of the Legislative Council in Uttar Pradesh. Several Members insisted that the resolution of the Uttar Pradesh Assembly dated April 29, 1970, relating to the abolition of the Legislative Council in that state should be implemented by the Government of India without further delay by initiating necessary legislation for the purpose."

वहां पर कुछ लोगों ने यह कहा था कि इसको लोक सभा को पारित कर देना चाहिये था; कि जो वहां से संकल्प आया है।

आगे इस प्रकार था:

"I understand that the Resolution of the Uttar Pradesh Assembly referred to above has not so far been rescinded."

तो जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा उस संकल्प को रेसिन्ड नहीं किया गया। रेसिन्ड का प्रस्ताव बाद में यहां पर पारित नहीं हो सका क्योंकि दूसरे प्रश्न पर एक माननीय सदस्य के निष्कासन के सम्बन्ध में विधान सभा की बैठक चल रही थी। उसी दिन वह उठ गई। उसके बाद विधान सभा की बैठक नहीं हुई और जिस समय यह पत्र लिखा गया, लोक सभा भी भंग हो गयी। इस शासन ने, इस सम्बन्ध में कोई लेटर नहीं भेजा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सरकार इस सदन के इस प्रस्ताव से प्रतिबद्ध है, यदि हां, तो कौन-कौन सी कार्यवाही भविष्य में करने जा रही है ?

श्री मधुकर दिघे—

इसमें एक बात देखने की है कि क्या लोक सभा भंग होने के बाद और विधान सभा के भंग होने के बाद, यहां पर जो संकल्प पारित हुआ था, उसको विधान सभा में लाकर सदस्यों का मत लेना जरूरी है कि नहीं, इस पर एडवोकेट जनरल और यहां के जो लोग हैं, उनसे बातचीत करके ही निर्णय लेना पड़ेगा ।

श्री राम अधार—

एडवोकेट जनरल से अभी तक राय न लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मधुकर दिघे—

जैसे ही यह प्रश्न मेरे सामने आया, मैंने इस बात का पता लगाया और कानूनी राय लेने का प्रयास किया । वह संकल्प, जो यहां से भेजा गया था और लोक सभा में एक विधेयक द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद लोक सभा भंग हो गई । अगर वहां पर प्रस्तुत न किया गया होता, तो जो संकल्प यहां से भेजा गया था, क्या उसकी सैंक्टिटी रहेगी ? चूंकि लोक सभा के स्वीकार करने से पहले वह भंग हो गई, तो इसमें क्या कानूनी स्थिति बनती है । इस पर विचार विमर्श हो रहा है और इसमें थोड़ा समय लगेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से यह निष्कर्ष निकाला जाय कि वे वर्तमान लेजिस्लेटिव कौंसिल को भंग करने के पक्ष में हैं ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, यह तो माननीय सदन को अधिकार है । पहले भी जो संकल्प यहां आया था, तो सरकारी प्रस्ताव नहीं था । उस वक्त भी शासन ने इसका विरोध किया था, लेकिन यहां वह पारित हो गया । अगर माननीय सदन की यह इच्छा होगी, तो वह हो जायगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि जो संकल्प इस सदन के अन्दर पारित हो चुका है और किसी भी कानूनी उथल-पुथल की वजह से उसका कार्यान्वियन नहीं हो पाया है, तो क्या वह स्वयं इनिशिएटिव लेकर कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे, जिससे कौंसिल को खत्म किये जाने का संकल्प पूरा किया जा सके?

श्री अध्यक्ष—

यह माननीय सदस्यों को मालूम है कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि मैंने एडवोकेट जनरल को राय के लिए भेजा है कि क्या फिर से इस प्रस्ताव को सदन में लाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त यह भी आपको मालूम होना चाहिये कि लोक सभा और राज्य सभा सक्षम है । जो पहले प्रस्ताव पारित किया गया अगर सन् 70 की लोक सभा भंग भी हो गयी, तो 1971 के बाद इस प्रस्ताव को लोक सभा और राज्य सभा उस पर विचार कर सकती थी । चूंकि इस प्रश्न पर अभी विचार नहीं हुआ है, केन्द्र के अन्दर वह प्रस्ताव अपनी जगह पर है तो उसकी क्या वैधता है, इसके बारे में माननीय मंत्री उत्तर दे चुके हैं कि एडवोकेट जनरल का परामर्श लिया जा रहा है ।

श्री रियासत हुसैन—

लेकिन उन्होंने अपनी राय जाहिर नहीं की है कि उनकी स्वयं की राय क्या है?

श्री अध्यक्ष—

यह आवश्यक नहीं । उन्होंने स्वयं बतलाया कि शासन इस पक्ष का था पहले कि प्रस्ताव पारित न हो, लेकिन सदस्यों ने पारित किया । तो उनकी राय का प्रश्न इससे नहीं निकलता है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय वित्त मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा सरकार के लोग और माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं इस पक्ष में उस समय रहे—उस प्रस्ताव के पक्ष में थे कि विधान परिषद् को खत्म कर दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता, इससे उपन्न नहीं होता । यह तो आप राय मांग रहे हैं । जब राय मंत्रि परिषद् देगी तब आपके सामने आयेगी ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

यह तो वैधता के लिये भेजा गया एडवोकेट जनरल की राय जानने के लिये, लेकिन जैसा माननीय श्री ऊदल जी ने पूछा, क्या सरकार की निति विधान परिषद् को भंग करने के लिए है या नहीं ? तो श्रीमन्, यह तो नीति का प्रश्न है, वह बता सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसको मैंने अस्वीकार कर दिया । प्रश्न इतना है कि वह प्रस्ताव लैप्स हो गया या अपनी जगह पर कायम है ? इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि मैं विधि विशेषज्ञ की राय ले रहा हूं । तो यह प्रश्न बाद में उठेगा । यदि वह प्रस्ताव आज भी जिन्दा है तब तो आपका काम खत्म हो गया, तब तो केवल लोक सभा और राज्य सभा का काम है । अगर आप प्रस्ताव पास भी कर दें और लोक सभा उससे सहमत न हो, विधेयक नहीं लाये, तो आपका प्रस्ताव अपने आप ही निरस्त हो जायगा । इसलिए प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़े होने पर)

शतरुद्ध प्रकाश जी, आप ध्यान रक्खें, आप दो प्रश्न कर चुके हैं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

एक ही जवाब मैंने मांगा था, मैं दूसरा मांगना चाहता हूं । वह यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार या लोक सभा की तरफ से राज्य सरकार या विधान सभा के पास वह पत्र 11 मई, 1972 के बाद में आया था या पहले आया था ? 11 मई, 1972 को इस माननीय सदन में पुनर्विचार हुआ था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में केन्द्रीय सरकार की तरफ से या लोक सभा की तरफ से 11 मई, 1972 के पहले या बाद में कोई पत्र आया है ? इस पर आपत्ति कब उठायी गयी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर यहां दिया जा चुका है । यह प्रस्ताव यहां सन् 70 में पास हुआ था . . .

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

यह बात कब आयी, मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, 11 मई, 1972 को यहां एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया था, जिसको माननीय अध्यक्ष ने उस समय स्वीकार नहीं किया था । उस समय भी उस सम्बन्ध में यही, यहां से कहा गया था कि यह प्रस्ताव लोक सभा और राज्य सभा को भेजा जा चुका है और उस पर उन्हीं को अब विचार करना है और निर्णय लेना है । अब प्रश्न यह रह जाता है कि लोक सभा में चूंकि वह विधेयक आ चुका है, उसी बीच लोक सभा भंग हो गयी, तो अब उसकी कानूनन स्थिति क्या है ? पुराने प्रस्ताव पर ही अगर लोक सभा को निर्णय लेना है, तो हम उनको पत्र लिख देंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, विधान सभा के किसी प्रस्ताव के बारे में रूलिंग आप ही दे सकते हैं कि विधान सभा का प्रस्ताव व्यपगत हुआ या नहीं । उस पर निर्णय लेने का अधिकार आपको ही केवल है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपकी रूलिंग न लेकर, बिना आपसे पूछे हुए कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ, या लोक सभा वाले प्रस्ताव का क्या हुआ, सीधे एडवोकेट जनरल से राय मांगी है । जो प्रस्ताव यहां पारित हो चुका है, उसके बारें में तो आपसे पूछना चाहिये था । इसमें आप निर्देशन दें, यह नियमानुकूल नहीं हुआ है, गलत हुआ है और असंसदीय हुआ है । यह मेरा प्वाइन्ट है ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई विरोधाभास नहीं है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इस बात का पूरा अधिकार है कि वे एडवोकेट जनरल से परामर्श ले सकें । जब वह प्रश्न यहां आयगा तो मैं अपनी व्यवस्था दूंगा, लेकिन इसके लिये यह आवश्यक नहीं कि मेरी व्यवस्था देने के पूर्व वह अपना दिमाग बिलकुल बन्द कर लें या किसी से परामर्श न लें । इसलिये इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम अधार—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप विधान परिषद् को भंग करने वाले प्रस्ताव को मानते हैं या नहीं ? जब आप मानते हैं, तभी तो आप राय एडवोकेट जनरल से मांगेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो वही पूछ रहें हैं कि 2 और 2 चार होते हैं या नहीं ? मंत्री जी ने आपको बतला दिया कि प्रस्ताव जो विधान सभा ने पारित किया केन्द्र को भेज दिया गया । मंत्रीजी की राय कुछ भी हो, प्रस्ताव जो पारित हो चुका है, वह है । दूसरे उनकी क्या राय है, यह पूछने का अधिकार आपको नहीं है, निश्चय तो मंत्रि-परिषद् करती है । अब आप अगर दूसरा कोई संकल्प लाना चाहें, तो ला सकते है, लेकिन आप किसी मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते कि उसकी क्या राय है, यह बतावें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आप की रूलिंग अधूरी है, पत्र सरकार की ओर से नहीं गया, सचिव, विधान सभा ने वहां भेजा और उत्तर भी उन्हीं का आया, तो यह विधान सभा का प्रश्न है । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्वयं कहा कि शासन इसमें नहीं आता, सदन आता है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, आप तो मुख्य मंत्री रह चुके हैं, आपको शायद इतनी तो खुद जानकारी होगी कि आया आपको कोई उत्तर मिला । जहां तक विधान सभा सचिवालय का सवाल है, कोई उत्तर केन्द्र का नहीं प्राप्त हुआ, वह राज्यपाल के मार्फत गवर्नमेन्ट को प्राप्त हुआ । मैनें तो यह बतलाया कि प्रस्ताव पारित है, लोक सभा और राज्य सभा सक्षम है, अपना प्रस्ताव लाने के लिए.....

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

एक सवाल .....

श्री अध्यक्ष—

कल्पनाथ सिंह जी, मैं अब इजाजत नहीं देता । आपने दो प्रश्न पूछा ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य इस गणतंत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, इससे छोटे राज्यों में भी विधान परिषद् मौजूद है, जब विचार करेगी सरकार, तो इस बात का विचार करेगी इस सबसे बड़े राज्य में विधान परिषद् न हटाई जाय, इस बात पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता, श्याम धर जी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के शिक्षकों द्वारा अनशन एवं हड़ताल

*1—श्री देव कुमार (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह पता है कि दिनांक 24 अगस्त, 1977 से बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के अन्तर्गत कार्य करने वाले शिक्षकों का क्रमिक अनशन चल रहा है और दिनांक 1 सितम्बर, 1977 से आम हड़ताल का आवाहन किया गया है ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)—

शिक्षकों का क्रमिक अनशन 24-8-1977 से 14-9-77 तक चला और आम हड़ताल 1-9-77 से 14-9-77 तक रही । शिक्षकों की प्रमुख मांगें वरिष्ठता सूची प्रसारित करने, सन् 1976 से व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परिवेक्षण के लिए रु0 5 प्रति ड्यूटी के हिसाब से पारिश्रमिक देने, केन्द्रीय मूल्यांकन के लिए स्थानीय प्राध्यापकों को सन् 1976 से रु0 5 प्रति दिन के हिसाब से यातायात भत्ता देने तथा विश्वविद्यालय में परीक्षा सम्बन्धी व अन्य अनियमितताओं की न्यायिक जांच कराने आदि के विषय में है । शासन द्वारा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराई जा रही है । अन्य मामलों पर विश्वविद्यालय स्वयं कार्यवाही करने हेतु सक्षम है ।

शारदा सहायक पोषक नहर के निर्माण की घोषणा एवं मिट्टी के कार्य के लिये भुगतान तथा बहराइच जिले के गिरिजापुरी में वन विभाग की भूमि का अधिग्रहण

*2—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह विदित है कि शारदा सहायक परियोजना के पोषक नहर को सरकारी घोषणा के अनुसार जून, 1975 में 119.00 कि0 मी0 लम्बी नहर को पूर्ण घोषित किया गया ? फिर भी 1976 और 1977 के सत्रों में उक्त घोषित रीचेज में एक करोड़ से ज्यादा रुपये के मिट्टी का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो यह भुगतान किस आधार पर हुआ है ?

सिंचाई उप मन्त्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)—

शारदा सहायक पोषक नहर को जून, 1975 में 119.00 कि0 मी0 तक पूर्ण घोषित नहीं किया गया था । पोषक नहर में कि0 मी0 119.00 तक सत्र 1976 और 1977 में मिट्टी के कार्य पर माच, 1977 तक 2.98 करोड़ रुपये व्यय हुए। यह भुगतान पोषक नहर में मिट्टी के अवशेष कार्य के लिये कार्य की माप के आधार पर किया गया ।

*3—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बहराइच (गिरजापुरी) में जिन जंगलात की जमीन शारदा सहायक की पोषक नहर को निकालने हेतु अर्जित की गयी थी उनमें तीन चार प्लाट में जंगल की सफाई का कार्य बिना निविदा मांगे ही कर दिया गया था जिससे सरकार को लगभग 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ? यदि हां, तो इस नुकसान के लिए जिम्मदार कौन अधिकारी है और इनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जिला बहराइच, गिरिजापुरी में वस्तुत: शारदा सहायक की पोषक नहर के निर्माण हेतु वन विभाग की कोई भूमि नहीं ली गयी । अत: प्रश्न का शेष भाग संगत नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि 2.98 करोड़ रुपये का भुगतान 76–77 में किया गया, सिर्फ यह कहा है कि जून, 75 में उसका काम मुकम्मल हो गया, डिक्लेयर नहीं किया गया । मेरी सूचना यह है कि उस नहर का काम पूरा करके 1975 में उसमें पानी भी छोड़ दिया गया और उसके बाद 2.98 करोड़ का पेमेन्ट हुआ । इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इसकी विजीलेंस से पुन: जांच करा लेंगे और जांच के बाद जो दोषी अधिकारी पाये जायं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, यह कुल काम जो था 120 किलो मीटर तक, 400 लाख घन मिट्टी तक, करीब-करीब जिसमें जून, 75 तक, उस 295 लाख घन मिट्टी का कार्य पूरा किया जा चुका था । पूरा 16 करोड़ का काम था, जून, 75 तक 12 करोड़ का काम हो चुका था । जीरो प्वाइंट से लेकर 120 किलो मीटर तक जो शेष काम रहा, वह 3 करोड़ रुपये का काम जून, 77 तक खत्म हो चुका है । एक करोड़ मिट्टी का काम अब भी शेष है । 104 किलो मीटर तक जो यह नहर है 0.26 किलोमीटर तक, यह एक नहर के रूप में आती है, 126 से 104 तक दो नहरों में विभक्त हो गयी ।

बायीं नहर का कार्य पूरा करके, उसमें पानी चला दिया गया था । लेकिन कुछ कार्य शेष रह गया था, जो बाद में पूरा कर दिया गया । दाहिने किनारे का काम अब जाकर पूर्ण हुआ है ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि नहर में पानी चलाया गया । तो जैसा उन्होंने कहा, तो पानी चलाने से पहले जो रिपोर्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर या इक्जीक्यूटिव इंजीनियर की जिस रिपोर्ट को आधार मानकर पानी छोड़ा गया, तो वह कौन सी तारीख की रिपोर्ट है और क्या उस रिपोर्ट को सदन क पटल पर रखेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि जून, 75 तक पूरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं है । व्यवस्था यह की गयी थी कि पानी दे दिया जाय । बायीं नहर का काम पानी जाने भर को पूरा किया गया, शेष नहीं हो पाया था । अगर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जांच चाहत हैं, तो इसकी जांच पुन: करा ली जायगी ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो नहर की दूरी आपने बताया है, वह किन तारीखों को बन चुकी थी और उसकी लागत क्या थी और वह पूर्ण घोषित कब हुई है?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, प्रश्न मिट्टी के कार्य के सम्बन्ध में है। पूरी नहर पर 16 करोड़ रुपये का कार्य था। जिसमें से 12 करोड़ रुपय का कार्य जून, 75 तक कर लिया था। शेष 4 करोड़ रुपये में से 3 करोड़ रुपये का कार्य जून, 77 तक कर लिया। एक करोड़ रुपये का कार्य शेष है। 15 मार्च से 15 जून तक नहर को बन्द कर दिया है। शेष कार्य बाद में करेंगे।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

मान्यवर, क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक योजना की नहर को कब तक पूरा कर देंगे?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, इस शारदा सहायक के सम्बन्ध में 2 जो मुख्य कार्य थे, वह थे गोमती जलसेतु और सई जलसेतु। इनको जून, 78 तक पूरा होना था। इनको पूरा कर दिया है। इसमें से गोमती जलसेतु का पानी पास कर दिया है। सई जलसेतु का पानी इस महीने के अन्त तक पास कर देंगे। जो 15 जून तक बन्दी ली है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन 3 महीनों में अधिकांश कार्य मुख्य नहर का पूरा कर सकें। शेष कार्य धीरे-धीरे चलता रहेगा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, 3 पर कोई सप्लीमेन्टरी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष--

आप पूछिये।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच में कोई भी जंगलात, नहर बनाने के लिये एक्वायर किया गया, यदि किया गया तो उसमें बिना टेंडर मांगे क्यों कार्य किया गया है?

(बिजली फेल हो जाने के कारण थोड़ी देर तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही।)

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, पोषक नहर के लिये जमीन नही ली गयी। गिरिजा बैराज के लिये शारदा बैराज तक जंगल की जमीन ली गयी जिसमें कुल जमीन जंगल के प्रस्ताव संख्या 1 से 14 तक ली गयी है। इसमें वन विभाग की 3144.85 एकड़ जमीन ली गयी है। इसके प्लाट्स जो है उसमें 15,914 वृक्ष जो हैं, उनकी नीलामी की गयी। यह नीलामी की तिथियां इस प्रकार हैं--दिनांक 8-5-70, 3-9-70, 19-10-70, 29-12-70, 26-2-71 और 6-3-71 हैं। 2,743 वृक्ष डब्लू0 आई0 एम0 दियासलाई बनाने वाली फैक्ट्री, बरेली के हैं। उसके फिक्स रेंट जो हैं उसके अनुसार, शासन के नियमानुसार जो आदेश हैं, उनको दिया गया। शेष 5 हजार जो वृक्ष हैं वह नदी में बाढ़ आने से, कट कर उसमें गिर गये जिसमें लगभग 3 किलोमीटर लम्बा और डेढ़ किलोमीटर चौड़ा भाग नदी की चपेट में आ गया। लगभग 2,176 वृक्ष जो बच गये, वह आज भी खड़े हैं। यह स्थिति है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि 5 हजार वृक्ष बाढ़ में कट कर गिर गये । क्या वह सच में गिरे थे या गिरे हुए उनको दिखा दिया गया? दूसरे बिना टेण्डर के इनमें से कितने वृक्षों का प्रबन्ध किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर दिया गया कि जो रेट है, उसके मुताबिक दिया गया है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मंत्री जी ने फिक्स रेट की बात कही है । मेरा प्रश्न है कि कितने उसमें बिना टेण्डर मांगे हुए अधिकारियों ने अपने से रेट फिक्स करके, यह शारदा कटाव दिखाकर, लगभग 20 हजार रुपये का सिंचाई विभाग को लास दिखाया और आपस में बांटा गया, वह मंत्री जी बतायें ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, जो जानकारी मुझे दी गयी है, वह मैंने बताया है और आज भी कम से कम एक हजार पेड़ नदी में पाये जायेंगे । बैराज, जो बनने वाला था 1970-71 में उसमें एक किलोमीटर बायें हट जाना पड़ा क्योंकि उसमें एक कुआं भी गलाया गया ।

श्री अध्यक्ष--

उनका आरोप है कि विभाग ने कुछ गड़बड़ी की तो इस पर कोई जांच आप करायेंगे कि नहीं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, मैं जांच कराने के लिय तैयार हूं । आडिट आब्जेक्शन भी हुआ था इसलिये जो जवाब दिया गया, उसको आडिट ने मान लिया कि सही है । इसलिये यदि यह बात माननीय सदस्य लिखकर देते हैं, तो उसकी जांच अवश्य करा लेंगें ।

(प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने पर ।)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इसमें व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने कह दिया कि आप लिख कर दें । ऐसे वह जांच कराने के लिये तैयार नहीं हैं बिना लिखे हुए ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, वह कहें कि बिना लिखे जांच नहीं करायेंगे । इसलिये इसमें व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, आपकी व्यवस्था हो चुकी है कि सदस्य को लिखकर देने की जरूरत नहीं है । जो चार्जेज हैं, इन पर इंक्वायरी चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह बड़ा मुश्किल होगा । उन्होंने उत्तर दिया । अगर आपकी यह आपत्ति है, तो आपके पास कुछ फैक्ट्स हों उनको लिखकर दे दें । वे जांच करायेंगे । किसी मंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता । उन्होंने जो कहा उसका मतलब ही यह है कि मौजूदा जो सूचना है, उनके पास उसके आधार पर जांच नहीं करेंगे ।

डी0 बी0 इन्टर कालेज, गोरखपुर के प्रधानाचार्य एवं व्यवस्थापक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*4—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0 बी0 इण्टर कालेज, गोरखपुर के प्रधानाचार्य तथा व्यवस्थापक द्वारा किये जा रहे भ्रष्ट कार्यों के सम्बन्धमें कोई शिकायती-पत्र अगस्त, 1977 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या-क्या थीं और अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कालीचरण—

4—जी हां ।

निम्न शिकायतें की गई थीं ।

1—प्रधानाचार्य श्री शेषनाथ मिश्र को नियमों के विरुद्ध उच्च वेतन देना ।

2—आडिट आपत्ति होने पर भी उनके वेतन से कटौती न करना ।

3—प्रधानाचार्य के सम्बन्धियों को उसी विद्यालय में नियुक्ति करना ।

4—अनावश्यक रूप से अध्यापक की नियुक्त ।

5—नियम के विरुद्ध छात्रों से फीस लेना ।

6—मीसा बन्दी छात्रों को प्रवेश न देना । शिकायतों की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा की गई । जांच में प्रधानाचार्य को उच्च वेतन देने तथा कटौती न करने की शिकायत सत्य पाई गई? प्रधानाचार्य को उच्च वेतन देने का मामला शासन के विचाराधीन है तथा न्यायालय की निषेधाज्ञा के फलस्वरूप उनके वेतन से कटौती नहीं की जा सकी । अन्य आरोप जांच में प्रमाणित नहीं हुए ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि उच्च वेतन देने तथा कटौती न करने सम्बन्धी शिकायतें हैं । मैं जानना चाहता हूं कि शासन ने अब तक सिम्पुल आपरेशन का आदेश क्यों नहीं दिया और क्या अब ऐसा करने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण—

चूंकि यह प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है और न्यायालय ने कटौती स्थगित कर दी है । जब तक वहां से निर्णय नहीं हो जाता शासन कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय से निषेध आज्ञा को निरस्त कराने के लिए शासन की तरफ से कोई प्रयास किया गया ?

श्री काली चरण—

शासन की ओर से मुकदमें की पैरवी की जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो दो निश्चित आरोप हैं कि अपने रिश्तेदार को नियुक्त करना और मानक से अधिक अध्यापक नियुक्त करना, तो इसके विरुद्ध किस अधिकारी ने जांच की और यदि की तो क्या मन्त्री जी उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री काली चरण—

मैंने अपने उत्तर में ही बतलाया कि जिला निरीक्षक, गोरखपुर ने जांच की थी और उन आरोपों को सत्य नहीं पाया ।

हरैया-बभनान मार्ग की मरम्मत की मांग

*5—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरैया-बभनान मार्ग पर सारी सामग्री जमा रहते हुए भी उसकी मरम्मत अब तक क्यों नहीं कराई जा सकी तथा वर्तमान सत्र में क्या उसके पुनर्निर्माण की योजना विचाराधीन है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

हरैया-बभनान मार्ग की मरम्मत बराबर करायी जाती रही है । इसके पुनर्निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हरैया-बभनान मार्ग पर कब से काम शुरू हुआ और अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इसकी सूचना मंगानी पड़ेगी ।

श्री ओम प्रकाश—

मान्यवर, प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं सूचना मंगायी जायगी । सूचना मंगाकर कृपया दे दीजियेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बभनान एक मुख्य व्यवसायिक केन्द्र है और उसके महत्व को देखते हुए हरैया से बभनान सड़क को शीघ्र निर्मित कराने की कृपा करेंगे कल माननीय शाही, विद्युत् मन्त्री और उप मंत्री, बाबूलाल जी गये थे, तो उनकी मोटर टूटने की नौबत आ गयी ।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, जैसी सड़क अभी माननीय सदस्य ने बतायी है, वैसी सड़कें पुरानी सरकार ने बहुत सी छोड़ी हैं, लेकिन जिस हिसाब से धन होगा, उसी हिसाब से खर्च होगा और उसी हिसाब से काम होगा ।

खीरी जिले के खीरी टाउन व ओयल टाउन में कन्या हाई स्कूल खोले जाने की मांग

*6—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि खीरी जनपद के खीरी टाउन व ओयल टाउन में कन्या हाई स्कूल खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी नहीं, सीमित वित्तीय संसाधन एवं नये स्कूल खोलने हेतु अन्य वांछित सुविधाओं के अभाव के कारण सम्प्रति इन स्थानों पर कन्या हाई स्कूल खोलना सम्भव नहीं है ।

श्री नरेश चन्द्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यदि सीमित वित्तीय संसाधन हैं, तो जो इस स्थान पर जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं, उनको हाई स्कूल तक अपग्रेड करने में शिक्षा मंत्रालय को क्या दिक्कत है ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल बनाने में या नया हाई स्कूल खोलने में वित्तीय संसाधन की आवश्यकता हर स्थान पर पड़ती है।

श्री नरेश चन्द्र--

मान्यवर, ओयल टाउन में एक कन्या हाई स्कूल पहले से चल रहा था लेकिन वहां के जो भूतपूर्व जिला परिषद के कांग्रेसी अध्यक्ष थे, उन्होंने उसको कुछ दलगत भावनाओं को लेकर, इस हाई स्कूल को तोड़वा दिया। यहां पर, मान्यवर, बिल्डिंग भी उपलब्ध है और अन्य सारी चीजों की भी सुविधायें हैं, तो उस स्कूल को चलाने में क्या दिक्कत है ?

श्री काली चरण --

मान्यवर, जहां तक ओयल टाउन का सवाल है, वहां पर एक जूनियर हाई स्कूल (कन्या) चलता है जिसमे कक्षा 6 में 24, कक्षा 7 में 13 और कक्षा 8 में 15--कुल 52 छात्राओं की संख्या है। अतः इस संख्या की दृष्टि से भी यह उचित नहीं लगता है कि वहां कोई हाई स्कूल चलाना बहुत जरूरी हो।

गोरखपुर जिले के स्वावलम्बी इण्टर कालेज में व्याप्त अनियमिताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*7--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर), श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़), तथा श्री बलबीर सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इंटर कालेज, विशुनपुरा के विषय में जनपद के एक संसद सदस्य (श्री फिरंगी प्रसाद विशारद) ने विद्यालय में नियुक्तियों, फर्जी प्रमाण-पत्रों व कार्यों तथा प्रोन्नति के विषय से संबंधित शिक्षा मंत्री को सम्बोधित कोई पत्र मार्च, 1977 से 30 अगस्त, 1977 तक भेजा है जिसकी प्रतिलिपि केंद्रीय गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री एवं मुख्य मंत्री व डायरेक्टर एस0पी0सी0 आई0डी0 आदि को भेजा है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री काली चरण--

जी हां। संसद सदस्य का पत्र दिनांक 2-8-77 प्राप्त हुआ था जिस पर विभाग द्वारा जांच कराई गई। जांच में शिकायत सत्य पाई गई है। श्री प्रभू नाथ सिंह का लिपिक पद पर कार्यरत रहते हुए एम0ए0तक की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रकरण विश्वविद्यालय गोरखपुर को संदर्भित है तथा आर्थिक अनियमितताओं का निराकरण करने का आदेश प्रबन्धक को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दे दिया गया है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, मंत्रीजी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं। कि फर्जी, प्रमाण-पत्र देने वाला कौन अधिकारी था ? यदि उनकी गलती पकड़ी गयी तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, यह विद्यालय के प्रबन्धक और प्राचार्य से संबंधित प्रश्न है । उनसे शासन ने स्पष्टीकरण मांगा है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है । मान्यवर, जब कोई लोक सभा का सदस्य या विधान सभा का सदस्य पत्र किसी मंत्री को देता है, तो उसको जवाब मिलता है कि उनके पत्र पर समुचित कार्यवाही हो रही है । यह जवाब भेजा जाता है । मार्च से लेकर अगस्त, 1977, तक पांच महीनों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गयी और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इस पर जांच कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें । आप प्रश्न क्या करना चाहते हैं ?

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, प्रश्न है कि श्री सिंह ने सेवारत रहकर किस ढंग से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये स्वीकृति प्राप्त की और उनको स्वीकृति दी गयी या नहीं और यदि दी गयी तो किस सक्षम अधिकारी द्वारा दी गयी ?

श्री कालीचरण—

मान्यवर, इसमें किसकी गलती है, किस ढंग से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति प्राप्त की, इस संबंध में प्रबन्धक और प्राचार्य दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है और अगर नहीं भी है, तो पूरे प्रसंग को देखते हुए मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का भी, इस विद्यालय में गड़बड़ घोटाला और बहुत से मामलों में हाथ रहा है ।

श्री काली चरन—

श्रीमन्, स्पष्टीकरण आने पर जो भी दोषी पाया जायगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आपकी शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध भी है कि उन कार्यालयों ने भी धांधलेबाजी की है।

श्री काली चरण—

यह प्रश्न जो है इसका कोई जिला विद्यालय निरीक्षक से संबंध तो है नहीं । एक लिपिक ने परीक्षा दी है, विश्वविद्यालय की, तो सारा मसला तो विद्यालय से संबंधित है ।

श्री गुलाब सेहरा—

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन संसद सदस्यों से शिकायत आयी और शिकायत सत्य पायी गयी तो क्या उनको इस बात का उत्तर दे दिया गया, यदि दे दिया गया, तो कब दिया गया ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, उन का पत्र मिला था। उनको उत्तर द दिया गया कि इस पर कार्यवाही की जा रही है। जो कार्यवाही की गयी, वह सभी माननीय सदस्यों के सम्मुख है।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, गृह मंत्री जी को जो प्रार्थना पत्र दिया गया था क्या उसका प्रत्युत्तर आया है ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, वह पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु गृह मंत्री के यहां से भी मेरे पास आ चुका है।

पीलीभीत जिले की बीसलपुर नगरपालिका के अन्तर्गत शिक्षकों का प्राविडेन्ट फंड

*8--श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत के बीसलपुर नगरपालिका के अन्तर्गत शिक्षकों के प्राविडेंट फण्ड का रुपया अब तक जमा नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त शिक्षकों के प्राविडेण्ट फण्ड को ब्याज सहित जमा कराने का प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के पश्चात् अगस्त, 1972 के बाद से जनपद पीलीभीत के बीसलपुर नगरपालिका के अन्तर्गत शिक्षकों के प्राविडेंट फंड का रुपया तथा अंशदान नियमित रूप से स्थानीय निकायों के निक्षेप लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा किया जा रहा है। 1 अगस्त, 1972 के पूर्व का प्राविडेंट फंड का धन अध्यापकों के लेखों में स्थानान्तरित होना अवशेष है। यह धन स्थानीय निकायों के मैनुअल में निहित प्राविधान के अधीन डाकघर अथवा स्टेट बैंक में रखा हुआ है। इसे हस्तांतरित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुनीन्द्र पाल सिंह--

शिक्षकों के वांछित धन को मय ब्याज सहित देने पर विचार हो रहा है?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उत्तर दे दिया है कि हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुनीन्द्र पाल सिंह--

पोस्ट आफिस और स्टेट बैंक में रुपया जमा है, तो उसका ब्याज बढ़ा दिया जायगा या नहीं ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, उनका धन जहां-जहां जमा है, नगर पालिका के मैनुअल के अनुसार उस पर उन को ब्याज मिलता ही रहेगा और उसको हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

गुरु गोविन्द सिंह खालसा इन्टर कालेज, बरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गयी कथित जांच

*9--श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-4-77 से 11-6-77 की अवधि में जिला बरेली के माध्यमिक शिक्षक संघ और 46 माडल टाउन निवासियों द्वारा जिला

विद्यालय निरीक्षक, उप शिक्षा निदेशक, बरेली और शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा, इलाहाबाद कुछ को शिकायती पत्र गुरु गोविन्द सिंह खालसा इंटर कालेज, बरेली के प्रबन्धक (श्री सुरजीत सिंह) के तथा कमेटी के खिलाफ प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो विभाग ने इस पर क्या कार्यवाही की तथा शिकायतें क्या हैं ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

दिनांक 11-4-77 तथा 11-6-77 के बीच निम्नलिखित दो शिकायती पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं:--

(1) माडल टाउन के 46 निवासियों का प्रतिहस्ताक्षरित पत्र दिनांक 30-5-77 ।

(2) श्री पृथ्वीपाल सिंह, 154 आलमगिरि गंज, बरेली का शिकायती पत्र दिनांक 6-8-77 । माध्यमिक शिक्षक संघ से इस अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

उक्त दोनों शिकायती पत्रों में निम्नलिखित शिकायतें की गई हैं :

1--प्रबन्ध समिति का चुनाव न होना और प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक के रिश्तेदार एव स्त का होना ।

2--अध्यापिकाओं को पूरा वेतन न देना ।

3--वर्ष 1971-72 में कालेज कोषों में गबन ।

4--चतुर्थ वर्गीय दो कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति ।

5--प्रबन्धक द्वारा अधिकारियों को उपहार देना ।

6--कुदवारा माडल टाउन, बरेली की नई कमेटी का मनमाना गठन कराना ।

7--प्रबन्धक द्वारा अध्यापिकाओं को अपनी दुकान पर बुलाना ।

8--बाहरी व्यक्तियों को स्कूल में बुलाना।

9--अध्यापिकाओं से बिना तारीख के त्याग पत्र लेना आदि ।

उक्त शिकायतों की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली द्वारा की गई, जिसमें शिकायतें प्रमाणित सिद्ध नहीं हुई ।

*10--श्री चेतराम गंगवार (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि उक्त विद्यालय के कुछ अध्यापकों की शिकायत पर दिनांक 6-6-77 व 3-7-77 को प्रबन्धक के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ने कोई जांच की थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है।

गाजीपुर जिले में सिंचाई-मण्डल कार्यालय की स्थापना संबंधी-पत्र

*11--श्री जयराम (जिला गाजीपुर)--

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम जी विधायक एवं श्री सरजू पांडेय, एम0पी0 का क्रमशः दिनांक 7-4-75 एवं 7-8-76 का पत्र मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 को गाजीपुर जनपद में सिंचाई सर्किल खोले जाने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है और अभी तक गाजीपुर जनपद में सिंचाई सर्किल क्यों नहीं खोला गया ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जी हां । परन्तु श्री राम जी सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 7-4-75 दूसरे विषय पर था ।

विभाग के कार्यों की प्रकृति एवं कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक दृष्टि से गाजीपुर में मंडल कार्यालय स्थापित करने का समुचित औचित्य नहीं पाया गया ।

श्री जयराम--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर सिंचाई सर्किल खोलने में बाधक हैं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, एक सर्किल में जब पांच डिवीजनों का काम होता है, तब वहां पर सर्किल खुलता है । देवकली पंप नहर के प्रथम और द्वितीय खंड वहां कार्यरत हैं । एक खंड जमनिया में कार्यरत है, जो गंगा नदी के दाहिनी तरफ है और आवागमन की सुविधा हेतु उसे वाराणसी के अन्तर्गत रखा गया है । दूसरे देवकली हैं । वह भी वाराणसी के नजदीक है, इसलिये उसे भी वाराणसी में रखा गया है । इस कारण कोई खंड वहां नहीं खोला जा सकता ।

श्री जयराम--

गाजीपुर जिले को गंगा नदी दो हिस्सों में बीच से बांटती है, इस स्थिति को ध्यान में रखकर क्या सरकार वहां एक सिंचाई सर्किल जल्द खुलवाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

गाजीपुर जिले को गंगा नदी दो भागों में बांटती है इसी बात को ध्यान में रख कर दाहिनी ओर एक खंड का कार्यालय है और इसलिये जमनिया में एक खंड खोल दिया गया है। दूसरा खंड हमारे यहां कार्यरत है ।

देवरिया जिले की कसया-तुर्कपट्टी सड़क के खरदर पुल के निर्माण की मांग

*12--श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में कसया-तुर्क पट्टी सड़क में स्थित खरदर पुल के निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । अगर हां, तो कब तक काम प्रारम्भ हो जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां । उक्त पुल के विस्तृत सर्वेक्षण कराने और विस्तृत आगणन बनाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम नरेश पाण्डेय--

कसया देवरिया जिले का प्रमुख स्थान है और प्रशासन का केंद्र है और यह जो पुल टूटा, यह आवागमन का मुख्य साधन है, तो मंत्री महोदय बतलायेंगे कि यह पुल कब टूटा और इस पर कार्य शुरू कराने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

पुल कब टूटा, इसकी सूचना मुझे नहीं है ।

श्री राम नरेश पाण्डेय—

इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया कि यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान है । इस पुल के टूटने से 10,12 आदमी प्रति वर्ष डूबकर मर जाते हैं जिससे जनता पार्टी की बदनामी हो रही है । तो क्या सरकार बतायेगी कि सर्वे का काम पूरा हो गया है और कब तक यह पुल पूरा हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

रिवाइज्ड एस्टिमेट मंगाया है और उसके आने के बाद यह देखा जायेगा कि काम जल्दी शुरू करा दिया जाय ।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

यह सर्वे का काम कब प्रारम्भ हुआ और क्या उसकी रिपोर्ट, मंत्री जी को प्राप्त हो गयी है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

अभी प्राप्त नहीं हुयी है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार को ज्ञात है कि केवल इसी पुल की रिपोर्ट नहीं, बल्कि गोरखपुर मंडल में अन्य पुलों की रिपोर्ट भी वहां के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर की अकर्मण्यता के कारण अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा कि पुल के टूटने के संबंध में उनको कोई सूचना नहीं है, तो यह जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों की थी कि वह सरकार को सूचना भेजते इसलिये क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि पुल कब टूटा जिसका उत्तर मैंने यह दिया था कि उसकी डेट मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना यह है कि यह आपने कैसे अंदाजा लगाया है कि पुल नहीं टूटा और मंत्री जी का कहना है कि पुल टूटने की सूचना उनके पास नहीं है ।

एटा जिले के श्री भगवत राष्ट्रीय विद्यालय की अप्रशिक्षित अध्यापक

*13—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थिति)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले में श्री भगवत राष्ट्रीय विद्यालय, पटियाली में ऐसे भी अध्यापक सेवारत हैं जो अप्रशिक्षित हैं ? यदि हां, तो उनको अब तक सेवा में से पृथक न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि इस संबंध में कोई राजाज्ञा हुई थी और उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है ?

श्री काली चरण—

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार एक अध्यापक की सेवायें इसलिये समाप्त नहीं की गई क्योंकि वे राजाज्ञा से0 भा0/8170/ 15–7–76–2 (18)/1975 दिनांक 27 नवम्बर, 1976 के अनुच्छेद 3 (घ) में प्रदत्त सुविधा के अधिकारी हैं। अंतिम भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय का परीक्षाफल

*14—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुशीनगर तथा उदितनारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना के बी0 ए0 (दोनों भाग) तथा एम0 ए0 का परीक्षाफल आज तक घोषित नहीं किया गया है जिससे एक हजार विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है ? यदि हां, तो शासन इस विषय में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री काली चरण—

जी नहीं ।

सभी परीक्षाफल घोषित किये जा चुके हैं ।

आजमगढ़ जिले के जीवन राम इण्टर कालेज के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के संबंध में श्री मधु-लिमए, संसद सदस्य का पत्र एवं प्रधानाध्यापक की शैक्षिक योग्यता

*15–16—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री मधुलिमए, संसद सदस्य ने 8 मार्च, 1975 या इसके इर्द-गिर्द कोई पत्र तत्कालीन शिक्षा मन्त्री, उत्तर प्रदेश शासन को लिखा था जिसमें जीवन राम इण्टर कालेज, आजमगढ़ (मऊ) में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में प्रबन्ध समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक पर कुछ गम्भीर आरोप लगाए थे और विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति को जिसे ये लोग चाहते थे उस पर भी गम्भीर आरोप लगाये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर सही स्थिति से सदन को अवगत करायेगी?

क्या शिक्षा मन्त्री को मालूम है कि जीवन राम इण्टर कालेज (मऊ) आजमगढ़ के प्रधाना-चार्य पद पर आज जो व्यक्ति कार्यरत है उनकी योग्यता नियमानुकूल न होते हुए भी उन्हें प्रधाना-चार्य बनाया गया है? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी प्रबन्ध समिति की गड़बड़ी पर उसे साधिकार नियन्त्रक को सौंपने का आदेश देंगे ? यदि उस व्यक्ति को निर्धारित योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया है तो उपरोक्त पद के लिए कौन-कौन सी योग्यता निर्धारित थी और पदासीन प्रधानाचार्य ने उन योग्यताओं में से किस-किस को पूरा किया था और किस-किस प्रकार से ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह प्रश्न दिया गया है, यह 3–9–77 को विभाग में पहुंचा है और आज भी सूचना एकत्र की जा रही है, तो मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि इस सूचना को एकत्र करने में और कितना समय लगेगा ?

श्री कालीचरण---

श्रीमन्, इस प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में जो सूचना मुझे प्राप्त हुई थी, मुझे ऐसा लगा कि माननीय सदस्य की जिज्ञासा उससे संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए पूर्ण सूचना मैंने पुनः मांगी है। जैसे ही सूचना आ जायेगी, माननीय सदस्य को दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न आपको 20-9-77 को भेज दिया गया था। इसके माने यह है कि इसमें करीब-करीब ६ महीने हो गये। इसलिए इसका उत्तर जल्दी देना चाहिए।

बाजरे की बिक्री में घोटाले से संबंधित मुकदमा

*17---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री मोहन सिंह (देवरिया)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) के शासन-काल में प्रदेश में बाजरे के बिक्री में घोटाले का एक मामला शासन के समक्ष आया था, जिसकी जांच सतर्कता अधिष्ठान ने किया था? यदि हां, तो इस मामले के दोषी अधिकारी कौन-कौन से रहे एवं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

खाद्य मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र)---

जी हां, किन्तु जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा नहीं बल्कि सर्व प्रथम अभिसूचना विभाग द्वारा तथा बाद में विधिक जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई गयी।

माननीय न्यायालय में कुछ असरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है। दौरान मुकदमा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही स्थगित है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है, उसका आखिरी अंश भ्रामक है और परस्पर विरोधी है.....

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी अनुमति नहीं देता, यह आक्षेप है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

अध्यक्ष जी, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन से सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी जांच के दौरान दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरिश्चन्द्र---

इस मामले में 4 गैर सरकारी ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर आरोप हैं और वह मामला न्यायालय में है। दूसरे 10 सरकारी अधिकारी ऐसे हैं, जिनके ऊपर विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मैं फिर से पूछ रहा हूं कि कौन-कौन से लोग सरकारी हैं और कौन-कौन गैर-सरकारी हैं। उनके नाम मैं जानना चाहता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र–

गैर सरकारी व्यक्ति इस प्रकार हैं:––

श्री ओम प्रकाश शर्मा, भूतपूर्व विधायक, श्री ओम प्रकाश चौबे, श्री वृन्दावन दास तथा श्री रामबाबू मिश्र । सरकारी अधिकारी जो हैं, वे इस प्रकार हैं–श्री राम बहादुर सक्सेना–तत्कालीन खाद्य सचिव, श्री कृष्णचन्द जोशी–अवकाश प्राप्त खाद्य सचिव, श्री भोलानाथ तिवारी––तत्कालीन उप सचिव खाद्य, श्री सरस्वती प्रसाद कुलश्रेष्ठ–तत्कालीन वैयक्तिक सहायक, खाद्य सचिव तथा श्री भोलानाथ धुसिया–प्रवर वर्ग सहायक, इश्यू सेक्शन । ये 25 व्यक्ति मुख्यालय से सम्बन्धित हैं ।

1––श्री प्रेम मोहन पाल श्रीवास्तव, तत्कालीन क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, आगरा ।

2––श्री रामेश्वरनाथ कपूर, तत्कालीन क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, आगरा ।

3––श्री हरिशंकर दत्त मिश्रा, तत्कालीन उप-क्षेत्रीय हाट अधिकारी, आगरा ।

4––श्री राजेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, प्रभारी लिपिक, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, आगरा ।

5––श्री हरिमोहन श्रीवास्तव, परमिट लिपिक, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, आगरा ।

ये पांच सरकारी अधिकारी आगरा कार्यालय से संबंधित है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद––

मान्यवर, एक सवाल और पूछ लूं मैंने अभी एक ही सवाल पूछा है ।

श्री अध्यक्ष––

आप दो प्रश्न पूछ चुके हैं ।

श्री हरिकेवल प्रसाद––

नहीं,मान्यवर, एक ही सवाल पूछा है ।

श्री अध्यक्ष––

ठीक है, एक प्रश्न पूछ लें ।

श्री हरिकेवल प्रसाद––

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गैर-सरकारी लोग हैं, उनके खिलाफ तो मुकदमा चल रहा है लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही चल रही है ? वे सारे के सारे कार्यरत हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र––

सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु विधिक परामर्श प्राप्त हुआ कि यह मुकदमें के हित में नहीं होगा इसलिए स्थगित कर दी गई ।

चतुर्वेदी हायर सेकेण्डरी स्कूल जिला एटा मे छात्रों से ली गयी कथित बिल्डिंग फीस

*18––श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्वेदी हायर सेकेण्डरी स्कूल, जहांगीरपुर, जिला एटा में दाखिला के समय बच्चों से फीस के अलावा 11–11 रुपया बिल्डिंगफीस के लिए

नोट:––नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गए है और उसकी कोई भी रसीद बच्चों को नहीं दी गयी? क्या यह भी सत्य है कि इस सम्बन्ध में दिनांक 11 अगस्त, 1977 को प्रश्नकर्त्ता ने मन्त्री जी को जांच हेतु लिखा है? यदि हां, तो जांच कब तक हो जायगी और उक्त धनराशि बच्चों को कब तक लौटाई जायगी?

श्री काली चरण—

जी नहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय जाकर प्रधानाचार्य/अध्यापकों एवं समस्त छात्रों से पूछकर जांच की गई और बयान लिये गये। जांच में छात्रों से फीस के अतिरिक्त 11–11 रुपये बिल्डिंग फीस लेने की पुष्टि नहीं हो पाई। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के श्री गांधी इण्टर कालेज की आडिट रिपोर्ट और पाई गई अनियमितता

*19—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के श्री गांधी इण्टर कालेज, हाटा के कोष का आडिट इन्सपेक्शन दो वर्षों के अन्दर हुआ है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सी अनियमितताएं पाई गयीं और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री काली चरण—

जी हां।

आडिट आख्या के अनुसार शुल्क लेखों में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई:—

1—शुल्काय का सही एवं नियमित हिसाब न रखना।

2—अनधिकृत रूप से प्रधानाचार्य द्वारा धन का व्यय किया जाना।

3—कतिपय कोषों से धन का गोलमाल करना।

उपर्युक्त अनियमितताओं के लिये प्रधानाचार्य को दोषी पाया गया। प्रधानाचार्य जून, 76 में ही सेवानिवृत्त हो गये हैं। उनका माह जून 76 का वेतन रोक दिया गया है। पेंशन अभी स्वीकृत नहीं है तथा पी0 एफ0 की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रबन्धक को प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

मेरठ जिले में गंगा नदी पर दारागंज के पुल निर्माण की मांग

*20—श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जनपद को मेरठ जनपद से मिलाने हेतु गंगा नदी पर दारागंज के पास एक पुल का निर्माण कराने की योजना बनाई गई थी और तत्कालीन प्रधान मन्त्री जी ने 1974 में इस पुल का शिलान्यास भी किया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस समय तक क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मन्त्री (श्री बलबीर सिंह)—

प्रश्न में उल्लिखित पुल के निर्माण की योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई थी तथा तत्कालीन प्रधान मंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास भी किया गया था।

प्रश्नगत पुल गंगा नदी पर प्रस्तावित मध्यगंगा नहर हेतु बैराज के निर्माण से सम्बद्ध कर दिया गया है।

प्रस्तावित बैराज के लिए तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त स्थल का चयन कर लिया गया है तथा निर्माण-कार्य हेतु टेण्डर प्राप्त कर लिए गये हैं।

फर्रुखाबाद जिले के राजकीय बालिका इण्टर कालेज में समाज शास्त्र विषय की व्यवस्था

*21—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के मुख्यालय फतेहगढ़ में स्थित एक मात्र राजकीय बालिका इण्टर कालेज में समाजशास्त्र विषय की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो स्नातकीय महाविद्यालय, फतेहगढ़ में बी0 ए0 कक्षाओं में समाज शास्त्र पढ़ने की इच्छुक बालिकाओं के लिए इण्टर स्तर पर समाज शास्त्र की कक्षाएं प्रारम्भ कराने की सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण—

जी हां । राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फतेहगढ़ में इण्टर स्तर पर समाजशास्त्र विषय की व्यवस्था अगले शिक्षा सत्र से किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

रिसपना नदी, देहरादून के पुल पर पथकर की वसूली

*22—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिसपना नदी, देहरादून पर निर्मित पुल पर दिनांक 20 अगस्त, 1977 तक कितना पुल टैक्स वसूल हो चुका है तथा कितना टैक्स वसूल होना बाकी है ? बकाया टैक्स के कब तक वसूल होने का अनुमान है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

(1) 13,07,017 रुपया 20–8–77 तक वसूल हुआ ।

(2) रुपया 2,96,861 उक्त तिथि को बाकी था ।

(3) दिनांक 24 नवम्बर, 1977 की रात्रि 12 बजे से पथकर की वसूली समाप्त कर दी गयी है ।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं के स्थायीकरण की मांग

*23—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1963–64 में 217 स्थायी पद सिंचाई विभाग में कार्यरत अस्थायी सहायक अभियन्ताओं को स्थायी करने के लिए स्वीकृत हुए थे ? क्या यह सही है कि उन सहायक अभियन्ताओं को स्थायी न करके वे पद सीधी भर्ती से भर लिए गए ? यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ? क्या सरकार भविष्य में उक्त सहायक अभियन्ताओं को स्थायी करने पर विचार करेगी ?

श्री बलबीर सिंह—

वर्ष 1963–64 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के 162 स्थाई पद सृजित किये गये थे ।

यह सही नहीं है कि यह पद विभाग में कार्यरत अस्थाई सहायक अभियन्ताओं को स्थाई करने के लिये स्वीकृत हुए थे । शासनादेश संख्या 4162-ई0 बी0 आर0/23–पी0 डब्लू0 डी0/19 ई0 बी0 आर0 1954, दिनांक 7–12–61 के अनुसार इन स्थाई पदों के विरुद्ध परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 48 सहायक अभियन्तागण की नियुक्ति की गयी जिनमें से 34 ने विभाग में कार्यभार ग्रहण किया ।

स्थायीकरण का औपचारिक आदेश, सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल (1) सिविल अपील संख्या 1370/76–वालेश्वर दास तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा (11) सिविल अपील संख्या 1378/76 हरपाल सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेशराज्य में, निर्णयोपरान्त निर्गत करना संभव होगा ।

सिंचाई विभाग के लिपिकों के स्थायीकरण की मांग

*24—श्री मन्नूलाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में जो खंडीय (डिवीजनल) लिपिक, 1962 से परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें पूर्ण 20 वर्षों से अधिक की अस्थायी सेवा होने पर भी अभी तक स्थायी नहीं किया गया है जबकि शासन के आदेशानुसार तीन वर्ष से अधिक अस्थायी सेवा वालों को स्थायी किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो क्यों तथा इनको कब तक स्थायी कर दिया जायगा?

श्री बलबीर सिंह—

1962 में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 175 खंडीय नैत्यिक कोटि लिपिकों को स्थायीकरण के लिये अनुमोदित किया जा चुका है। अन्य 295 लिपिकों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, कुरावली जिला मैनपुरी को दी गयी कथित भूमि व भवन

*25—श्री हरीराम शाक्य (जिला मैनपुरी)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, कुरावली, जनपद मैनपुरी के भोगांव स्थान में 31 एकड़ की आराजी कुछ वर्ष पूर्व श्री मैनवारी लाल सक्सेना द्वारा प्रदान की गयी थी और उस क्षेत्र में लगभग 80–90 हजार की लागत की एक इमारत बनवाई गई थी? यदि हां, तो उक्त राजकीय दीक्षा विद्यालय, कोराव को भोगांव में स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया ?

श्री काली चरण—

जी नहीं, दान स्वरूप प्राप्त भूमि 31 एकड़ नहीं बल्कि 21.40 एकड़ है जिसमें श्री बनवारी लाल द्वारा प्रदान की गयी भूमि कुल 14.30. एकड़ है। भवन सरियर बेसिक स्कूल (आदर्श विद्यालय) का बना है, नाकि राजकीय दीक्षा विद्यालय का। अतएव, राजकीय दीक्षा विद्यालय के कुरावली से भोगांव स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले के श्री शिवा डिग्री कालेज में समाजशास्त्र विषय की व्यवस्था की मांग

*26—श्री जगदीश मिश्र (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के श्री शिवा डिग्री कालेज तेरही कप्तानगंज में वर्ष 1974–75, 1975–76, 1976–77 तथा 1977–78 में समाजशास्त्र विषय के अध्यापन की कोई उचित व्यवस्था नहीं रही हैं न आज तक है, जिससे छात्रों में घोर असंतोष व्याप्त हैं? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी हां।

श्री शिवा डिग्री कालेज, तेरही कप्तानगंज, आजमगढ़ में समाजशास्त्र विषय के अध्यापक श्री राम निवास पांडेय को प्रबन्धतंत्र द्वारा निलम्बित किय जाने के फलस्वरूप अध्यापक की नियुक्ति का मामला विवाद-ग्रस्त रहने के कारण प्रश्न में कथित अवधि में समाजशास्त्र विषय के अध्यापक की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी।

गोरखपुर जिले के महात्मा गांधी इण्टर कालेज के दसवीं कक्षा का कथित तोड़ा गया सेक्शन

*27—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ समय पूर्व प्रश्नकर्ता ने शिकायत की थी कि महात्मा गांधी इंटर कालज, सिसवा बाजार (गोरखपुर) के प्राचार्य ने दसवीं कक्षा का सेक्शन 6 इस वर्ष (1977) बन्द कर दिया हैं तथा इस विद्यालय के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश नहीं किया जिससे विद्यालय के छात्रों का एक वर्ष का नुकसान हुआ है ? इस संबंध में क्या शासन द्वारा कोई जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी नहीं । महात्मा गांधी इंटर कालेज, सिसिवा बाजार, गोरखपुर में कक्षा 10 में वर्ष 1977 में कुल छात्र संख्या 174 तथा 4 सेक्शन थे । वर्ष 1977–78 में कक्षा 10 की कुल छात्र संख्या 240 तथा 5 सेक्शन हैं । अतः दसवीं कक्षा का छठा सेक्शन तोड़ने की बात निराधार है । जहां तक अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश न देने का संबंध है, गतवर्ष हाई स्कूल परीक्षा में 22 छात्र अनुत्तीर्ण हुए थे जिनमें से 19 छात्रों को पुनः प्रवेश दिया गया । शेष तीन छात्रों ने न तो व्यक्तिगत सम्पर्क किया और न ही प्रवेश हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया ।

वाराणसी जिले के श्री काशीराज इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के सेवा निवृत्ति संबंधी निर्देश

*28—श्री रामाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ने 27 जून, 1977 को प्रबन्धक, श्री काशीराज महाविद्यालय, औराई को एक पत्र लिखकर यह आदेश दिया है कि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की सेवा 30 जून, 1977 को समाप्त हो रही है इसलिये 30 जून तक प्रधानाचार्य किसी वरिष्ठतम अध्यापक को अपना चार्ज दे दें परन्तु प्रधानाचार्य अभी तक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो प्रबन्धक के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी हां ।

श्री काशी राज इंटर कालेज, औराई के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री हरहर प्रसाद के अवकाश ग्रहण की तिथि 30 जून, 1977 थी । अतः 27 जून, 1977 को प्रबन्धक को, प्रधानाचार्य के पद का प्रभार वरिष्ठ अध्यापक को स्थानान्तरित करने के निदेश दिये गये थे ।

प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करके विद्यालय में अधिनियम की धारा 16डी (4) के अन्तर्गत साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति की जा चुकी है ।

वाराणसी जिले के लिफ्ट मंडल, सिंचाई में व्याप्त अनियमितताओं के विरुद्ध पत्र एवं सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

29—श्री जयराम—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम जी, विधायक, गाजीपुर के जनवरी, 1975 व दिनांक 7–4–75 के मुख्य अभियंता को भेजे गये पत्र, जिसमें लिफ्ट सर्किल, वाराणसी के कुछ खंडों के संचय लेखाकारों पर लाखों रुपयों की गड़बड़ियों की जिम्मेदारी आती है, पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलबीर सिंह—

श्री राम जी विधायक का जनवरी, 1975 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ था । अपितु दिनांक 1–2–75 व 7–4–75 के पत्र प्राप्त हुए थे । लिफ्ट मंडल, वाराणसी में श्री डी0डी0 सेमवाल, सेवा निवृत्त अधीक्षण अभियंता द्वारा 131 आपूर्ति आदेशों के मामलों में की गई अनियमिततायें शासन की जानकारी में आयी । इन अनियमितताओं में सिंचाई विभाग के श्री सेमवाल के अतिरिक्त अन्य बहुत से अधिकारीगण भी अन्तर्ग्रस्त हैं । इस मामले की सम्पूर्ण जांच करने के लिये सतर्कता विभाग को आदेश दिये गये हैं । सतर्कता विभाग द्वारा मामले में विस्तृत जांच की जा रही है उनकी जांच आख्या प्राप्त होने पर जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायगी । सतर्कता विभाग के आख्या की प्रतीक्षा की जा रही ह ।

ऋषिकेश बैराज के निर्माण हेतु आमंत्रित निविदाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

*30—श्री राम गोविन, श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1974–75 में ऋषिकेश बैराज के नव-निर्माण के संबंध में टेंडर आमंत्रित हुए थे ? क्या यह सही है कि इसमें निम्न दर का टेंडर न स्वीकृत करके अधिक रेट वाले फर्म को कार्य सम्पादन का कार्य सौंपा गया है जिससे विभाग को करीब 32 लाख रुपये की क्षति उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो इस क्षतिपूर्ति के लिए और दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां।

वर्ष 1974–75 में प्रथम बार निविदायें 15–7–74 को आमंत्रित की गयी थीं जो निरस्त की गयी । अक्तूबर, 1974 में पुनः निविदायें आमंत्रित की गयीं थीं ? निविदाओं से संबंधित कतिपय शिकायतें शासन को प्राप्त हुयीं जिन पर जांच की जा रही है।

इलाहाबाद जिले में जगदीशपुर राजबहा के निर्माण मे बरती गयी अनियमिततायें

*31—श्रीराम गोविन, श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री मन्नू राम—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1977 में इलाहाबाद जनपद में शंकर विकास खण्ड में स्थानीय सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने अवैध रूप से नहर के रुख में परिवर्तन कर दिया है जिससे हरिजनों को काफी नुक्सान हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां ।

इलाहाबाद जनपद में शंकरगढ़ विकास खंड के मौजा निवढ़िया तथा इमलिया में निर्माणाधीन जगदीशपुर राजबहा का अनुमोदित समरेखन से हटकर गलत ढंग से निर्माण कराया गया है, जिससे कुछ हरिजन तथा अन्य लोगों के खेत प्रभावित हुए हैं ।

दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के प्रध्यापकों को दिया गया पारिश्रमकीय पद

*32—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 34(2) की अवहेलना करते हुए मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के प्राचार्य द्वारा दो प्राध्यापकों (डा0 एच0के0 चतुर्वेदी एवं श्री मृगुनाथ मिश्रा) को एक से अधिक पारिश्रमकीय पद प्रदान किये गये है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है

कार्यालय, उप शिक्षा निदेशक, बरेली में आशुलिपिकों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

*33—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976–77 में उप शिक्षा निदेशक, तृतीय मंडल, बरेली ने आशुलिपिकों के कितने रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति की तथा कितनी नियुक्तियां की ? क्या विज्ञप्ति एवं नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण रखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

वर्ष 1976–77 में कोई विज्ञप्ति नहीं की गई । केवल दो रिक्त पद दिनांक 15–12–75 को विज्ञापित किये गये थे जिनमें से-एक पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा गया था । एक मात्र अनुसूचित अभ्यर्थी के जनवरी, 1976 मे आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाने के कारण उन्हें नियुक्ति किया जाना संभव नहीं हो सका ।

बाल विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल, कानपुर से संबंधित कथित आवेदन-पत्र

*34—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर माध्यमिक शिक्षक संघ के मंत्री द्वारा भेजा दिनांक 15 जुलाई, 1977 का आवेदन-पत्र उन्हें बाल विद्यालय हायर सेकेंड्री स्कूल, आजाद नगर, कानपुर के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करवाई गई और जांच में कौन-कौन से तथ्य सही पाये गये है और अभी तक उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री काली चरण—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जवाहरलाल नेहरू पालिटेकनिक, जिला सीतापुर के अध्यापकों के स्थायीकरण की मांग एवं भवन निर्माण हेतु दिया गया अनुदान

*35—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जवाहरलाल नेहरू पालीटेकनिक कालेज, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के अध्यापकों की सवाएं, 2 वर्ष की हो गयीं फिर भी व स्थायी नहीं किये गये जबकि नियमानुसार इन्हें एक वर्ष बाद ही स्थायी करा देना चाहिये था ? यदि हां, तो क्यों?

श्री काली चरण—

जवाहरलाल नेहरू, पालिटेकनिक, महमूदाबाद, जिला सीतापुर एक सहायता-प्राप्त स्वशासी बहुधंधी संस्था है, जिसके अध्यापक वहां की प्रबन्ध समिति के प्रशासनाधीन हैं । इस संस्था की स्थापना अगस्त, 1975 में हुई और इसके अनुमोदित पदों पर तदर्थ नियुक्तियां करने का निर्णय संस्था द्वारा 3–12–1975 को लिया गया ।

प्राप्त सूचना के अनुसार अभी यहां के अध्यापकों की कोई सेवा नियमावली नही है, जिसके अन्तर्गत इनको एक वर्ष बाद ही स्थायी करना अपेक्षित हो ।

*36—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर लाल नेहरू पालीटेकनिक कालेज, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर को 1 वर्ष पहले भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा पैसा दिया गया था परन्तु आज भी भूमि का चयन नहीं हो सका है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री काली चरण—

यह सही है कि इस पालिटेकनिक के लिए सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्व भवन निर्माण हेतु रु0 3.00 लाख का अनुदान दिया गया था । परन्तु यह सही नहीं है कि प्राविधिक शिक्षा निदेशक की लापरवाही से भूमि का चयन नहीं हो सका है ।

वास्तविक स्थिति यह है कि संस्था की प्रबन्ध-समिति की एक 'साइट सेलेक्शन कमेटी' है जिसने निम्नांकित भू-खण्डों के अधिग्रहण के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया:—

(1) लखपेड़ा बाग,
(2) जुबली बाग,
(3) बीबी का बाग,
(4) हजाराबाग,
(5) परसादी का लौदा,
(6) बाबा संगल के चार क्षेत्र ।

इन भू-खण्डों में से एक का भी चयन विधिक एवं व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण नहीं हो सका । अन्ततः 19–9–77 को 'साइट सेलेक्शन कमेटी' द्वारा 50.01 एकड़ भूमि महमूदाबाद टिकैतगंज मार्ग पर, रेलवे स्टेशन एवं कस्बे के निकट चुन ली गई है ।

बांदा जिले के राजापुर की लिफ्ट नहर की सिंचन क्षमता में वृद्धि से संबंधित प्रार्थना-पत्र

*37—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बादा जिले में राजापुर लिफ्ट सिंचाई योजना की सिंचन क्षमता बढ़ाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? क्या इस सम्बन्ध में जिले के गांव चिल्लीराक्स आदि अनेक कई गांवों से किसानों के प्रार्थना-पत्र दिनांक 1–9–77 शासन को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री बलवीर सिंह—

बांदा जनपद के राजापुर ग्राम में वर्तमान लिफ्ट नहर योजना की सिंचन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। यदि तकनीकी दृष्टि से इसकी सिंचन क्षमता बढ़ाना संभव होगा तब तदनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

जी हां । कृषकों का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । प्रार्थना-पत्र में मुख्य मांग नहर की क्षमता बढ़ाने तथा टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में है । नहर की क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के कर्मचारियों को आवास भत्ते का भुगतान

*38—श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, 1975 से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को शासन द्वारा प्राप्त आवास भत्ता की धनराशि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अभी तक नहीं वितरित की गयी? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के कर्मचारियों को आवास भत्ता देने की स्वीकृति हेतु शासनादेश 1 दिसम्बर, 75 को जारी हुआ था और इस भत्ते के वितरण के लिए कालेज की मांग पर आवश्यक अनुदान 20-3-76 को स्वीकृत हुआ था। यह आवास भत्ता उन शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिसम्बर, 1975 से दिया जा रहा है जो शासनादेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार इसे पाने के हकदार हैं।

सुल्तानपुर जिले के चन्दवा ताल की माधवपुर ड्रेन की खुदाई एवं ठेकेदारों का भुगतान

*39—श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सुल्तानपुर, ब्लाक गौरीगंज स्थित चन्दवा ताल से माधवपुर ड्रेन की खोदाई पूर्ण होने के पहले ही अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को सारा धन भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

सिंचाई विभाग मे कथित कतिपय आरोपों के विरुद्ध सेवा निवृत्त किये गये अधिशासी अभियन्ता एवं अधिकारी

*40—श्रीमती पुष्पा तलवार (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय सरकार के विचाराधीन कितने ऐसे अधिशासी अभियन्ताओं अथवा उनसे उच्च श्रेणी के अधिकारियों के मामले प्रस्तुत हैं जिन्हें भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग तथा सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने के आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त कर दिया गया था? 12-9-77 तक कितने अधिकारियों के मामले, उनके पक्ष में निर्णीत हो चुके हैं तथा कितनों पर निकट भविष्य में निर्णय होने की आशा है ?

श्री बलवीर सिंह—

भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग तथा सत्यनिष्ठा के संदिग्ध होने के आरोपों पर कोई अधिकारी अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त नहीं किया गया। अतः ऐसे किसी मामले के विचाराधीन होने या उस पर निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

चित्रकूट इन्टर कालेज, जिला बांदा के प्रवक्ता के वेतन का भुगतान

*41—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चित्रकूट इण्टर कालेज, करवी, जिला बांदा में 1दिसम्बर, 1976 में कितने प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापकों की तदर्थ नियुक्ति की गयी थी ? क्या उनकी नियुक्ति 20 मई, 1977 तक बढ़ा दी गयी थी? यदि हां, तो उन शिक्षकों ने कालेज में कितनी अवधि तक कार्य किया है और क्या उक्त पूरी अवधि का वेतन उनको भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काली चरण—

चित्रकूट इण्टर कालेज, करवी बांदा में 1 दिसम्बर, 76 को एक प्रवक्ता की तदर्थ नियुक्ति की गई थी। तदर्थ नियुक्ति की अवधि 20-5-77 तक बढ़ा दी गई थी। शिक्षक ने 20-5-77 तक कार्य किया है और कार्यरत अवधि तक का वेतन भुगतान कर दिया गया है।

[22 मार्च, 1978 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

देहरादून जिले के सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता के चरित्र के विरुद्ध श्रीमती सुशीला देवी निवासी ऋषिकेश का शिकायती-पत्र

*1—श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री झाम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद), श्री उदय नाथ (जिला वाराणसी) तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

विधान सभा के दूसरे सत्र के 1977 के सातवे बुधवार, दिनांक 12 अक्तूबर, 1977 के लिए श्री सुखपाल पाण्डेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 व 4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त उत्तर में दिये गये तथ्यों के अनुसार आपातकाल में की गयी ज्यादतियों से सताई गई गरीब विधवा श्रीमती सुशीला देवी के लिखित शिकायती-पत्रों पर की गयी विभागीय जांच के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता की जांच आख्या के फलस्वरूप सहायक अभियन्ता को सरकारी सेवा से तुरन्त पृथक कर दिये जाने के आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों

श्री बलवीर सिंह—

पूर्व शासन द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की सेवायें 2 बार समाप्त करने का निर्णय लिया गया और दोनों बार इस आदेश को निष्प्रभावी कर दिया गया।

अतएव अब इसमें शासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विधिक परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में नियंत्रित कपड़े की कमी

*2—श्री बशीर अहमद (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री को मालूम है कि हाल में नियन्त्रित कपड़े की कमी हुई है और उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा अपने अधिकृत विक्रेताओं को नियंत्रित कपड़ा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? यदि हां, तो किन कारणों से? सरकार ने इसके लिये क्या उपयोगी कदम उठाए हैं?

श्री हरिश्चन्द्र—

जी हां। प्रदेश के आवंटित कपड़े में से 8 प्रतिशत कपड़ा उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम को मिलता है। प्रदेश के कोटे में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आ जाने के कारण निगम उसको उपलब्ध कपड़े को अपने जनता स्टोरों से ही बेच रहा है और निजी व्यवसाइयों के माध्यम से उसका विक्रय बन्द कर दिया है। प्रदेश शासन, प्रदेश के नियंत्रित कपड़े के कोटे को बढ़ाने के लिये बराबर प्रयत्नशील है परन्तु अभी तक उसको सफलता नहीं मिली है।

बस्ती जिल के मार्गों एवं भवनों के अनुरक्षण की मांग

*3—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड तथा विभागीय निर्माण इकाई के बीच कार्यों के विभाजन हेतु क्या मुख्य अभियन्ता का कोई आदेश था जिसके अनुसार

मार्गों तथा भवन के अनुरक्षण व त्वरित योजना आदि के अन्तर्गत कार्य प्रान्तीय खण्ड द्वारा कराया जाना था? यदि हां, तो बस्ती जनपद में इसका पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां। कार्यों के विभाजन के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 16–4–77 द्वारा आदेश पारित किये गये थे। बस्ती जनपद में मितव्यता के दृष्टिकोण से इन आदेशों का पालन नहीं हो सका किन्तु जनवरी, 1978 में हुए अधीक्षण अभियन्ता के सम्मेलन में विचार विमर्श के फलस्वरूप अब आदेश दे दिये गये हैं कि बस्ती जनपद में भी अप्रैल, 1978 से 16–4–77 के आदेशों का पालन किया जाय।

*4—श्री रमाशंकर कौशिक—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

सहारनपुर जिले के राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देव बन्द का भवन और भवन निर्माण हेतु क्रय की गयी भूमि

*5—श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि देवबन्द, जिला सहारनपुर के गोकल चन्द रहतीदेवि राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन की दशा जीर्ण-शीर्ण है? यदि हां, तो इसे शीघ्र पुनः निर्माण या मरम्मत कराने के आदेश शासन प्रसारित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काली चरण—

जी हां। राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवबन्द (सहारनपुर) का भवन किराये का होने के कारण उसका पुनः निर्माण या मरम्मत सम्भव नहीं है।

*6—श्री राज कुमार शर्मा—

क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय ने 12 वर्ष पूर्व कोई जमीन भवन निर्माण होतु खरीदी थी जिस पर भवन निर्माण का कार्य अब तक आरम्भ नहीं हुआ? यदि हां, तो क्या शासन इस संबंध में अविलम्ब कार्यवाही करेगा?

श्री काली चरण—

विद्यालय के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1978 में खरीदी गयी भूमि अपर्याप्त पाई गयी और अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी। इस कारणवश भवन निर्माण कार्य आरम्भ करना संभव नहीं हो सका। इस संबंध में प्रयास जारी है।

जौनपुर जिले के न्याय पंचायत सीउर की सस्ते गल्ले की दूकान के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*7—श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला जौनपुर के विकास खंड राम नगर, न्याय पंचायत सीउर की सस्ते गल्ले की एक दूकान (स्वामीनाथ की) जनता की शिकायत होने के नाते और जांच से शिकायत सही होने पर एक वर्ष से निलम्बित थी जिसकी जांच अभी चल रही है? क्या यह सही है कि कुछ दिन पूर्व वर्तमान जिला अधिकारी के आदेश से दुकान चालू कर दी गयी है तो ऐसा नियम विरुद्ध कार्य करने का कारण क्या है?

श्री हरिश्चन्द्र—

जिला जौनपुर के विकास खंड रामनगर की न्याय पंचायत सीउर में श्री स्वामीनाथ की लेवी चीनी की दुकान क्षेत्रीय जनता की शिकायत की अन्तरिम जांच के आधार पर 24

[श्री हरिश्चन्द्र]

सितम्बर, 1976, को निलम्बित की गयी थी । दुकान की अस्थायी रिक्तता पूर्ति हेतु न्याय पंचायत की चयन एवं सतर्कता समिति का सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि श्री स्वामीनाथ की दुकान से ही लेवी चीनी का वितरण कराया जाय। अतः प्रभारी अधिकारी ने श्री स्वामी नाथ को अस्थायी रूप से चीनी वितरण करने की अनुमति दे दी थी । जिलाधीकारी को आदेश दे दिये गये हैं कि श्री स्वामीनाथ से वितरण कार्य बन्द कराकर कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कर दें और जांच अविलम्ब पूरी करायें ।

हरदोई जिले के आई0 आर0 इण्टर कालेज में अध्यापकों की नियुक्ति एवं वरिष्ठता सूची

*8—श्री राजेद्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र के तीसरे बुधवार के लिये श्री मन्ना लाल द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर से संबंधित क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 20 मई, 1976 से रिक्त एल0टी0 ग्रेड के स्थान की पूर्ति के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा क्या प्रयास किया गया ? उक्त शिक्षा संस्था में सी0टी0 ग्रेड की वरिष्ठता सूची क्या है ?

श्री काली चरण—

प्रबन्धाधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 444 पर)

आयुक्त फैजाबाद मंडल द्वारा नियुक्त किये गये पूर्ति निरीक्षक एवं अभ्यर्थियों की सूची

*9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 में खाद्य विभाग में निरीक्षकों के जो पद सृजित हुए थे उनकी पूर्ति हेतु फैजाबाद मंडल के आयुक्त द्वारा निरीक्षकों के चयन हेतु कोई सूची तैयार की गयी? यदि हां, तो वह क्या है तथा उनमें से कौन-कौन व्यक्ति निरीक्षक पद पर नियुक्त हो चुके हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र—

वर्ष 1974 में निरीक्षकों के पद सृजित नहीं हुये थे । फैजाबाद मंडल में पूर्ति निरीक्षकों के अस्थायी पदों पर तदर्थ नियुक्ति के लिये आयुक्त, फैजाबाद मंडल द्वारा 28—1—74 को कुल 10 अभ्यर्थियों की एक सूची बनाई गयी थी, जिसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है। उस सूची में से निम्नलिखित 4 व्यक्ति पूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्त किये गये थे ।

1—श्री गजेन्द्र सिंह थापा

2—श्री राधेश्याम श्रीवास्तव

3—श्री हरि शंकर श्रीवास्तव

4—श्री अमरनाथ

(देखिय नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 445 पर)

*10—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

[माननीय सदस्य की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप हटाया गया ।]

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी का चावल की रिकवरी संबंधी आदेश

*11—श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, हल्द्वानी ने अपने आदेश संख्या 5825, दिनांक 28 जुलाई, 1977 एवं अपने आदेश संख्या 7355, दिनांक 28 जुलाई, 1977 द्वारा रुद्रपुर, जिला नैनीताल के कुछ राइस मिल्स की रिकवरी (चावल लम्बा, पतला प्रथम की) 62.84 प्रतिशत पर अपनी संस्तुति मानी थी और बाद में क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक ने अपने आदेश संख्या 7964, दिनांक 26 सितम्बर, 1977 द्वारा अपने उपरोक्त पहले आदेश को वापस ले लिया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र—

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी ने अपने आदेश संख्या 5825, दिनांक 28 जुलाई, 1977 द्वारा मेसर्स खुन्नी लाल सुन्दर लाल, मेसर्स निहाल चन्द्र महेन्द्र कुमार तथा बन्सल दाल मिल्स, रुद्रपुर से बासमती तथा लम्बी-पतली श्रेणी के चावल की लेवी बजाय उत्तर प्रदेश चावल और धान (उद्ग्रहण, व्यापार विनियमन और संचलन नियंत्रण) आदेश, 1976 के खण्ड 3 (8) में निर्धारित धान से चावल की रिकवरी के प्रतिशत 66.5 के 62.84 प्रतिशत के आधार पर लिये जाने के आदेश दिये थे।

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्र दिनांक 4 अगस्त, 1977 द्वारा शासन को यह सूचित करने पर कि उन्होंने उक्त आदेश के खण्ड 3 (8) के परन्तुक तीन के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुमायूं मण्डल में बासमती तथा लम्बी-पतली श्रेणी एक के चावल की लेवी 62.84 प्रतिशत रिकवरी के आधार पर लिये जाने के आदेश दे दिये हैं। शासन के रडियोग्राम दिनांक 23 सितम्बर, 1977 द्वारा क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्दवानी को यह सूचित किया गया कि प्रश्नगत खण्ड में नियंत्रक को सामान्य रूप से पूरे क्षेत्र के लिये रिकवरी प्रतिशत घटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है और वे केवल विशिष्ट मामलों में ही घटे वास्तविक रिकवरी प्रतिशत के आधार पर चावल की लेवी स्वीकार कर सकते हैं। उनको यह भी निदेश दिये गये थे कि ऐसी परिस्थिति में वे रिकवरी प्रतिशत घटाने सम्बन्धी अपने आदेश तुरन्त वापस ले लें। तदनुसार क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्दवानी ने अपने आदेश दिनांक 26 सितम्बर, 1977 द्वारा घटे रिकवरी प्रतिशत के आधार पर लेवी स्वीकार करने सम्बन्धी अपने पूर्व आदेश दिनांक 28 जुलाई, 1977 को वापस ले लिया।

नैनीताल जिले की राइस मिल्स मेसर्स झुन्नी लाल सुन्दर लाल की डिग्री का भुगतान

*12—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर, जिला नैनीताल के राइस मिल्स मेसर्स झुन्नी लाल सुन्दर लाल ने सरकार के खिलाफ कोई नालिश की थी जिसकी अपील सरकार द्वारा जिला न्यायाधीश, नैनीताल में की गयी थी, जो दिनांक 14 फरवरी, 1976 को अपील नं0 64/1976 (एन0) खारिज कर दी गयी और इसके खिलाफ सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में मीयाद के अन्दर कोई अपील नहीं की? यदि हां, तो उपरोक्त डिक्री का पेमेन्ट अब तक क्यों नहीं किया गया?

श्री हरिश्चन्द्र—

जी हां। डिग्री की राशि का भुगतान चेक संख्या 18114, दिनांक 27-1-78 द्वारा किया जा चुका है।

*13—श्री कल्पनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

नयी सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग

*14—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष के बजट में नई सड़कों के बनाने, पक्की करने अथवा पुरानी सड़कों की मरम्मत या पुनरुद्धार करने का प्राविधान करते समय हर जिलें के लिए बाम्बे योजना के तहत 1981 तक के लिये निश्चित किए गए लक्ष्य और अब तक हर जिले में इस दिशा में हुए कार्य का भी ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

वर्ष 1977–78 में सड़कों तथा पुलों की योजना के लिये विभाग को जो परिव्यय दिया गया वह मंजूरशुदा कार्यों के लिये ही काफी न होने की वजह से इस साल के बजट में नयी सड़कों के निर्माण अथवा पुरानी सड़कों के पुनर्निर्माण के कोई भी नये कार्य शामिल नहीं किये जा सके ।

राजकीय इण्टर कालजों मे तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये प्रवक्ताओं की सूची एवं पुनर्नियुक्ति हेतु श्री तेजेन्द्र पाल सिंह का प्रार्थना-पत्र

*15—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल), श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली), तथा श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 में राजकीय इण्टर कालेजों में कुछ जीव-विज्ञान प्रवक्ताओं की तदर्थ नियुक्तियां मेरिट के आधार पर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा की गयी थीं और मई, 1976 में लोक सेवा आयोग द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों की नियुक्ति के कारण ग्रीष्मावकाश के पूर्व ही उनमें से कुछ की सेवायें समाप्त कर दी गयीं ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मन्त्री उनकी सूची मेरिट के क्रमानुसार सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री काली चरण—

जी हां । सूची संलग्न है ।
(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 446 पर)

*16—श्री गोविन्द सिंह नेगी, श्री प्रताप सिंह पुष्पवान तथा श्री पूरन चन्द्र—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उक्त सेवा समाप्त जीव-विज्ञान प्रवक्ताओं में से कुछ प्रवक्ताओं ने अपनी पुनर्वियुक्ति हेतु पांच जुलाई, 1977 को शिक्षा मन्त्री तथा तत्कालीन शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (श्रीशिव प्रसाद पाण्डे) को प्रार्थना-पत्र दिए थे और उस पर उन्होंने कुछ आदेश अंकित किए थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है और कितने प्रवक्ताओं को अब तक पुनः सेवा में लिया गया और बाकी को कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

श्री काली चरण—

केवल एक भूतपूर्व प्रवक्ता श्री तेजेन्द्र पाल सिंह ने दिनांक 5 जुलाई, 1977 को तत्कालीन शिक्षा सचिव को एक प्रार्थना-पत्र दिया था, जिसका उस पर अंकित आदेशानुसार परीक्षण किया जा चुका है । ऐसे किसी प्रवक्ता को अभी तक पुनः सेवा में नहीं लिया गया है । गुणावगुण के आधार पर चयनित होने पर ही प्रसंगत व्यक्तियों को पुनः नियुक्ति का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

*17—श्री रमा शंकर कौशिक—

[उरे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फैजाबाद जिले के गोसाईगंज कस्बे में राजकीय बालिका हाईस्कूल की स्थापना

*18—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1977 में प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया फैजाबाद जनपद के गोसाईगंज कस्बे में लड़कियों का एक कालेज खोलने के बारे में कोई पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही हो रही है और उक्त कालेज के खोलने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री काली चरण—

जी हां। गोसाईगंज (फैजाबाद) में एक राजकीय बालिका हाई स्कूल वर्तमान शिक्षा सत्र (1977–78) से खोल दिया गया है।

गोरखपुर जिले के निर्वाचन क्षेत्र चिल्लूपार में बम्बई योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण की मांग

*19—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार बाम्बे फार्मूला के आधार पर कुल जितने मील सड़क मिलनी चाहिए चिल्लूपार निर्वाचन क्षेत्र में उतनी सड़क है ? यदि हां, तो उसकी पूर्ति हेतु सरकार ने कौन-कौन सी सड़कें बनाने का आदेश दिया है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

बम्बई योजना के अनुसार सड़क निर्माण का लक्ष्य जिले को इकाई मानकर निर्धारित किया गया है। अतः तहसील अथवा निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर्स की पदोन्नति हेतु विचाराधीन नियम

*20—श्री मोहन लाल (जिला हमीरपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जूनियर इजीनियर्स को सहायक अभियन्ता पद के पदोन्नति के लिए परीक्षाएं कितने अरसे से नहीं हुई हैं तो क्या सरकार ने इन परीक्षाओं के लिये निकट भविष्य में कोई तिथि निर्धारित की है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो जूनियर इन्जीनियर्स को प्रमोशन के लिये अन्य कौन से नियम बनाए गए हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

पिछला इम्तहान वर्ष 1970 में हुआ था। आगे इम्तहान के लिये कोई तारीख तय नहीं हुई है।

जूनियर इंजीनियर्स के प्रमोशन के लिये संशोधित नियम बनाने पर विचार हो रहा है।

*21—श्री श्रीनारायण—

[1लें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शारदा सहायक पोषक नहर के मिट्टी के कार्य से संबंधित कथित हानि और भुगतान की धनराशि

*22—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह ज्ञात है कि शा0 सं0 खण्ड अष्टम, लखनऊ के अन्तर्गत पोषक नहर के कि0 मी0 120.00 से कि0 मी0 127.00 के मध्य सत्र 1976–77 के दौरान

[श्री रियासत हुसैन]

मिट्टी के कार्य में संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा निश्चित मात्रा से ज्यादा मात्रा का अनुबन्ध करके और अनुबंधित मात्रा से ज्यादा का भुगतान करके और अपूर्ण कार्य को पूर्ण मान कर सरकार को लगभग 7 (सात) लाख रुपए की हानि पहुंचाई गई है ? यदि हां, तो क्या इस घपले की जांच कराई गई और दोषी अधिकारी के विरुद्ध इसके लिए कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बलबीर सिंह--

जी नहीं ।

शारदा सहायक पोषक नहर के कि0 मी0 120 से 127 तक सत्र 1976-77 में संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा कुल 6 अनुबन्धों के अन्तर्गत 67,046 घ0 मी0 अनुमानित मात्रा क विरुद्ध केवल 65,731 घन मीटर मिट्टी का कार्य कराया गया ।

उपरोक्त कार्य के लिये कुल 2,17,625.00 रु0 का भुगतान किया गया । अतः सरकार को सात लाख रुपये का हानि तथा किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*23--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह विदित है कि शारदा सहायक परियोजना की पोषक नहर को सरकारी घोषणा के अनुसार जून, 1975 में 119.00 कि0 मी0 लम्बी नहर को पूर्ण घोषित किया गया फिर भी 1976 और 1977 के सत्रों में उक्त घोषित रीचेज में एक करोड़ से ज्यादा रुपये के मिट्टी का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो यह भुगतान किस आधार पर हुआ है ?

श्री बलवीर सिंह--

जी नहीं । शारदा सहायक पोषक नहर में कि0 मी0 119.00 तक सत्र 1976 और 1977 में मार्च, 1977 तक मिट्टी के कार्य पर 2.98 करोड़ रु0 व्यय हुए यह भुगतान पोषक नहर में मिट्टी के अवशेष कार्य के लिये कार्य की माप के आधार पर किया गया ।

शारदा सहायक खण्ड, सीतापुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कथित ठेकेदार की रोकी गई जमानत की धनराशि

*24--श्री छज्जू सिंह (जिला मेरठ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शारदा सहायक खण्ड 13, सीतापुर के अधिशासी अभियन्ता (श्री रमेश चन्द्र गुप्ता) ने श्री वकील चन्द्र जैन, ठेकेदार की जमानत धनराशि मु0 17,000 रुपए 2 साल से अधिक समय से बिना किसी उचित कारण के रोके है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री संजय गांधी के भूमि सेना कार्यक्रम के अन्तर्गत कतिपय जिलों में स्थापित किये गये युवक शिविरों पर व्यय की गयी धनराशि का अपव्यय

*25--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मई, 1976 से मार्च, 1977 तक प्रदेश के रायबरेली, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर तथा बहराइच में जो युवक शिविर लगाय गय थ, उस पर कितना व्यय

हुआ, यह व्यय किस मद से और किसके आदेश से हुआ। क्या यह सच है कि 11 नवम्बर, 1976 को मन्त्रि परिषद् की जो बैठक हुई उसमें प्रथम शिविर के मूल्यांकन में यह पाया गया कि इस शिविर में उपलब्धि बहुत कम है, यदि हां, तो उस के बाद भी शिविर क्यो लगाये गये ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी।

श्री बलवीर सिंह—

रायबरेली, गाजीपुर तथा बहराइच जिलों में स्थापित किये गये युवक शिविरों पर क्रमशः 4,32,837.00 रु0 8,03,185 रु0 1,21,594.00 रु0 शुद्ध व्यय सिंचाई विभाग द्वारा किया गया। चौथा युवक शिविर मुजफ्फरनगर जिले में नहीं वरन् मेरठ जिले में स्थापित किया गया था जिस पर रु0 2,09,000.00 शुद्ध व्यय सिंचाई विभाग द्वारा हुआ है।

इन शिविरों पर क्रमशः अनुमानित कार्य 632 रु0, 4246 रु0 10,200 रु0 एवं 13102 रु0 आता है।

यह व्यय शारदा सहायक परियोजना, दवकली पम्प नहर परियोजना तथा मध्य गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु आवंटित धन में सिंचाई विभाग द्वारा किया गया। नवम्बर 11, 1976 को मंत्रि परिषद् की बैठक इस संबंध में नहीं हुई वरन् बैठक इस तिथि को तत्कालीन सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में संबंधित सचिवों एवं विभागाध्यक्ष की हुई। यह बैठक कैलाशपुरी में आयोजित शिविर से संबंधित सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचारार्थ हुई थी। सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या में यह स्पष्ट कहा गया था कि कैलाशपुरी शिविर में वास्तविक उपलब्धियां अनुमानित उपलब्धि से 8 प्रतिशत लगभग हुई उपरोक्त बैठक में सिंचाई विभाग की इस स्पष्ट आख्या के पश्चात् भी यह निर्णय हुआ कि अन्य तीन पूर्व निर्धारित स्थानों पर शिविर लगाये जायें जिसमें से माह दिसम्बर का शिविर श्री संजय गांधी के जन्म दिवस पर लगाया गया था प्रथम शिविर का उद्घाटन श्री संजय गांधी द्वारा दिनांक 17 मई, 1976 को कलाशपुरी में हुआ था।

उपरोक्त सभी शिविर श्री संजय गांधी के भूमि सेना कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये थे इसीलिये तत्कालीन सिंचाई मंत्री जी ने नगण्य उपलब्धियों के बावजूद भी शेष तीनों शिविरों का लगने का निर्णय लिया। उपरोक्त व्यय सार्वजनिक धन का दुरुपयोग एवं अपव्यय था।

जूनियर हाई स्कूल, शमसाबाद, जिला आगरा की प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध की गयी जांच

*26—श्री गुलाब सेहरा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या जूनियर हाई स्कूल, शमसाबाद, जिला आगरा की प्रधानाध्यापिका (श्रीमती महारानी देवी) के विरुद्ध यहां शिकायत थी कि उन्होंने प्रवेश में बालिकाओं से नाजायज रुपया लिया जिसकी जांच 9 अगस्त, 1977 को महिला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी। उस जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री कालीचरण—

जी हां, अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), आगरा द्वारा जांच की गई। उक्त जांच में प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य साबित नहीं हुये।

बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विचाराधीन वेतनमान

*27—श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बातयेंगे कि बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों के प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आज भी 53.00, 34.00, 20.00, 15.00 रुपये और उससे कम वेतन दिया जाता है जबकि उसी बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 165.00, 200.00, 215.00 रु0 के वेतन-क्रम में रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसा भेद भाव क्यों ?

श्री कालीचरण—

जी हां । इनके वेतनमान में पुनरीक्षण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है परन्तु ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन-मान में कोई अन्तर नहीं है ।

बांदा जिले के करबी-बूढ़ा व राजापुर मार्ग के निर्माण की मांग

*28—श्री राम सजीवन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बातायेंगे कि बांदा जिले की करबी-बूढ़ा, राजापुर मार्ग का सर्वे पिछले वर्षों में कराया गया था जिसकी योजना एवं अनुमानित लागत आदि की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सड़क निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है और अब तक निर्माण कार्य शुरू न होने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण इस मार्ग का निर्माण इस समय संभव नहीं है ।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के हादी सेंटर में जमा की गयी धनराशि

*29—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल तथा श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार को जानकारी है कि मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के हादी सेन्टर में जुलाई, 1976 में एकत्रित धनराशि किसी कर्मचारी ने अपने पास रख ली थी एवं विशेष सम्प्रेक्षण द्वारा पकड़ने पर अगस्त, 1977 में जमा की गयी ? यदि हां, तो इस गबन के प्रति उत्तरदायी कर्मचारी के प्रति क्या कार्य-वाही की गयी ?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के भंडार अधिकारी एवं लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति

*30—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के प्राचार्य ने विद्यालय नियमावली की अवहेलना करते हुये निर्धारित योग्यता एवं अनुभव न रहते हुये भी भण्डार अधिकारी एवं लेखाधिकारी के पद पर क्रमशः 16 अक्तूबर, 1971 एवं 10 मई, 1976 को पदोन्नति की ? यदि हां, तो सरकार इस अनियमित कार्य के सम्बन्ध में प्राचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के अध्यापकों का वेतनमान एवं परीक्षा कार्य का पारिश्रमिक

*31—श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के अध्यापकों को न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान दिया गया है और न ही विश्वविद्यालय द्वारा कराये गये परीक्षा इत्यादि के कार्य का पारिश्रमिक ही भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायित्व है तथा इसके ठीक करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री काली चरण—

इस कालेज के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान 1-1-73 से स्वीकृत कर दिये गये हैं । इस वेतनमान के देने की एक यह भी शर्त है कि जिन अध्यापकों को यह वेतनमान अनुमन्य होगा, उन्हें परीक्षा आदि कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक देय नही होगा। अस्तु इन कार्यों के लिये उन्हें पारिश्रमिक देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*32—श्री गुंजेश्वर—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

*3—श्रीमती शारदा देवी—

[4 थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम दारापुर के त्योर नाले के जल निकासी हेतु आवेदन-पत्र

*34—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री गेंदालाल गुप्त तथा श्री दिवाकर-विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हे ग्राम दारापुर, तहसील कायमगंज जिला फर्रुखाबाद के ग्रामवासियों का 9 सितम्बर, 1977 का भेजा हुआ आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बरसाती पानी के निकास के अभाव मे लाखों रुपयों के मूल्य की फसल हर वर्ष बर्बाद होने की शिकायत है, यदि हां तो क्या, शासन ने उक्त नाले के निकालने के लिये कोई इस्टीमेट बनवाया है ? उसके निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां । इस सम्बन्ध में एक दिनांक रहित आवेदन-पत्र श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, विधायक के पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1977 के द्वारा प्राप्त हुआ । प्रभावित क्षेत्र से जल निकासी हेतु त्योर नाले के निर्माण के लिये 43781 रु0 का एक प्राक्कलन 1972 में बनाया गया था तथा जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को इसे क्रश प्रोग्राम में सम्मिलित करने हेतु लिखा गया था परन्तु यह कार्य क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत अभी तक नहीं लिया गया है ।

गत वर्षो में धनाभाव के कारण यह कार्य नहीं कराया जा सका है ।

*35—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

गोरखपुर जिले की सस्ते गल्ले की दुकानों को उच्च श्रेणी के चावल की आपूर्ति

*36—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सितम्बर में खाद्य मंत्री की घोषणा के बावजूद भी गोरखपुर की राशन की दुकानों पर मध्यम दर्जे का चावल क्यो नहीं बेचा गया? क्या यह सही है कि मंत्री द्वारा पूछने पर 30 अक्टूबर, 1977 को अधिकारियों ने यह जबाब दिया कि गोरखपुर में ऐसा चावल मिल नहीं सका ? क्या यह सच है कि गोरखपुर में ऐसा चावल उपलब्ध है ? यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कर रही है ?

श्री हरिशचन्द्र—

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से समान्यतः तृतीय श्रेणी के चावल का वितरण होता है। इससे उच्च श्रेणी के चावल के लिये व्यवस्था करनी पड़ती है। सितम्बर 1977 में गोरखपुर मंण्डल के गोदामों में उच्च श्रेणी का चावल उपलब्ध नही था अतएव शासन की घोषणा के पश्चात् गोरखपुर के लिये इलाहाबाद तथा मेरठ मण्डल से द्वितीय श्रेणी का चावल मंगाया गया जिसके रेल से आने में थोड़ा समय लगा गोरखपुर में वह चावल पहुंचते ही उसका वितरण प्रारम्भ कर दिया गया।

इस प्रकार किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नही उठाता।

*37—श्री बाबू राम वर्मा—

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के अध्यापकों का विश्वविद्यालय आयोग द्वारा स्वीकृत वेतन-मान देने में विलम्ब

*38—श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के अध्यापकों को 1 जनवरी, 1973 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान अभी तक क्यों नहीं प्रदान किए गए जबकि गत सरकार ने इनकी स्वीकृति की घोषणा भी कर दी थी ? इस विलम्ब का उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री काली चरण—

इस इंजीनियरिंग कालेज के अध्यापकों को 1-1-73 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान स्वीकृत कर दिये गये हैं।

पिछली सरकार के मुख्य मंत्री ने आम चुनाव के तत्काल पूर्व बिना मंत्रि परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किये इन वेतनमानों की घोषणा की थी। वर्तमान सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर 1-1-73 से विधिवत वेतन-मान लागू कर दिये हैं।

कानपुर विश्वविद्यालय के अध्यापकों से संबंधित कथित ज्ञापन

*39—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय के तदर्थ नियुक्ति अध्यापकों के सन्दर्भ में एक ज्ञापन कानपुर जनपद के विधायकों द्वारा 12 जुलाई, 1977 को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काली चरण—

प्रश्न में उल्लिखित कानपुर जनपद के विधायकों का कथित ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ। अतः उस पर कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नलकूप खंड, बस्ती के सहायक अभियंता श्री राम लाल सिंह तथा श्री राम सूरत प्रसाद शर्मा के विरुद्ध धन के दुरुपयोग का अपराध

*40—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1975–76 में नलकूप खण्ड बस्ती के तत्कालीन सहायक अभियन्ता (श्री राम लाल सिंह और राम सूरत प्रसाद शर्मा) के विरुद्ध सरकारी धन का लाखों रुपए का दुरुपयोग के अपराध विभागीय स्तर पर आरोपित हुये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

मामला शासन के विचाराधीन है ।

इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ को कथित दिया गया अनुदान

*41—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार ने गिरी इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 1976–77 तथा इसके आगे के वर्षों के लिये 5 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले में घाघरा नदी के कटाव से बचाव संबंधी प्रार्थना-पत्र

*42—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा के कटान के रोक-थाम के लिए प्रश्न कर्त्ता ने जुलाई, 1977 से नवम्बर, 1977 में जो प्रार्थना-पत्र दिया और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्त्ता के अनुरोध पर कटान का निरीक्षण सिंचाई मन्त्री तथा उप सिंचाई मन्त्री ने अगस्त, 1977 में किया था ? यदि हां, तो घाघरा के कटान से पीड़ित किसानों तथा कटान की रोकथाम का क्या उपाय किया जा रहा है ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रश्नकर्त्ता द्वारा घाघरा नदी जनपद बस्ती के कटाव से बचाव हेतु कार्यवाही करने से संबंधित दो पत्र दिनांक 11 अगस्त, 1977 एवं 6 नवम्बर, 1977 को प्राप्त हुये । दिनांक 18 जुलाई, 1977 को उप मंत्री, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन ने घाघरा नदी कटाव का ग्राम विक्रमजोत से ग्राम उमरिया (जनपद बस्ती) तक निरीक्षण भी किया था । उक्त क्षेत्र में बचाव कार्यों हतु सर्वेक्षण करने का आदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तुरन्त दे दिया गया था । सर्वेक्षण एवं शेष औपचारिकताओं के पूर्ण होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायगी ।

मिर्जापुर जिले के रिहन्द प्राइमरी स्कूल पिपरी को शिक्षा विभाग में हस्तांतरण संबंधी कथित आदेश

*43—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक दिनांक 16 जुलाई, 1956 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डा० सम्पूर्णानन्द की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया था कि रिहन्द परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त रिहन्द स्कूल पिपरी, मिर्जापुर शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित कर दिया जायगा और उसी निर्णय के क्रम में शासनादेश सं० 88, दिनांक 12 जनवरी, 1957 शासन द्वारा भी निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो कृपया यह बताने का कष्ट करें कि क्या उक्त विद्यालय प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किया जा चुका है ? यदि नही, तो उसका क्या कारण है ?

श्री बलबीर सिंह--

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार रिहन्द कन्ट्रोल बोर्ड की दिनांक 16-7-56 को आयोजित बैठक में रिहन्द प्राइमरी स्कूल पिपरी को शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय नहीं लिया गया था और न प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 12-1-57 के शासनादेश में तत्सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

हाई स्कूल परीक्षार्थियों को दिया गया अंग्रेजी में प्रमाण-पत्र

*44---श्री गिरीश चन्द्र तिवारी तथा श्री गेंदा लाल गुप्त---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 सितम्बर, 1977 को हिन्दी दिवस का उद्घाटन करते हुए मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि एक वर्ष के अन्दर उत्तर प्रदेश का सारा कार्य हिन्दी में होने लगेगा ? क्या उन्हें जानकारी है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रमाण-पत्र अंग्रेजी में वर्ष 1977 से देना प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो इस मामले में सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री काली चरण---

जी हां। वर्ष 1977 में केवल हाई स्कूल परीक्षा के केवल मेरठ तथा इलाहाबाद मंडल के नौ जनपदों के परीक्षार्थियों को कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये गये ऐसे प्रमाण-पत्र दिये गये हैं जिनमें हिन्दी मे पूर्व मुद्रित प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर परीक्षार्थियों का विवरण अंग्रेजी मे अंकित है क्योंकि हिन्दी का कम्प्यूटर अभी तक उपलब्ध नहीं है। 1977 से हाई स्कूल परीक्षा के शेष नौ मंडलों तथा इंटरमीडियट परीक्षा में यंत्रीकृत पद्धति लागू न होने के कारण हिन्दी में ही परम्परागत प्रमाण-पत्र यथासमय प्रदान किये जायेंगे।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर का ट्रक दुर्घटना में घायल छात्र एवं स्टाफ कार की व्यवस्था

*45---श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के गेट के पास 23 जनवरी, 1977 को ट्रक दुर्घटना में इस विद्यालय का एक छात्र संघातिक रूप से घायल हुआ और क्या उसे अस्पताल पहुंचाने के लिये विद्यालय की चार-चार मोटर गाड़ियां उपलब्ध होते हुये भी समय पर नही उपलब्ध करवाई गयीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण---

जी हां। दुर्घटना के दिन कालेज में खेल कूद (sports) का कार्यक्रम चल रहा था। कालेज की एक मिनी बस पहले ही खेलकूद में घायल हुए एक अन्य छात्र को लेकर नगर के अस्पताल गई हुई थी। दूसरी गाड़ी (कालेज फार्म की जीप) उस समय कालेज में नहीं थी। तीसरी गाड़ी (स्टाफ कार) की इगनीशन की (ignition-key) संबंधित ड्राइवर के पास थी जो रविवार होने के कारण उपस्थित नही था। अतः स्टाफ कार की डुप्लिकेट चाबी कार्यालय से निकलवाकर उपलब्ध कराई गई, जिसमें लगभग 15, 20 मिनट लग गये। जब स्टाफ कार घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाने के लिये गेट पर पहुंची, तो उससे 5 मिनट पूर्व ही, सह-छात्रों द्वारा एक टैक्सी में घायल छात्र को ले जाया जा चुका था।

इस घटना की मैजिस्ट्रीरियल जांच भी हुई जिसका निष्कर्ष यह था कि "स्टाफ कार उपलब्ध होने में कुछ बिलम्ब अवश्य हुआ परन्तु यह बिलम्ब जान बूझ कर किया गया प्रमाणित नहीं होता है।"

शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद के नियुक्ति अनुभाग के कर्मचारियों का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

*46—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद के नियुक्ति अनुभाग–1 में कितने ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं जिनकी अवधि उसी अनुभाग में पांच वर्ष से अधिक हो चुकी है? क्या ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काली चरण—

ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, अतः प्रश्न नही उठता।

*47—श्री दीप नरायन—

[1ले सोमवार (20–3–78) में तारांकित प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत उत्तरित।]

*48—श्री दीप नरायन—

[1ले सोमवार (20–3–78) में तारांकित प्रश्न संख्या 43 के अन्तर्गत उत्तरित।]

नेहरू कालेज, छिबरामउ फर्रुखाबाद में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

*49—श्री हुकम चन्द तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि "नेहरू कालेज" छिबरामऊ (फर्रुखाबाद) में व्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक घोटाले से संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद द्वारा की गयी 20 मई, 1976 को जांच तथा शिक्षा सचिव को प्राप्त कालेज के अभिलेखों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री काली चरण—

मामला शासन के विचाराधीन है।

हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सीतापुर के प्रधानाचार्य, की बहाली का आदेश

*50—श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद सीतापुर हिन्दू कन्या महाविद्यालय की निलम्बित प्राचार्या के निलम्बन के कारणों पर बिना विचार किए कुलपति कानपुर विश्वविद्याशय ने एक-तरफा बहाली के आदेश 27 सितम्बर, 1977 के पत्र द्वारा किए ह जिसके विरोध में महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति ने सामूहिक त्याग-पत्र दे दिया है?

श्री काली चरण—

हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सीतापुर की प्रबन्ध समिति ने सामूहिक त्याग पत्र दिया किन्तु उक्त महाविद्यालय की प्रधानाचार्या के निलम्बन के कारणों पर विचारोपरान्त ही कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय ने उनकी बहाली के आदेश दिये थे।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर के निम्न श्रेणी कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*51—श्री अरुण कुमार—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश में अभी तक तीन वर्ष से कार्यरत निम्न श्रेणी में कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायी किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हें स्थायी करने का विचार कर रही है ?

श्री काली चरण—

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, कानपुर (मुख्यालय) में अभी तक तीन वर्ष से कार्यरत निम्न श्रेणी में कार्य कर रहे 22 कर्मचारियों में से 18 कर्मचारियों को स्थायी किया जा चुका है। शेष 4 कर्मचारियों के पदों का स्थायीकरण विचाराधीन है। इन पदों के स्थायीकरण के उपरान्त कर्मचारियों को स्थाई करने की कार्यवाही की जायगी।

जनता हायर सेकेंड्री स्कूल, खडोहा, लखनऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध दंड प्रस्ताव पर कार्यवाही

*52—श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनता हायर सेकेण्डरी स्कूल खडोहा, महिलाबाद लखनऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्रबन्ध समिति द्वारा दण्ड प्रस्ताव दिनांक 17 जून, 1977 को शासन के अनुमोदनार्थ भेजा गया है तथा इस सम्बन्ध में एक स्मरण-पत्र भी दिनांक 20 सितम्बर, 1977 को दिया गया है ? यदि हां, तो शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को प्रबन्धक, जनता हायर सेकेन्ड्री स्कूल खडोहा, मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा श्री राम अवतार मिश्रा, प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्रबन्ध समिति का दंड प्रस्ताव दिनांक 17-6-77 एवं स्मरण पत्र दिनांक 2-8-77 को प्राप्त हुआ है। विद्यालय निरीक्षक द्वारा श्री राम अवतार मिश्रा, प्रधानाचार्य को शो काज नोटिस दिया गया था। श्री मिश्रा का उत्तर विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हो गया है जिस पर अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

आगरा जिले के राजकीय नलकूपों की संख्या और असफल नलकूप

*53—श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में माह नवम्बर, 1977 तक राजकीय नलकूपों की संख्या क्या थी और उनमें से नवम्बर, 1977 तक कितने चालू थे, और कितने खराब पड़े हैं ? क्या उनको ठीक कराने की कोई कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री बलबीर सिंह—

जनपद आगरा में माह नवम्बर, 1977 तक विद्युतीकृत राजकीय नलकूपों की कुल संख्या 335 थी। 35 नलकूप समय-समय पर विभिन्न कारणों से असफल हो गये। इस प्रकार चलित नलकूपों की संख्या 300 थी। इन चलित नलकूपों में से 6 नलकूप विभिन्न दोषों के कारण बन्द थे जिन्हें ठीक करके चला दिये गये।

जी हां।

देवरिया जिले की सिंघरिया ताल ड्रेन में ली गयी भूमि का मुआवजा एवं भेड़ी स्केप, ग्राम चतुर छपरा में पुल एवं साइफन का निर्माण

*54—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के चाक शाखा निर्माण खण्ड गण्डक नहर देवरिया के अन्तर्गत सिघरिया माइनर (ड्रेन) में ली गयी भूमि का मुआवजा किसानों को अब तक किन कारणों से नहीं दिया गया है तथा क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बड़ी गण्डक नहर के भेड़ी स्केप पर ग्राम चतुर छपरा में पुल और साइफन का निर्माण किन कारणों से अब तक नहीं हुआ है तथा सरकार इनके निर्माण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

सिंघरिया ताल ड्रेन कि0 मी0 18–940 लम्बी है। इसके निर्माण में ली जाने वाली भूमि कि0 मी0 9–684 तक जिन ग्रामों में पड़ती है, उसे चकबन्दी में सार्वजनिक कटौती हेतु बन्दोबस्त अधिकारी पड़रोना को भेजा गया है एवं कि0 मी0 9–684 से 18–940 तक का भूमि अध्याप्ति प्रकरण तैयार कराया जा रहा है,जिसकी विज्ञप्ति होने के शीघ्र बाद कृषकों को मुआवजा वितरित कर दिया जायेगा।

बड़ी गण्डक नहर के भेड़ी स्केप पर (इनलेट) ग्राम चतुर छपरा में साइफन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है

*55—श्री मैनेजर सिंह—

[2रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आगरा जिले के थाना निबोहरा हेतु पक्की सड़क के निर्माण की मांग

*56—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार को मालूम है कि जिला आगरा में थाना निबोहरा में कोई पक्का मार्ग नहीं है ? यह थाना डाकू ग्रस्त क्षेत्र में पड़ता है और पक्की सड़क से 15 कि0 मी0 दूर पड़ता है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त थाने तक सड़क बनाने का प्रस्ताव डाकू-ग्रस्त क्षेत्रों की सड़क योजना में था ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक पक्की हो जायगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां, जिला आगरा में थाना निबोहरा को कोई पक्का मार्ग नहीं है। यह थाना डाकू ग्रस्त क्षेत्र में पड़ता है और पक्की सड़क से लगभग 11–50 कि0 मी0 दूर पड़ता है।

जी हां। किन्तु भारत सरकार द्वारा उक्त मार्ग स्वीकृत नहीं किया गया। अतः इस सड़क को उक्त योजना के अन्तर्गत पक्का कराना संभव नहीं हुआ है।

*57—श्री बाबू सिंह—

[1ले मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कानपुर जिले में अमराहट पंप नहर योजना का निर्माण एवं सर्वेक्षण पर व्यय की गयी धनराशि

*58—श्री मौजीलाल कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में अमराहट पम्प नहर 660 क्यूसेक की बनाने का आश्वासन सन 1974 में शोषित समाज दल द्वारा चलाए गए सत्याग्रह के परिणाम स्वरुप सरकार ने लिखित रूप में दिया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त नहर न बनाने का कारण क्या है ?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं।

केवल 660 क्यूसेक्स क्षमता की अमराहट पम्प योजना के सर्वेक्षण एवं उसके निर्माण की संभावना (फिजीबिल्टी) के विषय में शासन ने 1974 में शोषित समाज दल द्वारा चलाये गये सत्याग्रह के परिणामस्वरुप घोषणा की थी। 660 क्यूसेक्स पम्प नहर बनाना यमुना नदी में उपलब्ध जल के अनुसार सम्भव नहीं पाया गया।

अब 50 क्यूसेक्स की क्षमता पर ही नहर बनाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार निर्माण कार्य शुरु कर दिया गया है।

*59—श्री मौजी लाल कुरील—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमराहट पम्प नहर कैनाल योजना, जिला कानपुर की जांच पड़ताल सरकार ने अब तक किन अधिकारियों से कराई है? और इस प्रकार की जांच पर कुल कितना रुपया व्यय हो चुका है?

श्री बलबीर सिंह—

अमराहट पम्प नहर योजना के सर्वेक्षण का कार्य भोगनीपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा एवं डाल सिंचाई प्रखण्ड इटावा के अधिकारियों द्वारा कराया गया है एवं इस पर 55,227 रुपये व्यय हुए हैं।

श्री तुलाराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला आगरा की प्रबन्ध समिति

*60—श्री हुक्म चन्द तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री तुलाराम उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, मलपुरा (आगरा) की प्रबन्ध समिति को कार्य करने के लिए दिनांक 15 सितम्बर, 1977 को मुन्सिफ मथुरा से यह आदेश मिला कि प्रबन्ध समिति ही कार्य करती रहेगी? यदि हां, तो अब उस विश्वविद्यालय पर किस प्रबन्ध समिति का अधिकार है?

श्री कालीचरण—

मुन्सिफ मथुरा के कथित आदेश विभाग को प्राप्त नहीं हुये। विद्यालय पर दिनांक 1-12-77 को नवगठित प्रबन्ध समिति का अधिकार है।

*61—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

[भारत सरकार से संबंधित होने के कारण निरस्त।]

सहायक अभियंता एसोसियेशन सार्वजनिक निर्माण व सिंचाई विभाग का स्मृति-पत्र

*62—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शासन कृपया बतायेगी कि सहायक अभियन्ता एसोसियेशन सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग को संयुक्त रुप से नियमितिकरण व सनवाल समिति की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में एक स्मृति-पत्र अगस्त, 1977 में मुख्य मंत्री को दिया और उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त स्मृति-पत्र पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

सिंचाई विभाग द्वारा यू0 पी0 एग्रो एवं कृषि विभाग से ट्रैक्टरों की कथित खरीद

*63—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि सिंचाई विभाग की परियोजनाओं की सेवाओं के लिए यू0 पी0 एग्रो एवं कृषि विभाग से टैक्टर खरीदे गये और अभी भी खरीदे जा रहे हैं? यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए, यू0 पी0 एग्रो के उद्यम कर्त्ताओं के भारी ट्रैक्टरों को क्यों नहीं लिया जाता ?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं।

बांदा जिले के ओहन बांध नहर की गुठऊपुर गूल को माइनर बनाये जाने की मांग

*64—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में ओहन बांध की मुख्य नहर से निकाली हुई गुठऊपुर गूल के सिंचाई के वृहद् क्षेत्रफल को देखते हुए उसे माइनर के रुप में निर्मित करने का प्रश्न इस समय शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसपर निर्माण-कार्य कब तक शुरू किया जायगा ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां।

इस कार्य को प्राविधिक स्वीकृति डी0 पी0 ए0 प्रोग्राम के अन्तर्गत दी जा चुकी है।

*65—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

[11 वे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विश्वविद्यालयों में एम0एड0 और एम0बी0 ए0 कक्षाओं में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग

*66—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों में एम0 एड0 और एम0 बी0 ए0 कक्षाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है? यदि हां, तो सरकार आरक्षण करने की व्यवस्था करेगी और अब तक यह व्यवस्था क्यों नहीं हो सकी है ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ जिले के ठेकमा राजबहा की जवारपुर शाखा के समरेखन संबंधी प्रार्थना-पत्र

*67—श्री शिव प्रसाद तथा श्री विक्रमा राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ स्थित ठेकमा के शारदा कैनाल के जवारपुर शाखा जो जगदीशपुर लेखपाल हल्के के चक नम्बरान 207, 208, 210, 228–31, 239–41, 268, 270, 272, 345–53 आदि से होकर जा रही थी और जिसकी प्राविधिक स्वीकृति भी जनवरी, 1977 में हो गयी थी तथा भूमि अध्यापन के सम्बन्ध में मुआवजा देने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही थी, को एकाएक अन्य चक नम्बरों से ले जाने की आवश्यकता पड़ी। यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां। आजमगढ़ जनपद में स्थित ठेकमा राजबहा की जवारपुर शाखा के पूर्व स्वीकृत समरेखन की नीची जमीन में होने के कारण जनता के अनुरोध पर पुन: जांच कराने के उपरान्त बदल देना पड़ा है।

*68—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या यह सही है कि उपरोक्त शाखा के एलाइन में फेर बदल की रोक के लिए सर्व श्री चौधरी राम यादव, जगत नारायण राय, रघुनाथ राय आदि जगदीशपुर बिजौली एवं जे0 एन0 राय के प्रार्थना पत्र भी शासन को जून, 1977 से 15 नवम्बर, 1977 के बीच प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां। कथित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे। जांच कराने के पश्चात कथित शाखा का समरेखन उत्तर की ओर हटा कर चक रोड के समानान्तर निकालने का अनुमोदन किया गया है।

लालबहादुर शास्त्री पुल, मिर्जापुर पर बिजली की व्यवस्था

*69—श्री श्यामधर मिश्र—

क्या यह बात सही है कि लाल बहादुर शास्त्री सेतु मिर्जापुर जिसका उद्घाटन जनवरी, 1977 में मुख्य मंत्री ने किया था अभी भी पूरी तौर से अन्धेरे में है? यदि हां, तो उस पर अब तक बिजली न लगाने के क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

निर्माण कार्यों के आगणन में बिजली की व्यवस्था का प्राविधान नहीं रहता है जिसके कारण प्रश्नगत पुल पर रात के समय बिजली के प्रकाश की व्यवस्था अभी अन्तिम रूप से नहीं हो पाई है। इस सम्बन्ध में नगरपालिका, मिर्जापुर के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

वाराणसी जिले में गंगा पर खेमापुर स्थित डीघ पंप नहर की सिंचन क्षमता

*70—श्री श्यामधर मिश्र—

क्या सरकार को यह पता है कि वाराणसी जिले में गंगा पर खेमापुर स्थित लिफ्ट नहर की जो क्षमता लगभग 900 एकड़ है उसमें से केवल 200 एकड़ अधिक से अधिक सिंचाई हो रही है ? क्या यह सही भी है कि भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री तथा मुख्य अभियन्ता जब पिछले वर्ष से वहां गए थे उसी समय यह घोषित कर आये थे कि पूरी नाली पक्की करके पूरी क्षमता शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जायगी ? यदि हां, तो अब तक ऐसा न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री बलबीर सिंह--

वाराणसी जिले में गंगा पर खेमापुर स्थित डीघ पम्प नहर की क्षमता (सी0 सी0 ए0) 967 एकड़ है। इसमें से अब तक अधिकतम सिंचाई (वर्ष 1976-77) में 362 एकड़ हो चुकी है।

जी हां, किन्तु ऐसे कोई आदेश नहीं दिये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

*71—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[3 रें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शारदा नहर सीतापुर खंड के प्राविधिक परीक्षण में पायी गयी अनियमिततायें

*72—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शारदा उपखण्ड सीतापुर का टेक्निकल परीक्षण अभी हाल में कराया गया ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य आख्या क्या है ?

श्री बलबीर सिंह—

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ की सामान्य कार्य प्रणाली के अनुसार सीतापुर खण्ड शारदा नहर सीतापुर के कार्यों का सामान्य प्राविधिक परीक्षण मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा दिनांक 24-5-1977 से 26-5-1977 तक किया गया तथा जो अनियमिततायें पाई गईं इन पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के स्पष्टीकरण का परीक्षण कोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। कोष्ठ द्वारा पाई गई मुख्य-मुख्य अनियमितता निम्न प्रकार है:—

(1) दरियाबाद शाखा तथा सरौरा डिस्टीब्यूटरी में क्रमशः 12 तथा 3 अस्थाई बांध बनाने के कार्यों में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अधिक दर का भुगतान तथा उसके कारण रुपये 2730.00 की हानि।

(2) ट्रक द्वारा खाली सीमेन्ट की बोरियों की ढुलाई हेतु ऊंची (inflated) दरों का भुगतान तथा उसके कारण रु0 2318.00 की हानि।

(3) बल्ली तथा खाली सीमेन्ट की बोरियों की ढुलाई हेतु ऊंची (inflated) दरों का भुगतान किया जाना।

(4) माप पुस्तिका संख्या 1753 (पृष्ठ 1 से 100 तक) के कुछ पृष्ठों में खीरी ब्रांच से संबंधित कुछ बंधों की मरम्मत के कार्यों की माप अंकित है जो वास्तव में कार्य स्थल पर Exist ही नहीं करते हैं।

रायबरेली जिले के ग्राम इन्हौंना में हाईस्कूल की स्थापना की मांग

*73—श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इन्हौना, जिला रायबरेली में हाई स्कूल खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी नहीं।

इस वर्ष इन्हौंना के समीप ग्राम राजा फतेहपुर में एक राजकीय हाई स्कूल खोल दिया गया है जिससे उस क्षेत्र के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे।

मेरठ कालेज, मेरठ के सीनियर लेक्चरर्स तथा रीडर्स का नया वेतनमान एवं एरियर्स

*74—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ कालेज, मेरठ के सीनियर लेक्चरर्स तथा रीडर्स का नए वेतन-मान में वेतन निर्धारण (फिक्सेशन) नहीं हुआ है ? क्या यह भी

सत्य है कि उन्हें सन् 1973 से आज तक नए वेतन के एरियर्स भी नहीं मिले हैं ? यदि हां, तो कब तक वेतन निर्धारण होगा और कब तक उनके एरियर्स मिलेंगे ?

श्री काली चरण—

केवल दो सीनियर लेक्चरर्स को छोड़कर शेष सभी सीनियर लेक्चरर्स तथा रीडर्स का नये वेतन-मान में वेतन निर्धारण किया जा चुका है और एरियर्स के भुगतान के लिये अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करने हेतु शिक्षा निदेशालय द्वारा कालेज को मांग पत्र प्रेषित करने के लिये लिखा गया है।

*75—श्री बलदेव—

[4 थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरण।]

*76—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बुलन्दशहर के दिगम्बर डिग्री कालेज की अनियमितताओं की जांच

*77—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिगम्बर डिग्री कालेज, डिबाई, जिला बुलन्दशहर में आपातकालीन स्थिति के समय में की गयी अनियमितताओं की जांच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जांच आयोग वर्ष 1976 में बैठा था ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है तथा उस रिपोर्ट पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बुलन्दशहर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग का कथित उप खंड, अनुरक्षण, डिबाई पर ठेकेदारों का बकाया

*78—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण उप खण्ड अनुरक्षण, डिबाई, जिला बुलन्दशहर में ढलाई ट्रांसफार्मर के कैरज बिल वर्ष 1974–75–76 के किस-किस ठेकेदार के तथा कितने-कितने धन के बकाया हैं तथा किस कारण से अभी भुगतान नहीं हुआ ? और भुगतान न कराने की जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई उप खण्ड अनुरक्षण, डिबाई, जिला बुलन्दशहर में नहीं है। अतः ठेकेदारों के बकायों के भुगतान का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद जिले की काली नदी पर जलालाबाद-गुगुरापुर एवं जसोदा-कुसुमखोर मार्गों के पुल के निर्माण की मांग

1—श्री झामलाल अहेरवार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज में काली नदी पर जलालाबाद से गुगुरापुर तथा जसोदा से कुसुमखोर तक जाने वाले मार्गों पर पुल निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्नगत दोनों मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के नहीं है अतः इस विभाग द्वारा इन सड़कों पर पुलों को बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर जिले के बीसलपुर बिलसंडा मार्ग पर ईटगांव के पुल का जीर्णोद्धार

2—श्री मुनीन्द्र पाल सिंह —

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि शारदा नहर डिवीजन, शाहजहांपुर के ईटगांव रजवहा मील दस पर बीसलपुर-बिलसंडा पक्के मार्ग पर टूटते हुए पुल का जीर्णोद्धार क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

पुल के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा किया जा चुका है और यातायात के लिये 31–1–78 को खोल दिया गया है।

सुल्तानपुर जिले के कतिपय विकास खंडों हेतु पक्की सड़क के निर्माण की मांग

3—श्री तेजभान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद सुल्तानपुर में कितने और कौन-कौन विकास क्षेत्र पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं और उनमें कितनी पक्की सड़कें है ? क्या सरकार ऐसे विकास क्षेत्रों में नई सड़कों के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में विशेष धन स्वीकृत करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

केवल दो विकास खण्ड (1) जामो और (2) दूबेपुर के मुख्यालय पक्की सड़कों पर नहीं हैं। जामों में 20–6 कि0 मी0 और दूबेपुर में 75–00 कि0 मी0 पक्की सड़कें हैं।

धनाभाव के कारण नयी सड़कों को मंजूर करने में कठिनाई है।

देवरिया जिले के हाटा इंटर कालेज का कथित निरीक्षण

4—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के हाटा इण्टर कालेज का निरीक्षण सितम्बर, 76 में हुआ था ? यदि हां, तो कौन-कौन सी अनियमितताएं पाई गयीं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

काल्विन इण्टर कालेज, महमूदाबाद, जिला सीतापुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कथित जांच

5—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम नरायन वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि काल्विन इण्टर कालेज, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध वर्ष 1975–76 से कुछ गम्भीर अनियमितताओं की विभागीय जांच चल रही है ? यदि हां, तो अब तक जांच में क्या पाया गया तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

6—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर तीसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थगित]

लाला रामस्वरूप शिक्षा संस्थान इंटर कालेज, लखनऊ के कला अध्यापक, श्री एन0 के0 सिंह की सेवा समाप्ति

7—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाला रामस्वरूप शिक्षा संस्थान इण्टर कालेज, बन्थरा, लखनऊ के स्थाई कला अध्यापक को बिना किसी आरोप के जुलाई, सन् 1970 में निकाल दिया गया था और उक्त अध्यापक के कई प्रार्थना-पत्र शिक्षा निदेशक तथा शिक्षा मंत्री जी के पास आए हैं ? यदि हां, तो इस मामाले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कालीचरण—

श्री एन0 के 0 सिंह कला अध्यापक की नियुक्ति अस्थायी रूप से वर्ष 69–70 के सत्रान्त तक के लिये की गई थी। उस समय विद्यालय जूनियर हाई स्कूल तक की मान्यता प्राप्त था। जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों पर इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम लागू नहीं होता है, अतः अध्यापकों के रखने व निकालने के लिये विद्यालय निरीक्षक की अनुमति आवश्यक नहीं है। शासन स्तर पर एवं शिक्षा निदेशक को उक्त अध्यापक का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

देवरिया जिले के मालवीय इंटर कालेज में छात्र संघ के गठन संबंधी पत्र

8—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधीश, देवरिया ने 23 अक्तूबर, 1977 को प्राचार्य, मालवीय इण्टर कालेज, भाटपार रानी को छात्र संघ के गठन के विषय में कोई पत्र लिखा था ? यदि हां तो, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण—

जी हां।

प्राचार्य ने दिनांक 10 दिसम्बर, 1977 को छात्रों द्वारा इस सम्बन्ध में मतदान कराया कि छात्रसंघ बनाया जाय अथवा नहीं। छात्रों ने बहुमत से छात्रसंघ न बनाने का निर्णय लिया।

राजकीय इंटर कालेज धारचूला, जिला पिथौरागढ़ से जिला टिहरी गढ़वाल को स्थानान्तरित अध्यापकों का यात्रा भत्ता

9—श्री बशीर अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि 1970 में राजकीय इन्टर कालेज धारचूला, जिला पिथौरागढ़ से स्थानान्तरण राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाश्रम लस्या, जिला टिहरी गढ़वाल को किये गये अध्यापकों को स्थानान्तरण–यात्रा-भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको उसका भुगतान शीघ्र कराने तथा इस सम्बन्ध में दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री काली चरण—

जी हां, इनके बारे में महालेखाकार द्वारा कतिपय आपत्तियां उठाई गई हैं।

महालेखाकार द्वारा उपर्युक्त आपत्तियों के निराकरणोपरान्त भुगतान कराने की कार्यवाही की जा रही है।

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील की निर्माणाधीन सड़कें

10— श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय——

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में कौन-कौन सी सड़कें व लिंक रोड अधूरी बनी पड़ी हैं और उसके क्या कारण है ? क्या शासन इन अधूरी सड़कों व लिंकरोड को इस वर्ष के बजट प्लान में रखकर उन्हें पूर्ण निर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां——

बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में निम्नलिखित निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति निम्नवत है :——

(1) बर्डपुर-पिपरहवा नैपाल सीमा मार्ग——यह मार्ग पूर्ण हो चुका है।

(2) देवरुआ शोहरतगढ़ मार्ग——बानगंगा से व सुतुवा सेतु को छोड़कर इस मार्ग को मार्च, 1978 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। बान गंगा सेतु का निर्माण अभी आरंभ नहीं किया जा सका है। निर्माणाधीन सुतुव.सेतु जून, 78 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मार्ग पर यातायात चल रहा है।

(3) बर्डपुर-पिपरहवा मार्ग (छुटा हुआ भाग)——इसका निर्माण पूरा हो चुका है

(4) उसका—सोहास मार्ग——इस मार्ग का निर्माण मार्च, 1978 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

(5) सोहास—मोहना मार्ग——इस मार्ग का निर्माण जून, 1978 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

(6) चिल्हियो-पैरया घाट मार्ग—— यह मार्ग पूर्ण हो गया है।

(7) लोटन—सोहास मार्ग——इस मार्ग को जून, 78 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद मंडलों की सड़कों, पुलों तथा नौकाघाटों का मुख्य अभियंता द्वारा निरीक्षण

11——श्री सुखपाल पाण्डेय——

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद मण्डल में जनवरी, 1975 से सितम्बर, 1977 तक प्रदेश के मुख्य अभियन्ता तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने किन-किन जिलों का किन-किन तारीखों में दौरा किया और दौरे के समय कितनी सड़क तथा पुल एवं नौका घाट का निरीक्षण किया ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां——

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं के जीर्ण-शीर्णभवन

12——श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय——

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में इस समय कितने ऐसी राजकीय प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनके भवन जीर्ण-शीर्ण होकर ध्वस्त हो रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे भवनों का जीर्णोद्धार कराने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरण--

बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित इस समय 28 ऐसी प्राइमरी पाठशालायें है जिनके भवन जीर्ण-शीर्ण हैं। ऐसे भवनों का जीर्णोद्धार कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के विद्यालयों में बुक-क्राफ्ट टीचर की नियुक्ति

13--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में बासगांव तहसील के किन-किन विद्यालयों में बुक-क्राफ्ट की पढ़ाई होती है और उसने किस-किस विद्यालय में बुक-क्राफ्ट टीचर की नियुक्ति के लिये जुलाई, 1977 में विद्यालयों ने लिखा है और उसमें से किन-किन विद्यालयों में नियुक्ति हुई और क्या यह भी सही है कि बुक-क्राफ्ट टीचर की नियुक्ति में ऐसे लोग भी नियुक्त हुए हैं जो उसके लिये न आवेदक थे और न पात्र थे ?

श्री काली चरण--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गिरजा शंकर मिश्र, सेवा निवृत्त जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

14--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि (1976-77) इलाहाबाद से सेवा निवृत्त जिला विद्यालय निरीक्षक (श्री गिरजा शंकर मिश्र) के विरुद्ध उनके इलाहाबाद के कार्यकाल में की गयी गड़बड़ियों की कोई जांच शासन ने कराई है ? यदि हां, तो उपरोक्त जांच कब शुरू हुई और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री काली चरण--

श्री गिरजा शंकर मिश्र, सेवा निवृत्त जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध उनके बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद के कार्यकाल (16-9-72 से 27-5-74) में कतिपय विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी अनियमितताओं आदि की जांच शासन द्वारा कराई गयी थी। यह जांच मार्च, 1976 में शुरू हुई और जांच आख्या के आधार पर श्री मिश्र के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

गोंडा जिले के अध्यापकों का पैरोल व आर0डी0 खाता एवं पासबुक

15--श्री रामपति (जिला गोंडा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगें कि फरवरी, 1977 से सितम्बर, 1977 तक गोण्डा जनपद के कितने क्षेत्रों से अध्यापकों का पे-रोल में आर0 डी0 खाता खोला गया ? वह पासबुकें क्या अध्यापकों को दिखाई गयीं ? क्षेत्र कटरा बाजार मनकापुर, छतिया तरबीज की क्या स्थिति रही है ?

श्री काली चरण--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले की भवन विहीन प्राइमरी पाठशालायें

16—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद में ऐसे कितने बेसिक प्राइमरी पाठशालायें है जिनके पास भवन नहीं है ? और क्या सरकार ऐसे पाठशालाओं के लिये भवन निर्माण कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री काली चरण—

बस्ती जनपद में 588 ऐसी बेसिक प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनके पास भवन नहीं हैं। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण हेतु व्यवस्था की गई है। शेष पाठशालाओं के भवनों के निर्माणकी व्यवस्था आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर कराई जा सकेगी।

जिला परिषद, बस्ती के अध्यापकों का प्राविडेंट फंड

17—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् बस्ती के ऐसे कितने अवकाश ग्रहण (रिटायर्ड) अध्यापक हैं जो सन् 1972 के पहले रिटायर हो चुके हैं परन्तु उनको अभी तक प्राविडेण्ट फण्ड का धन नहीं प्राप्त हुआ है ? क्या यदि हां, तो यह धन उन्हें कब तक मिलने की सम्भावना है और क्या सरकार ऐसे अध्यापकों की सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरण—

उप विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1964 से वर्ष 1971 तक सेवा निवृत्त अध्यापकों में से 125 अध्यापकों को प्राविडेंट फण्ड के धन का भुगतान नहीं हुआ था क्योंकि कैशियर, जिला परिषद्, बस्ती के गबन संबंधी मामले में भुगतान की सभी पत्रावलियां तथा अभिलेख मुहर बन्द कर दिये गये थे। उक्त 125 अध्यापकों में से कुछ अध्यापकों का भुगतान जिला परिषद्, बस्ती द्वारा किया गया बताया जाता है, चूंकि संबंधित अभिलेख सील्ड हैं। अतः ऐसे अध्यापकों जिन्हें भुगतान नहीं हुआ है की सत्यापित सूची प्रस्तुत किया जाना फिलहाल संभव नहीं है ?

प्रदेश के कतिपय जिलों को आवंटित कागज

18—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, कानपुर, गोरखपुर., मेरठ, बरेली तथा मुरादाबाद को पिछले तिमाही में कितना-कितना कागज एलाट किया गया और किन-किन लोगों को कितना-कितना कागज दिया गया ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गढ़वाल-ऋषिकेश चिल्ला परियोजना में कंक्रीट टाइल्स के निर्माण हेतु दिया गया ठेका

19—श्री रणजीत सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलायेंगे कि क्या सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1976-77 अथवा 1977-78 में हरिद्वार चीला प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खपरैल की फैक्ट्री लगा कर खपरैल

सप्लाई करने का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो क्या ठेकेदार को टेण्डर स्वीकार होने के पश्चात् उत्पादन कर तथा बिक्री कर से मुक्त किया गया है ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां, वर्ष 1977-78 में गढ़वाल -ऋषिकेश चिल्ला परियोजना में कंक्रीट टाइल्स के निर्माण हेतु एक ठेका दिया गया है। वर्ष 1976-77 में ऐसा कोई ठेका नहीं दिया गया था। ठेकेदार को उत्पादन कर से मुक्त नहीं किया गया। ठेकेदार के साथ विभाग द्वारा किये गये अनुबन्ध के अनुसार ही बिक्री कर विभाग द्वारा देय है।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के छात्र श्री रूदल सिंह से संबंधित मामले में प्राचार्य के विरुद्ध न्यायालय का निर्णय

20--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मई, 1976 में न्यायालय ने एक छात्र श्री रूदल सिंह के मामले में यह टिप्पणी दी है कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के प्राचार्य को अपने अधिकार क्षेत्र एवं नियमों का ज्ञान नहीं है ? यदि हां, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार उक्त प्राचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काली चरण--

एक छात्र श्री रूदल सिंह ने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, के शैक्षिक सत्र 1974-75 में अपनी "प्रमाणित" मार्क शीट पर प्रवेश प्राप्त कर लिया जो बाद में जाली पाई गयी और उनके प्रवेश को प्राचार्य ने उनके प्रार्थना-पत्र पर दी गई घोषणा की शर्तों के अनुसार निरस्त कर दिया। इस निरस्तीकरण के विरुद्ध श्री रूदल सिंह ने मुन्सिफ की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, जहां से वह खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध उक्त छात्र ने अपील दायर की, जिसमें एडीशनल सिविल जज ने छात्र के पक्ष में निर्णय दिया और अपने निर्णय में प्राचार्य के विरुद्ध अवमान्यपूर्ण टीका की। इस निर्णय के विरुद्ध कालेज की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने कालेज की अपील इस आधार पर निरस्त कर दी कि चूंकि छात्र के कारण बताने का अवसर नहीं दिया गया और उसका कालेज में प्रवेश निरस्त कर दिया इसलिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना हुई। एडिशनल सिविल जज ने कालेज के अधिवक्ता की बहस के आधार पर प्राचार्य के बारे में यह कहा था कि उन्होंने नियमों की परिधि के भीतर सम्यक् रूप से विचार किये बिना शीघ्रता में आदेश पारित कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में अपने निर्णय में कुछ नहीं कहा था।

जहां तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना का प्रश्न है यह विश्वविद्यालय अधिनियम या उसके अधीन बनाये नियमों में कोई लिखित नियम नहीं है जिसकी अवहेलना के कारण कोई कार्यवाही प्राचार्य के विरुद्ध आवश्यक हो।

21--श्री राम सजीवन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आगरा जिले के इस्लामिया इंटर कालेज के सहायक अध्यापक, श्री हकीमउद्दीन फहीम का प्राविडेंट फंड

22--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फिरोजाबाद नगर में स्थित इस्लामियां इण्टर कालेज के 1972 में अवकाश प्राप्त सहायक अध्यापक, श्री हकीमउद्दीन

फहीम को उनके प्राविडेंट फण्ड का सरकारी अंश (कन्ट्रीव्यूशन) अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री काली चरण--

अध्यापक के संबंधित पत्रादि महा लेखाकार को भेजे जा चुके हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय की एल-एल0 एम0 परीक्षा का कथित आउट किया गया प्रश्न-पत्र

23--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष 1977 की एल0 एल0 एम0, परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रश्न-पत्र पहले ही आउट हो गये थे? क्या इसकी पुष्टि कुलपति ने की है? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या किया गया ?

श्री काली चरण--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक के रजबहा ठेकमा की कटिंग एवं किसानों से तावान की वसूली

24--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील, फूलपुर, परगना माहुल, ग्राम कौरागहनी व खासडीह के 125 काश्तकारों ने शारदा सहायक खण्ड 23 के 8 मील 2 फर्लांग पर रजबहा ठेकमा की कटिंग का झूठा अभियोग सिंचाई कर्मचारियों द्वारा लगाकर परेशान करने के बारे में दिनांक 14 नवम्बर, 1977 व 2 दिसम्बर, 1977 को आवेदन-पत्र मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री, मुख्य अभियन्ता सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जिलाधिकारी आजमगढ़ व अधिशासी अभियन्ता सिंचाई प्रखण्ड शारदा सहायक खण्ड 23, आजमगढ़ को दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां, दिनांक 2-12-77 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर उप-राजस्व अधिकारी शारदा सहायक खण्ड-23 आजमगढ़ से जांच कराई गई। जांच के परिणाम स्वरूप नियमानुसार तावान लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त स्थल पर कटिंग के सम्बन्ध में माननीय विधायक के साथ अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा उप-राजस्व अधिकारी शारदा सहायक खण्ड-23 आजमगढ़ ने मौके का निरीक्षण दिनांक 30-1-78 को किया। मौके का निरीक्षण एवं श्री राम समुझ कृषक से किये गये पूछताछ से विधायक जी भी उक्त स्थल पर की गई कटिंग की सत्यता से सहमत थे।

आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक खंड की नहरों की खोदाई के संबंध में आवेदन-पत्र पर किया गया निरीक्षण

25--श्री दयाराम भास्कर--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा शारदा सहायक खंड 45 व 23,32,44 की नहर की खोदाई में नहर टेढ़ी मेढ़ी करके घोर अनियमितताओं के बारे में माह अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1977 में कितने आवेदन-पत्र सिंचाई मंत्री, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश आदि को आवेदन-पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां। ग्राम शेखपुर पिपरी माइनर से संबन्धित प्रश्न कर्त्ता का दिनांक 17-11-77 का एक पत्र सिंचाई उप मंत्री जी के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिसकी जांच संबन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराई गई।

माननीय उप मंत्री सिंचाई द्वारा दिनांक 9-11-77 को स्थानीय जनता के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया। नहर निर्माण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। नहर का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार ही हो रहा है। इसका लम्बछिनक साइट निरीक्षण के बाद स्वीकृत किया गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गये व्यापारियों का विवरण

26—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण आदेशों की अवहेलना करने में विगत तीन महीनों में कितने व्यापारी पकड़े गये? उनकी जिलेवार संख्या क्या है?

श्री हरिश्चन्द्र—

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण आदेशों की अवहेलना करने में विगत तीन (नवम्बर,दिसम्बर, 77, जनवरी, 78) महीनों में प्रदेश में 725 व्यापारी पकड़े गये। उनकी जिले वार संख्या की तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 447-448 पर)

दयानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला मुरादाबाद के सहायक अध्यापक श्री किशन लाल गुप्ता के वेतन का भुगतान

27—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि दयानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शैदनगली, जिला मुरादाबाद के सहायक अध्यापक (श्री किशन लाल गुप्ता) को स्कूल से गैरहाजिरी के बावजूद भी वर्तमान डी० आई० ओ० एस०, मुरादाबाद द्वारा तनख्वाह दी गई है? यदि हां, तो कितने अर्से के लिये तथा क्या यह सही है कि दयानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शैदनगली जिला मुरादाबाद के मैनेजर ने डी० आई० ओ० एस०, मुरादाबाद को उस अध्यापक (श्री किशन लाल गुप्ता) की गैर-हाजिरी की सूची भी दी जिसको बाद में बरखास्त भी कर दिया गया तथा उसकी इत्तला भी डी० आई० ओ० एस० को दी गयी? यदि हां, तो डी० आई० ओ० एस०, मुरादाबाद ने उस सहायक अध्यापक की तनख्वाह किस नियम के अन्तर्गत दी?

श्री कालीचरण—

जी नहीं।

यह भी सही नहीं है कि विद्यालय के मैनेजर ने श्री किशनलाल गुप्ता की अनुपस्थिति के संबन्ध में कोई सूची जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद को दी थी। केवल एक पत्र दिनांक 28-3-77 द्वारा उन्होंने विद्यालय निरीक्षक को यह सूचित करते हुये भेजा कि अध्यापक दिनांक 27-3-76 के उपरान्त से निरन्तर अनुपस्थित है एवं अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुमति मांगी थी। चूंकि प्रबन्धाधिकरण इस संबन्ध में स्वयं सक्षम है। अतः विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमति दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। प्रबन्ध समिति ने दिनांक 14-9-74 को श्री गुप्ता को निलंबित कर दिया एवं 28-6-75 को अध्यापक की सेवायें

समाप्त करने के संबन्ध में विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदन मांगा था। किन्तु विद्यालय निरीक्षक ने आवश्यक जांच के पश्चात् सेवा समाप्ति के प्रस्ताव को दिनांक 10–11–75 को अनुमोदित कर दिया एवं अध्यापक के अवशेष वेतन का बिल विद्यालय से प्राप्त होने पर दिनांक 14–9–74 से 30–11–75 तक की अवधि का भुगतान कर दिया। संस्थाधिकारियों द्वारा श्री गुप्ता को कार्यभार ग्रहण न कराने की स्थिति में विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक 22–3–77 को पुनः श्री गुप्ता को कार्यभार ग्रहण कराने एवं वेतन भुगतान हेतु संस्थाधिकारियों को लिखा गया। परन्तु फिर भी संस्थाधिकारियों द्वारा श्री गुप्ता को कार्यभार ग्रहण न कराने एवं वेतन भुगतान न कराने के कारण विद्यालय निरीक्षक ने वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय के संयुक्त खाते का एकल संचालन कर दिया तथा अध्यापक की कठिनाइयों को देखते हुये उन्हें अपने कार्यालय से सम्बद्ध कर दिनांक 16–10–77 से वेतन भुगतान कर रहे हैं।

झांसी तथा ललितपुर जिलों में सिंचाई विभाग द्वारा बनवाये गये साइन-बोर्ड पर व्यय की गयी धनराशि

28—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1976 से 31 जुलाई, 1977 तक झांसी और ललितपुर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित साइन बोर्ड बनवाकर दोनों जिलों में लगवाने में सिंचाई विभाग द्वारा 2 लाख रुपया व्यय किया गया है? यदि हां, तो किस-किस मद में और अन्य प्रकार के साइन बोर्ड किस हेतु कितने बनवाए गए उन पर कितना व्यय हुआ?

श्री बलबीर सिंह—

1 जनवरी, 1976 से 31 जुलाई, 1977 तक झांसी एवं ललितपुर जनपद में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत साइन-बोर्ड बनवाने पर कोई व्यय नहीं किया गया।

सिंचाई विभाग की 16 योजनाओं के 160 साइन-बोर्ड बनवाये गये थे, जिन पर रु0 62,067.00 का व्यय किया गया था।

उन्नाव जिले में जेल ड्रेन के प्रसार हेतु सर्वेक्षण

29—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जनपद के अन्तर्गत जेल ड्रेन (गन्दे नाले) के बंगुला रोग से ग्रसित क्षेत्रवासियों के कल्याणार्थ इसे बलाई तक ड्रेन बनाने का सर्वे कराया जा चुका है? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा?

श्री बलबीर सिंह—

जेल ड्रेन के प्रसार के लिए सर्वेक्षण सिंचाई विभाग द्वारा कराया जा चुका है। चूंकि जेल ड्रेन से मुख्यतः उन्नाव जनपद के उद्योगों को लाभ होगा, अतएव इस योजना पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर द्वारा धन उपलब्ध करा देने पर योजना पर कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम बेला सराय गजा के निवासियों द्वारा सड़क निर्माण हेतु आवेदन-पत्र

30—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के विकास क्षेत्र शमशाबाद के ग्राम बेला सराय गजा के ग्रामवासियों ने अपने ग्राम तक ग्राम रोशनाबाद से 3 किलोमीटर का आगे तक सड़क बनाने का आवेदन-पत्र आपकी सेवा में 12 सितम्बर, 1977 को दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

ऐसा कोई आवेदन-पत्र शासन को नहीं प्राप्त हुआ है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बिहार की जनता के आन्दोलन के कारण ट्रेनों के आवागमन अवरुद्ध होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार की कुछ गलत नीतियों के फलस्वरूप वहां की जनता ने आन्दोलन शुरू कर दिया है। उन उपरोक्त आन्दोलन के फलस्वरूप ट्रेनों का आना जाना प्रायः बंद सा हो गया है। कतिपय ट्रेनें आती भी हैं तो इतनी लेट आती हैं कि जिनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसी ट्रेनों में बिहार की ओर से छोटी लाइन को 17/53 और 63 अप ट्रेनों का मुख्य रूप से उल्लेख किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के नागरिक जो आसाम और बिहार से आते हैं। उन्हें अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। ट्रेनें इतनी देर तक रोक दी जा रही है जिससे नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। उत्तर प्रदेश के नागरिको को इधर से जाने वाली डाउन ट्रेनों से भी इसी प्रकार अस्त व्यस्तता के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिससे शासन के प्रति असंतोष उत्पन्न हो रहा है। इस सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

आगरा, अलीगढ़ एवं गोरखपुर जनपदों में हरिजन बालिकाओं के साथ बलात्कार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, आगरा जिले के अन्तर्गत ग्राम अनूप का पुरासैया, आगरा में 5-2-78 को उच्च जाति के एक व्यक्ति ने हरिजन बालिका कु0 कमलेश जिसकी उम्र केवल 8 साल थी, के साथ बलात्कार किया और मुलजिमों को पुलिस ने नहीं पकड़ा और इस प्रकार हरिजन परिवार को जान से मार डालने की धमकी दी जा रही है और प्रशासन हरिजनों को सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर रहा है।

दूसरी घटना अलीगढ़ में हुई कु0 सावित्री हरिजन बालिका के साथ बलात्कार किया गया और उसकी रिपोर्ट लिखाई गई लेकिन मुलजिमान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। बल्कि आश्चर्य यह हुआ कि बलात्कार करने वाले अपराधियों ने एडीशनल आई0 जी0 शाह को सार्वजनिक रूप सें निमत्रंण देकर 5-2-78 को अपने घर पर दावत दी और आई0 जी0 शाह महोदय कोई कार्यवाही नहीं करने का आदेश स्थानीय प्रशासन को दे गये।

तीसरी घटना हरिजन बालिका के साथ गोरखपुर में हुई और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

मेरा आपसे आग्रह है कि प्रदेश में इस प्रकार घटनाओं का तांता लग गया है और निर्बल हरिजन अपने आपको असुरक्षित समझ रहा है। सरकार की ओर स इन घटनाओं के रोक थाम के लिये कड़ी कार्यवाही अपेक्षित है और कार्यवाही से सदन को अवगत अवश्य करा दें यह मेरा आग्रह है।

आगरा जिले के फ़िरोजाबाद स्थित सरोजिनी नायडू चिकित्सालय की दवाओं की अवैध बिक्री के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा) :—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस सनसनी खेज घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आगरा जनपद के फिरोजाबाद स्थित सरोजिनी नायडू चिकित्सालय में दिनांक 22-2-78 को स्वतंत्रता सेनानी श्री मोहन सिंह ब्लाक प्रमुख कोटताना रखी नेता जनता पार्टी को अपेन्डाइज के दर्द से पीड़ित गंभीर दशा में भर्ती किया गया और जब शाम तक उनकी दशा किसी भी दशा में नहीं सुधर सकी तो डाक्टर ने सलाह दी कि यदि जेनटिसिन का इन्जेक्शन लगे तो हालत सुधरेगी वरना खतरा हो सकता है। श्री मोहन सिंह ने डाक्टरों से अनुरोध किया कि आप लोग जेनटिसिन की ही सुई लगा दें तो डाक्टरों ने कहा कि कीमती सुई है हमारे यहां अस्पताल में नहीं है आप स्वयं व्यवस्था करे तो आप बच सकते हैं।

मान्यवर, श्री मोहन सिंह ने पैसा देकर उक्त सुई (इन्जेक्शन) श्री गुप्ता मेडिकल स्टोर से मंगाया और इसको लगवाया तो इन्जेक्शन के खोखे पर अस्पताल की मोहर मिली जो कि ब्लेड से खुरची हुई थी तथा पुनः 21-2-78 को जेनटिसिन का इन्जेक्शन श्री उपाध्याय मेडिकल स्टोर से मंगाया गया तो उस पर भी फिरोजाबाद के अस्पताल की मोहर मिली।

मान्यवर, ये दोनों इन्जेक्शन डाक्टरों ने देखे तो आश्चर्य चकित होकर रोगी मोहन सिंह से माफी मांगने लगे और बोले कि आइन्दा दवायें अस्पताल से बाहर नहीं जावेंगी। कुछ क्षण बाद श्री उपाध्याय मेडिकल स्टोर वाले आये और इन्जेक्शन का खोखा व सुई मांगने लगे, श्री मोहन सिंह ने उनको फटकार दिया।

श्रीमन् दोनों सुई (इन्जेक्शन) के खोखे व शीशी, आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि इस तथ्य की जांच उच्च अधिकारियों के पैनल से कराई जाय तथा आगरा और फिरोजाबाद के अस्पतालों से दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई जाय तथा मरीजों के जीवन से खिलवाड़ बन्द कराई जावे। श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि जांच के परिणाम से शीघ्र सदन को अवगत कराया जावे।

श्री अध्यक्ष :—

वर्मा जी, इसे सदन में पेश करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको मंत्री जी को दे दीजियेगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से चाहूंगा कि बड़ी गम्भीर शिकायत है, अतः वह कृपया इसकी शीघ्र जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें। कृपया यह दवा मंत्री जी को दे दें।

उत्तर प्रदेश के गोंड जाति को अनुसूचित जाति को की सुविधाओं से वंचित किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

आपका ध्यान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गोंड के जाति को अनुसूचित जाति की सुविधाओं से वंचित किये जाने पर उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भारत सरकार की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) ऐक्ट,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह]

1976 संख्या 108 आफ 1976 के भाग 18 क्रम संख्या 36 पर गोंड जाति अंकित है, जिसके अनुसार सम्पूर्ण राज्य में गोंड जाति अनुसूचित जाति मान्य है। भारत सरकार के विज्ञप्ति संख्या बी0सी0 12016/ 34-76/एस0 टी0 डी0 बी0, दिनांक 27 जुलाई, 1977 द्वारा अधिघोषणा जारी कर गोंड जाति तथा कोरी जाति को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सुविधायें प्रदान करने का आदेश जारी किया।

उपर्युक्त विषय पर उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 674/426,-77-17 (21)74, दिनांक 29 अगस्त, 1977 द्वारा गोंड जाति को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों को मिलने वाली समस्त संवैधानिक, शैक्षणिक और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने का आदेश है, परन्तु उ0 प्र0 शासनादेश संख्या 1070/26-78, दिनांक 2 फरवरी, 1978 को जिसमें उल्लेख है कि गोंड जाति स्पृश्यता अथवा छुआछूत के आधार पर अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। यदि इस नाम की कोई जति आपके जिले में हो तो उसी गोंड जाति को अनुसूचित जाति में माना जाय और उन्हें सुविधायें उपलब्ध कराई जायं। इस आदेश में गोंड जाति को अनुसूचित जाति के समस्त सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। गोंड जाति के छात्रों की शिक्षा शुल्क और छात्रवृत्ति और सुविधाएं आदि वापस कर ली गई हैं। माफी की गई फीस की राशि बकाया धन वितरण वसूल की जा रही है।

अतः शासन से अनुरोध है कि गोंड जाति के छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति अथवा सहायता की रकम माफ कर दी जाय और इस जाति को पिछड़ी जाति की सूची में ला कर उन्हें पिछड़ी जाति को मिलने वाली सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी का ध्यान इस सूचना की ओर विशेषरूप से आकर्षित किया जाता है।

लालगंज, रायबरेली में पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज एवं गिरफ्तारी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मोहन लाल त्रिपाठी (जिला रायबरेली):—

13 मार्च, 1978 को राय बरेली जिले में लालगंज नामक स्थान पर पुलिस ने छात्रों पर गोली चलायी और उससे पहले उन पर लाठी चार्ज किया। ये छात्र एक ट्रक द्वारा एक छात्र को टक्कर मारने के विरोध स्वरूप रिपोर्ट लिखाने गये थे। छात्रों का कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने उनकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और ट्रक के ड्राइवर को छोड़ दिया गया और उसी दिन 14 छात्रों की गिरफ्तारियां की गयी। जिले की सारी शिक्षा संस्थायें अनिश्चितकाल के लिये बन्द कर दी गयीं। इसके बाद रायबरेली में 7 छात्र नेताओं को जिसमें छात्र नेता श्री बी0 एस0 पाण्डेय, अशोक कुमार सिंह हैं, पुलिस ने गिरफ्तार किया और बुरी तरह पीटा। कांग्रेस कार्यालय में घुसकर पुलिस ने मारपीट की और छात्रों को पकड़ कर ले गयी। इसके बाद भी छात्रों की निरन्तर गिरफ्तारी जारी है तथा उन्हें मारा-पीटा जा रहा है। इस प्रकार अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हो पायी है। तथा 25 कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं, अध्यापकों और छात्रों के नाम से वारन्ट जारी है। कई विधायकों ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा) :—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ओले गिर हैं। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि इस पर चार घंटे की चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जितने प्रश्न आये हैं, पांच मैंने स्वीकार किये हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें बात करनी है तो मेरे कक्ष में कीजिये।

सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर मंत्रियों द्वारा न दिये जाने के संबंध में आपत्ति

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। वह यह है कि पिछले सत्र में आपने हम लोगों के अनुरोध पर यह व्यवस्था दी थी कि शून्य प्रहर की सूचनायें माननीय मंत्री जी सात दिन के अन्दर देंगे और अपने हस्ताक्षर से देंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं, मेरा भी उत्तर नहीं आया है और माननीय सदस्यों से भी मेरी बातें हुई हैं। एक नहीं कई प्रश्न पांच-छः महीने हो गये, सात दिन की बात तो अलग, शून्य प्रहार की सूचनायें हम लोगों को नहीं मिलीं। या तो आप अपनी व्यवस्था को दूसरी व्यवस्था में परिवर्तित करें जैसे लागू की जा सके या अपने सचिवालय को उसके पीछे दौड़ायें मंत्रियों के पीछे या क्या करेंगे, मैं नहीं जानता। कोई व्यवस्था होनी चाहिये जिससे सात दिन के अन्दर मिले। निश्चित तौर से लिस्ट बननी चाहिये कि किस विभाग द्वारा किसकी सूचना मिली है किसकी नहीं मिली है। मैं कह सकता हूं कि मुझे नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में आपकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये। आपकी व्यवस्था होने पर भी नहीं देते हैं। इस पर आप विचार करें और व्यवस्था दें।

एक सदस्य—

मान्यवर, एक मिनट में मैं सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न है पहले तो।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय श्यामधर जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। तीन-चार बार आपने सदन में सरकार को निर्देश दिया और माननीय नेता सदन ने इसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को कहा जा रहा है। एक रजिस्टर बनवाने की बात हुई कि आपके कार्यालय में एक रजिस्टर रहेगा कि शून्य प्रहर में कौन सूचना किस विभाग से मांगी गयी थी आपके पास भी उसकी प्रतिलिपि जायगी। माननीय मुख्य मंत्री के कार्यालय में भी रजिस्टर रहेगा कि क्या सूचना गयी, किस विभाग से। इस तरह का कुछ तय हुआ था। जैसा कि बताया गया 90 प्रतिशत शून्य प्रहर की सूचनाओं के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त नहीं हुई हैं। यह सब का अधिकार है। नियम 51, 52 और कामरोको प्रस्ताव की बाढ़ आ जायगी, इसको आपने रोकने के लिये बड़ा अच्छा रास्ता निकाला था। इस सम्बन्ध में तुरन्त व्यवस्था की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

ऐसा था कि हमने पिछले सत्र में कई बार शून्य प्रहर की सूचना दी थी। एक आपने स्वीकार किया था और उसका न तो कोई अन्तरिम उत्तर और न फाइनल उत्तर मिला। इसलिये शून्य प्रहर में सूचना देना बन्द कर दिया। इसलिये इस पर कुछ विचार करें ताकि उसकी उपादेयता कम से कम जाहिर हो। आप रोज निर्देश देते हैं, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं मिलता है तो देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

आपकी बहुत खिचाई के बाद भी सरकार उत्तर नहीं देती है जो हम शून्य प्रहर में देते हैं। आप कोई निश्चित अवधि कर दें और उसके बाद अगर सरकार जबाब न दे तो वह कारण बतायें और यह कन्टेम्प्ट में आ जाता है।

श्री श्याम धर मिश्र—

इसको ब्रीच आफ प्रीविलेज मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

श्री श्यामधर जी, आप बोल चुके हैं। 27 फरवरी को इस सम्बन्ध में एक परिपत्र समस्त मंत्रिगण के सचिव और सभी विभागीय सचिवों के नाम भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं की मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने की प्रक्रिया दी गयी थी कि सूचनाओं का उत्तर कोई मंत्री सदन में देने के लिये बाध्य नहीं है लेकिन वह चाहे तो सदन में उत्तर दे सकते हैं लेकिन सम्बन्धित मंत्री उस सूचना के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर लें और सम्बन्धित सदस्य को एक हफ्ते में अपने हस्ताक्षर से उत्तर देंगे। यदि 7 दिन में सूचना नहीं देते तो सम्बन्धित सदस्य को कार्यवाही का अन्तरिम उत्तर भिजवा दें तो यह सभी मंत्रियों को भेजा जा चुका है और मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में वह सदन को आश्वस्त करें कि जो इस प्रकार की सूचना सदन के अन्दर मांगी जाती है उनका अन्तरिम उत्तर तो तुरन्त जाना चाहिये और उस पर कार्यवाही क्या की गयी, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित सदस्य को इसकी सूचना दी जानी चाहिये और उसके लिये भी आपके स्पष्ट आदेश होने चाहिये क्योंकि यह सदस्यों के अधिकारों का प्रश्न है उसको प्राथमिकता अवश्य दी जानी चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष—

और जो इस तरह के प्रश्न हैं उनमें शीघ्रता हो और वह इसी दृष्टि से कि यह माननीय सदस्यों से सम्बन्धित हैं और उन पर उपेक्षा न हो। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में सदन को आश्वस्त करें।

श्री राम नरेश यादव—

शून्य प्रहर के प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचनायें हमारी तरफ से जाती रही हैं। माननीय सदस्यों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है। कहीं पर हो सकता है कि उत्तर न पहुंचा हो और अगर कहीं पर इस तरह की त्रुटि हो गयी हो तो मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में इस तरह की व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं होगी।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक सूचना है कि आयुर्वेद के तमाम . . .

श्री अध्यक्ष---

अब यह कोई अवसर नहीं है। आज मैंने नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना स्वीकार की है। अब जब अवसर आयेगा तो आपको अवसर दिया जायगा।

विधान सभा के वर्ष में 3 अधिवेशन न करने तथा नब्बे दिन की बैठक न कराने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार की जो सूचनायें मिली हैं, उनमें एक श्री शतरुद्ध प्रकाश की है कि 10 मार्च, 1970 को सदन में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में वर्ष भर के अनिवार्यत: कम से कम 3 अधिवेशन साधारणतया संकल्प में दी हुई सारिणी के अनुसार होंगे तथा किसी भी स्थिति में 90 दिन से कम बैठकें नहीं होगी। माननीय शतरुद्ध प्रकाश का कहना है कि माननीय श्री राम नरेश यादव मुख्य मंत्री ने इस प्रस्ताव का पालन नहीं किया है। पिछले सत्र में न तो 3 अधिवेशन ही आहूत किये गये और न ही कम से कम 90 दिन के अधिवेशन हुये। माननीय श्री शतरुद्ध प्रकाश ने इससे यह निष्कर्ष निकाला है कि माननीय मुख्य मंत्री ने सदन के फैसले का पालन न करके स्पष्टरूप से सदन की अवहेलना की है।

सन् 1970 में इस प्रस्ताव के पारित होने के उपरान्त किसी भी वर्ष में 90 दिन की बैठकें नहीं हुईं। इस सदन में ऐसी व्यवस्था दी जा चुकी है साधारणतया किसी नियम के भंग होने से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न पैदा नहीं होता।

इसी प्रकार सदन के किसी निश्चय का पालन न करने से भी कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इस संकल्प के अंतिम अंश में यह भी दिया हुआ था कि नियमों में एतदर्थ आवश्यक संशोधन कर दिया जाय। विधान सभा की 1970-71 की नियम समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में एक नियम शामिल करने की संस्तुति की थी। श्री राम प्यारे, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा ने 22 सितम्बर, 1970 को उक्त नियम के सम्बन्ध में एक संशोधन उपस्थित किया कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन निकाल दिया जाये। 1971-72 की नियम समिति ने इस संशोधन पर विचार किया और नकारात्मक एवं अर्थहीन होने के कारण इसे अग्राह्य कर दिया। 1971-72 की नियम समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में यह संस्तुति की कि 1970-71 की नियम समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन को नियमों में शामिल किया जाय। 1971-72 की नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन विधान सभा में 19 जुलाई, 1971 को प्रस्तुत किया गया। 20 जनवरी, 1972 को श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, तत्कालीन सदस्य विधान सभा ने इस नियम में पुन: एक संशोधन पेश किया। इस संशोधन पर विधान सभा में 20 जनवरी, 1972 तथा 8 मार्च, 1973 को विचार हुआ। नियम 251 (ख) को निलम्बित करते हुए उक्त संशोधन नियम समिति को निर्दिष्ट किया गया जो वर्तमान नियम समिति के विचाराधीन है। ऐसी दशा में, मैं यह नहीं समझता कि गत वर्ष 1977 में 10 मार्च, 1970 के प्रस्ताव में ....

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़े होने पर)

इस पर मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं, आप तो नियम जानते हैं। इसमें मुझे सदन के समय का ध्यान रखना होता है और जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है उसमें मैं समय देता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

आप मुझे सुन लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष --

उल्लिखित सारिणी के अनुसार विधान सभा के अधिवेशन न करने से और कम से कम 90 दिन की बैठकें न करने से माननीय मुख्य मंत्री ने न कोई विशेषाधिकार की अवहेलना की है न सदन का अवमान किया है। अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

वर्तमान नियम समिति ने, जिसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी थे इस नियम को स्वीकार कर लिया है और यह नियम सदन के सामने आयेगा और इस बात के लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वस्त भी किया है। पार साल तो विशेष परिस्थिति थी, आगे माननीय मुख्य मंत्री ने इस बात के लिये लिखकर दिया है। पार साल जून के महीने में विधान सभा का चुनाव हुआ अतः यह संभव नहीं था कि अधिवेशन और कम से कम 90 दिन के उपवेशन हों।

दिनांक 27 सितम्बर, 1977 को नियम 49 की चर्चा में श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी वकील प्रतापगढ़ के सामान को कुर्क करने वाले दरोगाओं को आश्वासन देने के बावजूद निलम्बित न किये जाने पर मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री विद्याशंकर पांडेय, सदस्य, विधान सभा ने 20-3-1978 को सूचना दी है कि पिछले बजट सत्र में 27 सितम्बर, 1977 को श्री अवध नारायण त्रिपाठी, वकील प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में दिये गये तारांकित प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत सदन में आधे घंटे की चर्चा हुई थी। इस चर्चा में माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि श्री अवध नारायण वकील की कुर्की से सम्बन्धित दो दरोगाओं को मुअत्तल कर दिया जायगा तथा 3,000 रुपये की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति सरकार करेगी। माननीय सदस्य का कहना है कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और इस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में गलत बयानी करके सदन को गुमराह किया है एवं सदन का अवमान किया है। अतः माननीय सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है।

मैंने इस सम्बन्ध में 27 सितम्बर, 1977 की कार्यवाही देखी। नियोजन राज्य मंत्री, माननीय श्री लक्ष्मण सिंह ने उस दिन सदन में यह कहा था कि जो सामान कुर्क किया गया है उसकी फर्द क्यों नही बनी, इसकी जांच की जा रही है। जहां तक 3,770 रुपये के सामान की वापसी न करने का सवाल है अब शासन इस नतीजे पर पहुंचा है कि इन दो एस० आई०ज० सर्वश्री के० एन० सिंह व जगदम्बा सिंह के खिलाफ 409 का मुकदमा दायर किया जाय। सामान की वापसी के लिये जो कानून का तरीका है कम्पन्सेशन का, वही किया जा सकता है। उस दिन जब माननीय अजीत सिंह सेठी ने यह कहा था कि जब माननीय मंत्री महोदय ने खुद मंजूर किया है कि वाकई 3,770 रुपये का सामान वापस नहीं किया गया है तो श्री अवध नारायण त्रिपाठी, वकील प्रतापगढ़ को मुआविजा क्यों नहीं दिया जा रहा है तो मैंने स्वयं ही यह स्पष्ट किया था कि ....

माननीय नियोजन राज्य मंत्री जी कह चुके हैं कि कम्पन्सेशन देने का प्रश्न विचाराधीन है। माननीय नियोजन राज्य मंत्री ने उस दिन पुनः यह कहा कि 2 सब-इंसपेक्टर्स जिन्होंने अपनी सुपुर्दगी में माल लिया उन्होंने ही सारा जुल्म किया, ऐसी बात नहीं है। इस सारे मामले में जांच कराई जा रही है। खाली 3,000 रुपये के लिये वकील साहब नहीं लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा गहरी बात है, लिहाजा सारे मामले की जांच कराई जा रही है। उक्त दरोगाओं के निलम्बन के संबंध में माननीय नियोजन राज्य मंत्री ने यह कहा था कि यह भी एक कानूनी पोजीशन है कि जब मुकदमा उन पर कायम हो गया तो कानूनन उनका निलम्बन आवश्यक है

लेकिन कल 26-9-77 को ही उन पर मुकदमा कायम हुआ है । माननीय नियोजन राज्य मंत्री ने उस समय यह भी कहा था कि सरकार को यह भी मालूम है कि श्री अवध-नारायण त्रिपाठी को क्यों बन्द कर दिया गया है । सरकार परम्पराओं से बंधी है । मैं चाहता हूं कि जिन-जिन का दोष पाया जाय उन सब पर कार्यवाही की जाय । जिलाधीश की बाबत माननीय नियोजन राज्य मंत्री ने यह कहा था कि माननीय सदस्य लिख कर दें उस पर कार्यवाही और जांच कराई जायगी । इस प्रकार माननीय नियोजन राज्य मंत्री ने इस मामले के कई पहलुओं पर जांच का आश्वासन दिया था ।

सदन में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति की जांच करने के लिये सदन की एक आश्वासन समिति है । यदि किसी आश्वासन की शासन द्वारा पूर्ति नहीं की जाती है तो इस विषय में सदन की उक्त समिति विचार करेगी । इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, अतः मैं इसको विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

लालबाग क्षेत्र में कांग्रेस (इ0) के तत्वावधान में निकाले गए जुलूस पर हुए तथाकथित गोली-काण्ड, आंसू गैस प्रहार, लाठी चार्ज व गिरफ्तारी के संबंध में हुये वक्तव्य पर गलत बयानी करने के संबंध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री गुलाब सेहरा, श्री अरुण कुमार, श्री मोहन लाल त्रिपाठी तथा श्री अजीतसिंह सेठी ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है । माननीय सदस्यों की शिकायत है कि माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में 18 मार्च को लालबाग क्षेत्र में कांग्रेस (इ0) के तत्वावधान में निकाले गये किसानों, मजदूरों, नवजवानों आदि के जुलूस पर हुए गोलीकांड, आंसू गैस प्रहार, लाठी चार्ज व गिरफ्तारी पर वक्तव्य देते हुए जानबूझकर निम्नलिखित बिन्दुओं पर गलत बयानी की है—

1—उन्होंने जुलूस पर चलाई गयी तीन राउंड गोलियों का उल्लेख नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप मिर्जापुर के श्री अजहर इमाम सख्त घायल हो गये ।

2—उन्होंने घायलों की संख्या जानबूझकर नहीं बताई, अकेले सिविल अस्पताल, लखनऊ में 133 घायलों का इलाज हुआ व उसी समय 144 गिरफ्तार घायलों की चिकित्सा मरहम-पट्टी आदि जिला जेल लखनऊ के अस्पताल में हुई ।

3—उन्होंने गिरफ्तारी की संख्या 800 बतायी जबकि 4 हजार से अधिक गिरफ्तारियां हुईं व एक हजार से अधिक लोग तो बिना किसी वारंट के जिला जेल, लखनऊ में ही बन्द रहे ।

4—उन्होंने कहा कि कोई महिला घायल नहीं हुई जबकि आज भी सिविल अस्पताल, लखनऊ में श्रीमती प्रीतम कौर, श्रीमती शांति भटनागर व श्रीमती कमला देवी जो कि लाठी चार्ज से सख्त घायल हो गयी थीं, भरती हैं । इसके अलावा भी सौ से अधिक महिलाओं को चोटें आयीं ।

सदन में इस प्रकार के निर्णय दिये जा चुके हैं कि किसी के विरुद्ध जानबूझकर असत्य भाषण का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाते समय उन तथ्यों का स्पष्टरूप से उल्लेख आवश्यक है जिनके आधार पर जानबूझकर असत्य भाषण का निष्कर्ष निकलता हो ।

12 मार्च, 1964 को श्री गया प्रसाद द्वारा प्रस्तुत माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अपने भाषण में कथित असत्य कथन करने के संबंध में एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री

[श्री अध्यक्ष]

अध्यक्ष ने अपने निर्णय में यह कहा कि "जब यह कहा जाये कि किसी आदरणीय सदस्य ने जानबूझ कर सदन को धोखा देने के लिये असत्य बात कही है तो केवल इतना ही कह देना पर्याप्त नहीं है, उनको वे तथ्य देने पड़ेंगे कि इन-इन तथ्यों व कारणों से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि तोड़-मरोड़ कर सदन को धोखा देने के लिये यह असत्य बात कही गयी है। जब तक सूचना में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जाता है कि किन-किन तथ्यों के आधार पर वे इस परिणाम पर पहुंचे हैं और चाहते हैं कि आप भी पहुंचिये तब तक ऐसी सूचना विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं मानी जायेगी।

इस सूचना में ऐसे कोई तथ्य नहीं दिये गये हैं कि माननीय मुख्य मंत्री ने कोई जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के लिये असत्य कथन किया है। अतः इस सूचना को मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम 66 के परन्तुक की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें आपको यह अधिकार है कि आप निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे। आप कम से कम माननीय मुख्य मंत्री को तो सुन लेते क्योंकि तब तक हो सकता है उनको सारे तथ्य मालूम न हुए हों। इसलिये अपने वक्तव्य को उन्हें सुधारने का मौका मिलना चाहिये था। परसों जब हमने आपसे इसके लिये पूछा था तो आपने कहा था कि अभी नहीं देखा है। आज आकस्मात् आपने उसे ले लिया जबकि हमें उसकी बिल्कुल आशा नहीं थी। तथ्य यह है कि आज भी तीन महिलायें अस्पताल में भर्ती हैं, आप स्वयं भी इसका पता लगा सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी पता लगा सकते हैं। श्रीमती कमलादेवी, श्रीमती प्रीतम कौर और श्रीमती शांति भटनागर आज भी अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत से तथ्य उस वक्त उनकी जानकारी में नहीं थे। जानबूझ कर अवहेलना की बात नहीं है, मगर मेरा निवेदन यह है कि अगर वे तथ्य उनकी जानकारी में होते तो वे अपना वक्तव्य बदल देते। गिरफ्तारी की भी सही सूचना उनको नहीं थी। आज भी रजिस्टर में जो नाम दर्ज हैं उनकी संख्या 1 हजार से ऊपर है। कितने लोग जेलों में गये उससे ही पता लगाया जा सकता है। यह सारे तथ्य ऐसे थे जिनका पता लगाया जा सकता था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, जिस नियम का आपने हवाला दिया उसमें यह है कि "किन्तु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे"। आप तो स्वयं मुख्य मंत्री रह चुके हैं, जानते हैं। कोई भी मंत्री स्वयं अपने सूचना के आधार पर वक्तव्य नहीं देते हैं। संबंधित अधिकारियों की सूचना के आधार पर ही देते हैं। इस पीठ से ऐसे बहुत से निर्णय दिये जा चुके हैं और अभी कुछ दिन पूर्व मैंने भी माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी के बारे में कहा था कि असत्य भाषण या इस प्रकार से तोड़-मरोड़ कर तथ्यों को पेश करने का आरोप तभी लगाया जा सकता है जब कि तथ्यों के आधार पर उसे सिद्ध किया जा सके कि उन्होंने वह वक्तव्य अपने सूचना के आधार पर तोड़ मरोड़ कर दिया है, संबंधित अधिकारियों की सूचना के आधार पर नहीं। इस सदन में इस प्रकार की परम्परा है कि यदि कोई सूचना किसी अधिकारी द्वारा गलत दी जाती है तो उसकी जांच करके शासन उसके विरुद्ध कार्यवाही करता है। आज अगर आपके पास कोई प्रमाण हों तो आप उन्हें अभिभाषण पर चर्चा के समय कह सकते हैं। लेकिन चूंकि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया तो मुझे उस पर उसी दृष्टि से विचार करना पड़ा कि वह बनता है या नहीं । उस पर मैंने अपना निर्णय दे दिया । तो इसलिए मैंने इसमें देखा कि यह ग्राह्य नहीं है । लेकिन मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जो माननीय तिवारी जी ने तथ्य बतलाये हैं, इस संबंध में आप पुनः जांच कर लें, कितनी गिरफ्तारियां हुई, महिलाओं के चीटें लगीं कि नहीं लगीं । अगर किसी अधिकारी ने आपको गलत सूचना दी, तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें । इसलिये मैंने इसे अस्वीकार किया । यदि आप चाहें तो सदन में शोधन वक्तव्य भी दे सकते हैं ।

युवा जनता के प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में गलत बयानी के विषय को मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री रवींन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने और शतरुद्ध प्रकाश ने युवा जनता के सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में यह जानकारी चाही थी कि कितने लोग गिरफ्तार किये गये और वे कहां हैं । इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा कि 2 बजे उनकी युवा जनता के प्रतिनिधियों से वार्ता हुयी थी और उस समय किसी की भी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी । उन्होंने यह बयान सदन में करीब साढ़े चार बजे दिया कि "इस समय कोई भी छात्र या कोई युवक बन्दी नहीं है उस प्रदर्शन के सिलसिले में" जब कि युवा जनता के सभी सदस्यों को कृष्णानगर थाने से सायंकाल 5–15 बजे रिहा किया गया था। माननीय श्री रवीन्द्र सिंह का कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने युवा जनता के सदस्यों की गिरफ्तारी की बात छिपा कर सदन को गुमराह करने की कोशिश कर माननीय सदन का अवमान किया है ।

सदन में यह निर्णय दिया जा चुका है कि किसी के विरुद्ध जानबूझकर असत्य भाषण का आरोप लगाते हुये विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाते समय उन तथ्यों का स्पष्टरूप से उल्लेख आवश्यक है जिनके आधार पर जानबूझकर असत्य भाषण का निष्कर्ष निकलता हो ।

12 फरवरी, 1964 को श्री गया प्रसाद द्वारा प्रस्तुत मुख्य मंत्री के द्वारा अपने भाषण में कथित असत्य कथन करने के संबंध में एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि किसी के ऊपर यह आरोप लगाना कि अमुक असत्य बात कही है इस सदन की परम्परा के विरुद्ध है । अगर कोई महानुभाव कोई आरोप लगाते हैं कि जो बात कही गयी है, वह असत्य है और इस कारण से असत्य कथन किया गया है कि सदन को धोखा दें और जानबूझकर यह असत्य बात कही है तो उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं । जब यह कहा जाय कि आदरणीय सदस्य ने जानबूझकर सदन को धोखा देने के लिये असत्य बात कही है तो केवल इतना ही कह देना पर्याप्त नहीं है । उनके वे तथ्य देने पड़ेंगे कि इन-इन तथ्यों पर वे कारणों से हम इस परिणाम पर पहुंचे तोड़मरोड़ कर सदन को धोखा देने के लिये यह असत्य बात कही गयी है । जब तक सूचना में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जाता कि किन-किन तथ्यों के आधार पर वे इस परिणाम पर पहुंचे और चाहते हैं कि आप भी पहुंचिये, तब तक ऐसी सूचना विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं मानी जायगी ।

माननीय श्री रवीन्द्र सिंह ने अपनी उपर्युक्त सूचना में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनसे यह सिद्ध होता हो कि माननीय मुख्य मंत्री ने जानबूझकर सदन को धोखा देने के लिये

[श्री अध्यक्ष]

कोई सत्य बात कही है । अतः इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)--

मान्यवर, माइक ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आप माइक तोड़वाते हैं रणजीत सिंह जी और फिर आप शिकायत करते हैं ।

विभिन्न समितियों तथा स्थानीय निकायों में सदस्यों के निर्वाचन की तिथि में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

यह आवश्यक सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि आज लोक लेखा समिति, 28 स्थायी समितियां तथा श्री चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा, आगरा विश्वविद्यालय की सभा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्, कानपुर विश्वविद्यालय की सभा, काशी विद्या पीठ की सभा, गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा, अपराध निरोधक समिति की केंद्रीय कमेटी, रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों की संख्या उनमें निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक होने के कारण उनके निर्वाचन हेतु मतदान की तिथि दिनांक 22-3-78 निर्धारित की गयी थी । इस मतदान के स्थगित किये जाने के संबंध में विभिन्न दलों के नेताओं की प्रार्थना पर, मैंने इसे दिनांक 29-3-78 के लिये स्थगित कर दिया है । तदनुसार इन समितियों एवं निकायों के निर्वाचन हेतु मतदान अब दिनांक 29-3-78 को दिन के 10.30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक कमरा नं० 48, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

कतिपय विषय

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस आपकी सेवा में भिजवायी थी । उसका जिक्र आपने नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी मैं उसको नहीं देख पाया हूं ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, ठीक है । बाद में ले लीजियेगा ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैंने भी एक प्रस्ताव आज दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

वह आ गया है । मैंने देखा नहीं है । विचार करूंगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा था कि कमेटियों का चुनाव मैं निश्चित ही कर दूंगा । लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव टलता जा रहा है । कम से कम अबकी चुनाव हो जाय और चुनाव न टले कई बार टल चुका है । यही मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं तो आपके हाथ में हूं । आज जब सब नेताओं ने अनुरोध किया, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी करीब करीब उन्होंने कहा कि जो नाम वापस किये गये हैं उनकी सूचना उनको नहीं है । इसलिये सुविधा देने के लिये अंतिम तारीख 29 मार्च कर दी गयी है ।इसको अब स्थगित नहीं किया जायगा और 29 को निश्चित रूप से चुनाव कर दिया जायगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

जब मतदान शुरू हो गया और बाद में स्थगित किया गया तो फिर से नामिनेशन होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

ऐसा नियम में नहीं है ।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 †

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री आबिद अली---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1978 †

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

† दिनांक 22 मार्च, 1978 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री राम सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री राम सजीवन और श्री ऊदल ने आज एक कामरोको प्रस्ताव दिया है । दिनांक 20 मार्च, 1979 को विधान सभा के सामने उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन कांग्रेस, माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त प्रदर्शन के बारे में वह कामरोको प्रस्ताव है । अब क्योंकि गवर्नर के अभिभाषण में चर्चा चल रही है इसलिये नियम यह है कि उस पर कोई कामरोको प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है । इसलिये मैंने इसे अस्वीकृत किया ।

अब श्री रमाशंकर कौशिक का जो प्रस्ताव चल रहा था उस पर विवाद ....।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, ऐसा है कि मजदूरों को वार्ता का अधिकार है, जो उनको हड़ताल करने का अधिकार है उस पर यह सरकार प्रतिबन्ध लगाती जा रही है । इस पर आप चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं । इसलिये जन विरोधी मजदूरों की बात के लिये मैं अपने दल सहित सदन का 5 मिनट के लिये त्याग करता हूं ।

(श्री ऊदल अपने दल सहित सदन का त्याग कर चले गये ।)

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो नियम 52 में दिया है उस पर विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर अभी नहीं । श्री नारायण दत्त तिवारी आप इनको नियम तो बतला दें । अभी मैंने विचार नहीं किया है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि राज्यपाल के भाषण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया और जो कौशिक जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसमें हम अपने दल की ओर से संशोधन पेश करना चाहते हैं । जब मैं इस अभिभाषण को देखता हूं और देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने घोषणायें तो बहुत की हैं लेकिन उनका जब मैं शासन की कार्यवाही की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि घोषणायें केवल सुन्दर शब्दों में हैं और कार्यान्वियन रूप में उनका कुछ नहीं है । मैं सबसे पहले राज्यपाल अभिभाषण का यह अंश 'गांव की ओर चलो' किसान की तरक्की की बात कही है, के सम्बन्ध में श्रीमन्, अब आपके समक्ष एक बात बताता हूं कि किसानों की तरक्की मन से शासन कैसे चाहता है । वह गांव की ओर जाना चाहते हैं लेकिन तरक्की कैसे चाहते हैं । यह मैं पिछले दिनों की बात बताता हूं कि जब गेहूं का मूल्य कांग्रेस सरकार ने तय किया था तो 42 रु0 से लेकर 105 रु0

---

† दिनांक 18 मार्च, 1978 की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तक पिछले 5–6 सालों में और 7 प्रतिशत बोनस भी दिया था। लेकिन इस साल जबकि किसान की गेहूं की लागत 20 प्रतिशत बढ़ गयी है तो जनता सरकार उनकी वसूलयाबी का मूल्य पिछले शासन में जो निर्धारित मूल्य था और 7 प्रतिशत बोनस दोनों को मिलाकर 2 रुपया कम दिया। तो किसान की तरक्की की बात करते हैं लेकिन दो रुपया पिछली बार से कम है।

मान्यवर, दूसरी बात इस समय गेहूं के आंकड़े और खाद्य पदार्थों के आंकड़े जो दिये गये उनका उपभोकता सूची में उपभोक्ता मूल्य 1.33 रु0 गेहूं राशन में बिक रहा है और बाजार में 1.60 रु0 प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन आप किसान को दे रहे हैं जितना देते रहे हैं उससे कम।

मान्यवर, इसी प्रकार पिछले दिनों धान में इस सरकार की ओर से 10 रुपया बढ़ोत्तरी की गयी लेकिन वह बढ़ोत्तरी कब की गयी जबकि किसान के पास धान ही नहीं रहा और वह वापस कब ले लिया जबकि किसान के पास फसल आ गयी। तो इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है। दूसरी तरफ आप गांवों की ओर चल रहे हैं। तो आज जब गन्ना किसान अपनी मांग रख रहे हैं और पिछले दिनों जब यहां किसानों ने कांग्रेस के तत्वाधान में प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया तो लाठी चार्ज किया गया। मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन किसानों की मांगों पर गोली, गैस, लाठी चलाकर उनकी तरक्की करना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब है कि इसी सदन में जब माननीय सदस्य विरोध पक्ष में थे तो गन्ना किसानों को 20 रुपया दिलाने की बात करते थे और उसके लिए बयान देते थे। लेकिन इस सरकार ने अब कितना बढ़ाया, केवल 25 पैसा और उसका भी लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। चीनी मिलों की पालिसी की घोषणा में इतना विलम्ब कर दिया गया कि चीनी मिलें अक्तूबर और नम्बर में चलाने की स्थिति आयी जिससे पूरे प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुई है। किसान खेत खाली कराना चाहते हैं लेकिन उसका गन्ना खरीदने के लिये कोई नहीं है। गुड़ पर आपने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर रोक लगा दी। उससे किसानों को क्या लाभ हुआ। उसका गन्ना खरीदने वाला कोई नहीं। क्रसर वाला खरीदेगा तो उतना मूल्य नहीं देगा। मिल मालिक नवम्बर में मिल नहीं चलाना चाहता क्योंकि गन्ने में रस कम होता है। लेकिन वह भी क्या करे। जब आप शूगर पालिसी अक्तूबर, नवम्बर में घोषित करेंगे तो किसान पीड़ित होगा ही। दूसरे इस पालिसी से किसान का मिल पर बकाया और बढ़ गया। किसान के सामने गन्ना बेचने के स्थान पर चलाने की स्थिति आ गयी है। 10 करोड़ रुपये की इससे प्रदेश की क्षति होगी जो कि इस शासन की नीति का सबसे काला पक्ष है।

फिर लगान की संशोधित दरें तय की गयीं और पिछला चार साल का बकाया किसान से वसूल किया जा रहा है जिससे 25 करोड़ का अधिक भार किसान पर पड़ा है। इसके बावजूद भी राज्यपाल जी कहते हैं कि गांव की ओर चले हैं। क्या गांव की ओर वहां के निवासियों को खत्म करके चलने की बात है? इसलिये यह केवल एक नारा मात्र है। माननीय राज्यपाल ने पृष्ठ 3 पर कहा है कि गांव सभा की भूमि तथा सीलिंग भूमि के नये आवंटियों को दस प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान की सुविधा प्रदान की गयी है। कृषि क्षेत्र में सिचाई प्रयोजनों आदि के लिये राज्यपाल 10 प्रतिशत बढ़ाने की बात करते हैं और वित्त मंत्री ने जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है उसके पृष्ठ 110 पर लिखा है कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि आवंटियों को केन्द्रीय आयोजनों के अधीन भूमि समतल तथा कृषि योग्य बनाने एवं उन्हें बीज तथा खाद उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना। मान्यवर, इनका डेटा देखें। 76–77 में 68 लाख 64 हजार 919 रुपया इन आवंटियों की सहायता के लिये था जब कांग्रेस की सरकार थी। अब 77–78 में यहां जनता सरकार का नमूना देखें।

[श्री गुलाब सेहरा]

वह है 40,54,420, रुपये। लेकिन उसमें 28 लाख रुपये कम दिया जा रहा है। उसका बजट में प्राविधान नहीं है। उसके बावजूद भी राज्यपाल द्वारा यह कहा गया है कि गांव की ओर चलें। 10 प्रतिशत बढ़ाकर भूमि आबंटियों को दिया जायगा। यह कहते हैं। और माननीय वित्त मंत्री जी के अनुपूरक बजट में 28 लाख रुपये कम की बात की गयी है।

दूसरी चीज है कि गांव के विकास की बात कहते हैं। उसमें पेय जल की व्यवस्था की बात की जा रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 5 पर यह कहा गया है कि गांवों में पीने के पानी की अनेकों योजनायें चलायी गयीं हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में और अधिक उसमें विस्तार करने का निर्णय लिया जायगा यह राज्यपाल महोदय का कहना है। लेकिन बजट में पेय जल के लिये कितना रुपया रखा गया है, वह देखने की बात है। जब बजट को देखता हूं तो इसमें जो जल निगम का है, उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ और यह सरकार केवल 77–78 लाख रुपये वहां से ले पायी। तो किस तरह से गांवों में पेय जल की सुविधा बढ़ाने की बात करते हैं। मुझे याद है पिछले साल इसमें 5 करोड़ रुपया था। वह घटकर 3 करोड़ स्वीकृत किया गया लेकिन यह प्रदेशीय सरकार पूरे 3 करोड़ रुपये वहां से नहीं ले पायी। केवल 77 लाख रुपये ही इस मामले में प्राप्त हो पाये। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बातें कितनी विपरीत है। राज्यपाल महोदय कहते हैं कि अनेकों योजनायें पेय जल की शुरू की गयीं। लेकिन क्या वे बगैर पैसे के शुरू की गयीं? यह सबसे बड़ी बात है देखने की। कहना कुछ है और करने वाली बात दूसरी है।

अब दूसरी बात कहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में औद्योगिक तुलना की बात की गयी है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें। 25 मिनट काफी हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर, कि 32 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा कांग्रेसी शासन नें जनता पार्टी की सरकार को सौंपी थी। इसी तरह से, 2 करोड़ टन अनाज गोडाऊन में भरा हुआ था जो उसने इनको छोड़ा। 1976–77 मे कुल आय 7. 1/2 प्रतिशत बढ़ी प्रति व्यक्ति आय 5/6 प्रतिशत बढ़ी थी। लेकिन अब ये मुद्रा-स्फीति को रोक नहीं पा रहे हैं। कीमतें बढ़नें लगीं और बढ़कर 10 प्रतिशत तक ऊपर चलीं गयीं। मान्यवर, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के 2 वर्षों में आय 5 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी लेकिन अब क्या बात है? इस वक्त कोई औद्योगिक नीति तो स्पष्ट है नहीं। ये खुली अर्थ-व्यवस्था की बात करते हैं। उसको बढ़ाया। सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा की बात करते हैं और एकाधिकार की बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उससे क्या हो रहा है? काला धन और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। मान्यवर, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय 5,6 प्रतिशत बढ़ी थी, यह दो, डेढ़ परसेंट के करीब हो गयी।

दूसरी बात जो मान्यवर, कहना चाहता हूं वह है कि महामहिम राज्यपाल ने बिजली उत्पादन की बात की है कि इसको बढ़ायेंगे लेकिन हम जानते हैं कि बिजली का उत्पादन इन 9,10 महीनों के अन्दर 15 प्रतिशत गिरा है जबकि अच्छी वारिश हुई है और ठीक टाइम से हुयी है। फिर भी बिजली का उत्पादन 15 प्रतिशत घटा है।

इसी तरह से जो औद्योगिक उत्पादन की बात है, मान्यवर, इस समय औद्योगिक उत्पादन बन्द है या बिल्कुल शिथिल है। उससे मान्यवर, 5 करोड़ रुपये की हानि प्रति माह इस प्रदेश को

हो रही है। दूसरी बात, औद्योगीकरण करने की बात तो करते हैं मैं तो मजदूर विरोधी सरकार कहता हूं। गाजियाबाद, कानपुर के संस्थान बन्द पड़े हैं। मजदूरों को वेतन नहीं दिया जा रहा है उद्योग पर कोई रुचि नहीं है। जितनी योजनायें कांग्रेस शासन में शुरू हुई थीं प्रदेश के भविष्य के लिये, उज्जवल भविष्य के लिये आज उनकी स्थिति क्या है, रामगंगा, शारदा और गण्डक परियोजनाओं का काम इतनी धीमी गति से चल रहा है कि आप ताज्जुब करेंगे अध्यक्ष जी, नौ महीने में जो रुपया आवंटित किया गया था वह भी केवल 17 प्रतिशत ही खर्च ये लोग कर पाये हैं, यह स्थिति है। आज के पेपर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विकास के लिये आवंटित धन खर्च करने में प्रदेशीय सरकार विफल। जितना धन आवंटित किया गया था उसे खर्च ही नहीं कर पाया यह स्थिति है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आठ चीनी मिलें इस प्रदेश में निर्माणाधीन थीं और उनमें काम करीब-करीब बन्द है और शिथिल अवस्था में चल रहा है। बुलन्दशहर में वेस्टर्न यू0 पी0 इण्डस्ट्रियल स्टेट बनाने की जो योजना थी वह भी शिथिल पड़ी है।

बुनकरों की बात राज्यपाल ने अपने भाषण में कही है। मुझे ताज्जुब होता है कि बुनकरों से सूत का उत्पादन बढ़ाने की योजना खटाई में पड़ गयी है क्योंकि प्रदेश में कताई मिलों में तकुयें हैं उनको दुगुना कर दिया गया है और आज स्थिति यह है कि सात रुपये किलो के हिसाब से उनको सूत मिल रहा है।

एक बात मैं आपके समक्ष यह रखना चाहता हूं कि हरिजनों की समस्या की बात कही गयी है, पेज नं0 3 में,–"मेरी सरकार ने हरिजनों व अन्य पिछड़ी जातियों एवं अल्पसंख्यकों के हितों को विशेष प्राथमिकता दी है।" अध्यक्ष जी, आप की आज्ञा से केवल कुछ आंकड़े हरिजनों के संबंध में पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री गुलाब सेहरा—

पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इसी बात को कह कर खत्म कर रहा हूं। 1975–76 में कांग्रेस सरकार ने 20 करोड़ रुपये हरिजन बजट में रखा, 1976–77 में 22 करोड़ रुपये रखा और 1977–78 में, पिछले वर्ष, इस सरकार ने जो हरिजनों की हिमायत की बात करती है, 16 करोड़ रुपये रखा। पूरे 6 करोड़ रुपये कम, पिछली सरकारों से थे और जहां तक मैं जानता हूं कि हरिजनों के उत्थान के संबंध में ये बात करते हैं। अभी हाल ही में ए0 जी0 सी0, डी0जा0सा0 का नामीनेशन सरकार की ओर से हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस नामीनेशन में एक भी हरिजन एडवोकेट लायर नहीं लिया गया। मैं जानता हूं अच्छी तरह से। और आज प्रदेश में ला एण्ड आडर की स्थिति इतनी खराब है कि मैं केवल पिछले दो महीने के अखबारों की कटिंग पढ़ देना चाहता हूं जो खास जनता पार्टी के अखबार हैं। 5–11–77 मलपुरा के निकट गांव में सशस्त्र डकैती और हत्या, घर में घुस कर महिला व नौकर को घायल किया। 29–1–78 अपहरण को आये बदमाशों द्वारा मारपीट व लूटमार, 20–2–78 एटा में अपहरण की संख्या में वृद्धि। 25–1–78, पुलिस अधिकारी द्वारा मारपीट। 15–11–77, मंदिर में पूजा करने पर हरिजन को पीटा गया, 4–11–77, चाकू की नोक पर गल्ला विक्रेता से थैला लूटा गया। 11–1–78, अलीगंज के पुलिस क्षेत्राधिकारी, दोपुलिसमैन, दो ग्रामीण सहित, 10-2-78 चलती ट्रेन में लूट।

नगर में लूटपाट की वारदातें। यह महत्वपूर्ण कटिंग्स मैं दे रहा हूं। यह स्थिति प्रशासन की है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रदेश में सुरक्षा महसूस नहीं कर रहा है। जनजीवन खतरे में है। पुलिस को जो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए वह राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी तथा उनके दल द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर दिये गये संशोधनों को छापने के संबंध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—

श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने यह लिख कर दिया, है "मेरे तथा मेरे दल के सदस्यों के जेल जाने के कारण पार्टी द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन नियमानुसार समय के अन्दर न दिया जा सका। परन्तु जेल से छूटने के बाद श्री गुलाब सेहरा उप नेता एवं अन्य सदस्यों द्वारा 20-3-78 की सचिव, विभान सभा को प्रस्तुत कर दिया गया था। इस करण आज की कार्य सूची में उक्त संशोधन सम्मिलित नहीं हो सका।

अतः आपसे निवेदन है कि करण 3 के अपवाद स्वरूप उक्त संशोधन को छापने की अनुज्ञा प्रदान करें"।

इस सम्बन्ध में तिवारी जी जानते हैं कि जो आज्ञा अध्यक्ष द्वारा दी गयी है वह प्रक्रिया सम्बन्धी जो करण हैं उसके पृष्ठ दो पर करण संख्या 2 में दी गयी है "राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा प्रारम्भ होने की तिथि से 1 दिन पूर्व जो संशोधन प्राप्त हो जायें केवल उन्हीं को कार्यसूची में सम्मिलित किया जायगा और धन्यवाद के प्रस्ताव में प्रथम संशोधन प्रस्तुत हो जाने के बाद शेष संशोधनों को प्रस्तुत माना जायगा और उनको कार्य-सूची में नहीं छापा जायगा।" अब जो संशोधन मैंने ले लिया माननीय रियासत हुसैन का, उसे सदन में पढ़ कर भी सुना दिया और अन्य पढ़े हुए मान लिये गये तो इसको 20 तारीख को कैसे लिया जा सकता था जब कि 17 को यहां श्री राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और 18 को उस पर चर्चा हुई। इसलिये उसे स्वीकार करने का अब समय नहीं है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मुझे यह निवेदन करना है कि जिस समय राज्यपाल का अभिभाषण हुआ मेरे दल के 21 विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा यह संभव नहीं हुआ। इसमें लिखा हुआ भी है कि एक दिन पूर्व अभिभाषण हुआ और 18 को चर्चा शुरू हो गयी। एक दिन भी मुख्य विरोधी दल को समय नहीं मिला कि वह अपना संशोधन दे सकता जिससे विरोधी दल का दायित्व पूरा नहीं होता। फिर करणों का नियमों से कोई संबंध नहीं है करण आपके आदेश है, नियम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो स्वयं ही कहा है कि जो समय-समय पर अध्यक्ष ने आदेश दिये हैं वह एक प्रकार से इंटर प्रिटेशन दिया है नियमों का।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस नियमावली में 313 नियम को देख लिया जाय "ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश करें।" इसके अन्तर्गत आपके पास अवशिष्ट शक्तियां हैं और विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण मुख्य विरोधी दल का संशोधन अवश्य इसमें आना चाहिये। एक असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हुई। अधिकांश सदस्य मेरे दल के जेल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चले गये और सदन की सेवा में उपस्थित नहीं हो सके। इसलिये इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी कि मैंने जो संशोधन दिया है वह इसमें छापा जाय क्योंकि आप विशेष अपवाद कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है। मैं यह अनुमति दे रहा हूं कि इसको छपवा दिया जाय और कार्य सूची में शामिल कर लिया जाय और इसको पढ़ा हुआ भी मान लिया जायगा।

(श्री गुलाब सेहरा तथा अन्य सदस्यों के संशोधन जो आज उपस्थित किये हुए माने गये, के लिये देखिये नत्थी ङ आगे पृष्ठ 449–452 पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---

पहले रोज इस पक्ष से 5 सदस्य बोल चुके हैं। अब उस पक्ष के सदस्य बोलेंगे तब इस पक्ष के सदस्यों का नम्बर आयेगा। अब उस पक्ष से श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी अपना भाषण देंगी।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)---

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे भाषण देने का अवसर प्रदान किया। हमारे सामने एक प्रस्ताव प्रस्तावित है और उसी के विषय में अपने विचार प्रकट करूंगी। आदरणीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है उसको मैंने गौर से पढ़ा और उसके बारे में ही मैं दो शब्द कहना चाहती हूं। सबसे पहले तो मुझे महिला होने के नाते इस अभिभाषण के विरोध में एक शिकायत है और वह यह है कि उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र इसमें किया है लेकिन महिलाओं के उत्थान के विषय में कहीं भी कोई अपने विचार नहीं प्रकट किये हैं। एक जगह एक छोटी सी लाइन पर लिखा है कि शिशु कल्याण और मातृ कल्याण के लिये अवश्य ध्यान दिया जायेगा। यह लिखा है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतया स्वेच्छा के आधार पर चलाया जा रहा है मातृ और शिशु कल्याण पर विशेष बल दिया जा रहा है। महिलाओं की समस्यायें हैं, कन्याओं की शिक्षा की समस्यायें हैं, प्रौढ़ शिक्षा की समस्या है, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की समस्या है। ये ऐसी समस्यायें हैं जिनके बारे में हमारे राज्यपाल जी मौन हैं और हमारी सरकार भी मौन रहना पसन्द करेगी क्योंकि हमारी जो यह जनता सरकार है उसके बारे में आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि जितना भी हमारा निम्न वर्ग है, हरिजन हैं,

(इस समय 1 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए)

अशिक्षित वर्ग हैं जिनमें महिलायें भी हैं, उसके उत्थान के लिये जितनी कोशिश की जानी चाहिये थी उसे यह सरकार नहीं कर पा रही है। यह एक बहुत बड़ी कमी है।

हरिजनों के बारे में जितने भी वायदे किये गये हैं जो भाषण दिया गया है वह केवल भाषण ही है, शब्दों तक ही सीमित है। यह सरकार अपने वायदों को कार्यान्वित नहीं कर पा रही है। जगह-जगह हरिजनों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उनके विषय में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अभी लखनऊ में एक धोबी की हत्या हो गई, एक हरिजन रिक्शे वाले की हत्या हुई, बाराबंकी में भी एक छोटी सी 10 वर्ष की लड़की की गोलीकांड में हत्या हो गई। इस संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहती हूं कि मैं मौके पर गयी थी यहां पर ला एण्ड आर्डर की बात आती है। मैं कहना चाहती हूं कि जिस लड़की की हत्या हुई उसके बारे में जब मैंने मालूम किया तो

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

मालूम हुआ कि उसकी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है । उस लड़की की मौत की जिम्मेदारी शासन पर आती हैं। जब वह लड़की शूट की गई तो उसकी मां और बहिन उसे ले जाने के लिये वहां पर गये । पुलिस ने उनको रोक दिया और उसकी बहिन को बड़ी अश्लील गाली दी और कहा कि चले जाओ नहीं तो तुमको भी शूट कर देंगे । लगभग 45 मिनट तक वह लड़की घायल रही, उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया । जब पुलिस वहां से चली गई तब उसे वहां से हटाया गया और तब तक उसने अपने प्राण त्याग दिये । इस तरह से ज्यादतियां हो रही हैं । हरिजनों को उनके घरों से निकाला जा रहा है । जो सुविधायें उनको कांग्रेस सरकार ने दी थीं, वे उनसे ली जा रही हैं । उनसे जबरदस्ती ऋण लिया जा रहा है । इस तरह से अभिभाषण में इस निम्न वर्ग की सुरक्षा और सुविधा की जो बात कही गई है उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, वह बिलकुल गलत है ।

जहां तक ला ऐंड आर्डर की बात कही गई है वह मैं बतलाना चाहती हूं कि पिछले 30 वर्षों में जब से आजादी मिली है उसके पश्चात् आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे जानमाल की कोई सुरक्षा नहीं है उसके लिये कोई भी जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहा है । यहीं लखनऊ में आप देखें एक महीने में तीन मुख्य हत्यायें हुई । एक एडवोकेट के घर में घुस कर उनको, उनकी पत्नी को और उनकी बुआ को मार दिया गया । इसी प्रकार रास्ते में चलती छात्राओं और महिलाओं को तंग किया जाता है गले से जंजीर खींची जाती है और छुरा भोंका जाता है । इस प्रकार एक दर्दनाक हालत लखनऊ में हो रही है । एक ऐसा ही किस्सा लखनऊ में ही और हुआ कि एक डी0 एस0 पी0 पुलिस ने किस प्रकार एक छात्रा को जलाने की कोशिश की । यह बड़ी शर्मनाक बात है । इस प्रकार का दर्दनाक किस्सा अभी तक नहीं हुआ था । इस प्रकार के कामों से नागरिकों को सुरक्षा दिलाने के लिये सरकार कौन सा ऐक्शन लेने जा रही है यह मैं पूछना चाहती हूं ?

मैं शिक्षा का सवाल लेना चाहती हूं । यहां पर जितने बड़े-बड़े विद्यालय हैं वह सब बन्द पड़े हैं । लखनऊ विश्वविद्यालय जिसकी परीक्षायें अप्रैल, मई में होती थीं वह अब जून अगस्त में भी होनी सम्भव नहीं दिखाई दे रही हैं । इसका प्रभाव छात्रों की जिन्दगी में क्या होगा ? उनको एक साल का नुकसान हो गया वह लोग कंपीटीशन में बैठ नहीं पायेंगे जिसका प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ेगा । यह बात देखने की है कि छात्रों के असंतोष को कैसे कम किया जाय . . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

होम्योपैथी आयुर्वेदिक छात्र हड़ताल पर हैं । (व्यवधान)

(दर्शक दीर्घाओं से नारे लगाये गये—इंदिरा गांधी जिन्दाबाद)

आज छात्र जेलों में बन्द हैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात पर कुछ भी नहीं कहा गया है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा । आज हमें हर डिमांड का जवाब गोलियों से दिया जाता है इससे समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है । (व्यवधान)

अब मैं आपका ध्यान लखनऊ के डेवलपमेंट के लिये आकर्षित करना चाहती हूं । 1976-77 में लखनऊ के डेवलपमेंट के लिये साढ़े 4 करोड़ रु0 रखा गया था जो खर्च किया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं एक मिनट लखनऊ के बारे में कह दूं क्योंकि मैं यहां की प्रतिनिधि हूं । इस समय लखनऊ के डेवलपमेंट का काम बिलकुल ठप्प कर दिया गया है। निम्न वर्ग के लिये मकान बनाने के लिये 1976–77 में दो करोड़ खर्च किया गया था वह स्कीम इस समय ठप्प कर दी गयी है । इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं क्योंकि समय नहीं है, बोलने को तो बहुत था।

*श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में ब्रिटिश पार्लियामेंट में हिज मैजेस्टी और हर मैजिस्टी और अपने यहां राज्यपाल (हिज एक्सीलेंसी) के अभिभाषण पर धन्यवाद देना एक पुरतकल्लुफ औपचारिकता है । मान्यवर, मैं उस अभिभाषण का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि परम्परा यह रही है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के माध्यम से विपक्ष केवल आलोचना करता है, उसकी कमियां बताता है, कभी यह नहीं हुआ कि उसकी भर्त्सना की गई हो । 'लेकिन इसम यह नहीं है', 'वह नहीं है', इस नाते केवल आलोचना की जाती है कभी उसकी भर्त्सना या निन्दा नहीं की जाती है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

बाकी रह गया है, आप कर डालिये ।

श्री रामदत्त जोशी—

तो जहां महामहिम राज्यपाल के भाषण का इतना महत्व पार्लियामेंटरी पद्धति में रहा है कि विपक्ष के लोग भी केवल उसकी आलोचना करते हैं, निन्दा नहीं करते हैं, उसकी, जनतंत्र की रक्षा के नाम पर 17 मार्च को इनके द्वारा जो अपमानजनक हरकत की गई, उस पर जो कुछ कहा जाये, वह थोड़ा है । श्रीमती इंदिरा गांधी ने 19 महीने की इमरजेंसी में इस बात की अच्छी तरह से ट्रेनिंग अपने आदमियों को दी है और नारायण दत्त तिवारी आदि को अच्छी तरह दी है कि जनतंत्र की दुहाई दो और जनतंत्र की हत्या करो । तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय तिवारी न यहां लौटने पर-जेल से आने पर कहा कि सदन में उस दिन जो कुछ हुआ, अच्छा नहीं हुआ, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं जबकि खुद आग लगा कि वह चले गये (व्यवधान) बाहर क्या कहा, वह भी देखने की बात है । तो यह दोहरी बात क्यों, यह कथनी और करनी में फर्क क्यों, अन्दर कुछ बाहर कुछ। (व्यवधान) "इस सादगी पर कौन न मर जाये ए खुदा लड़ते भी हैं और हाथ में तलवार भी नहीं" . . .

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

खूब, क्या आमने सामने तीरे नजर हो रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

या रब बता दूं । . . . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

यहां कोई मुशायरा नहीं हो रहा है, आप बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं तो बोला भी नहीं हूं, मुझे कह लेने दीजिये ।

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामदत्त जोशी—

'अभी तो इब्तिदाये इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखिये होता है क्या।' कांग्रेस आई और कांग्रेस गई दो हैं और इन दोनों ने मिलकर और कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंदिरा सी0पी0आई0 के लोग सब इनके साथ मिले हुए हैं, ने जो बेहूदगी इस सदन में की है वैसी शर्मनाक मिसाल 30 साल के इतिहास में नहीं मिलती है। मैंने वैसा भयावह दृश्य कभी नहीं देखा जैसा दृश्य उस दिन देखा। ऐसी हरकत करने वाले लोग अगर जनतंत्र की दुहाई दें तो ऐसा लगता है कि जैसे रावण रामायण का पाठ कर रहा हो। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि जनता में चारों तरफ असंतोष है, अशांति का वातावरण बना हुआ है। यह भी कहा गया कि सभी वर्ग के लोग जनता पार्टी से नाराज हैं, किसान मजदूर नाराज हैं, विद्यार्थी और कर्मचारी नाराज हैं, व्यापारी और दूसरे लोग नाराज हैं और सबसे ज्यादा हरिजन और दूसरे पिछड़े लोग नाराज हैं। शासन व्यवस्था चौपट हो गई है। लेकिन, मान्यवर, 17 तारीख का जुलूस मैंने अपने आप देखा। जो पत्रकार संख्या के आधार पर किसी जुलूस का अंदाजा लगाते हैं, उन सबकी राय भी मैंने ली थी कि साढ़े चार हजार से ज्यादा संख्या जुलूस के आदमियों की नहीं थी और 6 हजार से ज्यादा संख्या किसी पत्र-वाले ने नहीं बताई। कहा गया कि वह किसानों का प्रदर्शन था, किन्तु मान्यवर, उसमें कोई भी किसान नहीं था। इसके विपरीत लोहिया जी के नेतृत्व में किसानों का यहां जो लखनऊ में जुलूस निकला था उसमें एक लाख लोग, किसान और मजदूर शामिल हुये थे। उसमें मैले-कुचैले कपड़े पहने हुए किसान और मजदूर, आदिवासी लोग और नौजवान शामिल हुये, वह प्रतिनिधि जुलूस था। जो 17 तारीख को मैंने प्रदर्शन देखा, उसमें केवल खद्दरधारी कांग्रेस के लोग और कांग्रेस कार्यकर्त्ता थे जो जिले-जिले से यहां बुलाए गए थे। वह न किसानों का जुलूस था और न मजदूरों का। साढ़े चार-पांच हजार के जुलूस तो लखनऊ में रोज ही निकलते हैं, उसकी कोई नोटिस भी नहीं लेता। 8 हजार तो रिक्शा चालक ही लखनऊ में रहते हैं, शासन ने व्यर्थ में 144 लगाकर इनको उगंली में लहू लगाकर शहीद कहलाने का मौका दे दिया वरना चार-साढ़े चार हजार का जुलूस तो लखनऊ की दृष्टि से एक नगण्य बात है।]

श्रीमन्, यह जो असंतोष की बात कही गयी है किन-किन में असंतोष है? किसान असंतोष में शामिल नहीं था। मजदूर शामिल नहीं था मजदूरों का जुलूस अलग से कल या परसों निकला था। उसमें कौन लोग थे? पालिटिकल मोटिवेशन से असंतोष मैनुफैक्चर किया जा सकता है, मैनुफैक्चर्ड डिस्कटेंट मेंट जैसा इस सदन में 17 तारीख को मैनुफैक्चर किया गया, एसा ही असंतोष विद्यार्थियों, मजदूरों, अध्यापकों को भड़का कर इन्होंने करवाया 8महीने के दौरान में।

किसानों के अन्दर असंतोष की बात निवेदन कर दूं। आंज शुगर इंडस्ट्री और गन्ना उत्पादक दोनोंगंभीर संकट में हैं इसमें कोई विवाद नहीं है। लकिन इसक लिए जिम्मदार कौन हैं? पिछले तीस सालों में हमारे देश की जो अर्थनीति है ऐसी नीति है जो कृषि पर आधारित नहीं थी जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है यहां की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कृषि है। इंडस्ट्री के दो लक्षण होते हैं-प्रोडक्शन और इम्प्लायमेंट। हमारे यहां 75 प्रतिशत जनता खेती के काम में एम्प्लायड है, प्रोडक्शन होता है। यह सबसे बड़ी हमारी इंडस्ट्री है। लेकिन पिछले तीस सालों में इसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई कि कितनी दाल चाहिए, कितना तिलहन चाहिए, कितना गन्ना चाहिए, कितनी रूई चाहिए। नेसेसिटीज और प्रायरिटीज के आधार पर कोई प्लानिंग नहीं की गयी। अपनी आंखों से मैंने देखा कि भावर के इलाके में बड़ी सुन्दर लाही की फसल पैदा करते थे वहां सब गन्ना बाजपुर और काशीपुर में जहां मीलों तक दाल की खेती होती थी वहां सब गन्ना ही गन्ना। कांग्रेस की सरकार धड़ाधड़ गन्ने की फैक्टरियां खोलती गयी। परिणामतः यह स्थिति आनी थी जो आज है अगर किसानों में असंतोष है उसके लिये जिम्मेदार कांग्रेस सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीति है जिसमें खेती का नियोजन नहीं किया गया। मेरा सुझाव है कि खेती का नियोजन करें आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर किस जिन्स की कितनी जरूरत है। उसके आधार पर किया जाय।

माननीय रियासत भाई ने कहा कि जनता पार्टी की सरकार ने शुगर मिल मालिकों की मदद की । उनको एक्साइज ड्यूटी में छूट देने जा रहे हैं या चीनी के भाव में 15 पैसे की वृद्धि कर दी है । भूल जाते हैं रियासत भाई, आज प्रदेश में एक तिहाई कारखाने कारपोरेशन या कोआपरेटिव द्वारा संचालित हैं । अतएव मिल मालिकों की मदद नहीं है पहले जब चीनी सब्सिडाइज करके बेची जाती थी तो छः रुपये किलो कीमत थी तब गन्ने का दाम साढे तेरह रुपये था और ढाई रुपये फुटकर में आज है, तब भी गन्ने का भाव साढ़े तेरह रुपये है । गन्ने का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो कम है वह पालिटिकल प्रोड्यूस ज्यादा हो गया है, जिसके आधार पर वोट मांगे जाते हैं । जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार पहले बाहर चीनी भेजने के लिये सब्सिडाइज की जाती थी, अब चूंकि चीनी का मूल्य अन्तर-राष्ट्रीय बाजार में गिर गया है और गन्ने का भाव उतना नहीं रह सकता जितना तब था जब कि चीनी 6 रुपये में बिकती थी इसलिये किसान के गन्ने को सब्सिडाइज किया है, इन-डाइरेक्टली, कुछ एक्साइज में छूट दे कर और लेवी शुगर में 15 पैसा बढ़ा कर ताकि गन्ने का मूल्य न घटने पाये । यह फैक्टरीज को सहायता नहीं बल्कि किसानों की सहायता है ।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं सरकार को क्राप इंश्योरेंस की स्कीम चलानी चाहिये । अभी सदन में ओला वृष्टि की चर्चा हुयी । खेती पर दैवी प्रकोप होता रहता है । क्राप प्रोटेक्शन इंश्योरेंस फसल बीमा की कोई व्यवस्था नहीं है । अतएव यह की जानी चाहिये । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो योजनायें बनती है वह बड़े आदमियों के लिये बनकर रह जाती है। हैव नाट्स की उपेक्षा की जाती रही है । अतएव सर्वहारा के उत्थान को जनता सरकार की योजनाओं में विशेष स्थान मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त ।

श्री रामदत्त जोशी—

मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं । मैं शराब बन्दी के बारे में कहना चाहता हूं । मैं इस बात का हामी हूं लेकिन जिस तरह से इसको बन्द किया जा रहा है वह तरीका व्यवहारिक नहीं । वह कुछ दुकानें बन्द करने या पीस मील मे करने से काम नहीं होगा । आपके पास बहुत से कानून हैं और बहुत सी मशीनरी है। बद्रीनाथ में शराब का प्राहिबिशन है, लेकिन स्मगल होकर जाती है । शराब बन्दी की पहली आवश्यकता यह है कि सर्वप्रथम अवैध शराब उत्पादन बन्द किया जाय, औषधि के नाम पर बिकने वाली शराब संजीवनी सुरा, टिंचर जिंजर पर प्रतिबन्ध लगाया जाय फिर पूरे देश में एक साथ दुकानें, कारखाने बन्द कर दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त ।

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में एक बात कही कि गांव की ओर चलो, उसका जो नारा दिया है वह वास्तव में प्रदेश के विकास का द्योतक है । कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता देने की नीति और उद्योगों के विकेंद्रीकरण करने की नीति से प्रदेश में आर्थिक विषमता कम होगी और बेरोजगारी कम होगी और विकास की दर बढ़ने में सहायता मिलेगी । प्रदेश की सरकार ने हरिजनों और अल्प संख्यकों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जिनकी मैं सराहना करता हूं, लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के एक पैराग्राफ से अपने को सहमत नहीं कर पाता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबूराम शुक्ल]

महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि पिछड़ी जातियों के लिये जैसा कि हम जानते हैं कि सरकारी और अर्द्ध सरकारी नौकरियों में 15 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। अब राज्यपाल महोदय ने यह घोषणा की है कि मेडिकल कालेजों, टेकनिकल कालेजों और इंजीनियरिंग कालेजों में उनकी भर्ती के लिए आरक्षण दिया जायेगा। यही नहीं यहां तक कहा गया है कि दुकानों, प्लाटों और मकानों के एलाटमेन्ट में भी उनको आरक्षण दिया जायेगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूं कि आखिर यह आरक्षण एक वर्ग को क्यों दिया जा रहा है ? मैं इस बात से सहमत हूं कि हरिजन जो सामाजिक और राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है उसको आरक्षण मिले और जो उनका 18 प्रतिशत का आरक्षण है वह अगर पूरा नहीं हो पाया तो उसे पूरा किया जाना चाहिए और जिन सेवाओं में 18 प्रतिशत पूरा नहीं है वहां पर जब तक यह आरक्षण पूरा न हो जाये तब तक अन्य वर्ग के लोगों को नौकरियां न दी जायं। लेकिन जो आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जा रहा है उसका मैं विरोध करता हूं। आरक्षण तो इसलिए दिया जाता है कि वह वर्ग पिछड़ा हो। इसका परिणाम यह होगा कि जनता पार्टी उन वर्गों का समर्थन खो बैठेगी जिनको आरक्षण नहीं मिला है। इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है उसको समाप्त किया जाना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय राज्यपाल का पूरा भाषण पढ़ा और मुझे जो एक बात अच्छी लगी, मैं उसकी सराहना करता हूं। माननीय राज्यपाल जी ने कहा है कि मिल मालिकों पर मजदूरों का जो मजदूरी का पैसा बकाया है वह मालगुजारी के रूप में उनसे वसूल किया जायगा। यह कदम बड़ा ही सराहनीय है जिसकी सराहना प्रत्येक सदस्य करेगा लेकिन कानपुर का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे वहां देखकर बड़ा दुःख हुआ कि वहां पर कई मिलें बन्द हैं। स्वदेशी काटन मिल जिसमें 8 हजार मजदूर काम करते थे आज भुखमरी के शिकार बन रहे हैं। अभी तक यह कहा जाता रहा है कि मालिकों के शेयर बेचे जायेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उससे उनको पैसा दिया जायेगा लेकिन वे शेयर आज तक भी नहीं बेचे गये हैं और न बेचे जा सकेंगे इसमें कुछ बाधा मालूम पड़ती है। वे 8 हजार मजदूर जो आज भुखमरी के शिकार हो रहे हैं अपना पेट पालने के लिए राहजनी तक कर रहे हैं।

इसी प्रकार से वहां पर जे0 के0 मैन्युफैक्चरिंग मिल है। वह मिल 16 महीने से बंद पड़ी है। हम लोगों ने इस सम्बन्ध में माननीय श्रम मंत्री और मुख्य मंत्री से बातचीत की लेकिन इस मिल के बारे में भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, न निकट भविष्य में कोई निर्णय होने वाला है। नतीजा यह है कि इस मिल के भी 4 हजार मजदूर 16 महीने से बेकार पड़े हैं और भुखमरी के शिकार हो गये हैं, उनके बच्चे सड़क पर घूम-घूम कर भीख मांग रहे है, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का जिक्र नहीं है जिसका मुझे बड़ा ही अफसोस है। इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी मिलें हैं जो बीमार हैं जैसे जयपुर जूट मिल है वहां पर मजदूरों का वेतन समय से नहीं मिल पा रहा है और स्थिति यह है कि जिस प्रकार से स्वदेशी काटन मिल में हुआ वहां पर न हो जाय। इसलिए समय रहते मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि कानपुर की मिलों के बारे में गम्भीरता से विचार करें, वहां पर जनता पार्टी को तो समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है, हम लोगों को भी सड़क पर चलना तक दूभर हो रहा है। हमारे श्रम मंत्री जी कानपुर के हैं, उनसे भी हम कई बार मिले, लेकिन उन्होंने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मैं पुनः श्रम मंत्री एवं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जे0 के0 मैन्युफैक्चरिंग एवं जयपुर जूट मिलों के बारे में शीघ्रातिशीघ्र कोई निर्णय लें।

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक विषम परिस्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कानपुर में पनकी पावर हाउस है जिसमें 2,500 कर्मचारी कार्य करते हैं। वे अपनी मांगों को लेकर काफी दिनों से आन्दोलन कर रहे हैं, कई

बार उनका धरना चला, हड़ताल की भी उन्होंने धमकी दी और आंदोलनों के कारण राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों और पनकी पावर हाउस के प्रतिनिधियों के बीच में 10 अक्तूबर और 2 नवम्बर, 1977 को एक समझौता भी हुआ लेकिन 4–5 महीने व्यतीत हो गये हैं, पनकी पावर हाउस के अधिकारियों ने उस समझौते का पालन नहीं किया और उसका परिणाम यह है कि पनकी के कर्मचारियों में फिर से असंतोष पैदा हो गया है। 8 मार्च से सर्वश्री सुरेश चन्द्र और विजय शंकर शर्मा आमरण अनशन कर रहे हैं और उनकी दशा गम्भीर हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वे पनकी पावर हाउस के प्रशासन से कहे कि जिन मांगों के सम्बन्ध में एक समझौता हो गया था उसका पालन करें, जिससे विस्फोटक स्थिति होने से बचे और जो व्यक्ति आमरण अनशन कर रहे है, उनके जीवन की रक्षा की जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय अधिष्ठाता जी, सबसे पहले मैं अपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं कि आपने मुझे राज्याल के अभिभाषण में चर्चा करने का अवसर दिया। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की बड़े जोरदार शब्दों में सरकारी किताबों में बांटा गया और मैंने उसे पढ़ा भी है, अध्यन भी किया है और उसके पढ़ने से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जिस तरीके से इस मुल्क की कांग्रेसी सरकार का एक दावा था कि भाषण छापकर बांट दिया जाता था और उसे लागू नहीं किया जाता था,मुझे विश्वास है कि अगर राज्यपाल ने इतनी लोकतन्त्र की बात कही है कि लोकतन्त्र स्थापित किया गया है, इमरजेंसी के दौरान जो अखबारों पर सेंसर था उसे समाप्त किया गया है और छात्रों और नवयुवकों का जो उत्पीड़न था उसके मुकदमें वापस ले लिये गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया के आवाहन पर सारे देश के नौजवानों ने अंग्रेजी हटाने के लिए नवयुवकों और छात्रों ने जब अंग्रेजी के बड़े-बड़े बोर्ड जो छपे थे उनको मिटाया था तो आज भी श्रीमन्, उन नौजवानों के ऊपर मुकदमें चल रहे हैं, मुकदमे वापस नहीं लिये गये हैं।

शिक्षा की बहुत सी बातें कही गयी हैं। अब हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि महामहिम को अभिभाषण करने का अधिकार है और हमको सुनने का अधिकार है, जो नहीं भी सुना उसका भी अधिकार है, उस पर कोई पाबन्दी नहीं कर सकते हैं (व्यवधान) (श्री हरी सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये हरी सिंह जी।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

माननीय महामहिम राज्यपाल की यह जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो लोग लोकतन्त्र और डा0 राम मनोहर लोहिया के प्रति घड़ियाली आंसू बहाकर इस सदन में अच्छी-अच्छी बातें करना चाहते हैं उन्हें डा0 राममनोहर लोहिया ने सर्वहारा गरीब मजदूर किसान को संगठित करके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने का आह्वान किया था..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सरकारी पक्ष के लोग न बोलें। अपने नम्बर पर बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुन्दरलाल दीक्षित--

अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का हमने संकल्प लिया है। प्रदेश की जनता की भावना और हितों में यदि यह सरकार और मंत्रिमंडल कोई जन-कल्याणकारी कार्य करता है तो मेरे जैसा व्यक्ति इस सरकार के कार्यों की सराहना करेगा। हड़ताल का अधिकार है संविधान और कांस्टीट्यूशन के तहत, लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर रुड़की यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने का राइट है, यह लोकतांत्रिक है। जिस लोकतन्त्र को आपने छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों के सहयोग से प्राप्त किया है उस लोकतन्त्र के सजग प्रहरी नौजवान छात्र बनारस और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उन पर लाठी चार्ज हो रहे हैं। 8 हजार शिक्षक लोकनायक जय प्रकाश नारायण के आवाहन पर संपूर्ण क्रांति का परिवर्तन करने के लिये, आमूल परिवर्तन के लिये इस उत्तर प्रदेश की न्यायसंगत मांगों को लेकर कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन आयोजनों पर, शिक्षकों के ऊपर आजमगढ़, गोरखपुर और विभिन्न कारागारों में लाठीचार्ज करवाये गये। उम्मीद और आशा बंधी थी कि हमारे शिक्षकों के प्रतिनिधि भी इस विधान सभा में हैं, आशा थी कि जब शिक्षकों की हड़ताल चल रही थी तो माननीय मंत्रि-मंडल की बैठक हो रही है तो कोई ठोस निर्णय लिया जायगा और इन समस्याओं को हल किया जायगा, लेकिन वही व्यवस्था आज भी चली आ रही है कि जो भी विद्यार्थी, मजदूर, किसान युवा संघर्ष करता है तो मंत्रि-मंडल की बठक बुलाकर सारी हड़तालों पर पाबन्दी लगा दी जाती है। संविधान की तहत आपको युवकों, मजदूरों, छात्रों और शिक्षकों आदि पर अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल आदि करने पर पाबन्दी लगाने का अधिकार नहीं है।

रुड़की विश्वविद्यालय के छात्रों की परीक्षा के आज जब कि केवल 2-2 महीने ही शेष रह गये हैं 14 छात्रों को कालिज से निकाल दिया गया है। उनकी जिन्दगी का आज सवाल है। मैंने इसके लिये महामहिम को भी ज्ञापन दिया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मैं स्वयं मिल चुका हूं, मगर आज तक कोई निदान नहीं हो रहा है। केवल 2 महीने उनकी परीक्षा के शेष रह गये हैं। इसलिये इस पर शीघ्र विचार करने की आवश्यकता है।

मैं उस बाराबंकी जिले से आता हूं जहां के समाजवादी नेता रामसेवक यादव ने समाजवादी आन्दोलन को प्रखर बनाने के लिये इस प्रदेश से लेकर पूरे देश भर मे संघर्ष किया था। मुझे बड़ा दुःख है कि बाराबंकी में छात्रों पर बिना जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व परमीशन के पुलिस ने गोलियां चलायीं। बाराबंकी के अन्य विधायक भी वहां मौजूद थे। उन्हें भी मालूम है कि छात्रों पर पुलिस ने बिना जिला मैजिस्ट्रेट के गोली चलायी। सरकार को पता लगाना चाहिये था कि बिना जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा के पुलिस ने छात्रों पर गोली क्यों चलायी? उसमें एक हरिजन छात्र मारा भी गया। 4 छात्र घायल हुए। आज तक उसकी कोई जांच नहीं की गयी।

कानपुर स्वदेशी काटन मिल में मजदूरों पर जो गोली चली उसमें सरकार की ओर से बताया गया कि केवल 11 आदमी मरे, मगर जनता पार्टी के ही एक संसद सदस्य श्री मनोहर लाल ने संसद में ही घोषणा की कि 200 मजदूरों की हत्या उसमें हुई है। भगवान सद्-बुद्धि दे इस सरकार को, संसद सदस्य ने जो सही बात वहां कही है उसे तो यह माने। उस घटना की न्यायिक जांच तक नहीं हुई। मेरी मांग है कि न्यायिक जांच करायी जाय।

बाराबंकी के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये वहां पर डिग्री कालिज खोलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

हमारे यहां कुछ सड़कें ऐसी महत्व की है जो कांग्रेसी शासन काल में भी उपेक्षित रही है। एक तो छन्दरौली रेलवे स्टेशन से कान्हूपुर दुर्गागन्ज-नगरावत तक तथा दूसरी हैदरगढ़ से अवसानपुर घाट तक। यह दोनों सड़कें अवश्य बनवायी जाय। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, आज यह सरकार गांवों की ओर जाने का दावा कर रही है, शहरों के सुन्दरीकरण की जगह गांवों का सुन्दरीकरण पहले किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया अब बैठिये।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

प्राइमरी पाठशालाओं में बिल्डिंग्स नहीं है, उन्हें बनवाया जाय। भूमिहीनों को जो जमीन बांटी गयी है वह मिली नहीं है, वह दिलवायी जाय।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठिये।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

श्रीमन्, सूबे भर में हरिजनों को जमीनें बांटी गयीं और बाद में यह कारण न देकर कि ये जमीने चरागाह हैं, खलिहान हैं, उन्हें नोटिसें देकर, उनसे कब्जा छीना जा रहा है। मेरा सुझाव है कि जिनको जमीनें मिली है, उनको खेती करने दिया जाय, उनकी जमीन छीनी न जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं, साथ ही आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सदन में कुछ कहने का समय मुझे प्रदान किया है। मान्यवर, कुछ कहूं, उससे पहले मैं राज्यपाल महोदय का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने अभिभाषण में गांव की ओर चलो का एक बहुत बड़ा योगदान जनता सरकार का रहा है। जो भी उनका अभिभाषण है वह पूरी तरह से सराहनीय है। मान्यवर, मेरे पूर्व वक्ता और इस सदन के माननीय सदस्य, श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी जो नारा बुलन्द करते है समाजवाद का और जय प्रकाश जी का और चेले बनते है राम मनोहर लोहिया के और काम करते है इस सदन में [×××]....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह शब्द संसदीय नहीं है।

(व्यवधान)

यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

श्री पूरन चन्द्र--

मान्यवर, जो हरिजनों की बात होगी वह मैं कहूंगा। हमारे महामहिम राज्यपाल हरिजन है, उन्हें इन्होंने चमट्टा कहा। यह इस प्रजातन्त्र सरकार में ऐसे माननीय

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री पूरन चन्द्र]

सदस्य को 5 साल के लिये इस सदन से निष्कासित कर देना चाहिये। अरे हरिजनों के नाम पर तुमने 30 साल तक मजे की रोटी सेंकी है और खाई है। वह खाने के स्रोत जो थे वे बंद हो चुके है, तो आज हमारे भोले-भाले छात्रों और छात्राओं के कंधों पर गोली-बारूद रख-कर आवाज उठाते हो। 30 साल तक तुमने हम हरिजनों को बेवकूफ बनाया, कहते थे कि 18 प्रतिशत का रिजर्वेशन है और पोस्टें ऐडवर्टाइज करते थे 3, उसमें वह हरिजन नहीं आते थे। कागजों में 18 प्रतिशत का रिजर्वेशन है, कहां गया आपका रिजर्वेशन, कहां गयी आपकी हरिजनों के प्रति उदारता, जो आप 30 साल तक दिखलाते आये हैं? जहां पर जो अत्याचार पिछली सरकार ने किये है, वहां पर एक झिलौली हरिजनों का गांव है, जहां 88 परिवार हरिजनों का है, उन हरिजनों को बेघर कर दिया। वहां पर पिछली सरकार ने एक मेग्नासाइट का कारखाना लगाया है। जिनके मकान टूट रहे है आज हमारी जनता सरकार आई, तो उनके लिए सोचा। हमारे कांग्रेसी भाई झुठलाते है कि झिलौली का मसला अभी तक नहीं सुलझा है।

झिलौली के मसले को सुलझाने वालों तुम्हीं ने उन हरिजनों को घर से बेघर किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बागेश्वर क्षेत्र में हरिजनों के गांव के बारे में मैंने लिखकर दिया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है क्योंकि अधिकारी वर्ग वही है जिसने इमरजेंसी में डंडे के बल पर प्रशासन किया था। अभी उनके दिल व दिमाग से वही नौकरशाही, नादिरशाही और तानाशाही उतरी नहीं है। तो मान्यवर, इन हरिजनों के गांव और सिविल फारेस्ट को काट दिया गया है और वहां पर आज जो कांग्रेसी हमदर्द है वह बस गये हैं। तो आज क्यों नारा बुलंद करते हो हरिजनों का। इसी प्रकार आज कहा जाता है कि हमारे युवा वर्ग में असंतोष है। मैं तो कहता हूं कि कोई असंतोष नहीं है। जो आज तीस साल से मुर्ग-मुसल्लम खा रहे है वह उस युवा वर्ग को भड़का रहे है। अभी माननीय सदस्य वन मंत्री की बात कह रहे थे। क्योंकि वन मंत्री हरिजन है, राज्यपाल जी हरिजन हैं। जातिवाद को अगर किसी ने बढ़ावा दिया है तो कांग्रेसी सरकार ने दिया है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इन्होंने अपने चरित्र का परिचय दिया है। लेकिन हम जो परिचय देगें वह धैर्य से और सत्यनिष्ठा से और अपने चरित्र को उच्च बनाते हुए देंगें न कि ईंट का जवाब पत्थर से। हम तो एकता, सरकार और राष्ट्र के, समाज के सच्चे सिपाही है और राष्ट्रीय सेवा, समाज सेवा ही हमारा लक्ष्य और साध्य हैं।

इसके अलावा मान्यवर, मैं आज देख रहा हूं कि गांवों में बहुत सी चीजें फैलायी जा रही है जो शहरों में देखने को नहीं मिल रही है इसलिये आये दिन हड़ताल और जुलूस निकाले जा रहे हैं हमारी सरकार किसानों और मजदूरों की सरकार है और इस देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। कांग्रेसी सरकार ने गांव वालों को एक घृणा और नफरत की दृष्टि से देखा है। लेकिन हमारी जनता सरकार ने गांवों को बढ़ाने के लिये गांवों के विकास के लिये पेयजल योजनायें चालू की हैं और कुटीर उद्योगों को लगाया है तथा शिक्षा का विकेन्द्रीकरण किया है तो शहर वालों के जो खाने-पीने के धंधे थे वह समाप्त हो रहे हैं तो उसका वह जवाब दे रहे हैं जुलूसों से और कहते हैं कि यह खिचड़ी सरकार है। हम वह फूल है जो डाल-डाल से आये हैं, हम अलग-अलग फूल है लेकिन हम वह फूल हैं जो एक गुलदस्ते में शोभायमान हैं, विराजमान है और इन फूलों को किसी भी प्रकार से नोचा नहीं जा सकता है।

उनकी खुशबू को उनके द्वारा किसी प्रकार कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि गुलदस्ता जो है जनता द्वारा पानी से डबाडब भरा है। इस सरकार में मान्यवर, सोनार है, लोहार है, चमार है, दस्तकार है, हस्तकार हैं, कलाकार है और शिल्पकार है लेकिन गुनहगार और गद्दार नहीं है।

मान्यवर, एक बड़े मजे की बात है कि पिछली सरकार ने जो जातिवाद और हमारे कर्मचारियों के बीच सेवाओं में जो भेदभाव किया है वह यह है कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी तीन नौकरियां हैं--आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0 और आई0 एफ0 एस0। लेकिन मान्यवर, एक 4 साल का आई0 ए0 एस0 इन्टरी देता है 14 साल के आई0 एफ0 एस0 को। तो यह समाप्त करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि इस सदन में मुझे आपने कुछ कहने का सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद।

(श्री श्याम सुन्दर गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है कि जो आप बुला रहे हैं वह सूची कि आधार पर कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि सूची के बजाय जो सदस्य खड़े हों उनको इंगित करें।

श्री अधिष्ठाता--

मैं ऐसा ही कर रहा हूं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मान्यवर, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद का प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, महात्मा गांधी के सपनों के अनुसार और डा0 राम मनोहर लोहिया की परिकल्पनाओं के अनुसार तथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय के संकल्प के अनुसार ग्रामोन्मुख योजनाओं की ओर पहली बार इस जनता सरकार ने ध्यान देने का प्रयास किया है। इसके पूर्व तक केवल गांधी जी का नाम लेकर चुनाव जीतने वाले लोगों ने गांवों की उपेक्षा की थी। मैं समझता हूं कि जनता सरकार के विपक्ष में बैठने वाले सदस्य इस बात को महसूस करते होंगे कि गांवों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण की योजना हो, चाहे कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में धन के आबंटन का सवाल हो या अन्य ग्रामीण योजनायें हों उन सब में जनता सरकार ने जितना ध्यान दिया है उतना पिछली सरकार ने 30 सालों में नहीं दिया है। इसलिये राज्यपाल महोदय ने गांवों की ओर चलों का इशारा किया है जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस देश की 85 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती हैं इसलिये गांवों के विकास के बिना इस देश का विकास नहीं हो सकता है। इसको सबको स्वीकार करना चाहिये।

मान्यवर, जहांतक राज्यपाल के अभिभाषण में इमरन्सी के शिकार कर्मचारियों की बहाली की बात कही गयी है और इसके साथ-साथ 5 हजार राजनीतिक कारणों से चलाये गये इमरजेन्सी मुकदमों को वापसी की बात कही गयी है तो इस सम्बन्ध में वर्तमान सरकार के प्रति आभार प्रदर्शित किया जाना चाहिये। मैं केवल कुछ घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे और केन्द्र के मंत्रियों ने कहा है कि इमरजेन्सी में, प्राइवेट उद्योगों में लगे कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों, जिनको सताया गया था और जिनकी नौकरी समाप्त की गयी थी उनकी बहाली की गयी है, लेकिन कुछ मामले ऐसे पड़े हैं जिनका कि निस्तारण अभी होना है और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जालौन जनपद में बाटा सेल्समैन, श्री महादेव दास सिन्धी की मीसा बन्दी होने के कारण नौकरी चली गयी थी जिनकी अभी तक बहाली नहीं हो सकी है। इसी

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

प्रकार श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव, प्रिंसिपल, एस0 आर0 पाठक इंटर कालेज, कोच को मीसा बन्दीकाल में नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि एमरजेंसी में उन्हें निकाला गया और जनपद के समस्त विधायक इस बात में रुचि रखते हैं कि वे एमरजेन्सी में सताये गये उनको बहाल किया जाय जो अभी तक अपने स्थान पर नहीं आ सके हैं। इन बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

गुलाब सेहरा जी मालगुजारी में वृद्धि की बात कह रहे थे। वह जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे वह मनमाने ढंग से प्रस्तुत कर रहे होंगे क्योंकि 34 करोड़ की कमी इस जनता सरकार ने की है। पिछली सरकार ने तो किसानों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं रखी थी। मान्यवर, विपक्ष का काम केवल आलोचना मात्र ही नहीं है बल्कि सरकार ने जो अच्छे काम किये हैं उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिये। बिक्री-कर में सरलीकरण की ओर जनता सरकार ने ध्यान दिया। स्वत: कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत 50 फीसदी छोटे व्यापारियों को राहत जनता सरकार ने दी। जनता सरकार की बहुत सी उपलब्धियां हैं। लोक आयुक्त की नियुक्ति जनता सरकार ने की है, जिसकी परिधि में मुख्य मंत्री से लेकर सारे मंत्री और विधायक तक आते हैं। जिन विधायकों का कार्य असंतोषजनक और बेईमानी-पूर्ण होगा उन पर उनके लोक आयुक्त की परिधि में आने के कारण जनता को अंकुश रखने की छूट होगी कि उनको सही रास्ते पर लाने के लिए लोक आयुक्त की शरण में जायं।

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगायी गयी है। जो डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्भर करते थे और रोगियों की ओर ध्यान न देकर उनकी उपेक्षा करते थे अब उनकी निजी प्रैक्टिस पर रोक लग जाने से स्थिति में सुधार होगा और रोगियों को चिकित्सकों की सुविधा पूर्ण रूप से मिल सकेगी। लेकिन जहां यह योजना जनहित में है वहीं कुछ स्वार्थी लोग इस पर कुठाराघात कर रहे हैं जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि जहां निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के कारण डाक्टरों के प्रतिरोधात्मक रवैये के कारण रोगियों को असुविधा न हो। अत: एमरजेन्सी ड्यूटी में बड़े और विशेषज्ञ डाक्टर्स रहें। अगर डाक्टरों में असन्तोष है उनकी निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने से तो सरकार को ध्यान देना होगा कि यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने जो वेतनमान निर्धारित किये हैं वह उनको मिलें। एक ओर मेरा सुझाव है कि निजी प्रैक्टिस बन्द हो जाने से यह दिखाई देने लगा है कि कुछ रोगियों को विशेषज्ञों की राय न मिल पाने के कारण जान से हाथ धोना पड़ा है अत: मेडिकल कालेजों एवं सरकारी चिकित्सालयों में एक कन्ट्रोल रूम बनाया जाय जहां से रोगी की गम्भीर स्थिति होने पर चिकित्सकों को बुलाया जा सके और गंभीर रोगियों को विशेषज्ञों की राय प्राप्त हो सके।

जैसा कि मैंने पहले कहा था कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना मात्र ही नहीं है, सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा भी करनी चाहिये। श्री देव कुमार यादव जो कि कम्युनिस्ट सदस्य है बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की एग्जीक्युटिव के सदस्य चुन लिये गये हैं। कांग्रेस के शासन काल में शायद ही कोई विरोध पक्ष का व्यक्ति चुना गया हो माननीय देव कुमार यादव एवं कांग्रेसी नेता बहुमत में, एग्जीक्यूटिव में पहुंचे, कम से कम इसकी प्रशंसा करते। मान्यवर, मैं बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की गिरती हुई हालत की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आज बुन्देलखंड विश्वविद्यालय में कोई वाइस चांसलर टिकने को तैयार नहीं है। उनकी नियुक्तियां की जाती है लेकिन

वे इस्तीफा देकर चले जाते हैं। कोई ज्वाइन नहीं करता। मैं आपके माध्यम से, मान्यवर, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि झांसी विश्वविद्यालय में तीन वाइस चांसलर आये और चले गये। पिछली बार मलिक साहब आये, लेकिन वे जांच से बचने के लिये इस्तीफा देकर चले गये। सदन में उनके खिलाफ आरोप लगाया, उसकी जांच भी पूरी नहीं हो पायी। उसके बाद जब दूसरे वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई, तो वे दो दिन बाद रिजाइन करके चले गये। फिर रुड़की विश्वविद्यालय के गणित विभाग के जिन महाशय की वाइस चांसलर के पद पर नियुक्ति हुयी, उन्होंने चार्ज ही नहीं लिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके पीछे भी किन्हीं निहित स्वार्थों का हाथ हैं। वहां पर एक वृजवासी लाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप हैं। आयुक्त, झांसी मण्डल उसकी जांच कर रहे हैं। आज वे इन्चार्ज वी0 सी0 के रूप में वहां विराजमान है और यह कहा जाता है कि जो भी वाइस चांसलर वहां आना चाहता है, वे उसे बहका देते है क्योंकि वह चाहते हैं कि वे खुद ही इन्चार्ज वाइस चांसलर बने रहें।

मान्यवर, एक बात की ओर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात के लिये बधाई की पात्र हैं कि सम्पूर्ण योजना का 20% सिंचाई के लिये आवंटित किया गया। मान्यवर, मैं बुन्देलखंड के पिछड़े क्षेत्र से आता हूं। वहां पर सिंचाई के साधन इतने कम हैं कि इसकी कल्पना इस बात से कर सकते है कि एक फसल के लिये केवल 38% सिंचाई की व्यवस्था हैं और 2 फसल के लिये केवल 8% सिंचाई की व्यवस्था है। आपने केवल 20% आवंटित किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि बुन्देलखंड क्षेत्र के लिये समुचित सिंचाई योजना स्वीकृत करने की कृपा करें। अगर वहां समुचित सिंचाई की सुविधायें हो जायं, तो मान्यवर, हम वहां इतना उत्पादन कर सकते हैं कि केवल बुन्देलखण्ड आधे प्रदेश को खाना खिला सकेगा।

मान्यवर, इसी के साथ मैं एक और महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। हमने कृषि मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी से मांग की है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जहां निजी नलकप लग सकते हैं कि वहां 6 इंच कैंविटी के नलकूप किसानों को सरकारी खर्च पर लगाये जायं। किसान पाइप और पम्प का खर्च वहन करने को तैयार हैं। लेकिन सरकारी रिंग मशीन से निःशुल्क खुदाई की व्यवस्था कर दें तो बुन्दलखंड इलाका खाद्यान्नों के मामले में इतनी तरक्की कर सकता है कि वहां खाद्यान्नों की कमी समाप्त की जा सकती है।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोकतन्त्र के नाम की दुहाई देते हैं कि अध्यक्ष की मेज पर चढ़ने, कुर्सी फेंकने और कांच फेंकने से लोक तन्त्र नहीं आयेगा। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि वे लोकतन्त्र के लिये कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें।

*श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर)---

मान्यवर, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार जनता के हितों की बातें की गयी है, वे तो ठीक है लेकिन देखना है कि वे कार्यान्वित कहां तक होती है। इनका कहना है कि हम 10 साल के अन्दर बेकारी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा को मिटाकर रहेंगे और कोई भी बेकार, बेरोजगार तथा अशिक्षित नहीं रहेगा। लेकिन मान्यवर, मैं देखता हूं कि जनता पार्टी के शासन को 9-10 महीने होने वाले हैं लेकिन इस दिशा में इन्होंने कितनी प्रगति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हई सिंह]

की है। देहात में रहने वाले लोग हैं जहां तीस साल की कांग्रेस की हुकूमत में गरीब अधिक गरीब हुआ और अमीर अधिक अमीर हुआ। 19 महीनों की आपात स्थिति में जो घुटन महसूस हुई उसे झेलते हुए जनता ने महसूस किया कि इस सरकार को बदला जाय। जनता सरकार लायी जाय जो अमीरी के पहाड़ को काट सके और गरीबों की गरीबी के पाताल को पाट सके। गांवों में जहां 80 फीसदी जनता रहती है वहां अमीरी तथा सुख-समृद्धि आये लेकिन श्रीमन्, मैं आज तक देख रहा हूं चाहे राजस्व का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, यातायात का अथवा पुलिस का मामला हो इस 80 फीसदी जनता में आज भी घुटन है। कोई काम नहीं हो रहा है। अधिकतर राजस्व के मामले में कचहरियों में अदालतों में गरीब जनता का शोषण अभी तक हो रहा है। इस तरफ कोई अंकुश नहीं रखा गया है। छोटे से छोटे काम के लिए एक लेखपाल गरीब काश्तकार से 10–10, 20–20 रुपये लेता है। इसी तरह से शिक्षा का मामला है, डाक्टरों का मामला है। अभी यह परिस्थिति प्रदेश की 80 फीसदी जनता में व्याप्त है। निर्माण का जो कार्य देहातों में होना चाहिये था वह अभी भी नहीं हो सका है। जो पैसा उद्योग धन्धों के लिए मिल रहा है वह मैं देखता हूं कि गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है, जूता पालिश करने वाले को, फल तथा सब्जी बेंचने वाले तथा रिक्शा चलाने वाले को नहीं मिल रहा है। पैसा मिलता है उनको जिनकी जमानत ली जाती है जिनके पास खेती हो, पक्के मकान हों। यह देख कर पैसा दिया जाता है। वास्तव में पैसा बगैर पैसे वाले को मिलना चाहिये। वह अभी तक उनको प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्रीमन्, जलालाबाद क्षेत्र जिससे मैं चुनकर आया हूं राम गंगा के कटाव से बिल्कुल बरबाद हो गया है लेकिन इस दरिया के किनारे जो काश्तकार हैं उनसे अभी तक लगान लिया जा रहा है। यातायात के साधन भी वहां पर कुछ भी नहीं बन सके हैं। वहां पर न कोई डिग्री कालेज ही है जिससे कि वहां की जनता का कुछ सुधार हो सके।

श्रीमन् जी, कोलाघाट पर मैंने पुल बनाने के लिए सरकार को लिखा। श्रीमन्, जब तक यहां पर पक्का पुल नहीं बन जाता तब तक पेनटम पुल ही बना दिया जाय जिससे गांव वालों को सुविधा हो सके। यह पुल जिला परिषद् के नियंत्रण में है उसे पी0 डब्लू0 डी0 को दे दिया जाय।

इसी प्रकार से हम ग्राम सभा को देखते हैं हमारे मिर्जापुर क्षेत्र में 74 हजार रुपये बी0 डी0 ओ0 ने फर्जी तरीके से कपटरूपी भुगतान किया है जबकि जनता के हित में वह पैसा लगना चाहिये था। इसके लिये मैंने वित्त मंत्री जी से भी दरख्वास्त की थी। उत्तर मिला कि इस की जांच हो रही हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी 74 हजार रुपया हमारी गांव सभाओं को मिलता, उसका गबन हो गया। उसमें बी0 डी0 ओ0 तथा ट्रेजरी आफिसर के यहां के छोटे कर्मचारियों को मुअत्तल तथा बरखास्त किया जा चुका है लेकिन उच्चाधिकारी बचे हुए हैं। मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराई जाय और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको दंड दिया जाय तथा चौहत्तर हजार रुपया वसूल कर मिर्जापुर ब्लाक को दिया जाय। मैं यह कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी की यह सरकार कांग्रेस सरकार जैसी ही है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। इस जनता पार्टी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। स्वर्गीय डा0 राम मनोहर लोहिया के विचारों के अनुसार जिन्दादिल जनता ज्यादा दिनों तक किसी का इन्तजार नहीं कर सकती। आज भी भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ है। चाहे पुलिस विभाग हो अथवा राजस्व विभाग अगर कोई दरखास्त देता है तो अधिकारी कुछ नहीं सुनते और न उस पर ध्यान देते हैं। मिनिस्टरों के पास शिकायत की जाती हैं तो वह शिकायत भी पहले की तरह उन्हीं दोषी अधिकारियों को सौंप दी जाती है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मै आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जनता सरकार की विकासशील नीतियों का दिग्दर्शन किया है उसका उत्तर प्रदेश की सम्पर्ण जनता स्वागत करेगी। जिन मूल्यों को लेकर हमने लोक नायक जय प्रकाश क नेतृत्व में आन्दोलन किया था तथा गरीब किसान, मजदूरों और छात्रों ने कांग्रेसी हुकूमत की सत्ता को उखाड़ फेंका था और नये वातावरण में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई थी और यह आशा थी कि जनता की आशायें पूरी होंगी। मुझे खुशी है कि जनता सरकार अपने मूल्यों तथा आदर्शों के प्रति सजग रहेगी और प्रदेश की करोड़ों जनता की गरीबी मिटाने के लिये, गांव के विकास के लिये यह सरकार अग्रसर होगी। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने के बाद मेरी निश्चित राय है कि जब तक हम अपने मुख्य उद्देश्यों को सफल नहीं बनायेंगे अर्थात् बेरोजगारी दूर नहीं होगी, भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, मंहगाई पर रोक नहीं लगेगी, शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक यह सरकार जनता के कष्टों को दूर करन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगी। आज हालत यह है कि जिन मूल्यों को लेकर हमारे नौजवान आन्दोलन करने को तैयार हुए थे आज उन्हीं उद्देश्यों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नौकरशाही में भ्रष्टाचार की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। जनता पार्टी की सरकार जिन नीतियों को तथा आदर्शों को लेकर चली थी किसानों की; मजदूरों तथा छात्रों की भलाई करने का उद्देश्य उसको सही रूप से कार्य रूप में वह परिणत नहीं कर पा रही हैं। मेरी निश्चित राय है कि चाहे कितनी ही अच्छी नीतियां क्यों न बन जायं, चाहे कितना ही रुपया उन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये क्यों न दिया जाय जब तक ब्यूरोक्रेसी में यह भावना नहीं आयेगी कि वह जनता की सेवक हैं, जनता के उत्थान के लिये है। और वह जब तक अपना बेतन लेती रहेगी तब तक जनता की सरकार की नीतियां अधूरी रह जायेंगी और कोई सही काम वह नहीं कर पायेगी।

आज सम्पूर्ण प्रदेश में छात्र आन्दोलन की समस्या खड़ी हो गयी है, छात्रों में असंतोष की भावना व्याप्त है। आज हालत यह है कि कांग्रेसी भी अपने शासन काल में छात्रों पर बर्बर लाठी चार्ज किया करते थे और आज भी छात्रों पर लाठी चार्ज हो रहा है। इसका लाभ उठाकर कांग्रेसी छात्रों को भड़का रहे हैं। और उनको भड़काते हैं। मैं अपनी सरकार से आग्रह करूंगा कि वह छात्रों की समस्याओं के लिये कोई निदान निकाले, कोई आयोग बना दे या कोई समिति गठित करदे जो कि यह देखे कि छात्रों में क्यों असंतोष है। आज विश्वविद्यालय बन्द हैं, महाविद्यालय बन्द हैं, परीक्षायें नहीं हो पा रही हैं और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं शिक्षा का यह सत्र कार्य ही अवरुद्ध न हो जाय। विरोध पक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि जनता सरकार ने लाठी चार्ज किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अहिंसा के पुजारी पं० कमलापति त्रिपाठी ने स्वयं जनता सरकार से एग्रीमेन्ट किया था कि हम इन-इन रास्तों से अपना जुलूस ले जायेंगे किन्तु आज वे ही अपने इस समझौते को तोड़ कर पुलिस के साथ संघर्ष करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिये। जिन प्रजातांत्रिक आदर्शों और मूल्यों की स्थापना के लिये महात्मा गांधी नें कुर्बानी की थी उन्हीं को कुचलने और अराजकता पैदा करने की आज कोशिश की जा रही है सदन में भी और बाहर भी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वह है किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। किन्तु स्थिति यह है कि ग्रामीण इलाकों में किसानों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि किसानों को अधिक से अधिक बिजली के कनेक्शन दिये जायं, उन्हें नहरों से पानी की सुविधा पहुंचाई जाय। गांवों में सिंचाई विभाग के अधिकारी

[श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी]

और कर्मचारी जाते हैं पतरौल फरजी जांच पड़ताल कर देता है और गरीब किसान से रिकवरी की जाती है । उसकी कुड़की तक कर दी जाती है। यह सब नहीं होना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त गन्ने की तरफ भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस समय गन्ने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। मेरे जिले में 14 चीनी मिलें हैं और आज भी गन्ना खेतों में खड़ा है। चीनी मिलें इस स्थिति में नहीं है कि वे सही ढंग से क्षमता के अनुसार पिराई कर सकें । मैं समझता था कि राज्यपाल के अभिभाषण में गन्ना किसानों की समस्याओं पर विशेष रूप से बल दिया जायगा ताकि उनके हितों का संरक्षण हो सके और उनका गन्ना समय से मिलों में पिराई के लिये आ जाय, लेकिन इस तरफ सरकार या ध्यान नहीं गया है ।

हमारे प्रदेश में अध्यापकों ने जो आन्दोलन किया था वह प्रजातांत्रिक था, मैं मानता हूं । किन्तु उसमें हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्वों का भी हाथ रहा हो । मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इन माध्यमिक शिक्षकों को हड़ताल के समय का वेतन दिया जाना चाहिये । जब उन्होंने स्वतः ही अपनी हड़ताल वापस ले ली, अपनी भूलों को स्वीकार कर लिया तो ऐसी स्थिति में उनको उस समय का वेतन भी दे दिया जाना चाहिये ।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज सम्पूर्ण प्रदेश में अराजकता की स्थिति व्याप्त है और वह बढ़ती चली जा रही है। निश्चित ही ऐसा लगता है कि कुछ असामाजिक तत्वों को बल मिल गया है। इस ओर विशेष बल दिया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्रदेश और जिला स्तर पर अपराध विरोधी शैल गठित किये जायं जो इन समस्याओं के निदान के लिये अपना योगदान दे सके । भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मेरी निश्चित राय है कि कम में कम यह प्रदेशीय सरकार भ्रष्टाचार निवारण के लिये साल भर तक अभियान चलायें । एक सम्पूर्ण वर्ष भ्रष्टाचार निवारण वर्ष मानना चाहिये । जिलों में ऐसी समितियों का गठन हो जाना चाहिये जिससे भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जा सके । मान्यवर, मैं दो मिनट का समय और लूंगा और सदन का ध्यान उस गरीब पूर्वांचल की तरफ लेजाना चाहूंगा जहां की जनता आज भी गरीबी से कराह रही है । हमारे पूर्वांचल के विकास के लिए एक पटेल आयोग का गठन किया गया था । उस पटेल आयोग की संस्तुतियां आज भी रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई हैं । उन संस्तुतियों को लागू करने के लिए सरकार केन्द्र से धन लेने की व्यवस्था करें ताकि पूर्वांचल के विकास के लिए पटेल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सके । पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी को दूर करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा ।

मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से चुन कर आया हूं जहां से हमेशा कांग्रेसी चुन कर आते थे । आज हमारे सामने जब मैं गांवों में जाता हूं तो सड़कों की समस्यायें भयंकर रूप से विद्यमान हैं । गौरीपुर, से हाटा और हाटा से रुद्रपुर तथा मडुआडीह से हातिमपुर तक की जो सड़क हैं उनकी दशा बहुत खराब है। उस पर कई एक्सीडेन्ट हो गये हैं लेकिन अभी तक उस सड़क को ठीक करने के लिए इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया है ।

इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में एक तालाब है उसमें मत्स्य पालन का काम किया जा सकता है । गौरा बाजार में औद्योगिक विकास हेतु सरकार अनुदान दें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

गांवों के विकास के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिये । मैं आपका ज्यादा समय न लेकर इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी इस स्थिति का कांग्रेसी लोग गलत फायदा उठाकर

गावों में लोगों में असंतोष फैलाने का प्रयास करेंगे । इसका लाभ उनको उठाने न दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं ।

*श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारी सरकार का जो गांवों की ओर चलो का आह्वान है वह ऐसा मालूम होता है कि चरितार्थ हो रहा है। दो साल पहिले इमरजेंसी में गांवों में जनता जिस प्रकार दुखी थी उसके मुकाबले में इस 8–9 महीने में किसान को राहत की सांस लेने का मौका मिला है । मान्यवर, स्टेट ट्यूबवेल जो गांवों में लगे हुए थे उसके अन्तर्गत कमान्ड एरिया निर्धारित हो गयी थी अगर कोई। न उससे सिंचाई करे या न करे उसको लगान देना पड़ता था । उससे भी हमारी सरकार ने छूट दिलाई है । इसी तरह से बिजली की दरें घटी हैं । पहले सेठ साहूकारों को और फैक्ट्री वालों को सस्ती बिजली मिलती थी और किसानों को महंगी मिलती थी उसमें भी कमी की गई है और किसानों को सस्ती बिजली दी गई है । तो इससे भी लग रहा है कि गांवों की ओर चलो का जो नारा था वह सही है ।

श्रीमन्, गांवों में उद्योग धन्धों के लिए हमारी सरकार ने काफी रुपया दिया है जिससे गांवों में छोटे छोटे उद्योग धन्धे लग सकें और किसानों की जो बेरोजगारी है वह दूर हो । जिन लोगों के पास खेती नहीं है उनको इससे मजदूरी मिल सकेगी । इन शब्दों के साथ मैं थोड़े सुझाव भी देना चाहता हूं ।

जो रिजरवेशन रखने की स्कीम है उसमें थोड़ी सी खराबी मालूम होती है। रिजरवेशन आर्थिक स्थिति पर होना चाहिये वह चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको सहायता मिलनी चाहिये । चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो अगर वह अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है और दवा नहीं दे सकता है तो उसके लिए रिजरवेशन किया जाय । मान्यवर, जो यह रिजरवेशन किया जा रहा है उसमें कई बड़े लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है । आज गांवों में भी एक लहर पहुंच चुकी है कि रिजरवेशन से बड़े लोगों को फायदा हो रहा है । इसलिए रिजरवेशन उन्हीं लोगों को दिया जाय जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं । इस स्कीम को आर्थिक स्थिति के आधार पर रखा जाय ।

श्रीमन्, थोड़ा सा ध्यान ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन की तरफ खीचूंगा । अभी मुझे अपने जिले में एक जानकारी हुई फैजाबाद जिले में, फैजाबाद डिवीजन के 45 प्रधानाचार्यों की मीटिंग हुई, जिसमें लड़कों ने कहा था कि इम्तहान न लिया जाय । मुश्किल से 10–15 ऐसे होंगे, जिन्होंने कह दिया कि न हो । 55–60 इस पक्ष में थे, जिन्होंने कहा कि समय पर इम्तहान हो जाए । लेकिन जब अफसरों की मीटिंग हुई, जिसमें डी0 आई0 जी0 आदि मौजूद थे, निर्णय लिया गया कि समय से इम्तहान हो और उसके बाद 18–3–78 को जिस बैठक में फैजाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मौजूद थे, मुश्किल से 50 लड़कों ने उनका घेराव किया और उनको बरबस उसके विपरीत निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया । सबेरे के निर्णय और स्थिति के आधार पर जिला प्रशासन ने कोई विशेष पुलिस का प्रबन्ध यानी ला एण्ड आर्डर बनाये रखने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया था । घेराव होने के कारण शिक्षा अधिकारियों को विवश होना पड़ा कि समय से इम्तहान न हो । 6 हजार लड़कों में से मुश्किल से 50–60 के कहने पर, उनके हिंसक और उपद्रवी रुख के कारण एक फैसला कर लिया गया जो इतनी बड़ी संख्या में लड़कों के हित में नहीं है । चन्द लड़कों के कहने पर इतने लड़कों के भाग्य का फैसला हो गया । तो यह स्थिति ठीक नहीं है । मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसी स्थितियों में जरा कड़ाई से काम ले ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विष्णु प्रताप सिंह]

डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक के सिलसिले में भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इससे कोई विशेष आराम लोगों को नहीं हुआ। डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द की जाए, तो निर्धारित नियमों के अनुसार उनको पूरा वेतन दिलाया जाय, तभी उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कराई जाय। जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस से राहत महसूस करते थे कि वक्त बे वक्त आवश्यकता होने पर उनको प्राइवेट डाक्टरों की मदद मिल जायगी, वे इस सहायता से महरूम हो गये हैं। तो इसका बन्द करना हमारी दृष्टि से कोई लाभकारी नहीं मालूम पड़ता है।

मैं अब अपने क्षेत्र के बारे में भी ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारा गोंडा जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है और उसका मुजेहना क्षेत्र विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है। उस क्षेत्र में सड़कों का इतना अभाव है कि कुछ कहना नहीं। 2 लाख की आबादी में वहां कोई लिंक रोड नहीं है। वर्षा के महीने में वहां यातायात के साधन खत्म हो जाते हैं। सरकार ने इधर लिंक रोड का आश्वासन दिया था, लेकिन वह भी धूमिल मालूम पड़ता है। वहां रुपया और चीजें न पहुंचने की वजह से ऐसा मालूम देता है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि लिंक रोड की जो योजना आई है उसको पूरा कराया जाय, ताकि हम लोग कह सकें कि हमारी सरकार हर तरफ ध्यान दे रही है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री ईशदत्त यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री कौशिक जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, राज्यपाल का अभिभाषण एक संवैधानिक औपचारिकता होती है जिसमें सरकार के पूर्व के कार्यों और आगामी वर्ष के कार्यों की एक विशद विवेचना होती है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने, जनता पार्टी सरकार ने पिछले 8–9 महीनों में जो कार्य किए थे, उनका एक विशद विवेचना दिया है और आगामी वर्ष में जनता पार्टी की सरकार के क्या कार्यक्रम हैं, उनका भी उसमें वर्णन किया गया है। उनके अभिभाषण में यह कहा गया है कि इस सरकार ने यह निर्णय लिया है कि "गांवों की ओर चलो।" यह एक मूल मन्त्र है, इस प्रदेश और देश के विकास के लिए और देश तथा प्रदेश की समस्याओं के निराकरण के लिए यही एक मूल फार्मूला है।

यही एक मूल फार्मूला है जिस पर चल कर विकास हो सकता है इस देश का। पिछले तीस वर्षों में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने जो आर्थिक नीति अपनायी उसमें गांवों की उपेक्षा की गयी। सारा कार्यक्रम उन्होंने शहरों के विकास के लिए नगरों के सुन्दरीकरण के लिए बनाया। इसी लिए गरीबी और अमीरी का अन्तर बढ़ा, महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, तमाम समस्यायें बढ़ीं। गांवों की ओर चलने के बाद ही, गांवों के विकास के बाद ही इस प्रदेश की समस्याओं का समाधान हो सकता है क्योंकि जितनी दौलत है सब पृथ्वी के गर्भ में छिपी है। पृथ्वी के गर्भ से उत्पादन की आवश्यकता है। पिछले तीस वर्षों में कांग्रेस के लोगों ने भूल की। पृथ्वी के गर्भ में जो सम्पत्ति छिपी है निकालने का प्रयास नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि गरीबी बढ़ी, गरीब और अमीर का अन्तर बढ़ा और आर्थिक दौड़ में हमारा देश संसार में पीछे पड़ गया। जनता सरकार ने बहुत उत्तम निर्णय लिया है कि गांवों में जहां 86 प्रतिशत लोग रहते हैं उनके विकास के लिए सारा का सारा कार्यक्रम बनाया जाय। महामहिम के अभिभाषण में इसका संकेत किया गया है। खेतों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, बिजली, खाद देने और दूसरे राहत के कार्य करने के लिए जिससे किसान अपने खेतों का उत्पादन बढ़ा सके। इसलिए महामहिम के इस वाक्य का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव का बड़े जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से अपनी सरकार से भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं खास कर अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। उत्तर प्रदेश का पूर्वी अंचल पिछड़ा हुआ है यहां बेहद गरीबी है। किसान की अनेकों समस्यायें हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं हो सका। एक माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो पटेल आयोग की तरफ इशारा किया। मैं चाहता हूं कि पटेल आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाय। मैं यह भी चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई अलग से बोर्ड या आयोग बनाया जाय जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं का अध्ययन करे और सुझाव दे कि वहां के किसानों और गांवों का विकास कैसे किया जा सकता है।

मान्यवर, मैं सरकार से चाहूंगा कि हमारी जो शिक्षा नीति है इस समय बड़ी सोचनीय स्थिति को प्राप्त हो गयी है। आज सभी विद्यालय और विश्वविद्यालय बन्द हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। परीक्षाएं समय से और सही ढंग से नहीं हो पाती हैं। इस सम्बन्ध में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां हर वर्ष लाखों की तादाद में परीक्षार्थी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। परन्तु रिजल्ट कई महीनों बाद निकलता है। कुछ विद्यार्थी जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते, वह पास घोषित कर दिये जाते हैं और अच्छे विद्यार्थी फेल घोषित किये जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं कि जिन विद्यार्थियों का परीक्षा फल निकल गया और फेल हो गये बाद में उत्तीर्ण घोषित कर दिये गये। यह अव्यवस्था गोरखपुर विश्वविद्यालय में है, जिससे 94 कालेजेज अफीलिएटेड हैं। दुनिया में शायद कोई दूसरा विश्वविद्यालय ऐसा नहीं होगा जिससे 94 कालेजेज अफीलिएटेड हों। इस अव्यवस्था के दूर करने के लिये मेरा सरकार से निवेदन है कि पूर्वांचल के लिए अलग से पूर्वांचल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय जो अफीलिएशन देने का और परीक्षा लेने का काम करे इससे शिक्षा पद्धति में सुधार हो जायगा। शिक्षा को सही प्रगति प्राप्त होगी। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर चिन्तन करे कि शिक्षक और विद्यार्थी में जो सम्बन्ध खराब हैं उनको कैसे दूर किया जाय। आज हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति वाईस चान्सलर बनने के लिये तैयार नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, हमारी सरकार ने पिछले 8–9 महीनों में काफी प्रयास किये हैं कि भ्रष्टाचार दूर किया जा सके और शासन को सही दिशा देने के लिए कठोर कदम उठाये हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को और अधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे जो कार्यक्रम लागू किए जाते हैं वह ठीक प्रकार से लागू हो सकें। अगर कठोर कदम नहीं उठाये जायेंगे तो सरकार द्वारा बनाये गये कार्यक्रम ठीक से लागू नहीं हो पावेंगे। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की ओर भी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उसमें इस बात की चर्चा की गयी है कि हमें प्रदेश की उन्नति करना है तो गांवों की ओर चलें। हम इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर सरकार मूल्यवृद्धि को नहीं रोकेगी तो जो भी उसके कार्यक्रम हैं वह सफल नहीं हो पावेंगे और जो समस्यायें हैं वह हल नहीं होंगी। अपनी जगह पर ज्यों की त्यों बनी रहेगी। जो चीज है उनको समुचित मूल्य पर मिलने की व्यवस्था हमारी सरकार को करना चाहिए। इन शब्दों के साथ माननीय कौशिक जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं पुनः समर्थन करता हूं और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का आपने अवसर प्रदान किया।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार प्रकट करने के लिए जो समय दिया....

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने श्री अजीत सिंह सेठी को समय दिया है।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैंने संशोधन मूव किया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप को उसके लिए समय मिलेगा।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, उस दिन का दृश्य हमारे सामने आता है। उस दिन हम जेल भेज दिये गये थे। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया सदन में शांति बनाये रखें इससे सदन के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है।

श्री अजीत सिंह सेठी—

उस दिन दोनों सदन बैठे थे। उस दिन का दृश्य बहुत ही चिन्ताजनक रहा है। एक सदन ने अपनी चिन्ता प्रकट की है कि यह मान हानि हुई है तो अधिष्ठाता महोदय, दूसरा सदन भी चिन्ता प्रकट करे। श्रीमती तिवारी जी को, माननीय सिन्हा साहेब को मारपीट होने से चोट आयी, यह बड़ी चिन्ताजनक बात है। अगर हमें इस का हल निकालना है तो दोनों सदनों की एक संयुक्त कमेटी बना दी जानी चाहिए जो इस मामले पर विचार करे। यह बड़ी गम्भीर समस्या है जिस पर सारे प्रदेश को चिन्ता है। उसका हल एक प्रकार से ही निकल सकता है कि एक संयुक्त कमेटी बना दी जाय।

अब मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रख रहा हूं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जनता पार्टी की नीतियों का, इनकी योजनाओं का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है पर मैं महसूस करता हूं कि जिस सरकार का उन्होंनें जिक्र किया है वह है कहां? न वह सरकार है और न जनता पार्टी है। जनता पार्टी की सरकार ने 17 तारीख को प्रतिबन्ध लगाया, ठीक किया लेकिन इतना पैसा खर्च करके जनता के पैसे से खिलवाड़ किया है, पुलिस का प्रबन्ध किया, और अश्रु गैस छुड़वाई और फिर छोड़ क्यों दिया गया? यह महज खिलवाड़ है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन उसका नाम है जो लोगों को सेफ गार्ड करे। यह तो रुपये की, जिसे आप विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा कर वसूल करते हैं, बरबादी है।

अब मैं अपने जनपद में बड़ौत के बारे में जो छपरौली क्षेत्र में है, का जिक्र करना चाहता हूं। वहां पर एक निजामुद्दीन नाम का एक बच्चा था उसके लिए वहां पर एक मीटिंग हुई लेकिन उस पर लाठी चार्ज किया गया और आज तक भी उस लड़के का पता नहीं है कि वह कहां है। एक कांड केरल में राजन के नाम से हुआ तो यह निजामुद्दीन भी किसी अल्पसंख्यक मेरे भाई का बच्चा है, आप सोचें कि उसकी स्थिति क्या होगी। यह हुकूमत नहीं है। उसी छपरौली क्षेत्र में एक श्री राम स्वरूप नाम के यहां डकैती पड़ी, रिपोर्ट लिखवाने गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। उसके घर वाले मेरठ गये और नतीजा यहां तक हुआ कि मेरे क्षेत्र

मेरठ में आया और कोशिश के बाद उसकी रिपोर्ट लिखी गयी लेकिन नतीजा क्या निकला ? जनता पार्टी के शासन काल में यह उस इन्सान की सुरक्षा का हाल है जिसपर वह हुकूमत करना चाहती है । मेरठ कालिज में, होस्टलों में और कालेजों में बच्चों पर जो वहां रहने वाले थे, शिक्षा पाने वाले थे, उन पर गोली भी चली, लाठी चार्ज भी हुआ और जब मैंने जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग की तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । क्या यह कोई सिद्धांत की बात है कि उन बच्चों को होस्टलों में पीटा गया और उनके पैसे छीन लिए गये? यह हुकूमत जनता पार्टी की है जिसमें सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है । आज जनता अपनी सुरक्षा पहले चाहती है लेकिन माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जनता सरकार को चेतावनी नहीं दी कि वह अच्छा कदम उठाये और जनता की सुरक्षा करे ।

महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में गांवों को उठाने के लिए उनका उत्थान करने के लिए जिक्र किया है लेकिन आज गांवों की हालत यह है कि वहां पर गन्ने के मामले में किसान बड़ा परेशान है। अगर अक्तूबर में मिल नहीं चले तो यह किसका कसूर है, यह हुकूमत का कसूर है और अगर नहीं चले तो उसने क्यों नहीं सोचा कि दिसम्बर में एक निश्चित दाम पर गुड़ मंडियों से खरीदा जाय। जिस प्रकार से सरकार की ओर से गेहूं लिया जाता है उसी प्रकार किसान अपने गुड़ को सरकार को बेच सकता है और वह उस गन्ने को पेर कर गुड़ बना लेता। आज किसी सूरत में उस किसान की दुर्दशा का समाधान नहीं कर पा सकते और यह मामला 2–3 साल का है। आप उस किसान के मुताल्लिक खड़े होकर कहते हैं कि उसका उत्थान कर रहे हैं लेकिन गांव का उत्थान तो आपने गिराया है और शहरियत में जो गांव का सरमाया लगा है.....

(लाल बत्ती जलने पर) मुझे 10 मिनट दिये गये हैं । मुझे अभी और समय मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बोलिये, 2 मिनट हैं, एक मिनट और ले लीजियेगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदन के अन्दर माननीय सदस्यों के द्वारा बोलने के लिए नियम हैं, परम्पराएं हैं । जो बोल रहे हैं उनको चाहिये कि वह आपको संबोधित करें और आपकी ओर देख कर बोलें, चारों ओर मुंह नचा कर बोलना सदन की परम्परा नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप हमारी तरफ देखिये ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

पश्चिमी इलाका जो है उत्तर प्रदेश का वह अरसे दराज से हाई कोर्ट की मांग करता रहा है और यह साधारण मांग है उस इलाके की सस्ता न्याय प्राप्त करने की लेकिन आज तक जनता गवर्नमेंन्ट ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया.....

श्री अधिष्ठाता--

आप मेरी तरफ देखें ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

इसके लिए सिर्फ गजट कराना था बाकायदा प्रश्न करके लेकिन इस सरकार द्वारा अभी तक वह गजट नहीं कराया जा सका। मेरा यह कहना है कि इस नीली छत के नीचे हम यह नहीं चाहते कि गंगा नदी को तकसीम करेंगें, लेकिन जब तकसीम हो जाय तो क्या हाई-कोर्ट की बेंच नहीं बनेगी? जब उस अवस्था में बन सकती है तो इस तरह की मांग को जरूर स्वीकार करना चाहिए ।

मेरे पास अल्पसंख्यकों की डिमांड है, सिक्खों की गुरु गोविन्द सिंह की बर्थ डे की छुट्टी इससे पूर्व मांगी गयी थी और मंजूर हो गयी थी, गजट नहीं हुई थी । लेकिन यह सरकार ने जो अल्पसंख्यकों के हकूक के तहफ्फुज का बड़ा दम भरती है उसको खत्म कर दिया । उसके साथ गवर्नमेन्ट स्कूल . . . . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

आर० एस० एस० के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सिक्ख लोग अपना गुरु पर्व मनाने के लिए नहीं पा सकते, यह कहां का न्याय है ?

उर्दू जबान के लिए आज तक इतनी कोशिशें हो रही है और उसके लिए कितनी आवाज उठायी गयी कि उसको तहफ्फुज मिलना चाहिये, आज तक कोई . . . . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त करें । आपका समय ज्यादा हो गया ।

*श्री ख्याली राम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बधाई दे दूं कि मुझे बोलने का मौका मिला । मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करने जा रहा हूं, लेकिन साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरी अभिलाषा है कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री और जिन्होंने प्रस्ताव रखा है वह उसमें मेरे इन संशोधनों को शामिल कर लें ।

आज हमारी जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो कुछ आदेश हैं और प्रशासन के जो कार्यक्रम हैं वह बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी भावना है । उदाहरण के तौर पर जो बतलाया और घोषणा की गयी कि हमने सबसे अधिक बजट का हिस्सा देहात पर खर्च करने के लिए रखा है, लेकिन हो रहा है उसके विपरीत किसानों का बजाय हित के अहित हो रहा है । उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन कर दूं कि इस समय प्रदेश में गन्ने की जो लूट हो रही है, उसके द्वारा जो किसान लुट रहा है उसको लूटने से रोकने के लिए हमारा जो शासन है वह सक्षम नहीं है । उदाहरण के लिये मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी और हमारे शासक यह कहते हैं कि जो हमने मूल्य निर्धारित किया है और उसी के लिये कोशिश कर रहे हैं । लेकिन हो उसके विपरीत रहा है । सरकार ने 9.40 रुपये रेट निश्चित किया है, मगर किसानों को, 90 प्रतिशत को तो 3.6 रुपये का रेट दिया जा रहा है और 10 प्रतिशत किसानों को 6.7 रुपये का रेट मिल रहा है । जब से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह अभियान चलाया कि हम किसानों को पूरी कीमत दिलायेंगे, मेरे जिले मुरादाबाद में वे गये भी, तब से किसानों को और कम मिलने लगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है। उसके पहले तक किसानों को 9 रुपये तक का रेट मिल रहा था। जब से सरकार ने 9.40 रुपये किये हैं, किसानों को और भी कम मिलने लगा है। जो क्रशर्स वाले 9 रुपये का रेट दे रहें हैं वे भी 7 रुपये देने लगे। 10 परसेंट किसानों को ही यह मिल रहा है, शेष को तो इससे भी कम 3 से 5 रुपये का रेंट ही मिल रहा है। क्रेशर वालों का कहना है कि मुख्य मंत्री जी कहते है कि चाहे जैसे भी हो क्रेशर चलाओ इसलिए वह मनमानी कीमत दे रहें हैं। किसान को लूटा जा रहा है। मै जानना चाहता हूं कि आपने जो अभियान चलाया उसके बाद कितने लोगों को कम रेट देने के लिये पकड़ा, कितनों का चालान किया या कितनों को नोटिसें दी गयी।

भ्रष्टाचार का जहां तक संबंध हैं, हम जानते हैं सरकार की यह भावना है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। मगर सही बात यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चाहे सहकारिता विभाग को लें, चाहें अन्य किसी विभाग को लें सभी विभागों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गन्ना विकास विभाग में तो इतना भ्रष्टाचार मैंने पहले कभी देखा ही नहीं जितना कि आज कल है। ग्राम सेवक 50–50 रुपये लेकर परची बेचते हैं। अन्डर वेट तौलते है। मैंने कई एक के बारे में शिकायत की, लिखा कि इनका पेमेंट रोक दिया जाय, मगर पेमेन्ट कर दिया गया। यहां बड़ा भ्रष्टाचार है। 2 की जगह 40 लिख देते हैं। 4 की जगह 400 कर देते हैं। मैंने कहा था कि स्क्वाड भेजकर चैंकिंग करवायी जाय, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

मान्यवर, जो साधन सहकारी समितियां हैं उनमें भी बड़ा भ्रष्टाचार है। वहां तो इसका बोलबाला ही है। किसी ने दो सौ रुपये लिया तो उसके नाम 2 हजार कर दिया। जिसने लिया भी नहीं, उसके नाम कर्ज चढ़ा दिया। उससे उस वक्त वसूली भी नहीं की ताकि उसे पता न हो जाय। क्योंकि अगर वसूली उस वक्त होती तो वह कह सकता था कि उसने तो रुपया लिया ही नहीं यह वसूली क्यों हो रही है। फिर अब बाद में उससे इतने वर्षों बाद वसूली की कार्यवाही हो रही है। इमरजेन्सी के बाद जब जनता सरकार शासन में आयी तो लोगों को कुछ राहत हुई, मगर अब फिर बैंक वाले पुलिस वालों की मदद से किसानों से जबरन वसूली कर रहे है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम सत्यापन करायेंगे, लेकिन उसके बावजूद यह हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारी सरकार की भावना अच्छी है, मगर उसका कोई अर्थ नहीं जब तक कि किसानों को राहत न हो। सत्यापन में किसानों ने रसीदें भी पेश कीं, कुछ महीने तो खामोश रहें, मगर फिर वसूली शुरू हो गयी है। जिन किसानों ने पैसा लिया ही नहीं उनको परेशान किया जा रहा है और उनसे वसूली हो रही है। इस प्रकार से असंतोष है। उस असंतोष को दूर करने में हमारा शासन असफल रहा है। इतना ही नहीं है, बल्कि हमारी नीतियों ने आज लाखों अध्यापकों को हमारे खिलाफ कर दिया और वे आज लाखों अनर्गल बातें कह रहें है। इस प्रकार से डाक्टर्स के साथ हमारी ऐसी पालिसी रही। लेकिन उस समय भी हमने उन डाक्टरों को नाराज किया। यह जरूर है कि उन्होंने वापस ले लिया लेकिन उन्होंने हमारी सख्त नीतियों के कारण वापस ले लिया। इस प्रकार से असंतोष हम नहीं दूर कर पाये।

तो मैं यह निवदन करना चाहता हूं। इतना ही नहीं जो हमारे पास घटकवाद की भावना है, वह व्याप्त है। मुझे अपना अनुभव है। एलेक्शन में डेढ़ महीने तक मेरे क्षेत्र में कांग्रेस की कोशिश रही। हमने यह निवेदन किया कि इसकी जांच की जाय। लेकिन आज तक किसी ने जांच नहीं की। मैंने एक ट्रांसफर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से निवेदन किया, मेरे पास एक लेटर आया कि उसका ट्रांसफर कर दिया। लेकिन मुझे यह खबर मिली कि यह चूंकि सी0 एफ0 डी0 का आदमी है, इसलिए उसका ट्रांसफर भी कैंसिल कर दिया गया। तो यह हमारा शासन असमर्थ रहा है प्रान्त की समस्याओं को हल करने में। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस प्रान्त के हित में,इस प्रान्त के दो या तीन टुकड़े कर दें। तो उससे देश उन्नति कर सकता है। जैसे हरियाणा है, वह देखिये इस समय कितनी तरक्की पर है। इस प्रकार इस प्रान्त के दो-तीन टुकड़े कर देने से हमारा देश उन्नति के शिखर पर अग्रसर हो जायगा।

*श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन करता हूं और उनकी नीतियों का समर्थन करता हूं जो उन्होंने सरकार द्वारा संचालित नीतियों की व्याख्या की। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ बातों का उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में होने से रह गया, जो कि बहुत आवश्यक था, जैसे भूमि कटाव की समस्या हमारे प्रदेश में खासतौर से है उन इलाकों में जहां पर भूमि नदियों से प्रभावित होती है, भूमि कटाव होता है, बाढ़ से बरसात के दिनों में। मेरे जिले सहारनपुर में खादर का इलाका है,वहां पर 1500 बीघा जमीन भूमि के कटाव से बरबाद हो गयी है। वहां के लोग मांग करते है कि उनका जो नुक्सान हुआ है,उसका मुआवजा दिया जाय। इसी तरह से मध्य के जिलों में जहां-जहां भूमि कटाव से प्रभावित होती है, पिछले 30 सालों तक उसका समाधान नहीं हुआ है। वह समस्या आज भी जैसी की तैसी खड़ी है। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहना हूं।

दूसरी बात जो विशेषत: उल्लेख करने से रह गयी है, वहयह है कि जहां पर चकबन्दी होना बाकी है, पिछले शासन ने चकबन्दी की थी, लेकिन कुछ विवादास्पद ऐसे क्षेत्र रह गये हैं जहां पर चकबन्दी होना बाकी है। हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र, तहसील रुड़की,जिला सहारनपुर में इक्कड़-कला, सुभाषगढ़, दीनापुर आदि ऐसे स्थान हैं, जहां पर चकबन्दी के विवादास्पद मामले पड़े हुए हैं। सुभाषगढ़ में दलदल है 2000 बीघा जमीन में, वहां के किसान,गांव वाले इसको ठीक करवाने के लिये खर्च को भी देने के लिए तैयार हैं, उसको ठीक कराना बहुत आवश्यक है। हमारे क्षेत्र में जहां पर चकबन्दी होना बाकी है,वहां की ग्राम सभा मांग कर रही है कि वहां पर चकबन्दी शीघ्र होनी चाहिये। कुछ बड़े लोगों ने जमीनें दबा रखी हैं, जब वहां पर चकबन्दी के लोग आते हैं, तो व लोग उन अधिकारियों को प्रभावित कर लेते हैं, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि वे बड़े लोग आज भी जमीनों को दबा रखे हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में जब से नगर-पालिका के हाथ से बेसिक शिक्षा लेकर परिषद् को दी गयी है तब से बेसिक शिक्षा का बंटाधार हो गया है। जो बेसिक शिक्षा के स्कूल चल रहें है उनमें रख रखाव और साज-सज्जा का अधिकार नगरपालिका को दिया है और दूसरे कामों को बेसिक शिक्षा परिषद् को सौंपा है। नगर पालिका का कहना है कि हमारें पास पैसा नहीं है। तमाम बिल्डिंग्स टूटी पड़ी हैं। मेरे क्षेत्र में हरिद्वार में ज्वालापुर में ऐसे स्कूल हैं जिनकी छत नहीं है। यदि छत है तो टूटी है जो बरसात में चूती है। बरसात में लड़कों की छुट्टी, पानी बरसने पर कर दी जाती है। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। जो साज-सज्जा का अधिकार नगर पालिकाओं को दिया गया है या तो उनसे ले लिया जाय और बेसिक शिक्षा परिषद् को दिया जाय या तो नगरपलिकाओं को इसके लिये धन दिया जाय। मैंने अपने यहां के प्रभारी अधिकारी से कहा तो उनका उत्तर होता है कि शासन ने हमें इस काम के लियें पैसा नहीं दिया है।

मान्यवर, मैं आरक्षण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी थी। 10 साल के बाद उनको फिर यह सुविधा दी गयी और फिर 10 साल के लिये इस सुविधा को बढ़ा दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के अन्दर भी बड़े जमींदार, आई0 ए0 एस0 और एस0 पी0 तथा अन्य अधिकारी है जिनकी आमदनी हजारों रुपये महीने है। मेरा कहना है कि ऐसे लोगों के नाम इस लिस्ट से काट देने चाहिये और जो समाज के वास्तव में पिछड़े लोग हं उनको सुविधायें देनी चाहिये। गांव का जो चर्मकार है जो सड़क के किनारे बैठकर जूता गांठता है वह सच्चे अर्थों में इन सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकारी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दूसरी जातियों में भी गरीब लोग मिलेंगे । तथाकथित ऊंची जाति के लोग भी रिक्शा चलाते हैं और कुलीगीरी करते हैं । यह सुविधायें उनको भी मिलनी चाहिये । आरक्षण का जो प्राविधान है वह आर्थिक आधार पर होना चाहिये । मिसाल के तौर पर मान लीजिये कि 300 रुपये आमदनी वालों को यह सुविधा दी जायगी तो जिस दिन जिसकी आमदनी 300 से अधिक हो जाय तो उसका नाम लिस्ट से काट दिया जाना चाहिये । नहीं तो इन लोगों का नाम लिखा रहेगा और यह सुविधाएं लेते जायेंगे । मेरे क्षेत्र में ज्वालापुर में एक जाति रहती है जो अपने को राजपूत कहती थी । उनसे कहा गया कि अगर तुम लोग हरिजन वर्ग के हो तो तुम्हारा नाम लिस्ट में दर्ज किया जायगा । लेकिन उन्होंने कहा कि हम राजपूत हैं पिछड़े वर्ग के नहीं हैं । लेकिन 10 साल पहले उन राजपूतों ने अपना नाम पिछड़े वर्ग में लिखा लिया है और सुविधायें प्राप्त कर रहे हैं । तो मैं आपके माध्यम से इन त्रुटियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाय ।

मान्यवर, सुभाषगढ़ में दो सौ सैनिक परिवार रहते हैं । यह पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं और सन् 47 से इन्होंने इस जमीन को हरा भरा किया है । लेकिन वहां पर 2 हजार बीघे की भूमि में दलदल है जिस पर केवल एक फसल धान की होती है । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि सुभाषगढ़ के दलदल को दूर करने के लिये प्रयास किया जाय । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब में पटियाला में 7 हजार बीघे में और गुरदासपुर में साढ़े तीन हजार बीघे में दलदल था । लेकिन वहां की सरकार ने एक्सपर्ट्स को बुलाकर सर्वे कराया और वह दलदल जमीन ठीक हो गयी है, वहां पर 12हों मास खेती होती है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ।

आज आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक छात्र विधान सभा के सामने अनशन कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाय और अगर इनको सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता हो तो इनको सुविधायें प्रदान की जायं । हजारों छात्र जो हमारे देश और प्रदेश की भावी पीढ़ी में माने जाते हैं यदि वह इस तरह वीरान होते हैं और अन्दोलन में भाग लेते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिये वह अच्छा नहीं होगा।

मान्यवर, म भ्रष्टाचार की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पिछले 30 सालों में भ्रष्टाचार सुरसा के मुंह की तरह और हनुमान की पूंछ की तरह हमारे देश और प्रदेश में बढ़ा है । 1952 में जब डा0 श्यामा चरण मुकर्जी ने कानपुर में जनसंघ के अधिवेशन में घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार की शुरुआत हो रही है । तो उस समय तत्कालीन सरकार की ओर से कहा गया था कि उनको हर तरफ भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है और कोई भ्रष्टाचार नहीं है । सन् 1956 में जनसंघ के अधिवेशन में इस मांग को फिर दोहराया गया कि भ्रष्टाचार को हटाने की तरफ सरकार सक्रिय हो तो उस समय फिर ध्यान नहीं दिया गया और कहा गया कि उनके दिल और दिमाग में भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार ही घुसा हुआ है । देश और दफ्तरों में भ्रष्टाचार नहीं है । मान्यवर, 30 सालों में भ्रष्टाचार 100 गुना बढ़ गया है । मैं समझता हूं कि दफ्तर के जो प्रोसीजर बने हैं वह भ्रष्टाचार को उत्पन्न करते हैं, वह खराब होने से भ्रष्टाचार पैदा होता है । आज भी वही व्यवस्था चल रही हैं । इसलिये मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि दफ्तरों के प्रोसीजर को सरल और हल्का बनाया जाय ताकि आदमी बिना रिश्वत लिये और दिये अपना काम निकाल सके । हम सभी जानते हैं कि लखनऊ के दफ्तरों में भीड़ रहती हैं । सेक्रेटरी और मंत्री के दफ्तर में हम लोगों की भीड़ रहती है । उसका कारण यह है कि

[श्री राज कुमार शर्मा]

नगरपालिकाओं की समस्यायें, वहां के अधिकारी तहसील और जिला स्तर पर नगरों की समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं। यदि वह समस्यायें हल हो जायं तो उनको लखनऊ न आना पड़े और अपना पैसा बेकार में न खर्च करना पड़े। इसलिये मै सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध मे कड़े आदेश दें तकि जिलास्तर और तहसील स्तर तथा नगर पालिका स्तर पर काम निपट जाय और लखनऊ में भीड़ न हो। इसके साथ ही मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मान्यवर, मैं आपको धन्यबाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, कोरम घट रहा हैं इसलिये आप घंटी बजवा दें।

(घंटी बजाई गयी) (थोड़ा रुककर)

श्री अधिष्ठाता—

कोरम ठीक हैं।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, चाहे वर्तमान सरकार रही हो या पिछली सरकार लेकिन अभी तक परम्परा रही है कि जो भाषण छप कर प्रस्तुत होते हैं वह सरकार की नीतियों के कार्यकलापों के अनुसार इसमें होते हैं। वह केवल राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलवाया जाता है। यही इनकी घोषणाओं की हालत है। चाहे जनता पार्टी के राज्यपाल की घोषणा हो चाहे दूसरी कोई घोषणा हो, हमारा देश तो घोषणाओं और नारेबाजी का देश हो गया है। उसके पीछे हर सरकार का चरित्र रहता है, उसका दोहरा मापदंड रहता है। जो सरकार सत्ता में बैठती है उसकी आंखों में चश्में सरकारी चढ़ जाते हैं और विरोध के चश्मे उतर जाते हैं। जब सत्ता के लोग विरोध पक्ष में थे तो वह आन्दोलन को मान्यता देते थे। जय प्रकाश नारायण जी आन्दोलन कर रहें थे तथा देश में और आन्दोलन हो रहे थे। तो उस समय जो सरकारी स्तर से कार्यवाही होती थी उसका विरोध यह लोग करते थे और सरकार समर्थन कर रही थी। लेकिन आज वही आन्दोलन जब विरोधी पक्ष के लोग करते हैं तो सरकार उसको नहीं मानती है। तो यह दोहरा माप दंड क्यों है? संजय गांधी की सभा में लाखों जनता बटोरने के लिये बसें, ट्रकें, ट्रैक्टर्स और सारी चीजों की छूट दे दी जाती थी और कोई प्रतिबन्ध नहीं होता था। सरकारी दफ्तर बन्द होते थे तब उनके प्रदर्शन होते थे, मीटिंग्स होती थीं और उनका विरोध उस पक्ष वाले जो आज जनता सरकार में बैठे हैं, करते थे। लेकिन जब यह सत्ता पक्ष में आ गये तो माननीय चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस मनाने के लिये सारी ट्राली, ट्रैक्टर लगा दिये गये। सत्ता पक्ष में बैठने पर पूरी छूट अपने पक्ष में कर लेते हैं।

आज किसान या छात्रों का जो आन्दोलन सड़कों पर उभर रहा है इसका औचित्य ये स्वीकार नहीं करते। क्या इसका सिर्फ राजनीतिक कारण है या इसके पीछे असंतोष है, सच्चाई यह है कि इन आन्दोलनों के पीछे जनता में व्याप्त असंतोष है। यहां पर भ्रष्टाचार की बात चली विद्यालयों के प्रसार बन्द होने की बात कही गयी, पुलिस लगाने की चर्चा चली फिर भी इस अभिभाषण का समर्थन करते हैं। पता नहीं असलियत को स्वीकार न करने में क्या औचित्य है। आज जो असंतोष व्याप्त है वह केवल इसी से नहीं मिटेगा कि भ्रष्टाचार कम हो जाय या किसी को कुछ सुविधा दे दी जायं। आज जो वर्ग संघर्ष है वही इसका मूल कारण है। अगर संपत्ति के अधिकार को संविधान से निर्मूल कर दिया जाय तो यह

असंतोष मिट जाय । जब तक संपत्ति का अधिकार रहेगा और यह होगा कि जो जितना लूट सकता है, लूटता जाय तब तक यह असंतोष दूर नहीं होगा और यह वर्ग भेद बना रहेगा ।

आज चारों ओर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि 12 परसेंट पी0डब्ल् डी0 में हैं, 15 परसेंट नलकूप में, 2 परसेंट रजिस्ट्री में, दो परसेंट म्युटेशन केसेज में हैं और इसी तरह से ऐजूकेशन और दूसरे विभागों में हैं जहां परसेंटेज बंधा हुआ है। पता नहीं इसमें से कुछ परसेंटेज मंत्रियों को भी मिलता है या नहीं । मेरा यह सुझाव हैं कि अगर सरकार इस भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकती तो इसको कानूनी मान्यता दे दें जिससे कि कम से कम हम तनख्वाह बढ़ाने से फुर्सत पायें । मैं समझता हूं इससे मंत्रियों को भी हिस्सा मिलने लगेगा । आप भ्रष्टाचार रोक नहीं सकते । क्योंकि चेहरे वही हैं । हां कुर्सी या टोपी बदल गयी । जो हाल कांग्रेस सरकार का था वही इनका भी है । यह कह कर आप नजात लेना चाहते है कि कांग्रेस के 30 वर्षों के काले कारनामें धो रहे है और कांग्रेस वाले कहते थे कि गुलामी को धो रहे थे । कांग्रेस ने जो किया उसका जवाब तो जनता ने उनको दे दिया। जनता आपसे यह नहीं सुनना चाहती कि आप कांग्रेस के लिये क्या कर रहें है।

पिछली सरकार ने सन् 75 में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कायम किया था । उस पर कार्य भी शुरू हुआ लेकिन बीच में कोई आदेश आया और कंस्ट्रक्शन रुक गया । वहां सभी अधिकारी हैं, जो बैठे हैं और तनख्वाह ले रहे हैं । कार्य कुछ हो नहीं रहा है । पता नहीं सरकार के अन्दर कितना ही हांचपांच है, कितनी नान स्टेबिलिटी है । पूर्वाञ्चल के विकास के लिए इतनी बड़ी संस्था स्थापित की गयी लेकिन यह सरकार अभी तक निश्चय नहीं कर सकी कि वह बनेगी या नहीं । वहां सारा स्टाफ बेकार पड़ा हुआ है। सारा मैटेरियल सड़ रहा है, सारी ग्रांट खराब हो रही है । यह इनकी निष्क्रियता के परिणाम हैं, नतीजे हैं। इसी तरह से गन्ने की समस्या के बारे में बात है । इसी तरह से अन्य तमाम समस्यायें हैं । मेरा, मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हम सबको मिलकर इन समस्याओं से निपटना चाहिये । हम लोग यहां केवल विरोध करने के लिये ही नहीं आते । हम तो चाहते हैं कि हम रचनात्मक विरोध करें जो आपके हित में हो, जनता के हित में हो और सदन की कार्यवाही के हित में हो । मान्यवर, आज पुलिस विभाग की बात है और दूसरे विभागों के बारे में बात है । मान्यवर, यह सरकार भ्रष्टाचार के असीम कगार पर खड़ी है । ये उससे बुरी तरह से जूझ रही है।

मान्यवर, अब मैं अपने जिले की बात करना चाहता हूं । हमारे जिले में जलालपुर नाम का एक कस्बा है जिसमें 10 हजार मजदूर रहते हैं । इस कस्बे में कई लाख का उत्पादन होता है । देश और प्रदेश के कोने-कोने से लोग इस कस्बे में आते हैं और आकर करोड़ों रुपये का कपड़ा खरीदते हैं । लेकिन, मान्यवर, यह कस्बा न तो किसी रेलवे लाइन से जुड़ा है और न ही वहां पर आने जाने के लिये कोई रोड है । अभी हमारे एक अखबार के सम्पादक श्री चन्द्र भूषण आचार्य 8 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं । पचासों तार, मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को इस संबंध में आ चुके हैं और निर्माण मंत्री जी के पास तार आ चुके हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई आश्वासन अभी तक नहीं गया है । मान्यवर, 10 लाख हफ्ते में उस कस्बे में आमदनी होती है लेकिन 1 लाख की सड़क बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । उससे सरकार को काफी फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है । मान्यवर, हम लोग तो जनता सरकार तक जनता की ही आवाज पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसको भी बदले की भावना से देखा जाता है ।

इन शब्दों के साथ संशोधन के साथ मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद) ---

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यबाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ी हुयी हूं । मान्यवर, इधर 8/9 महीनों से जबसे जनता सरकार आयी है, जो कुछ भी कदम उठाये गये हैं हर विभागों की तरफ से वे जनता की सुविधा के लिये और देश और प्रदेश की तरक्की के लिये कदम उठाये गये हैं । मान्यवर, इस सरकार के बनने से पहले प्रदेश में जो बिजली का भारी संकट था, हमारे प्रदेश में हजारों मजदूर बेकार पड़े हुये थे और बड़े-बड़े जो कारखाने थे, उनके मालिकान के सामने भी वही समस्या थी, कितने ही ट्यूबवेल बेकार जो पड़े थे, ये सारी समस्यायें अब हल होती नजर आ रही है । इसी तरह से जो किसानों की जरूरत की चीजें थीं, जैसे थ्रेशर वगैरह, इससे किसान तमाम परेशानियों का सामना करते थे । इन सारी परेशानियों का नतीजा यह रहा कि हमारे प्रदेश का उत्पादन घटा । लेकिन आज जो हमारी सरकार आयी है, यह निश्चित रूप से सही है कि ये सारी कमियां काफी हद तक दूर हुयी है और यह मैं पूर्ण रूप से कहना चाहती हूं कि अब प्रदेश के किसानों को काफी राहत मिली है और इसीलिये किसान भरपूर इस सरकार का गुणगान कर रहे हैं ।

मान्यवर, बिजली का संकट दूर हुआ । इसके साथ ही साथ हमारी सरकार का ध्यान गांवों की तरफ और किसानों की तरफ गया । किसानों की समस्या हल करने के लिये सरकार ने कदम उठाया । छोटे किसान जो थे उन को खाद व बीज की सुविधा दी गयी और बड़े किसानों को अपनी प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाने के लिये जो भी सुविधा दी गयी निश्चिय ही यह अपने प्रदेश में खाद्द उत्पादन बढ़ाने की ओर कदम रहा । किसानों को जो खाद बीज की सुविधा दी गयी इसमें थोड़ी सी त्रुटियां हमारे सरकारी कर्मचारियों के द्वारा छोटे किसानों के लिये हुई । कुछ कदम तो हमारे इन कर्मचारियों ने लापरवाही से उठाये थे । मिसाल के रूप में सरकार की नियत स्पष्ट थी कि एक एकड़ जोत वाले किसानों को हम खाद, बीज की सुविधा देंगे और दी गई लेकिन हमारे अधिकारियों तथा कर्मचारी वर्ग ने जो लापरवाही बरती उसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि खेत की बोआई समाप्त होने के बाद बीज का वितरण किया गया । साथ ही साथ हमारे इस कर्मचारी वर्ग की शरारत रही । शरारत इस मामले में रही कि सरकार की मंशा तो स्पष्ट थी वह छोटे लोगों को राहत देना चाहती थी उनके लिये बीज और खाद की व्यवस्था की गयी थी लेकिन इन कर्मचारियों ने जिलों में जो थोड़े बहुत पैसे देने वाले थे उनको ही यह सुविधा दी और गरीब लोगों को यह सुविधा नहीं मिली । छोटे जोत वालों को यह सुविधा नहीं मिली । हमारे छोटे कृषकों को आज भी यह शिकायत है।

मान्यवर, सरकार के निर्माण विभाग ने इस वर्ष काफी कदम उठाये हैं । हमारी पिछली सरकार ने जहां उसकी कृपा दृष्टि गयी उस इलाके को तो हरा भरा किया, मेम्बरों का मुंह देख कर विशेष रूप से उनको सुविधा दी गयी लेकिन कुछ इलाके जो पिछड़े थे उनको अत्यन्त पिछड़ा ही बना दिया गया, वहां तक सरकार की निगाह गयी ही नहीं । होता क्या था कि जहां पर सुविधा मिलनी चाहिये थी वह सुविधा नहीं मिली । इस सरकार ने अभी हाल में मंडियों को जोड़ने वाला कदम उठाया है कि फी मंडी को वहां के क्षेत्र के हिसाब से कम से कम 12 किलो मीटर दी जायगी । इसके तहत हमारी सरकार ने अभी तो हर एक जिले को कम से कम 3–4 किलो मीटर देने का निश्चय किया है । सड़कों के बारे में सरकार ने अच्छे कदम उठाये हैं । वह सड़क जो खराब हालत में थी, काफी ऊंची नीची थी गड्ढे थे, उनको ठीक तो किया गया, कम से कम मिट्टी तो गड्ढों में डाली, उनकी शक्ल तो बदली । इस तरह से यदि देखा जाय तो इन 8-9 महीने में ... ...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

मिट्टी भराने का काम ही तो हो रहा है सड़क बनाने की जगह ?

श्रीमती रामरति देवी—

दीदी, बिल्कुल, हो रहा है । पिछली सरकार के सामने कहते-कहते निवेदन करते-करते तो लोग मर गये, लेकिन कुछ भी नहीं सुना । इस सरकार ने समाजवादी कदम तो उठाया है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मिट्टी पर आ गये ।

श्री अधिष्ठाता—

दोनों महिलायें आपस में न लड़ें ।

श्रीमती रामरति देवी—

उन दिनों तो मिट्टी भी नहीं पड़ती थी । मान्यवर, आप देखें कि हमारी सरकार ने इन 8–9 महीनों में कम से कम कच्ची सड़कें बनाने की ओर तो कदम उठाये और यह जो ठेकेदारी प्रथा जिसमें रुपया काफी लगता था काम कुछ भी नहीं होता था सरकार का धन बरबाद होता था इस प्रथा को समाप्त किया । यह बहुत ही अच्छा काम रहा । इस प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम से कम कुछ पक्की सड़कें, कुछ पुलियां, कुछ पुल हर एक जगह बनाये जा रहे हैं । यह सारे कार्य प्रदेश की जनता के सामने हैं, कागज पर नहीं है । मेरे जिले में इस तरह से काफी कदम उठाये गये हैं । जो कृषक भूमिहीन है पिछली सरकार के समय कृषि हेतु, आवास स्थल हेतु उनको जो भी जमीन दी गयी आज भी उस संबंध में उनकी शिकायत इस विभाग के प्रति ज्यों की त्यों बनी हुई है । हमारी सरकार की मजबूत व स्पष्ट नीति होने के बावजूद भी अधिकारीगण इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं । इस संबंध में सख्त कदम उठाये जायं ताकि उनकी शिकायत दूर की जा सके ।

एक बात मैं यह निवेदन करूंगी कि हमारा पुलिस विभाग जो है यह लगभग बिलकुल काबू के बाहर हो गया है । आज भी गरीबों की शिकायत अखबारों में निकलती हैं । जन प्रतिनिधियों के पास भी उनकी शिकायत आती है । यही एक विभाग ऐसा है जहां गरीब को अगर अपना संरक्षण नहीं मिल पायेगा तो निश्चिय ही उसके हृदय में इस सरकार के प्रति उदासीनता की भावना आयेगी । सरकार का पूरा-पूरा ध्यान इस ओर जाना चाहिये ताकि गरीबों को राहत मिल सके ।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी राकेश (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को निश्चित रूप से यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया इस संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है पक्ष और विपक्ष की ओर से न केवल सदन में, बल्कि सदन के बाहर भी । जो दिशा निर्देशन राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से हमारे सामने आया उसमें सुझाव के रूप में न्याय मंत्री से मैं यह निवेदन करूंगा कि छात्रों को दिशा निर्देशन हेतु एक विधान की रचना करवायें ताकि कर्त्तव्य व अधिकार के संबंध में नौजवान एवं छात्रों को बोध हो सके । इसके लिये आपको सक्रिय कदम उठाना होगा वरना नौजवानों तथा छात्रों की बगावती फौजें घटने के बजाय बढ़ती रहेंगी । भले ही यह सरकार बधाई की पात्र हो जगह-जगह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, राकेश]

उन छात्रों व नौजवानों की कमर तोड़ कर जेलों में ठूंस कर रास्ते से अलग करने में । गरीबों के संबंध में यहां बहुत चर्चायें की गयी । मुख्य मंत्री जी का बयान भी आज आपको पढ़ने को मिला होगा कि यहां की आबादी में 67 फीसदी गरीबी की रेखा के नीचे है । इसलिये संभव हो तो उनके लिये आप पावर्टी ऐक्ट बनायें और जिन बातों के लिये आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वायदे किये हैं उनको आप पूरा करें । मेरा दूसरा सुझाव यही है कि केवल बयान न देकर सक्रिय रूप से इस पर कार्यान्वियन किया जाय। तीसरी बात मैं सुझाव के रूप में यह कहना चाहता हूं कि 1 और 10 के अनुपात का नारा बहुत लगाया जाता है । बहुत से सदस्यगण यह नारा लगाते रहे हैं । यदि संभव हो सके तो गांव के एक चौकीदार से लेकर राज्यपाल तक 1 और 10 का अनुपात निश्चित कर दिया जाय । एक राज्य वेतन मण्डल का निर्माण किया जाय जिससे कर्मचारियों और अध्यापकों में व्याप्त असंतोष को दूर किया जा सके ।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से अपनी सरकार को राज्यपाल के अभिभाषण पर सुझाव देने की दिशा में यह कहना चाहता हूं कि यदि सम्भव हो सके शिक्षा जगत में हालांकि माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं, किन्तु आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि यह कोई तरीका नहीं है अध्यापक अगर आन्दोलन करे, हमारे मोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, तो उनकी कमर गोरखपुर में और दूसरे जिलों देवरिया आदि में तोड़ दी जाय और जिलों की दीवालें उनकी हड्डियों और पसलियों की चरमराहट से गूंजें । आप समस्याओं का निदान ढूंढेंगे तो अवश्य समस्यायें हल हो सकती हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि 200 मजदूर कानपुर में स्वदेशी काटन मिल में मरे । लोक सभा में माननीय सदस्य ने बयान दिया है लेकिन हमारी सरकार बड़ी बधाई की पात्र है जिसने यह कहा कि 200 नहीं मरे, 11 व्यक्ति मरे हैं । इस तरह की बातें हमारे सामने आती रहती हैं । दिशा निर्देशन के साथ-साथ मैं यह भी कहता हूं कि जो छात्र हैं, अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, डाक्टर हैं, इंजीनियर हैं, गन्ना किसान हैं इनकी सबकी समस्यायें हैं और इन समस्याओं को सुलझाने के लिये आप लोकतंत्र बनाम तानाशाही का झंडा लेकर चुनाव जीतकर यहां बैठे हैं । वही काम आप कर रहे हैं जो पहले की सरकारें करती आई हैं । इसका हस्र क्या होगा ? वही होगा जो एक तानाशाही सरकार का हुआ है।

आपने संजयवाद का विरोध किया और स्वयं वंश परम्परा चलाने के लिये अपने लड़के को कहीं कमिश्नर बना दिया, बेटी को किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, भाई को तराई में भेजकर खेती-बाड़ी का काम उससे शुरू करवा दिया । मैं अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए इन बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। चुनाव के पहले भी चार्ज शीट हमने इश्यू की है और मंत्रियों को समय-समय पर आगाह किया है । लेकिन मैं सदन में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि मंत्रियों के आदेश पर अगर मथुरा में किसी कोतवाल का ट्रांसफर कर दिया जाय और वह कहना शुरू कर दे कि इस तरह के मंत्री हैं तो यह बड़े शर्म की बात है। या तो मंत्री जाय या कोतवाल जायं ।

मैं पुनः कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक लम्बे अर्से तक हम लोग यहां बैठ नहीं पाये जिससे कि माननीय सदस्यों के बहुत सारे सुझाव सरकार तक नहीं पहुंच पाये । तरह-तरह की परेशानियां रही हैं । उसमें नीति निर्देशक सुझाव भी आ सकते थे । मुझे यह कहने में संकोच नहीं है जहां बेकारों के संबंध में आवाज बुलन्द की तो उनको बेकारी भत्ता देने की बात होती । माननीय मोहन सिंह जी बैठे हुए हैं । वे अपनी गवर्नमेंट को सेंसर करते कि हमारे बेकारों को बेकारी-भत्ता क्यों नहीं दिया । दफा 144 लगी तो उसको तोड़ेंगे मैंने भी तोड़ी है। 18 बार तोड़ी है, 6 बार डी0आई0आर0 और 18 बार 144 तोड़ी है उसका मुक्तभोगी मैं भी हूं ।

मैं चाहता हूं कि आज आप जो शासन में है। मुख्य मंत्री हैं वह उस रीति नीति पर न चलें जिन बातों की आप आलोचना करते थे। ऐसा लगता है आप उन्हीं रास्तों पर चले पड़े हैं। अगर कही छात्रों ने अपनी आवाज बुलन्द करने के लिये दफा 144 तोड़ी, अध्यापकों ने अपनी आवाज बुलन्द करने के लिये दफा 144 तोड़ी या मजदूरों ने तोड़ी चाहे कांग्रेस (आई) का जलूस हो या कर्मचारियों का जुलूस हो यदि उन आंदोलनों पर प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। तो यह हमारी सरकार के लिये बड़ी शर्मनाक बात होगी और उसी समय हम लोकतंत्र का खात्मा, समूची लोकशाही का खात्मा समझेंगे। लोकतंत्र या लोकशाही किसी बाग में नहीं लगती। वह इन्हीं छोटी-छोटी घटनाओं से प्रदर्शित होता है कि जिनसे हम समझते है कि लोकतंत्र कहां है और कहां नहीं है। मान्यवर, यह कुछ सुझाव हैं मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मेरे साथी एक शेर कहने को भी कह रहे हैं बड़ी मुश्किल स आप यहां पर आये हैं और हम बड़ी बड़ी आशा कर रहे थे लेकिन जिन लोगों के कंधों पर सवार होकर आये उन्हीं से अब कहें कि घर से बाहर जाइये :—

जिन्हें बैठने का सलीका नहीं था

महफिल से अब वे उठाने लगे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पहली बार हिन्दुस्तान के उन लोगों को जो गांव में बसते हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं उन लोगों की तरफ हमारी सरकार ने ध्यान दिया है और आपके लिये कार्यक्रम चलाने का निश्चय किया है। मान्यवर, हिन्दुस्तान के उन लोगों को जो वास्तव में हिन्दुस्तान के मालिक हैं उन्हें पहली बार मालिकाना हक देने की बात सोची गई है। हिन्दुस्तान के अन्दर चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो जिसका निर्माण देश में होता है उसमें गांव क लोगों का हाथ रहता है। चाहे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई हो या सीमाओं पर दुश्मन का मुकाबला करना रहा हो हर ऐसे मौके पर गांव के किसान और मजदूर के बेटों ने त्याग किया है। आजादी की लड़ाई के बाद भी हमने देखा कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो सुविधा सम्पन्न थे राजे रजवाड़ों के बच्चे थे उन्हीं ने शासन की बागडोर अपने हाथ में रखी और गरीबों के नाम से हुकूमत चलाई थी। आजादी के बाद उन लोगों की तरक्की की जो बात होनी चाहिये थी। उसके संबंध में पिछली सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाये।

आज यह पहला अवसर है कि हमने नारा दिया है कि गांवों की ओर चलो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने सीमाओं पर जाकर बलिदान किया उनका ध्यान रखा गया है। हिन्दुस्तान के दुश्मनों से राजे रजवाड़ों ने कभी मुकाबला नहीं किया। अगर दुश्मन का मुकाबला करते हुये सीमा पर कोई शहीद हुआ है तो वह गांव का किसान का बेटा है। गरीबों के बेटे जिन्होंने दुश्मनों का मुकाबला किया उन्हीं के घरों में विधवाओं का करुण क्रन्दन होता है, टाटा और बिड़ला के घरों में नहीं। आज यह पहली बार है जब इस देश की गरीब जनता ने अपने हिसाब से सरकार बनाई है। हिन्दुस्तान के वे लोग जो पूंजीपतियों के इशारे पर 30 वर्षों तक शासन करते रहे और उनके चहेते जो कम्युनिस्टों के नाम स जान जाते हैं तथा रूस के

[श्री रामजी]

इशारे पर नर्तन हिन्दुस्तान में करते हैं, और शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे हैं (व्यवधान) नेगी जी जरा ध्यान से सुनें। जहां तक विद्युत का प्रश्न आया (व्यवधान) .... नेगी जी जरा सुनिये।

हिन्दुस्तान में 30 वर्षों के अन्दर बिड़ला जैसे पूंजीपतियों के खिलाफ कांग्रेसी लोगों ने भाषण तो किये थे, किन्तु उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाये थे। यह पहला अवसर है जब बिड़ला की गर्दन पर हमने हाथ लगाया है। इससे उधर के लोग, पूंजीपतियों के चहेते जलने लगे हैं और उनमें चिन्ता व्याप्त हो गई है, अतः वह श्रमिकों को उभाड़ कर हड़ताल कराने लगे है। ऐसी परिस्थिति में हिन्दुस्तान के अंदर राज्यपाल ने पहली बार हिन्दुस्तान की तकदीर बदलने के लिये ग्रामों की 86 प्रतिशत जनता का भाग्य बदलने के लिये अच्छे-अच्छे निर्णय लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है। इन कदमों से केवल ग्रामों की 86 प्रतिशत जनता ही नहीं, शहरों में जो 14 प्रतिशत जनता रहती है, उसमें से भी 6–7 प्रतिशत लोग जो गांव के रहने वाले हैं जो वहां मेहनत मजदूरी करके या रिक्शा आदि चलाकर अपना जीवनयापन करते हैं उनका भी हित है। इसके अलावा जो शेष 6–7 प्रतिशत शहर के लोग बचते हैं, उनमें से भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को इन नीतियों से लाभ होगा, गांव के विकास से उनका उत्थान होगा। अब केवल वहां 1 प्रतिशत ही लोग बचते हैं, जिन बड़े लोगों की शह पर उनकी जेबों में बैठकर ये लोग हुकूमत अभी तक चलाते रहे और जनता को धोखा देते रहे। जब गांवों की ओर चलने की बात होती है, तो किसानों की ओर ध्यान देने की बात है। सिंचाई के साधन जुटाने की और भूमि को उर्वरा बनाने की बात है। इस पर जो सरकार ने कदम उठाने की बात कही है, उसका हम स्वागत करते हैं।

साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में छोटी, मोटी फैक्टरियों को चलाने वालों के लिये इंस्ट्रूमेंट और बीमा आदि की व्यवस्था है, लेकिन किसान जो मानसून पर निर्भर करता है, उसकी फसलों के लिये बीमे की कोई व्यवस्था नहीं है। इस सरकप्र के द्वारा इसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिये, फसलों की बीमा योजना कृषि के क्षेत्र में लागू करने की मैं मांग करता हूं। जनता सरकार इसे मानेगी ऐसा विश्वास है। हम लोग आये दिन अध्यापकों की हड़ताल के बारे में चर्चा करते हैं। मेरा इस बारे में एक निश्चित मत है। अध्यापकों के नेता जब एक ओर आन्दोलन वापस लेने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसमें से किसी न किसी प्रकार के राजनीतिक पुट की गंध आती है और उसको समझने के लिये हम विवश हो जाते हैं कि क्या कारण है कि जब एक तरफ आन्दोलन स्थगित हुआ, तो ओम प्रकाश शर्मा और उनके जैसे दूसरे अध्यापक नेता लोग राजनैतिक विद्वेष पैदा करने के लिये जनता पार्टी के दूसरे लोगों में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में, शिक्षक नेताओं में जो उनका कर्तव्य होना चाहिये, जो शालीनता होनी चाहिये, उसके विपरीत आचरण उनका देखने को मिला है। उस दिन अध्यापक नेता ओम प्रकाश शर्मा यहां सदन में टेबुल पर कूद-कूद कर जो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उससे मालूम पड़ता है कि वह शिक्षक नेता कम हैं, पेशेवर मजदूर नेता अधिक हैं और वह राजनीति में आने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा जब वह एक ऐसे ही मंच पर आकर अपनी बात करेंगे। जहां शिक्षकों को हड़ताल के दौरान का वेतन देने की बात है और जो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति रही है कि काम नहीं तो दाम नहीं, यह बात शिक्षा क्षेत्र में लागू नहीं हो सकती है। क्योंकि छात्रों की पढ़ाई जब पूरी नहीं होती है तो अध्यापक अतिरिक्त समय देकर पढ़ाई पूरी करते है। तो जो भी अध्यापक हड़ताल में रहे। उन सभी को हड़ताल के समय का वेतन जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि काम नहीं तो दाम नहीं की नीति शिक्षा क्षेत्र में लागू नहीं हो सकती है।

आजकल इस प्रदेश में जो चारों तरफ छात्रों का आन्दोलन चल रहा है, उससे स्थिति यह हो गयी है कि कोई शिक्षाविद् विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होना चाहता है।

प्रदेश में देश और समाज में जो नौजवानों के बारे में चिन्ता करते हैं, छात्र समस्याओं के बारे में चिन्ता करते हैं, वे विचार करते हैं। आखिर यह सब क्यों ? सभी लोग दोनों पक्ष के लोग, कहते हैं कि छात्र इस देश के भविष्य हैं, जो भारत का भविष्य है, वहीं इतना आंदोलित हैं। इसके निराकण के लिये क्या हो सकता है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको महसूस करते हुये राज्यपाल महोदय ने गोलमेज कान्फ्रेंस को जो सुझाव दिया है। उसका मैं स्वागत करता हूं, इसके माध्यम से छात्रों की समस्याओं का निदान शीघ्र से शीघ्र होना चाहिये।

(इस समय 3 बज कर 51 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

मैं पूर्वांचल के उस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जो बुनकरों का क्षेत्र मऊ क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र अत्यधिक गरीब है, वैसे वह उद्योगों का काम चलाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक है कि मऊ को औद्योगिक विकास का कन्द्र बनाया जाय ताकि बुनकरों का विकास हो सके। आज वहां के बुनकर इतने गरीब हैं कि दोनों समय उनको रोटी तक नहीं मिलती, उनके बच्चे नंगधड़ंग धूल व धूप में घूमते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप समाप्त करें।

श्री रामजी—

मैं यह कह रहा था कि उनकी तकदीर बदलने की दिशा में कोई ठोस कदम होना चाहिये। मऊ को एक औद्योगिक केन्द्र बनाना चाहिये। वहां के मजदूरों की बहुत सी समस्याएं रहती हैं, जिनके कारण वहां बराबर हड़ताल और तालाबन्दी चला करती है। मैं शासन का ध्यान उस ओर आकृष्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रामजी—

प्रशासनिक ढंग से मऊ को एक जिला केन्द्र बनाया जाना चाहिए। यदि शीघ्र ही जिला नहीं बनाया जाता है तो जिला स्तर की सुविधायें वहां प्राप्त होनी चाहिये। वहां के जनजीवन के विकास के लिये सारी बातों के लिये शासन का ध्यान जाना चाहिये। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। आदेश हुआ है कि गांव की ओर चलो। बड़ा सुन्दर सुझाव है। मगर इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि नगरों को भूल जाओ और न यह है कि लाखों बन्धु जो रोटी-रोजी के लिये गांव से आकर नगरों में बसे हैं, श्रमिक, मिल मजदूर ठेले वाला, झल्ली वाले और रिक्शा चलाने वाले जो हातों में रहते हैं और जिन में शौचालय, जल, प्रकाश एवं मार्ग तक की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई काम धाम न हो। पहले बजट सेशन में दरिद्र नारायण के विषय में मैंने यह कहा था कानून में संशोधन करके क्रमशः उचित मुआविजा देकर

[श्री रेवती रमण रस्तोगी[

मकान का मालिक उन्हें नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम है, उचित मुआविजा देकर अधिग्रहण करना चाहिए और उसके लिए कानूनमें प्राविधान करें जब तक कानून क संशोधन में विलम्ब हो, तब तक उपरोक्त प्रबन्ध कारपोरेशन को करना चाहिए। गंगा "गंगेतियां ब्रूयात योजना नाम शते रपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विश्व लोकम सगच्छति" गंगा कहती है कि हमारे पानी में दुर्गन्धित मल मूत्र एवं फ्लैक्श कम्पनी का गंदा पानी डाल दिया जाता है, इसलिय म दूर बढ़ गयी हूं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री इस ओर ध्यान दें और बिठूर से एक नहर तीन चार मील लम्बी बनवायें। हर साल विद्युत् विभाग द्वारा नहर बनायी जाती है, उसमें तीन चार लाख रुपया लगता है। उपरोक्त नहर से, गंगा नगर के किनारे आकर स्वयं आपको प्रसन्न कर देगी कवट, मल्लाह, पन्डों एवं नागरिकों को आनन्द देगी एवं जनता सरकार को पवित्र कर देगी। आज शिक्षा के सम्बन्ध में बड़ी समस्यायें हैं। यह वर्ष विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए अव्यवस्था एवं संघर्ष का वर्ष रहा है गोलमेज कांफ्रेंस से बहुत आशा नहीं की जा सकती है। इसके लिये शिक्षा का मापदन्ड तैयार करना होगा। जिसके आधार पर शिक्षा विशेषज्ञ समिति जिसमें जिन प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। बैठकर जुलाई मास तक निति निर्धारित करना चाहिये। व्यक्ति साक्षर हो, अनुशासित हो राष्ट्रीयता से ओत प्रोत हों उत्पादकता से पूर्ण हों और सर्वधर्म सम्भाव के ज्ञान से पूर्ण हों, इस पर ध्यान देना चाहिये। अब में बिक्रीकर के बारे में कहना चाहता हूं बिक्रीकर सरलीकरण समिति ने लगभग 81 संस्तुतियां की है, उन्हें पूर्ण रूप से लागू किया जाये। मंत्री महोदय ने बिक्री कर को 79–80 के वर्ष में समाप्त किये जाने का आश्वासन दिया है इसलिए बिक्री कर उन्मलन समिति का गठन किया जाये।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

अब मैं एक शब्द कहता हूं कि बिक्री कर समाप्त कर जनता से किया गया वायदा पूरा किया जाये।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

धन्यवाद नारायण, नारायण।

बजट साहित्य के वितरण के संबंध में की गयी व्यवस्था की सूचना

सचिव, विधान सभा—

मैं सूचना देता हूं कि वित्तीय वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 1978–79 के एक भाग के लिये लेखा अनुदान सम्बन्धी साहित्य वितरण के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। महिला सदस्य तथा नीचे लिखे जिलों के माननीय सदस्य क्रमशः "हां" तथा "नहीं" सभा कक्ष में अपनी प्रतियां प्राप्त करने का कष्ट करें।

"हां" कक्ष में"

महिला सदस्य, उत्तर काशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नेनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिले।

"नहीं कक्ष में"

बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बदायूं, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, मैनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहरानपुर, देहरादून तथा श्री ए० सी० ग्राइस।

1978–79 का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1978–79 का बजट प्रस्तुत करना चाहता हूं। संविधान की धारा 206 के अन्तर्गत वर्तमान सेवाओं और योजनाओं पर व्यय के लिये दो मास के लेखानुदान की स्वीकृति भी प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

नई सरकार का वर्ष 1977–78 का बजट मैंने 26 अगस्त, 1977 को सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया था जिसे अक्तूबर मास में स्वीकृत किया गया। अब लगभग सात महीने बाद मुझे आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। वर्ष 1977–78 के बजट में जनता सरकार की घोषित नीतियों को स्वरूप देने और सीमित संसाधनों के अन्तर्गत प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने के लिये मैंने कुछ कदम उठाने की बात कही थी। वर्तमान बजट के माध्यम से अब प्रदेश सरकार बेरोजगारी कम करने, कृषि व लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने, आर्थिक विकास की दर तेज करने, ग्रामोन्मुख अर्थ नीति को कार्यान्वित करने, हरिजनों एवं कमजोर वर्गों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने और प्रदेश का सम्यक् विकास करने का हर सम्भव प्रयास तत्परता एवं कुशलता से करने के लिए कृतसंकल्प है। जिन योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से इन उद्देश्यों को पूरा किया जायगा उनका उल्लेख मैं संक्षिप्त रूप से आगे चलकर करूंगा।

प्रदेश की सामान्य आर्थिक स्थिति

पिछले बजट को प्रस्तुत करते समय मैंने प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों की समीक्षा की थी। मैं उन आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता जिनसे यह स्पष्ट था कि प्रदेश के साथ राष्ट्रीय संसाधनों के आवंटन में न्याय नहीं हुआ। निरन्तर उपेक्षा के फलस्वरूप वर्ष 1960–61 से 1976–77 तक की अवधि में प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत रही जबकि पूरे देश में वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत अनुमानित है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह पिछड़ापन आबादी की बढ़ती हुई रफ्तार की वजह से हुआ। पूरे देश की तुलना में हमारे प्रदेश की आबादी बढ़ने की रफ्तार कम रही है। इसकी पुष्टि मैं आंकड़ों से भी करना चाहूंगा। 1951–61 के बीच उत्तर प्रदेश की आबादी 16.6 प्रतिशत बढ़ी जबकि पूरे प्रदेश की आबादी 21.6 प्रतिशत बढ़ी। 1961–71 के बीच में हमारे प्रदेश की आबादी 19.8 प्रतिशत से बढ़ी, जबकि पूरे देश की आबादी 24.8 प्रतिशत से बढ़ी।

प्रति व्यक्ति आयोजनागत परिव्यय, प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता, प्रति व्यक्ति बाजार ऋण, केन्द्रीय परियोजनाओं में विनियोग इत्यादि में, यही नहीं कि औसत से बहुत कम भाग उत्तर प्रदेश को मिला बल्कि कुछ प्रदेशों की तुलना में तो अन्तर बहुत अधिक रहा। बैंकों का 'क्रेडिट डिपाजिट' अनुपात भी हमारे प्रतिकूल रहा। यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि आय विनियोग पर आधारित है और जब विनियोग ही कम होगा तो लाजमी तौर पर प्रदेश की आय और प्रति व्यक्ति आय कम होगी।

जनता सरकार को एक बहुत कमजोर और जर्जर आर्थिक ढांचा प्राप्त हुआ। दिशाहीन अर्थनीति एवं गलत प्राथमिकताओं के कारण भी प्रदेश को नुकसान पहुंचा है। वर्तमान सरकार ने खेती और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है। अस्तु चालू वित्तीय वर्ष में आधारिक उत्पादन को मजबूत करने का प्रयास किया गया। यह संतोष की बात है कि वर्ष 1977–78 का खरीफ का उत्पादन 1976–77 के मुकाबले 3 लाख मीटरिक टन अधिक होने का अनुमान है। वर्ष 1977–78 का खाद्यान्न उत्पादन 200 लाख मीटरिक टन अनुमानित है जो पिछले वर्ष के उत्पादन से 9 लाख मीटरिक टन अधिक होगा। तिलहन के उत्पादन में भी 4 लाख टन की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 1976–77 से आरम्भ हुई विद्युत उत्पादन की कमी तथा राजनैतिक कारणों से प्रेरित अशांति व हिंसा से औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल

[श्री मधुकर दिघे]

असर पड़ा । अब जो कतिपय कदम सरकार ने उठाये हैं उससे स्थिति में सुधार हुआ है और उसका परिणाम अगले वर्ष अच्छा होने की संभावना है ।

भाव सूचकांक

जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला तो प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में कीमतों में बढ़ोत्तरी करने के तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे । कृषि का थोक भाव सूचकांक (आधार अप्रैल, 1960 से मार्च, 1961 = 100) मार्च, 1977 में 318.8 था जो जनवरी, 1978 में बढ़कर 346.5 हो गया । इस प्रकार मार्च, 1977 की तुलना में इस सूचकांक में लगभग 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो गत वर्ष उसी अवधि की वृद्धि के समकक्ष रही । औद्योगिक थोक भाव सूचकांक (आधार अप्रैल, 1960 से मार्च, 1961 = 100) मार्च, 1977 में 354.7 था जो जनवरी, 1978 में घटकर 336.7 रह गया । इस प्रकार औद्योगिक थोक भाव सूचकांक में मार्च, 1977 की तुलना में 5 प्रतिशत की कमी हुई जबकि गत वर्ष इसी अवधि में इस सूचकांक में 11 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी । इस प्रकार समग्र रूप से मार्च, 1977 से जनवरी, 1978 की अवधि में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में सामान्यतः मूल्यों के बढ़ने की दर में गिरावट आई । यह भी उल्लेखनीय है कि तुलनात्मक दृष्टि से कीमतों में बढ़ोत्तरी कृषि क्षेत्र के पक्ष में रही ।

वार्षिक प्रायोजना 1978–79

केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा राज्य की वार्षिक योजना 1978–79 के लिये 786 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । इसमें पर्वतीय क्षेत्र की योजना के लिये केन्द्र से मिलने वाली 31 करोड़ रु0 की विशेष केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है । सिंचाई, विद्युत, गैस टरबाइन इत्यादि के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की गयी है । वर्ष 1978–79 का परिव्यय 1977–78 के निर्धारित परिव्यय की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है । इस परिव्यय में से कृषि एवं संवर्गीय कार्यक्रम के लिये 111.52 करोड़ रु0, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण के लिये 168.00 करोड़ रु0, विद्युत के लिये 275.89 करोड़ रु0 व ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिये 13.37 करोड़ रु0 का परिव्यय निर्धारित किया गया है । इसके अलावा सामाजिक सेवाओं के विस्तार के लिये समुचित व्यवस्था की गई है । पेयजल के लिये 44.90 करोड़ रु0, शिक्षा के लिये 32.89 करोड़ रु0, चिकित्सा के लिये 11.20 करोड़ रु0 व सड़क एवं पुलों के लिये 62.00 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । उत्पादक कार्यक्रमों जैसे कृषि एवं संवर्गीय कार्यक्रम सिंचाई, विद्युत तथा उद्योग के लिये कुल परिव्यय का 75 प्रतिशत आवंटित किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और लगभग 390 करोड़ रु0 केवल उन्हीं कार्यक्रमों के लिये है जो शतप्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से ही सम्बन्धित हैं । ग्रामीण क्षेत्रों से पूर्णतः संबंधित कार्यक्रमों पर गत वर्षों में परिव्यय का लगभग 41 प्रतिशत ही रक्खा जाता रहा है जबकि आगामी वर्ष 1978–79 में यह अंश पूर्ण परिव्यय का लगभग 50 प्रतिशत है ।

रोजगार के अवसर

सुनियोजित आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रथम बार एक निर्धारित अवधि में प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी को समाप्त करने का एक दृढ़ संकल्प किया गया है । वर्ष 1978–79 की वार्षिक योजना की रणनीति इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सुनिश्चित की गयी है । इसके अन्तर्गत श्रम प्रधान कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर योजना का समुचित परिव्यय ऐसी योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है जिनके कार्यान्वयन से पूर्ण एवं अंशकालिक दोनों ही प्रकार के रोजगार अवसरों का सृजन हो सके । इन योजनाओं में कृषि, भूमि संरक्षण,

लघु सिंचाई, पशुपालन, लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन उन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से भी होगा जो केन्द्रीय एवं निजी क्षेत्रों में कार्यान्वित हो रही है अथवा होंगी। वर्ष 1978–79 में सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या 4 एवं 5 लाख के बीच अनुमानित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने में 'श्रम हेतु खाद्यान्न' योजना का उल्लेख मैं विशेष रूप से करना चाहता हूं। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न का उपयोग सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, जल एवं भूमि संरक्षण, वनीकरण, सड़क, बंधों तथा ड्रेनेज, स्कूल तथा सामुदायिक भवनों के निर्माण तथा रख-रखाव के कार्यों पर किया जा रहा है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा सड़क बनाने के काम को बहुत प्रोत्साहन मिला है। इन सड़कों पर पुल पुलियां बनाने के लिये प्रदेश की सरकार ने 2.00 करोड़ रु0 का विशेष अनुदान उत्तर प्रदेश मंडी परिषद् को दिया है। अगले वर्ष इस कार्यक्रम को और बढ़ाया जायगा।

शासन ने भूमिहीन कृषि श्रमिकों की एक भूमि सेना विशेषतया भूमि सुधार के लिए बनाने का निर्णय लिया है। इस कार्य से भी रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों तथा निर्बल वर्गों के लिए विशेष कार्य-क्रम और सुविधायें

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के तथा निर्बल वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिये कृत संकल्प है। इस सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट निर्णयों तथा कार्यक्रमों का मैं उल्लेख कर रहा हूं:—

1—पिछले बजट भाषण में मैंने 3 1/8 एकड़ भूमि के समस्त खातेदारों को मालगुजारी के उत्तरदायित्व से मुक्त करने की घोषणा की थी। सम्मानित सदस्यों को विदित है कि उक्त निर्णय के उपरान्त शासन ने 1 जुलाई, 1977 से प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष से भूमि विकास कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। इस निर्णय से सभी मालगुजारी देने वाले कृषक लाभान्वित हुए हैं और इस तरह से उन पर लगभग 18 करोड़ रुपये वार्षिक का कर भा समाप्त कर दिया गया है।

2—पिछले वर्ष उर्वरकों के संतुलित प्रयोग द्वारा भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिये फास्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों के मूल्य पर राज्य सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। इस योजना को लागू करने के उत्साहवर्धक लाभ देखने को मिले हैं। फास्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों के प्रयोग में रबी 1977 में 33 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में हुई है जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुये रबी 1978 व खरीफ 1979 में भी इस योजना को कुछ संशोधनों सहित चालू रखने का निर्णय लिया गया है। आय-व्ययक में इस हेतु 3 करोड़ रुपये का प्राविधान है।

3—लघु एवं सीमान्त कृषकों को निजी लघु सिंचाई निर्माण कार्यों पर भी राज्य सहायता जारी रखी जायगी और इस सम्बन्ध में वर्ष 1978–79 के बजट में 1.68 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

4—शासन द्वारा प्रतिपादित नीतियों एवं कृषि सुधार के नये-नये तरीकों की जानकारी क्षेत्र में कृषकों को विलम्ब से हो पाती है। इस विलम्ब को दूर करने के लिए शासन ने 'डाइरेक्ट मेलिंग' पद्धति और किसानों को कृषि उपज कार्यक्रमों से सम्बन्धित आधुनिक विकास सम्बन्धी सूचना देने की योजना बनाई है।

5—मैंने अपने पिछले बजट भाषण में निवेदन किया था कि सरकार गांवों में पेय जल की सुविधा को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध करेगी। तद्नुसार चालू वित्तीय

[श्री मधुकर दिघे]

वर्ष के बजट में 2 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इसे बढ़ाकर 6.90 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इस धनराशि से अगले वर्ष 15,276 कुओं तथा 1,000 डिग्गियों का निर्माण संभव हो पायगा। अगर आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त धन भी वर्ष के दरम्यान इस कार्य के लिये उपलब्ध कराया जायगा। इसके अतिरिक्त जल निगम के माध्यम से वर्ष 1978–79 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कुल 20.15 करोड़ रु0 व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। इससे 1,155 अभाव ग्रस्त गांवों में पाइप पेयजल सुविधा उपलब्ध हो पायेगी।

6—गांवों के विकास में सम्पर्क मार्गों का महत्व सर्वविदित है। गांवों में पक्के लिंक मार्ग बनाने हेतु वर्ष 1978–79 के बजट में 6.50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

7—ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये लघुतर एवं कुटीर उद्योग-धन्धों का विकास होना आवश्यक है। इस हेतु शासन ने ग्रामीण अंचलों तथा छोटे कस्बों में 'ग्रोथ सेन्टर्स' चलाने की योजना बनाई है। इसके अन्तर्गत उद्यमकर्ताओं को प्रशासनिक तथा तकनीकी मार्ग प्रदर्शन, विद्युत उपभोग पर राज्य सहायता तथा कम ब्याज पर ऋण दिलवाने की व्यवस्था की जायगी। सावधि ऋण के ब्याज पर 4 प्रतिशत ब्याज राज्य सहायता तथा मार्जिन मनी ऋण 5 1/2 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जायगा। आशा है कि इस योजना के फलस्वरूप लघुतर एवं कुटीर उद्योगों की इकाइयां बड़े पैमाने पर ग्रामीण अंचलों में लग सकेंगी।

8—ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित युवकों में विशेष तौर पर कमजोर वर्ग के युवकों को लघु दुग्धशाला स्थापित करने के लिये प्रशिक्षण दिया जायगा।

9—उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में गुड़ एवं खांडसारी उद्योग का अपना एक महत्व है। इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने तथा कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए खांडसारी एवं गुड़ उत्पादन के शोध की एक योजना आरम्भ की जायेगी। इसी प्रकार सोयाबीन व सूरज-मुखी की उपज से तेल निकालने की तकनीक के विकास की भी एक योजना बनाई गई है।

10—वर्ष 1978–79 में 100 अतिरिक्त ग्रामीण औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 20 अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में खोले जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 50 एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है। परिवार कल्याण कार्य-क्रम के अन्तर्गत 15 अतिरिक्त ए0 एन0 एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। बजट वर्ष में 30 अति-रिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रसूति कक्षों के नवीनीकरण और साज-सज्जा उपलब्ध कराये जाने तथा 30 होम्योपैथिक औषधालय एवं 34 आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है।

11—इस प्रदेश में मुसहर जाति के लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। उनको दुधारु जानवर उपलब्ध करके पुनर्वासन की विशेष योजना चलाने का प्रस्ताव है। उनके लिये आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

12—सफाई कर्मचारियों की बस्तियों में रहने वाले बच्चों की, उनकी माताओं के कार्य पर जाने से अनुपस्थिति में अच्छी प्रकार से देख-रेख नहीं हो पाती है। इस प्रकार के बच्चों के लिए बस्तियों में शिशु-केन्द्र एवं बालबाड़ी केन्द्र खोलने की योजना बनाई गई है। शिशु-गृहों में बच्चों के आहार की भी व्यवस्था की जायगी। सर्वप्रथम इस योजना को पंच महानगरियों में लागू करने का विचार है। आय-व्ययक में तद्नुसार व्यवस्था कर दी गई है।

13—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यायिक सेवा परीक्षा तथा पी0 एम0 टी0 में सम्मिलित होने से पहले प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। तद्नुसार आय-व्ययक में व्यवस्था कर दी गई है।

14—अनुसूचित जाति तथा जनजाति के खेतिहर मजदूरों के उत्थान के लिये कृषि योग्य भूमि क्रय करके उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है जिसे वे उस भूमि पर परिश्रम करके जीविकोपार्जन कर सकें। इसके लिए आय-व्ययक में 16 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

15—ग्रामीण निवासियों, विशेषकर हरिजनों और निर्बल वर्गों के सामाजिक स्तर को उठाने के लिये, उनको साक्षर बनाना आवश्यक है। इसका एक मात्र साधन अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र खोलना है। इस योजना का प्रसार किया जायगा और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना के लिये 1.04 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

16—शासन ने पिछड़ी जाति के लोगों को भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के समान कतिपय सुविधायें देने का निर्णय लिया है। इन पिछड़ी हुई जातियों के विकास एवं उत्थान हेतु उनके लिये शिक्षा की अधिक सुविधाएं उपलब्ध करना नितान्त आवश्यक है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के समान शैक्षिक सुविधायें पिछड़ी जातियों, जिनकी संख्या 58 है, को भी प्रदान की जाय। इस हेतु आय-व्ययक में 6.837 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

17—प्रदेश में खेलकूद के स्तर को ऊंचा करने के लिये ग्रामीण अंचलों में खेलकूद कार्य क्रमों का यथोचित विकास किया जाना आवश्यक है। अतएव ऐसी योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न स्थलों पर प्रशिक्षण शिविर तथा मेले एवं प्रदर्शनियों में प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी और उभर कर आने वाले उदीयमान खिलाड़ियों को प्रगाढ़ प्रशिक्षण केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविरों में दिया जायगा। तद्नुसार आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है।

18—गांव पंचायत को सक्रिय बनाने के लिये पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण तथा स्थानीय साधनों को विकसित करके गांव विकास के न्यूनतम कार्य-क्रमों को चलाने की एक योजना बनाई गयी है। पंचायत भवनों के निर्माण के लिये सहायक अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया है।

19—शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों को खड़न्जा करवा कर पक्के करने हेतु गांव सभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें ऐसे कार्यों पर सहायक अनुदान देने की योजना बनाई है। इसके लिये आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है।

पिछली बार मैंने पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु अनुसंशाएं देने के लिये एक आयोग के गठन की बात कही थी। इसी बीच भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोग का गठन कर दिया है। अग्रिम कार्यवाही से पहले उक्त आयोग की संस्तुतियों की प्रतीक्षा करना उचित प्रतीत होता है।

योजना का कार्यान्वयन तथा वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी सुधार

क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बनाने एवं कार्यान्वित करने का कार्य पिछले वर्ष से आरम्भ किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिये 15 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना का और प्रसार किया जायगा और इस प्रयोजन हेतु 25 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है। आशा है कि क्षेत्रीय नियोजन के कार्यक्रम के लिये उत्तर प्रदेश को भारत सरकार से समुचित वित्तीय सहायता प्राप्त होगी

[श्री मधुकर दिघे]

माननीय केन्द्रीय वित्त मन्त्री जी ने भी खण्ड विकास योजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की रणनीति का उल्लेख अपने बजट भाषण में किया है ।

प्रदेश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास जन सहयोग एवं जन शक्ति के द्वारा ही सम्पादित किया जा सकता है । ग्राम, विकास खंड एवं जिला स्तर पर जनता को योजनाओं के बनाने व उनके कार्यान्वयन से पूरी तरह सम्बद्ध करना है । जनता पार्टी की निष्ठा भागीदार जनतन्त्र (Participative democracy) में है । गांव का सम्यक् एवं समन्वित विकास हो इसके लिये बहुस्तरीय नियोजन (Multi—level planning) की पद्धति व प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जायगा । विभिन्न विभागों के ताल-मेल व समन्वय में भी हर सम्भव सुधार किया जायगा । योजना बनाने के लिये विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं जो इस प्रकार की योजना बनाने का काफी अनुभव रखती हैं, को कुछ ब्लाक स्तरीय योजना बनाने का कार्य सौंपा गया है ।

क्षेत्रीय स्तर पर योजनायें तैयार करने के लिये यह आवश्यक है कि उस स्तर पर सक्षम तकनीकी ढांचा उपलब्ध हो तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में वित्तीय तथा अन्य संसाधनों के जुटाने व योजनाओं के अनुश्रवण करने की भी व्यवस्था हो । अतः जिला स्तर पर उपलब्ध अर्थ एवं संख्या प्रभाग के ढांचे को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में किया जा रहा है । इस संगठन को सुदृढ़ करके योजना निर्माण एवं अनुश्रवण का उत्तरदायित्व सौंपा जायगा ।

विभिन्न प्रायोजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन न केवल उन योजनाओं की समीक्षा के लिये बल्कि भविष्य की योजनाओं के बनाने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है । राज्य स्तर पर राज्य नियोजन संस्थान का मूल्यांकन प्रभाग इस मूल्यांकन को करता है । इस प्रभाग को सुदृढ़ किया जा रहा है । शासन ने एक "रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन समिति" का गठन किया है जो न केवल शासन को संसाधन जुटाने के लिये सुझाव देगी बल्कि पुरानी योजनाओं के पुनरीक्षण एवं समीक्षा के कार्य का भी संचालन करेगी ।

मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन करने पर शासन विचार कर रहा है । नये परिपेक्ष में उसको उपयोगी बनाने हेतु उसमें बुनियादी सुधार करने का इरादा है । हमारा प्रयास रहेगा कि जनता को यह एहसास हो कि शासनतंत्र उनकी सहायता व सेवा के लिये तत्पर है ।

बड़े शहरों में कोषागारों में कार्यभार के अधिकता के कारण जनता को कठिनाई व विलम्ब होता है और इसका कुप्रभाव कोषागारों के लेखों पर भी पड़ता है । महालेखाकार ने बड़े शहरों में अतिरिक्त कोषागार स्थापित करने का सुझाव दिया है जिससे कोषागारों के लेखे ठीक प्रकार से बन सकें और उन्हें निश्चित समय में महालेखाकार को भेजा जा सके । अतः शासन ने लखनऊ में एक अतिरिक्त कोषागार खोलने का निर्णय लिया है । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा भारत सरकार ने राज्य सरकार से यह संस्तुति की है कि कपटपूर्ण भुगतानों की सम्भावना कम करने के लिये कोषागारों में चेक प्रणाली से भुगतान की व्यवस्था की जाय । शासन ने चेक प्रणाली की व्यवस्था लखनऊ में प्रस्तावित अतिरिक्त कोषागार में प्रयोग के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है । यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इसका विस्तार अन्य कोषागारों में भी किया जा सकेगा ।

अधिकांश जिलों में कोषागारों के भवन बहुत पुराने हो गये हैं तथा उनमें स्थान का भी अभाव है । अतः कोषागारों के भवन निर्माण व विस्तार के लिये आय-व्ययक में 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

विकास कार्यक्रमों के प्रसार के साथ सभी विभाग के व्यय भार में वृद्धि हुई है और विभागीय लेखों के उचित रख-रखाव की आवश्यकता एवं महत्व बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में महा-लेखाकार के कार्यालय से कुछ लेखा कार्य भी हटाकर विभागों के कार्यालयाध्यक्षों को दिया गया है। वित्तीय अधिकारों का भी प्रतिनिधायन बड़े पैमाने पर किया गया है। अभी तक विभागों के लेखाकारों व अन्य लेखा कर्मचारियों को वित्त लेखा नियमों का प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इन कर्मचारियों को वित्त एवं लेखा नियमों का समुचित प्रशिक्षण दिया जाय। यह कार्य लखनऊ में स्थित कोषागार प्रशिक्षण केन्द्र को सुदृढ़ करके किया जायगा। जिला स्तर पर भी सचल दल द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाएंगे।

अब मैं कुछ मुख्य विभागीय उपलब्धियों तथा कार्यक्रमों की चर्चा करना चाहूंगा।

कृषि

कृषि के क्षेत्र में सरकार की नीति प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करने, भूमि पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या में कमी एवं ग्रामीण अंचलों में रोजगारों के अवसर बढ़ाने, कृषकों को अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने तथा कृषि निवेशों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने की है। ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के कार्यक्रम को एक नया मोड़ सरकार देना चाहती है। ग्राम सभा की अथवा अन्य सार्वजनिक ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषक मजदूरों को भूमि उपलब्ध कराना और ग्रामीण अंचलों में रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करना है भूमिहीन मजदूरों की सहायता से जमीन को कृषि योग्य बनाया जायगा और उसे उन्हीं मजदूरों को खेती के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव है। यह कार्य भूमि सेना के द्वारा कराया जायगा जिसका उल्लेख मैंने पहले किया है। इस तरह से कृषि श्रमिकों की यह सेना ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनायेगी जिससे उनका स्वावलम्बन बढ़ेगा और साथ ही कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी।

वर्ष 1977–78 में बाढ़, ओला तथा सूखे से फसलों को व्यापक क्षति पहुंची किन्तु उर्वरकों के अधिक उपयोग तथा 68,000 हेक्टेयर में धान की पौधशालायें उगाने एवं कृषि की नयी तकनीकी अपनाने के फलस्वरूप खरीफ का उत्पादन 75 लाख मीटरिक टन होने की सम्भावना है। इसमें चावल का उत्पादन 51 लाख मीटरिक टन अनुमानित है जो एक नया कीर्तिमान होगा। रबी में भी अच्छी उपज की सम्भावना है और इस वर्ष यह आशा की जाती है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन 200 लाख मीटरिक टन से अधिक होगा जो कि प्रदेश के लिये एक उपलब्धि होगी।

वर्ष 1978–79 में प्रदेश के लिये 215 लाख मीटरिक टन खाद्यान्न का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है जिसमें से 80 लाख मीटरिक टन खरीफ तथा 135 लाख मीटरिक टन रबी में उत्पादन किया जाना है। इसके अतिरिक्त 23 लाख मीटरिक टन तिलहन का उत्पादन प्रस्तावित है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कुछ विशेष कार्य-क्रम सम्पादित किए जायेंगे। धान की सामुदायिक पौधशालायें 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगायी जायेंगी। अधिक उपजदायी प्रजातियों का कार्य-क्रम 74.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। उर्वरकों का वितरण जो 1976–77 में केवल 7.29 लाख मीटरिक टन था, 1977–78 में बढ़ाकर 9.20 लाख मीटरिक टन कर दिया गया था। 1978–79 में 11.20 लाख मीटरिक टन वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

लघु कृषि विकास योजनायें प्रदेश के 26 जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त लघु कृषि विकास योजनायें स्वीकृत कराने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है इसी प्रकार प्रदेश में 6 जिलों में सूखोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किये

[श्री मधुकर दिघे]

जा रहे है। सुखोन्मुख, क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा वर्ष 1978–79 में 76 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन होने की आशा है। इसी प्रकार लघु कृषक परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य-क्रमों में अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 24,800 लघु/सीमान्त कृषकों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर सुलभ हों सकेंगे।

कमाण्ड परियोजनाओं के क्षेत्र में प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। वर्ष 1977–78 में 6,000 किलोमीटर लम्बी कच्ची गूलों का निर्माण अनुमानित है। इसके अतिरिक्त 6.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा सर्वेक्षण तथा 1.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्पन्न किया जायेगा। वर्ष 1978–79 में 8,000 किलोमीटर लम्बी गूलों का निर्माण, 8 लाख हेक्टेयर में मृदा सर्वेक्षण तथा 1.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रस्तावित है। वर्ष 1977–78 के अन्त तक तीनों कमान्ड योजनाओं के क्षेत्र में 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित होने का अनुमान है। वर्ष 1978–79 में 7.75 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित किया जाना प्रस्तावित है।

विभिन्न फलों एवं शाक-भाजियों की उपज को बढ़ाने के प्रयत्न तेजी से जारी हैं। इस वर्ष पौधशालाओं के लिये 21 जनपदों में सीलिंग से निकली अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त भूमि सुलभ कराई गई। वर्ष 1977–78 में नवम्बर, 1977 तक 3.28 करोड़ पौधे रोपित किये गये। वर्ष 1977–78 में आलू का उत्पादन 1976–77 में 30 लाख मीटरिक टन की तुलना में 35 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष 1976–77 में प्रदेश में शीत गृहों की संख्या 428 तथा भण्डारण क्षमता लगभग 8 लाख टन थी। वर्ष 1977–78 में शीत-गृहों की संख्या 467 तथा भण्डारण क्षमता 9.75 लाख टन हो गई है।

सिंचाई

प्रदेश का शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 172 लाख हेक्टेयर है। चौथी योजनाकाल के अन्त तक वृहत्, मध्यम एवं राजकीय लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा 60.84 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हो पाया था जो कुल क्षेत्र का केवल 35 प्रतिशत ही था 1978–79 के अन्त तक कुल लगभग 86 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हो जायेगा। इस संख्या में निजी स्रोतों से सृजित सिंचाई क्षमता शामिल नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्ण देश के लगभग एक तिहाई जल संसाधन उपलब्ध है। हमें इन संसाधनों का उपयोग करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र कार्य करना है।

सिंचन क्षमता के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्माणाधीन प्रायोजनाओं के निर्माण-कार्यों पर तेजी लाई गई और कई नई प्रायोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है इन कार्यों के फलस्वरूप वर्ष 1978–79 में 6.45 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन का अनुमान है जिसमें से लगभग 4.45 लाख हेक्टेयर वृहत् एवं मध्यम तथा शेष राजकीय लघु सिंचाई योजनाओं से प्रस्तावित है। निजी लघु सिंचाई कार्यक्रमों को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस कार्यक्रम के लिये वर्ष 1978–79 में 684 लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। इससे 8.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा। इस तरह से राजकीय व निजी सिंचाई योजनाओं को मिलाकर अगले वर्ष 14.61 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन की आशा है।

शारदा सहायक प्रायोजना के अन्तर्गत दो मुख्य बैराजों तथा उनकी लिंक नहर पर कार्य पूर्ण हो चुका है और अन्य कार्य तेजी से प्रगति पर है। प्रायोजना क्षेत्र में जनवरी, 1978 तक सिंचाई के लिये दरियाबाद व बाराबंकी नहर प्रणाली में पानी उपलब्ध कराया जा रहा था। अब गोमती जल सेतु को पूर्ण कर 28 जनवरी, 1978 से उसमें भी पानी चलाना प्रारम्भ कर

दिया गया है जिसमें गोमती—सई दोआब में हैदरगढ़ और रायबरेली नहर प्रणालियों में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध होने लगा है। सई जल सेतु भी शीघ्र पूर्ण हो जायगा। इसके अतिरिक्त अडवा बांध, पूर्वी बैगुल, दोहरीघाट सहायक पम्प नहर, नारायणपुर पम्प नहर की क्षमता वृद्धि, मेजा बांध की क्षमता वृद्धि, सोन पम्प नहर, यमुना पम्प नहर, ओखला बांध, कनहर बांध, हिण्डन बांध आदि प्रायोजनाओं के निर्माण-कार्यों में इस वर्ष तेजी लाई गई है।

टेहरी डैम, लखवाड़-ब्यासी, समानान्तर निचली गंगा नहर, जमरानी डैम, मध्य गंगा नहर, मौदहा डैम, बायीं तटीय घाघरा नहर, सुहेली, चित्तोरगढ़, सजनम, अलीगंज, उमरहट, आगरा नहर के आधुनिकीकरण, सरजू पम्प नहर, उर्मिल बांध, शारदा नहर का आधुनिकीकरण, पूर्वी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर का आधुनिकीकरण, जमानिया पम्प नहर, ज्ञानपुर पम्प नहर, कुवानों पम्प नहर, माट ब्रांच और घाघर नहर की आधुनिकरण प्रयोजानाओं के निर्माण-कार्यों पर वर्ष 1978–79 में तेजी लाई जानी प्रस्तावित है।

बुन्देलखण्ड और चम्बल घाटी के निकट पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये वर्ष 1978–79 की योजना में अर्जुन सहायक, चम्बल लिफ्ट नहर, डोंगरी डैम आदि योजनायें सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ-साथ अपर गंगा नहर, फर्रुखाबाद ब्रांच, बेबर ब्रांच, भोगनीपुर ब्रांच, अनूपशहर ब्रांच आदि पुरानी नहरों तथा लचुरा हेडवर्क्स का अधुनिकीकरण भी प्रस्तावित है।

विद्युत

प्रदेश के विकास में विद्युत् की सुलभता का विशेष महत्व है। वर्ष 1976–77 के अन्त में उत्तर प्रदेश विद्युत् प्रणाली की अधिष्ठापित क्षमता 2615 मेगावाट थी। चालू वर्ष में 260 मेगावाट की इकाइयों (200 मेगावाट ओबरा तथा 60 मेगावाट हरदुआगंज में) के चालू हो जाने से प्रदेश की अधिष्ठापित क्षमता 2875 मेगावाट हो गई है। वर्ष 1978–79 में ओबरा की 200 मेगावाट तथा हरदुआगंज की 110 मेगावाट की इकाई के चलने की आशा है जिसके फलस्वरूप प्रदेश की अधिष्ठापित क्षमता 3185 मेगावाट हो जायेगी। इन इकाइयों के चालू हो जाने के फलस्वरूप 1978–79 के दौरान विद्युत् आपूर्ति व्यवस्था में पर्याप्त सुधार होने की आशा है। वर्तमान विद्युत् उत्पादन कार्यक्रम भी इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि विषम महीनों में हमारे सामने कठिन परिस्थिति उत्पन्न न हो।

मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि चालू वित्तीय वर्ष में देश की प्रथम 400 किलोवोल्ट की 230 किलोमीटर पारेषण प्रणाली को चालू किया गया है। 220 किलोवोल्ट की कुल 142 किलोमीटर पारेषण लाइन को भी इस वर्ष चालू किया गया है। 400 किलोवोल्ट की 145 किलोमीटर की अतिरिक्त पारेषण लाइन भी चालू किए जाने के लिये तैयार है।

विद्युत् उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद भी प्रदेश में विद्युत की मांग और उसकी उपलब्धि के बीच काफी अन्तर है। इस हेतु कई नई जल एवं तापीय परियोजनाओं को भारत सरकार के पास त्वरित स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। 220 मेगावाट की परीच्छा तापीय परियोजना की स्वीकृति योजना आयोग से प्राप्त हो गई है और कार्य प्रारम्भ भी हो गया है। 630 मेगावाट की आनपारा तापीय परियोजना तथा 440 मेगवाट की टांडा तापीय परियोजना की भी शीघ्र स्वीकृति प्राप्त होने की आशा है। 420 मेगावाट की ऊंचाहार तापीय परियोजना भी भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से 500–500 मेगावाट क्षमता की 2 आयातित इकाइयों को भी इस प्रदेश के लिए आवंटित किये जाने का आग्रह किया जा रहा है।

[श्री मधुकर दिघे]

विद्युत् उपलब्धता के दीर्घकालीन समाधान के लिए जल विद्युत् योजनाओं से क्षमता बढ़ाना भी अत्यन्त आवश्यक है। 600 मेगावाट की टेहरी बांध योजना तथा 420 मेगावाट की लखवार-ब्यासी जल विद्युत् परियोजनाओं का काम तेजी से प्रारम्भ कर दिया गया है। 262 मेगावट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत् परियोजना की भी योजना आयोग से स्वीकृत हो चुकी है। 156 मेगावाट की मनेरीभाली भाग 2 योजना की भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है।

अगले वर्ष 40 हजार व्यक्तिगत नलकूपों/पम्प सेटों एवं 4,700 ग्रामों तथा 4 हजार हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण भी प्रस्तावित है।

सहकारिता

ग्रामीण क्षेत्र में सम्पन्नता लाने के लिये सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1977–78 में अल्प-कालीन, मध्य-कालीन एवं दीर्घ-कालीन ऋण क्रमशः 200 करोड़ रुपये, 15 करोड़ रुपये एवं 44 करोड़ रुपये वितरित किये जाने की आशा है। यह लक्ष्य है कि वर्ष 1978–79 में 275 करोड़ अल्प कालीन, 15 करोड़ रुपये मध्य-कालीन एवं 70 करोड़ रुपये दीर्घ-कालीन ऋण वितरित किया जाय।

न्याय पंचायत स्तर पर पुनर्गठित सहकारी समितियों के कार्य-कलापों में वृद्धि के फल-स्वरूप कृषकों को उनकी उपज के उचित भण्डारण तथा उपभोक्ता वस्तुओं के भण्डारण एवं उनके वितरण की समुचित व्यवस्था करने हेतु ग्रामीण गोदामों के निर्माण का निर्णय लिया गया था। पुनर्गठित सहकारी समितियां ग्रामीण विकास केन्द्रों की केन्द्र बिन्दु हैं। पहले से 1,435 गोदाम हैं तथा 1,133 गोदाम निर्माणाधीन हैं। वर्ष 1978–79 का लक्ष्य 1,000 नये ग्रामीण गोदामों के निर्माण का है। न्याय पंचायत स्तर पर पुनर्गठित बहुधन्धी सहकारी समितियों के लिये गोदाम एवं स्थायी कार्यालय निर्मित किये जाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये 18 करोड़ रु0 की योजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत की गयी है। शहरी क्षेत्रों में भी आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार सुदृढ़ किये जा रहे हैं।

वर्ष 1977–78 के अन्त तक उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम की कुल निर्मित वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता 4.45 लाख मीटरिक टन हो जायगी और वर्ष 1978–79 में 1.45 लाख मीटरिक टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता निर्मित किये जाने का कार्यक्रम है।

ऋण वितरण प्रणाली को सरल बनाने हेतु ऋण सीमा निर्धारण तथा ऋण वितरण पद्धति में मूलभूत परिवर्तन किये गये हैं। अब सदस्य की एक वर्ष के लिये निकाली गयी ऋण सीमा 3 वर्ष के लिये मान्य होती है। सदस्य एवं समिति की ऋण सीमा निर्धारित हो जाने पर अब पृथक से ऋण आवेदन-पत्र सदस्यवार तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। सहकारी वर्ष के अन्त तक समस्त विकास खण्डों में सहकारी बैंकों की शाखायें खुल जाने की आशा है।

दुग्ध विकास

'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के अन्तर्गत वाराणसी व मेरठ में एक-एक लाख मीटर प्रति दिन क्षमता की बड़ी डेरियां शीघ्र ही स्थापित हो जायेंगी और बीस-बीस हजार लीटर प्रतिदिन की दुग्धशालायें फैजाबाद तथा इलाहाबाद में कार्यरत हो जाने की आशा है। फर्रुखाबाद एवं जालौन में चार-चार हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली डेरियां शीघ्र ही कार्य करने लगेंगी प्रदेश में 1978–79 के आरम्भ में 5.29 लाख लीटर प्रति दिन की प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध हो जाने की आशा है। पुरानी दुग्ध सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण, विलय एवं नई

समितियों के गठन संबंधी आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित कर दिये गये हैं। जिससे कि प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां एक सक्षम इकाई के रूप में कार्य कर सकें। 'आपरेशन फ्लड स्टेज-टू' दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 21 जनपदों को लिया गया है।

प्रदेश में विभिन्न दुग्धशालाओं के पास स्थानीय मांग से अतिरिक्त उपलब्ध दूध के विपणन की व्यवस्था के लिये मिल्क ग्रिड बनाकर उन्हें विभिन्न फीडर-कम-बैलेंसिंग डेरी से सम्बद्ध करने का भी प्रस्ताव है। प्रदेश के विभिन्न दुग्धशालाओं के विपणन एवं क्रय प्रणाली को सुधारने के लिये प्रदेश स्तर पर केन्द्रीयकृत मार्केटिंग एवं परचेज सेल स्थापित किये जायेंगे।

उद्योग

शासन की नयी औद्योगिक नीति का उद्देश्य राज्य को अर्थ व्यवस्था का संतुलित विकास करना, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। इस नयी औद्योगिक नीति के अनुसरण में प्रदेशीय सरकार ने विभिन्न नये कार्यक्रम चलाये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास केन्द्रों का अभिज्ञान किया गया है जहां पर मुख्यतः उपलब्ध स्थानीय कच्चा माल एवं संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 1977–78 में 2,100 नई लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होने की आशा है। वर्ष 1978–79 के लिये, 4,000 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिससे लगभग 60,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त हस्तशिल्प खादी एवं अन्य सेक्टरों में 26,000 अतिरिक्त व्यक्तियों को भी रोजगार उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार ने अभी हाल ही में हस्तशिल्प क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण योजनायें—कालीन, चिकन तथा काष्ठ कला उद्योग के सुधार एवं विकास के लिये स्वीकृत की है।

ग्रामीण एवं लघु उद्योग सेक्टर के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1977–78 में (फरवरी, 1978 तक) 310 अतिरिक्त समितियों का पंजीकरण किया गया तथा 14,799 हथकरघे सहकारी क्षेत्र में लगाये गये। रिजर्व बैंक रिफाइनेन्स योजना के अन्तर्गत बुनकर सहकारी समितियों को कार्य–पूंजी के लिये अब तक 170.00 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

कन्ट्रोल क्लाथ का उत्पादन वर्ष 1977–78 में 451.28 लाख रु0 का हुआ। हथकरघा सघन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रही 3 परियोजनायें (गोरखपुर, बस्ती, बिजनौर तथा मऊ) में प्रशंसनीय प्रगति हुई है। हथकरघा विभाग द्वारा चार भंडार गृहों का निर्माण कराया जा रहा है। चार बुनकर कालोनी, बाराबंकी, इटावा, एटा एवं झांसी में स्थापित की जा रही है।

लघु उद्योगों के विकास के साथ-साथ वृहत एवं मध्यम उद्योगों के विकास पर भी समुचित ध्यान दिया जा रहा है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु, 1,806 करोड़ रु0 के विनियोजन के 1,132 अनुज्ञा पत्र अब तक निर्गत हुये हैं तथा 906 करोड़ रु0 के विनियोजन के 191 अनुज्ञा–पत्र इस समय क्रियान्वयन के अन्तर्गत है। संयुक्त क्षेत्र में भी कई नई परियोजनायें लगायी गयी हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 14 औद्योगिक क्षेत्रों में 4,330 भू-खण्ड विकसित किये गये हैं। जिनमें से 3,000 भू-खण्ड आबंटित किये जा चुके हैं। पिकप ने 448 लाख रु0 का ऋण 19 इकाइयों को स्वीकृत किया है। पिकप द्वारा बिक्री कर ऋण भी

[श्री मधुकर दिघे]

प्रदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम द्वारा एक नया सीमेन्ट कारखाना, कजराहट (मिर्जापुर) में निर्माणाधीन है जो निकट भविष्य में उत्पादन कार्य आरम्भ कर देगा।

ललितपुर, देहरादून, टेहरी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में क्रमशः बेराइट, सीसा, जस्ता तथा शीलाइट (टंग्स्टन खनिज) के नये परियोजना खनिजीकरण का पता लगाया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना के सहयोग से किये गये अन्वेषण कार्यों में ललितपुर जिले में तांबा, यूरेनियम, पिथौरागढ़ जिले में तांबा, सीसा, जस्ता तथा अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में क्षेत्रीय भू रासायनिक सर्वेक्षण का कार्य मुख्य है। कुछ और परियोजनायें जिनमें से मुख्य हैं बांदा जिले में बाक्साइट भंडारों का खनन, इलाहाबाद तथा बांदा जिलों में सिलिका सैण्ड वाशिंग प्लान्ट, ललितपुर में हाई एलुमिना रिफैक्ट्री परियोजना, देहरादून जिले में लम्बीधार क्षेत्र, में उच्च श्रेणी के चूना पत्थर तथा मार्बल भंडारों का खनन भी प्रारम्भ किया है।

गन्ना और चीनी उद्योग

उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में गन्ने की खेती और चीनी के उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न योजनाओं के सफल सम्पादन के फलस्वरूप इस वर्ष गन्ने व चीनी का रिकार्ड उत्पादन होने का अनुमान है। गत वर्ष कुल गन्ने का उत्पादन 536.60 लाख मीटरिक टन हुआ जबकि इस वर्ष 644 लाख मीटरिक टन होना अनुमानित है। इसी प्रकार गत वर्ष हुई 14.71 लाख मीटरिक टन के चीनी उत्पादन के विरुद्ध चालू वर्ष में लगभग 15 से 16 लाख मीटरिक टन चीनी का का उत्पादन सम्भावित है। गन्ने के प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन में भी अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है जो 46.2 मीटरिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 47.4 मीटरिक टन प्रति हेक्टेयर अनुमानित है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में कमी आई है। वर्ष 1976 में अन्तराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें जनवरी, 1976 के दूसरे सप्ताह में 2,876 रु0 प्रति मीटरिक टन थी जबकि इस वर्ष 1615 प्रति मीटरिक टन है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रदेश में भी चीनी, खाण्डसारी व गुड़ की कीमतों में गिरावट आयी है। गुड़ की कीमतें गिरने से बचाने के लिये भारत सकार की योजना के अधीन उत्तर प्रदेश सहकारी संघ व भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुड़ की खरीद की जा रही है। इसी प्रकार खाण्डसारी के भावों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने सहकारी संघ खाण्डसारी क्रय की व्यवस्था की है। सरकार का यह संकल्प है कि किसान का पूरा गन्ना पेरा जाय और उसे निर्धारित मूल्य मिले। जो सुविधायें चीनी मिलों व खाण्डसारी उत्पादकों को दी गई और जो गुड़ व खाण्डसारी की खरीद शुरू की गयी उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि चीनी, गुड़ व खाण्डसारी बनाना जारी रहे ताकि पूरे गन्ने की पेराई हो जाये और गन्ना उत्पादकों को देय मूल्य का भुगतान होता रहे। इन कदमों के फलस्वरूप राज्य की सभी चीनी मिलें चल रही हैं और गन्ना-कृषकों को देय मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। खाण्डसारी इकाइयों की जांच-पड़ताल बहुत सख्ती से की जा रही है ताकि गन्ने का देय मूल्य किसानों को मिलता रहे।

वर्तमान समय में कुल 84 चीनी मिलें कार्यरत हैं। इन चीनी मिलों में से पांच नयी चीनी मिलों ने चालू वर्ष में पेराई का कार्य प्रारम्भ किया है। अनूपशहर, बदायूं व बीसलपुर की मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं और चांदपुर एवं छाता की मिलें सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। यह

आशा की जाती है कि इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्रमें बिलासपुर तथा रमाला एवं सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली नन्दगंज तथा रायबरेली की चीनी मिलें आगामी पेराई सीजन से पेराई का कार्य प्रारम्भ कर देंगी।

भूमि सुधार

भूमिहीनों को जो गांव सभा की भूमि आवंटित की गई थी उसमें से बहुत मामलों में वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका था। इस वर्ष एक विशेष अभियान चलाकर 1.05 लाख व्यक्तियों को वास्तविक कब्जा दिलवाया गया। मंगलदेव विशारद कमेटी के प्रतिवेदन के कार्यान्वियन की गति को तेज करने के लिये शासन ने एक उच्च स्तरीय कार्यकारी दल का गठन किया है। इस दल के सुझावों के अनुसार अधिकारियों द्वारा जिलों में जाकर विस्तृत परीक्षण भी आरम्भ कर दिया गया है। गांव सभा भूमि के आबंटियों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले को 3 वर्ष तक के कारावास के दण्ड देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार का प्राविधान करने वाला उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है।

यह व्यवस्था कर दी गई है कि जिन लोगों को गांव सभाओं में निहित भूमि मकान बनाने के लिये दी जाती है उन्हें मकान बनाने के लिये भूमि को बन्धक रखकर बिना कब्जा दिये वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त हो जायेगा। हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा आवंटित आवास स्थलों पर मकान बनवाये जा रहे हैं।

भूमि मापन व अभिलेखों की प्रक्रियाओं में भू-लेखों में दुरुस्ती के प्राविधान सरल बनाने के उद्देश्य से सिद्धांततः वही प्रक्रिया अपना ली गई है जिसे चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेखों के दुरुस्ती के लिये अपनाया जाता है। इस प्रकार अनधिकृत काबिज व्यक्तियों को अभिलेख क्रियाओं के दौरान ही बेदखल करने के आदेश दिये जा सकेंगे। सभी निजी वनों को 1 जनवरी, 1978 से शासन में निहित कर दिया गया है।

खाद्य तथा रसद

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिये जिलों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रति सप्ताह जिला मूल्य मानीटरिंग समिति की बैठक बुलाई जाती है और मूल्यों की समीक्षा की जाती है। इसी प्रकार शासन स्तर पर राज्य मूल्य मानीटरिंग समिति की बैठक प्रति सप्ताह होती है। प्रदेश में मिट्टी के तेल ईंट व टायर ट्यूब एवं वनस्पति की उपलब्धता प्रायः संतोषजनक है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करके क्रियाशील बनाया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को विशेष रूप से सुविधा देने के लिये उसे ग्रामोन्मुखी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न और अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण आदेश, 1977 ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन का कार्य विकेन्द्रित करके सिटी मजिस्ट्रेट व परगना अधिकारी को दिया गया है। नगर व तहसील-स्तर पर खाद्य समितियां भी गठित की जा चुकी हैं जो सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में अपना परामर्श देंगी।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी राशन कार्डों के नवीनीकरण और आवश्यकतानुसार नये राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। राशन कार्ड की कीमत भी घटा दी गई है। शासन ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक विकास खंड स्तर पर एक पूर्ति निरीक्षक के अतिरिक्त एक हाट निरीक्षक तथा अन्य आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति भी की जाय, जिनका मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के राशन-कार्ड चेक करना, छूटे हुए राशन कार्ड बनाना तथा वहां की सस्ते गल्ले की दुकानों को सुचारु रूप से चलाने का प्रबन्ध करना होगा।

[श्री मधुकर दिघे]—

भारत सरकार द्वारा प्रदेश का लेबी चीनी का मासिक कोटा बढ़ा दिया गया है और अतिरिक्त मिल रही चीनी को ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा राशन कार्डों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित किया जा रहा है।

शिक्षा

राज्य सरकार शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विकास और गुणात्मक सुधार के लिये प्रयत्नशील है। पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में असेवित क्षेत्रों में वर्ष 1976–77 तक केवल 2,574 प्राइमरी तथा 247 मिडिल स्कूल खोले गये। जनता सरकार ने संसाधनों की कमी होते हुए भी वर्ष 1977–78 में 3,162 प्राइमरी तथा 612 मिडिल स्कूल नये खोले।

माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु वर्ष 1977–78 में 52 नये राजकीय हाई स्कूल खोले गए। ब इस राजकीय हाई स्कूलों को इन्टर स्तर का बनाया गया तथा 7 राजकीय इण्टर कालेजों में द्विपाली व्यवस्था लागू की गयी। बालक एवं बालिकाओं के 25 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में अतिरिक्त अनुभाग खोल दिये गये हैं।

वर्ष 1978–79 में 2,170 नये प्राइमरी स्कूल, 1,020 मिडिल स्कूल 288 अनुवर्ती कक्षायें, 34 राजकीय हाई स्कूल तथा दो राजकीय डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 6 राजकीय हाई स्कूलों को इन्टर स्तर पर उच्चीकृत करने, 10 राजकीय इन्टर कालेजों में द्विपाली योजना चालू करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण क्षेत्र में मेधावी छात्रों को छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवासीय शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के 9 राजकीय इंटर कालेजों में जुलाई, 1977 से आवासीय शिक्षा की व्यवस्था कर दी गयी है। आगामी वर्ष में इस योजना का विस्तार 10 जनपदों में किया जायेगा।

अभी तक प्राइमरी व माध्यमिक स्कूलों संस्कृत पाठशालाओं एवं अरबी-फारसी मदरसों के अध्यापकों को ही राज्य पुरस्कार प्रदान किया जाता था। शासन मे वर्ष 1978–79 में नर्सरी स्कूलों एवं प्रशिक्षण विद्यालयों के दो-दो अध्यापकों को भी प्रतिवर्ष राज्य पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है।

वय वर्ग 11–14 के उन बच्चों के लिये जो आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों के कारण प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, को शिक्षा सुविधा के उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1978–79 में 2,750 अनौपचारिक अंशकालिक कक्षायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

असहाय्यित माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान-सूची पर लाने की शर्तों को और उदार बनाया जा रहा है और यह व्यवस्था की जा रही है कि जो विद्यालय पहले खुले हैं उन्हें अनुदान सूची पर पहले लाया जाय। इस सम्बन्ध में आवश्यक अर्हतायें पूरी करने के लिए उन्हें दो वर्ष का समय दिया जायेगा।

जिला परिषदों और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों का प्रबन्ध जुलाई, 1972 से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जा रहा है किन्तु उनके भवनों पर स्वामित्व जिला परिषदों तथा संबंधित स्थानीय निकायों का ही बना रहा है। चूंकि उक्त संस्थाओं द्वारा विद्यायय भवनों के रख-रखाव पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है अतः छात्रों की सुरक्षा व सुविधा का ध्यान रखते हुए उक्त भवनों

की आवश्यक मरम्मत के लिये अगले वर्ष के बजट में व्यवस्था की गई है। इन विद्यालयों में साज-सज्जा (टाट पट्टी आदि) की भी समुचित व्यवस्था हेतु प्राविधान किया गया है।

उर्दू को बढ़ावा देने के लिये सक्रिय कदम उठाये गये हैं। स्कूलों में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्य पुस्तकों के उर्दू संस्करणों की कीमत हिन्दी पुस्तकों के समकक्ष रखने के लिए दोनों संस्करणों की कीमतों के अन्तर के बराबर सबसिडी दी जायेगी। उर्दू अकादमी को प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है। अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर उर्दू के साहित्य उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रदेश में श्री फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल फंड की स्थापना की गई है जिसमें अन्य सरकारें भी योगदान दे रही हैं। राज्य कर्मचारियों को उर्दू में वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा पास करने पर पुरस्कार देने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

राज्य में अध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार के लिये भी सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं जिनका उल्लेख मैं राज्य कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित प्रस्ताव में करूंगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दे रही है। ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने तथा आकस्मिक आवश्यकता के समय तात्कालिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 1977 को गांधी जी की जयंती के पुनीत अवसर पर 184 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक योजना प्रारम्भ कर दी गयी है। प्रथम चरण में स्वास्थ्य रक्षकों को 3 माह का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के पश्चात् गांवों में प्रति एक हजार जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले प्राइमरी कक्षा के बच्चों के स्वास्थ्य रक्षण के लिये इस वर्ष 70 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक कार्यक्रम चलाये जाने की स्वीकृति दे दी गयी है। बजट वर्ष में यह कार्यक्रम 100 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चलाये जाने का प्रस्ताव है।

प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों में रोगी उपचार की वर्तमान व्यवस्था अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने तथा मेडिकल कालेजों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास एवं सुनियोजित संचालन के उद्देश्य से और मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त शासन ने राजकीय मेडिकल कालेजों तथा के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के अध्यापकों तथा प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों की दिनांक 1 मार्च, 1978 से प्राइवेट प्रैक्टिस समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

वर्तमान सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति के उत्थान पर विशेष बल दे रही है तथा विगत कुछ महीनों में इन पद्धतियों के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवाओं को अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से शासन ने एक एकीकृत संवर्ग राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा के नाम से सृजित किये जाने की स्वीकृति दी है। आयुर्वेदिक गैर सरकारी कालेजों में शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने हेतु शासन ने 4 और अशासकीय कालेजों के प्रान्तीयकरण का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 1978–79 में आयुर्वेदिक महाविद्यालय, वाराणसी के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव है।

आयुर्वेदिक औषधियों की शुद्धता तथा प्राथमिकता की जांच करने के लिए ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में एक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

[श्री मधुकर दिघे]—

होम्योपैथी शिक्षण एवं प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से शासन ने होम्योपैथिक बोर्ड को भंग कर दिया है और इसके साथही एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन कर दिया है जो भंग बोर्ड के पिछले कार्यकलापों की जांच करके अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी। होम्योपैथिक निदेशालय का सृजन इस वर्ष कर दिया गया है। होम्योपैथिक कालेजों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने हेतु शासन ने सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि प्रदेश के सभी गैर सरकारी होम्योपैथिक कालेजों का छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रान्तीयकरण कर दिया जाय। प्रान्तीयकरण एवं उससे सम्बद्ध सभी मामलों पर विचार करने के लिये शासन ने एक दूसरी सात सदस्यीय समिति गठित कर दी है। होम्योपैथिक परीक्षाओं को विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित करवाया जा रहा है।

वर्तमान जनसंख्या नीति के अनुसार पांचवीं पंचवर्षीय तथा छठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय जन्म दर को क्रमशः 30 तथा 25 प्रति हजार तक लाना है। सरकार की नीति के अनुसार उक्त लक्ष्य की पूर्ति परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्ण रूप से स्वैच्छिक रूप प्रदान करके की जानी है। जन सहयोग हेतु शिक्षा एवं प्रचार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक जन प्रतिनिधियों सामाजिक, कार्यकर्त्ताओं, पत्रकारों आदि की गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है।

हरिजन एवं समाज कल्याण

शासन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति एवं पिछड़े वर्गों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये सतत् प्रयास कर रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सफल संचालन हेतु विभाग के प्रशासकीय ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। हरिजनों के हितों की सुरक्षा के लिये जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बना दिया गया है। यदि कहीं अत्याचार की घटना हुई तो उसके फलस्वरूप हुई हानि को पूरा करने के लिये शासन द्वारा वित्तीय सहायता दी जायगी। यह आदेश दिये गये हैं कि हरिजनों पर होने वाले अत्याचार एवं न्यायपूर्ण घटनाओं की सूचना व्यक्तिगत रूप से होमगार्ड संगठन के कर्मचारी अपनी समीपस्थ पुलिस थाने को दें।

समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में आगामी वित्तीय वर्ष 1978–79 से प्रगाढ़ रूप से विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत उन्नाव में विकलांग व्यक्तियों के लिये एक बहुउद्देश्यीय उत्पादन केन्द्र की स्थापना, विकलांगों संबंधी योजनाओं के लिये मूल्यांकन कक्ष की स्थापना, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिये बाल विकास परियोजनाओं की स्थापना बड़े शहरों में रैन बसेरों की स्थापना, अनुमोदित विद्यालय गाजीपुर तथा वाराणसी का विस्तार का प्रस्ताव है। यह भी निश्चय किया गया है कि प्रत्येक जिले में हरिजन वर्ग के कमजोर से कमजोर सौ लोगों को आवास संबंधी सुविधा व जीवनयापन करने के लिये व्यवसाय अथवा उद्योग के लिये अनुदान दिया जायगा।

वर्तमान सरकार ने सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों/सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिये श्रेणी 1, 2 तथा 3 में 15 प्रतिशत तथा श्रेणी 4 में 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करने के आदेश जारी कर दिये हैं। उक्त जातियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्राविधान भी कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षण को पूरा करने हेतु विशेष भर्ती/चयन करके उक्त जातियों का आरक्षण 2 वर्ष की अवधि के पूरा करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया। यह निर्णय लिया गया कि राजकीय अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं की सेवाओं में भी अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की जाय।

सड़कें तथा पुल

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 3 वर्षों में प्रदेश में 3,733 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 1190 किलोमीटर सड़कों का सुधार व पुनर्निर्माण तथा 107 पुलों का निर्माण किया गया। इस प्रकार मार्च, 1977 के अन्त तक प्रदेश में सड़कों की कुल लम्बाई बढ़कर 40,503 किलोमीटर हो गई। वर्ष 1977–78 में विशेष बल अधूरी सड़कों को पूरा करने पर दिया गया तथा ग्रामीण जनता का आर्थिक स्तर उठाने के उद्देश्य से गांवों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। इस वर्ष कुल 2,234 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण पूरा होने की सम्भावना है। कुछ महत्वपूर्ण पुल, जैसे जिला सहारनपुर में हरिद्वार के निकट गंगा नदी का पुल, जिला रायबरेली में गंगासों के निकट गंगा का पुल और जिला हमीरपुर में बेतवा नदी के पुल का निर्माण इस वर्ष में पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जिला जालौन में भिण्ड-इटावा मार्ग पर पाहुज नदी के पुल का निर्माण पूरा होने की सम्भावना है।

वर्ष 1978–79 में 3,147 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 459 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का सुधार व पुनर्निर्माण तथा 39 पुलों का निर्माण पूरा करने का कार्यक्रम है। वर्ष 1978–79 में जिन पुलों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है उनमें उल्लेखनीय है—गाजीपुर जिले में ताड़ीघाट–गहमरवारा मार्ग पर कर्मनाशा नदी का पुल, देवरिया जिले में छोटी गंडक नदी पर पुल तथा बिजनौर जिले में बनैली नदी पर पुल। इसके अतिरिक्त 23 नये पुलों पर भी कार्य आरम्भ किया जायेगा तथा 16 कमजोर पुलों का पुनर्निर्माण किया जायगा।

शांति व्यवस्था

शांति व्यवस्था आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आधारिक आवश्यकता है। समय-सयय पर होने वाली घटनाओं से जन-मानस में जो प्रतिक्रिया होती है उसके प्रति सरकार जागरूक है। अतः शासन द्वारा ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जिनसे कि स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हो सके। पुलिस प्रशासन को और दक्ष, चुस्त एवं जनोपयोगी बनाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अपराधों की सूचना समय से मिलना अत्यावश्यक है और इसलिये सचल रेडियो सेटों की व्यवस्था में वृद्धि की जा रही है। आगरा, बरेली तथा कुमायूं परिक्षेत्रों के राष्ट्रीय मार्गों पर राहजनी की घटनायें रोकने के लिये रेडियो सज्जित गाड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। कानपुर-लखनऊ के बीच के मार्ग पर स्थित थानों का पारस्परिक सम्बन्ध भी वायरलेस द्वारा बना है। सरकार ने यह निश्चय किया है कि 31 पुलिस चौकियों पर भी रेडियो टेलीफोन की व्यवस्था की जाय और रेलवे स्टेशनों पर स्थित कुछ थानों पर भी रेडियो टेलीफोन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सरकार पांच अतिरिक्त नगरों में कन्ट्रोल रूम्स की व्यवस्था कर रही है और इन नगरों में रेडियो सचल गाड़ियां भी उपलब्ध कराई जायेंगी। 78 सर्किल आफीसर्स को मोबाइल रेडियो सेट्स उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिससे वे निरंतर मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रख सकें। 30 थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये सीतापुर में स्थित पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशाप का पुनर्गठन किया जा रहा है। सरकार ने सहायक सब इन्सपेक्टर तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को देय वर्दी नवीनीकरण भत्ते की धनराशि में वृद्धि करने का निश्चय किया है।

होम गार्ड के सदस्य प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने और विशेष रूप से आपातिक अवसरों पर सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस संगठन के सदस्यों को प्रशिक्षण की अवधि में दिये जाने वाले भत्तों की दरों में वृद्धि करने और ड्यूटी पर लगाये जाने की दशा में पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त मदों के लिये कुल मिला कर 28.21 लाख रुपये का प्राविधान आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में किया गया है।

[श्री मधुकर दिघे]—

न्याय

प्रदेश में न्याय व्यवस्था को कम खर्चीली बनाने, जनसाधारण को सामयिक न्याय दिलाने तथा न्याय प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाने के लिये—कुछ विशेष महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। न्यायालयों की संख्या को बढ़ाने की कार्यवाही के साथ-साथ सिविल तथा दण्ड प्रक्रिया संहिताओं में व्यापक संशोधन किये जा रहे हैं।

जिला जजों, अपर जिला जजों, मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों एवं अतिरिक्त चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों/पदों की संख्या में नई नियुक्तियां करके पर्याप्त वृद्धि की गई है। प्रशासन के विकेन्द्रीयकरण की नीति के अनुसरण में मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों को तहसील मुख्यालयों में स्थानान्तरित करके जनता को सस्ता एवं शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग हो और फौजदारी मामलों में अभियुक्तों को नकलें शीघ्र दी जा सकें इस उद्देश्य से बड़े जिलों में फोटो कापियर मशीनें तथा सभी जिलों में आवश्यकतानुसार हिन्दी टाइपराइटर देने की व्यवस्था की जा रही है। न्यायालयों के लिये फर्नीचर, लाइब्रेरी तथा आवधिक पत्रिकाओं की आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

मद्य निषेध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की नीति मादक वस्तुओं के उपभोग पर उत्तरोत्तर रोक लगाने की है। शासन ने यह निर्णय लिया है कि भारत सरकार की मद्यनिषेध नीति के अनुसरण में प्रदेश में अधिक से अधिक चार वर्षों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया जाय। शासन ने पूरे प्रदेश में 14 अक्तूबर, 1977 से गांजे के उपभोग को पूर्णतया निषिद्ध कर दिया है। मद्यनिषेध की नीति के अनुसरण में शासन ने राज्य के 7 जिलों में पूर्ण मद्य-निषेध लागू करने का निर्णय लिया है। अवैध मद्य निष्कर्षण पर नियंत्रण तथा आबकारी अपराधों को रोकने के लिये उड़नदस्तों की व्यवस्था के साथ ही अर्थ दण्ड की धनराशि तथा कारावास की अवधि में भी वृद्धि कर दी गई है।

श्रम विभाग

आपातकालीन स्थिति समाप्त होने के फलस्वरूप कुछ औद्योगिक अशान्ति उत्पन्न हुई क्योंकि श्रमिकों की दबी हुई भावनायें, आकांक्षायें तथा मांगें उभरी। तथापि औद्योगिक अशान्ति पर नियंत्रण करने के लिये समयानुसार हस्तक्षेप करके तथा विवादों को अभिनिर्णय हेतु प्रेषित करके प्रभावकारी उपाय किये जाते रहे हैं। औद्योगिक श्रमिकों के वेतन भुगतान में देरी होने अथवा भुगतान न होने की दशा में उस वेतन की वसूलयाबी मालगुजारी के रूप में करने हेतु शासन ने एक अध्यादेश भी जारी किया है।

प्रदेश में बन्धित श्रमिकों की प्रथा को समाप्त करने और मुक्त श्रमिकों के पुर्नवास की व्यवस्था करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। पुनर्वास की योजनाओं के प्रशासन हेतु एक परियोजना अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभिन्न असंगठित उद्योगों में न्यूनतम वेतन का निर्धारण/पुनरीक्षण किया जा रहा है ताकि श्रमिकों को उचित वेतन भुगतान हो। कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे सार्वजनिक मोटर परिवहन तथा कपड़ा छपाई आदि में श्रमिकों की दशाओं का अध्ययन करने एवं उचित वेतन की अनुशंसा करने के लिये समितियों का गठन किया गया। दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव प्रकाशित किये जा चुके हैं। दुकान कानून प्रदेश के शेष विनियमित क्षेत्रों, नगर समितियों तथा नगरपालिका क्षेत्रों में भी दिनांक 6 जनवरी, 1978 से लागू कर दिया गया है।

राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के कल्याण की योजनायें

राज्य सरकार अपने सेवारत, सेवा-निवृत्ति कर्मचारियों तथा मृतक कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के प्रति सदैव जागरुक है। इस सम्बन्ध में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं जिनका में संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय दरों पर समय-समय पर महंगाई भत्ता स्वीकृत करने का राज्य सरकार का प्रयास रहा है। मुझे यह बताते हुये अत्यन्त प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने पहली जनवरी, 1978 से महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किश्त स्वीकृत करने का निर्णय ले लिया है। आवश्यक विचार-विमर्श तथा राज्य की अर्थोपाय स्थिति का ध्यान रखते हुये यह तय किया जायेगा कि इस किश्त का भुगतान किस प्रकार किया जाय। इस अतिरिक्त किश्त को देने से राजस्व कोष से लगभग 11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय अनुमानित है।

मुझे यह भी बताते हुये हर्ष है कि अतिवयता आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के दिनांक को अवकाश लेखे में जमा 180 दिन के अर्जित अवकाश का भुगतान कुछ शर्तों के अधीन किया जायेगा। इस सुविधा को दिनांक 30 सितम्बर, 1977 से स्वीकार करने का निश्चय किया गया है जिस पर पूरे वर्ष के लिये लगभग 30 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार अनुमानित है।

दिनांक 1 जनवरी, 1978 से सेवारत कर्मचारियों का अर्जित अवकाश प्रतिवर्ष पहली जनवरी को 16 दिन और पहली जुलाई को 15 दिन उनके अवकाश लेखे में क्रेडिट कर दिया जायेगा। चिकित्सा अवकाश के उपभोग की वर्तमान व्यवस्था में सरलीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। महिला कर्मचारियों को अनुमन्य प्रसूति अवकाश तथा उसके क्रम में अन्य अवकाश के नियमों को उदार बनाने का निर्णय लिया गया है। अर्जित अवकाश तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर लिये गये अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन की गणना अब उस वेतन के बराबर होगी जो संबंधित कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त कर रहा था। अवकाश वेतन अग्रिम के नियमों में भी आवश्यक संशोधन किया गया है।

शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का दिनांक तथा दक्षता रोक पार करने की तिथि दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से उस माह की पहली तारीख होगी जिस माह से संबंधित कर्मचारी को वेतन-वृद्धि देय होती है। दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से मकान किराया भत्ता प्रमाण-पत्र देकर फ्लैट रेट से प्राप्त करने की सुविधा समस्त सरकारी सेवकों को जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है, निर्धारित शर्तों के अनुसार स्वीकार की जायेगी। इस सुविधा को प्रदान करने पर वार्षिक वित्तीय भार लगभग 13.50 लाख रुपये अनुमानित है।

सेवानिवृत्ति होने अथवा सेवारत मृत्यु हो जाने पर प्राप्त होने वाली डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की कुल धनराशि में से पारिवारिक पेंशन हेतु कटौती के प्रतिबन्ध को दिनांक 1 जनवरी, 1978 से हटा लिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके फलस्वरूप अब लगभग 20 लाख रुपये का अधिक भुगतान शासन को प्रत्येक वर्ष करना होगा।

नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन की वर्तमान न्यूनतम दर 25 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 60 रुपये प्रतिमाह तथा अधिकतम दर 150 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 250 रुपये प्रतिमाह स्वीकार की जायगी। इस सुविधा पर लगभग 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष का व्यय भार अनुमानित है।

पेंशनर्स को राहत दिये जाने का प्रश्न भी शासन के विचाराधीन रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि 200 रुपया प्रतिमाह तक पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनर्स को वर्तमान

[श्री मधुकर दिघे]—

10रु0तथा 15रु0 प्रतिमाह के स्थान पर 20 रु0प्रतिमाह की दर से तथा 201रु0 तथा उससे अधिक पेंशन पाने वाले को 20 रु0 प्रतिमाह के स्थान पर 25 रु0 प्रतिमाह की दर से राहत स्वीकार की जाये। इस पर अनुमानित व्यय लगभग 114.80 लाख रु0 प्रतिवर्ष होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे पेंशनर्स को जो दिनांक 1-4-1975 से पूर्व सेवानिवृत्ति हो चुके हैं उपरोक्त राहत के अतिरिक्त 5 रु0 प्रतिमाह की एक तदर्थ वृद्धि स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है जिस पर अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार लगभग 54.60 लाख रु0 आता है।

सामूहिक बीमा योजनाओं से प्राप्त लाभांश का उपयोग शासन द्वारा कर्मचारियों अथवा कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों के लिये कल्याणकारी योजनाओं पर किया जायगा। इस प्रयोजन के लिये एक बेनोवोलेन्ट फंड गठित किया जा रहा है।

भविष्य निधि खातों के रख-रखाव में होने वाली त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से सचिवालय सेवा के समस्त अधिकारियों तथा ऐसे कर्मचारी जिनके पदों के वेतनमानों का अधिकतम रु0 1,200 से अधिक न हो, को पास बुक जारी की जायगी जिसमें उनके भविष्य निधि खाते का लेखा प्रत्येक माह अंकित किया जायगा।

शासन ने पर्वतीय पांच जिलों अर्थात नैनीताल, पौढ़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, देहरादून तथा अल्मोड़ा में तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों को पर्वतीय विकास भत्ता दिया जाना स्वीकार किया है।

शासन ने प्रदेश के गैर-सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिये दिनांक 1 जनवरी, 1973 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान लागू किये थे। अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों पर भी 1 जनवरी, 1973 से उक्त वेतमान लागू किये जायें।

शासन द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधिकतम रु0 450 प्रतिमाह वेतन पाने वाले अध्यापकों एवं कर्मचारियों के अधिकतम तीन पुत्रों अथवा पुत्रियों को जूनियर हाई स्कूल से लेकर इन्टरमीडियेट स्तर तक शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

हमारी सरकार ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। इनमें मुख्य है—दिनांक 30 जून, 1974 से राजकीय कर्मचारियों के समान दर पर पेंशन देना और यदि कोई 58 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्ति होने का विकल्प दे तो उसे सेवानिवृत्ति अनुतोषिक भी देना, सी0 टी0, एल0 टी0 और प्रवक्ता वेतनमानों में कार्यरत शिक्षकों के लिये सेलेक्शन ग्रेड देना, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के 5 वर्ष का शैक्षिक अनुभव रखने वाले इन्टर बी0 टी0 सी0 अध्यापकों को सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध जूनियर कक्षाओं के शिक्षकों को अनुमन्य वेतनमान देना, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भांति आवासीय, पर्वतीय, सीमान्त भत्ता देना, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दो वर्ष के अन्दर निर्धारित अर्हतायें पूरा करने के प्रतिबन्ध के साथ मान्यता वर्ष के क्रमानुसार अनुदान सूची पर लाना तथा मई, 1972 के पश्चात् अनुदान सूची पर लाये गये विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन निर्धारण उनके वास्तविक पेंशन के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित वेतनमानों में सामान्य स्तर पर या, यदि वह उपलब्ध न हो, उससे अगले स्तर पर किया जाना।

इस विवरण से स्पष्ट होगा कि सरकार कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने और उनको आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिये जागरूक और तत्पर है। इस अवसर पर मै जनसेवकों से भी अपील करना चाहूंगा। वे करोड़ों नागरिकों से अधिक अच्छी हालत में है।

उत्तर प्रदेश एक बहुत गरीब प्रदेश है। जन साधारण की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिये सम्पूर्ण एवं समर्पित प्रयास की आवश्यकता है। जन-सेवकों को अपने जीवन निर्वाह के साथ जनता की सेवा करने का भी अवसर मिला है। उन्हें समस्त नागरिकों और विशेष तौर से निर्बल वर्ग के दु:ख-दर्द को हर संभव प्रयास से दूर करना है। निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी से अपने-अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुये हम जनता का सुख और संतोष बढ़ाने में अवश्य सफल होंगें।

संस्थागत वित्त

सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को यथासम्भव कम करने के उद्देश्य से यह प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यक्रमों हेतु संस्थागत वित्त स्रोतों से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त की जाय। चालू वित्तीय वर्ष 1977–78 के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1978 तक 359 योजनाएं वित्तीय संस्थाओं तथा व्यवसायिक बैंकों को प्रस्तुत कराने में सफलता प्राप्त हुई है और इस अवधि में इन संस्थाओं द्वारा 473 करोड़ रु0 की 133 योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध 385 करोड़ रु0 अवमुक्त भी किया जा चुका है।

यह प्रयास किया जा रहा है कि व्यवसायिक बैंकों द्वारा निर्बल वर्ग के लिये एवं प्राथमिकता क्षेत्र में अधिकाधिक ऋण वितरण किया जाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की शाखा का विस्तार हो। परिणाम स्वरुप जनवरी, 1978 के अन्त तक 2,894 शाखायें खुल चुकी हैं जिनमें से दो-तिहाई से अधिक शाखाएं ग्रामीण और अर्द्ध-नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं। प्रति बैंक शाखा की जनसंख्या का औसत घट कर लगभग 30,000 हो गया है। बैंकों की ओर से यह आश्वासन प्राप्त हुआ है कि जून, 1978 के अन्त तक सभी विकास खण्डों में बैंक की शाखायें खुल जायेंगी। जनवरी, 1978 के अन्त तक 39 जनपदों के लिये विभिन्न व्यवसायिक बैंकों द्वारा ऋण योजनायें बनायी जा चुकी हैं। अधिकांश जिलों में ऐसी योजनाएं कार्यान्वित भी हो रही हैं। इनके अतिरिक्त लगभग 700 करोड़ रु0 की ऋण सुविधा विशेषत: कृषि, ग्रामीण उद्योग एवं सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में अगले 3 वर्ष में उपलब्ध की जायगी।

समाज के पिछड़े एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से छोटे-छोटे ऋण वितरित किये जा रहे हैं। 83,189 व्यक्तियों को लगभग 6 करोड़ रु0 का ऋण वितरित किया जा चुका है। इसी प्रकार जनवरी, 1978 के अन्त तक 53.39 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता राज्य पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 198 लाख व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न व्यवसायिक बैंकों की कुल 279 विभिन्न योजनायें राज्य पुरोनिधानित घोषित की जा चुकी हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1977–78 में 33,645 व्यक्तियों को लगभग 4.44 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय बचत

प्रदेश की विकास योजनाओं हेतु आर्थिक संसाधनों को एकत्र करने में राष्ट्रीय बचत योजना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

वित्तीय वर्ष 1977–78 में इस योजना के अन्तर्गत शुद्ध जमा धनराशि एकत्रित करने का लक्ष्य 85 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था और मुझे पूर्ण आशा है कि हम लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे। वर्ष 1978–79 के लिये प्रदेश का लक्ष्य 90 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। इस योजना को जन कार्यक्रम का रूप देने का प्रयत्न किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार करने की व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों में योजना का व्यापक प्रचार किया जायेगा। बच्चों में प्रारम्भ से ही बचत की आदत डालने हेतु योजना को स्कूलों में तीसरी कक्षा से ही लागू किया जा

[श्री मधुकर दिघे]

रहा है। गांवों के प्रत्येक परिवार का एक बचत खाता खुलवाने का प्रयत्न है। गन्ना समितियों और कृषि उत्पादन मण्डियों के माध्यम से भी राष्ट्रीय बचत का कार्य-क्रम चलाया जायेगा।

मैं सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अल्पबचत अभियान की सफलता के लिये यथासम्भव प्रयास करे और अपने क्षेत्रों में जनता को अधिक से अधिक बचत के लिये प्रेरित करें।

वित्त आयोग

पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में माननीय सदस्यों को अवगत कराया था कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत जून, 1977 में राष्ट्रपति महोदय ने सप्तम वित्त आयोग को गठित कर दिया है। वित्त आयोग 1983–84 के साथ समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लिये संघ और राज्यों के बीच कतिपय केन्द्रीय करों एवं शुल्कों की निबल राशियों के बंटवारे और संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड 1 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के निमित्त उन राज्यों को जिन्हें सहायता की आवश्यकता है सहायक अनुदान देने के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां प्रदान करेगा। इनके अतिरिक्त आयोग राज्यों के आयोजनेतर पूंजीगत अन्तर का मूल्यांकन करके उससे निपटने के लिये उचित उपायों के बारे में सुझाव देगा। आयोग दैवी आपदाओं से प्रभावित राज्यों द्वारा किये जाने वाले राहत व्यय की वित्त व्यवस्था के लिये वर्तमान नीति और प्रबन्धों की समीक्षा भी करेगा और उसमें परिवर्तन के बारे में सुझाव देगा। निश्चित ही आयोग की संस्तुतियां राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगी।

अपना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु आयोग ने वित्तीय, राजकोषीय और आर्थिक पहलुओं पर विस्तृत सूचनाएं तथा आंकड़े मांगे हैं। इन सूचनाओं के अतिरिक्त आयोग ने अपने निदेश पद में इंगित बिन्दुओं पर हमारे सुझाव की भी अपेक्षा की है। हमने आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये राज्य के हित में संविधान के अन्तर्गत अधिक से अधिक आवंटन की मांग की है। हमने वित्त आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि राज्य के वित्तीय संसाधनों के विषय में अपनी संस्तुतियों को केवल निर्दिष्ट बिन्दुओं तक ही सीमित न रखें। राज्य के स्मृति-पत्र में विभिन्न करों, शुल्कों तथा सहायक अनुदान को ऐसे सिद्धान्तों पर वितरित करने का अनुरोध किया गया है जिससे विपन्न और निर्बल लोगों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो और राज्य का पिछड़ापन दूर किया जा सके। हमने वित्त आयोग से अनुरोध किया है कि जन-साधारण को उपलब्ध किये जाने वाली प्रमुख प्रशासनिक एवं सामाजिक सेवाओं के वर्तमान स्तर को अधिक उन्नत राज्यों के समकक्ष स्तर पर लाने और उनमें गुणात्मक सुधार लाने हेतु अधिकाधिक सहायक अनुदान देने की संस्तुति करें। आयोग अक्तूबर, 1978 तक अपनी संस्तुतियां भारत सरकार को देगा। शीघ्र ही हमें अवसर मिलेगा कि हम आयोग का स्वागत प्रदेश की राजधानी में करें।

आय-व्ययक अनुमान 1978–79

अब मैं आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों की चर्चा करना चाहूंगा। प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार आगामी वर्ष की कुल प्राप्तियों का अनुमान 1691.02 करोड़ रु0 है जिसमें 1272.41 करोड़ रु0 की प्राप्तियां राजस्व लेखे में तथा 418.61 करोड़ रु0 की प्राप्तियां पूंजी लेखे में होंगी। राजस्व प्राप्तियों की 1272.41 करोड़ रु0 की राशि में 312.14 करोड़ रु0 केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश 318.47 करोड़ रु0 भारत सरकार से प्राप्य अनुदान, 436.09 करोड़ रु0 राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 205.71 करोड़ रु0 का करेतर राजस्व सम्मिलित है। पूंजीगत लेखे की 418.61

करोड़ रु0 की प्राप्तियों में 387.64 करोड़ रु0 की ऋणों से शुद्ध प्राप्तियां तथा 30.97 करोड़ रु0 की राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं।

अगले वर्ष का राजस्व व्यय 1172.66 करोड़ रु0 का होने का अनुमान है जिसमें 238.03 करोड़ रु0 आयोजनागत मदों के लिये (जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित हैं) तथा 934.63 करोड़ रु0 का व्यय आयोजनेतर मदों के लिये है। ऋणों और अग्रिमों का संवितरण सम्मिलित करते हुए कुल पूंजीगत व्यय 531.08 करोड़ रु0 का होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत एवं केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत मदों का व्यय 527.49 करोड़ रु0 तथा आयोजनेतर मदों के लिए 3.59 करोड़ रु0 अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व एवं पूंजीगत लेखे में कुल मिलाकर 1703.74 करोड़ रु0 का व्यय अनुमानित है जिसके कारण संहत निधि के अन्तर्गत 12.72 करोड़ रु0 का घाटा सम्भावित है।

लोक लेखे के अन्तर्गत 46.03 करोड़ रु0 की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर वर्ष के समस्त लेन-देनों के शुद्ध परिणामस्वरूप 33.31 करोड़ रु0 का अतिरेक (सरप्लस) होने का अनुमान लगाया गया है जिसके फलस्वरूप बजट वर्ष का 112.67 करोड़ रु0 का अनुमानित ऋणात्मक प्रारम्भिक शेष वर्ष के अन्त में घटाकर 79.36 करोड़ रु0 रह जाने का अनुमान है।

उपरोक्त 79.36 करोड़ रुपये के अनुमानित इस घाटे को पूरा करने के लिये प्रदेश के संसाधनों में वृद्धि करना आवश्यक है। राज्य सरकार की धारणा है कि अतिरिक्त कराधान का बोझ साधारणतः समाज के ऐसे वर्ग पर डाला जाय जो इसे वहन करने में समर्थ हो। साथ ही राज्य की आय की वर्तमान मदों से भी अधिक प्राप्तियां सुनिश्चित की जायं व अनुत्पादक व्यय में कमी करके राज्य के संसाधनों को बढ़ाया जाय। इस परिपेक्ष्य में मैं संसाधन वृद्धि के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव कर रहा हूं:—

सिनेमा के विभिन्न टिकटों पर मनोरंजन-कर की अधिकतम दर टिकट मूल्य का 110 प्रतिशत तथा न्यूनतम 80 प्रतिशत है। इन दरों का अभिनवीकरण करके न्यूनतम दर को 100 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। इस उपाय से पूरे वर्ष में लगभग 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अनुमानित है।

उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य राज्यों की अपेक्षा डीजल पर बिक्री-कर की दर काफी कम है। अतः प्रस्तावित है कि डीजल पर बिक्री-कर की वर्तमान 8 प्रतिशत एड वेलोरम की दर को बढ़ाकर 12 प्रतिशत एड वेलोरम कर दिया जाय। ऐसा अनुमान है कि इस वृद्धि के भार को विभिन्न उपभोक्ता आसानी से वहन कर लेंगें। इसके फलस्वरूप राज्य के राजस्व में लगभग 5 करोड़ रुपये की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है।

'पाम आयल' पर कुछ समय पूर्व तक 3 प्रतिशत की दर से बिक्री-कर देय था यह शिकायत मिलने पर कि सस्ता होने के कारण इसका उपयोग वनस्पति के स्थान पर किया जा रहा है राज्य सरकार ने यह दर बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी। अब इस दर को 8 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

बिक्री-कर विभाग द्वारा जारी किये जा रहे पंजीकरण एवं मान्यता प्रमाण-पत्रों पर तथा उनके नवीनोकरण पर लगाई जा रही फीस की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

भारत में निर्मित विदेशी मदिरा पर इस समय 12 प्रतिशत की दर से बिक्री-कर लगता है। मद्यनिषेध की नीति के अनुसरण में इस दर को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

[श्री मधुकर दिघे—]

बिक्री-कर संबंधित उपरोक्त सभी उपायों से यह अनुमानित है कि पूरे वर्ष में लगभग 0.70 करोड़ रुपये की आय अनुमानतः होगी।

इस समय सिनेमा स्लाइड्स तथा विज्ञापन पर टैक्स लगाने का अधिकार स्थानीय निकायों को है। परन्तु उनमें से अधिकांश इस अधिकार का पूर्ण उपयोग नहीं कर रही है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस कर को राज्य सरकार स्वयं लगाये और इससे होने वाली शुद्ध आय को स्थानीय निकायों में वितरित कर दिया जाय। इस प्रकार स्थानीय निकायों के संसाधनों में भी वृद्धि होगी। इस कर को लगाने से लगभग 50 लाख रुपये की आय 1978–79 में अनुमानित है।

आग्नेयास्त्रों के लाइसेंसों के प्रमाण-पत्र अथवा उनके नवीनीकरण के प्रार्थना-पत्र पर स्टाम्प फीस की दर बहुत कम है। यह निर्णय लिया गया है कि इस फीस को बढ़ा दिया जाय। इससे लगभग 20 लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय अनुमानित है।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न मोटर गाड़ियों पर मार्ग कर की दर में वृद्धि करने की गुंजाइश है। अतः ऐसे वाहनों पर मार्ग कर की वर्तमान दर को 10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह बढ़ी हुई दर स्कूटर, मोटर साइकिल व मोपेड पर लागू नहीं होगी। पूरे वर्ष में इससे लगभग 1.52 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अनुमानित है।

ट्रैक्टर तथा ट्रैक्टर ट्रालियों के पंजीकरण शुल्क तथा मार्ग कर की विविधिता के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसका सरलीकरण किया जा रहा है। इससे लगभग 50 लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय होने का अनुमान है।

उप खनिजों पर रायल्टी की दरें कई वर्षों से पुनरीक्षित नहीं की गई है, जब कि इन खनिजों का भाव काफी बढ़ गया है। अतः रायल्टी की दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उप खनिजों की नीलामी की अधिक सुव्यवस्थित करके भी आय में वृद्धि करने का विचार है। यह अनुमान है कि इन सभी उपायों से लगभग 20 लाख रुपये की वार्षिक वृद्धि हो जायगी।

कर तथा करेतर राजस्व में वृद्धि के उपरोक्त प्रस्तावों से कुल 12.62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। इसके साथ ही राज्य सरकार का पूरा ध्यान इस बात की ओर रहेगा कि प्रशासन को अधिक सुदृढ़ व प्रभावशाली बनाकर आय की वर्तमान मदों से अधिक वसूली की जाय। विभिन्न विभागों के अन्तर्गत राजकीय देयों की वसूली भी एक समयबद्ध तरीके से अभियान के रूप में की जायगी। राजकीय व्यय में मितव्ययता करने, अनुत्पादक व्यय घटाने, राजकीय कार्य को सादगी के वातावरण में करने के लिये शासन वचनबद्ध है। उपर्युक्त दिशा में ऐसे प्रभावशाली कदम उठाये जायेंगे जिससे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 20 करोड़ रुपये की बचत सम्भव हो जाय।

जैसा कि पहले उल्लेख कर चुका हूं राज्य सरकार ने संविधान में दिये गये नीति सम्बन्धी निर्देशों के अनुसरण में व भारत सरकार द्वारा घोषित नीतियों के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार मद्य-निषेध लागू करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में उठाये गये कदम से आबकारी राजस्व में लगभग 20 करोड़ रुपये की हानि अनुमानित है। केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह किया गया है कि वह इस हानि की प्रतिपूर्ति करें और हमें आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस महत्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देकर अवश्य मदद करगी। इस प्रकार भारत सरकार से आबकारी राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति होने पर उस हद तक इस वर्ष का घाटा और कम हो जायगा।

उपरोक्त सभी उपायों से ऐसी आशा है कि अगले वर्ष कुल 52.62 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो पायेंगे, जिसके फलस्वरूप वर्ष का प्रारम्भिक अनुमानित घाटा 79.36 करोड़ रुपये से वर्ष के अन्त में घटकर 26.74 करोड़ रुपये रह जाने की सम्भावना है। इस घाटे को पूरा करने के लिये विभिन्न उपायों पर विचार किया जायगा।

वर्षों से चली आ रही गरीबी तथा बेरोजगारी की विषम समस्या का निदान अवश्य ही एक महान कार्य हैं किन्तु मेरा विश्वास है कि यह एक ऐसी चुनौती हैं जिसका सफलतापूर्वक सामना समाज के सभी वर्गों के सहयोग, त्याग व परिश्रम से किया जा सकता है। आय-व्ययक में प्रस्तावित योजनायें व कार्यक्रम इस प्रदेश के उत्थान का एक प्रबल माध्यम बन सकते हैं और मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्य गणों से अनुरोध व अपेक्षा करूंगा कि वे न केवल विचारोपरान्त इस बजट को पारित करें बल्कि योजनाओं क कार्यान्वियन में सहायता देकर प्रदेश की प्रगति के पुनीत कार्य में अपना अमूल्य योगदान करें।

अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं अपने विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री त्रिभुवन प्रसाद को हार्दिक धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं जिन्होंने अल्प अवधि में अपने परिश्रम, योग्यता और दक्षता का परिचय दिया है और इस बजट को तैयार करने में मुझे बहुमूल्य सहायता दी है।

मैं श्री एन0 के0 सब्बरवाल, विशेष वित्त सचिव व श्री एस0 के0 गोयल, संयुक्त सचिव वित्त के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अत्यन्त कुशलता व परिश्रम से इस बजट को तैयार करने में अपना योगदान दिया है। मैं श्री एन0 एम0 मजमूदार, मुख्य मंत्री के सचिव, श्री मनोहर सुब्रह्मण्यम, संस्थागत वित्त सचिव तथा श्री नृपेन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंन बजट तैयार करने में अपना योगदान दिया। मैं श्री उमेश प्रसाद श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी बजट एवं वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं जिन्होंने अथक परिश्रम से बजट तैयार करने का कार्य सम्पादित किया है।

मैं राजकीय मुद्रणालय के अधीक्षक श्री अशोक दर व संयुक्त अधीक्षक श्री जगदीश स्वरूप गुप्त व अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दक्षता और तत्परता के साथ बजट साहित्य का मुद्रण किया है।

श्रीमन्, मैं वर्ष 1978–79 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

1978-79 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1978–79 के एक भाग के लिये लेखानुदान को प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल और मई, 1978 में 1978–79 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण, जो 22 मार्च, 1978 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–4 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 2,97,35,14,000 रुपये से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल और मई, 1978 में 1978-79 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण, जो 22 मार्च, 1978 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-4 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 2,97,35,14,000 रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

कृपया विधेयक की प्रतियां वितरित कर दी जायं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, वित्त मंत्री को कार्य कुशलता के लिये बधाई दी जाय। पौने 2 घंटे में इन्होंने पढ़ा है और 2 महीने का लेखानुदान मांग लिया है। यह समय से पूर्व सब काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप खाली बधाई देना चाहते हैं, आपको दावत देनी चाहिये। आप वित्त मंत्री को दावत दीजिये। (हंसी)

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, और अनुसूची खण्ड 1 तथा प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978

1 अप्रैल, 1978 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1978 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1978-79 के लिये 4,36,44,45,000 रुपयों का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1978 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग 4,36,44,45,000 रु0 (रुपए चार अरब छत्तिस करोड़ चवालिस लाख पैंतालिस हजार) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखे)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
1	राज्य विधान मंडल	26,89,	52,	27,41,
2	*राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	2,27,	2,27,
3	मंत्रि-परिषद्	9,54,	..	9,54,
4	न्याय प्रशासन	1,18,66,	23,28,	1,41,94
5	निर्वाचन	12,69,	..	12,69,
6	वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर	1,82,	1,	1,83,
7	भू-राजस्व	6,45,47,	43,39,	6,88,86,
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण	27,96,	1,	27,97,
9	भूमि और भवन कर	5,	..	5,
10	राज्य आबकारी	18,05,	1,	18,06,
11	बिक्री-कर	1,30,80,	1,00,89,	2,31,69,
12	मोटर गाड़ियों, माल और यात्रियों पर कर	1,59,86,	1,	1,59,87,
13	अन्य कर और शुल्क	7,54,	1,	7,55,
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति	8,13,	..	8,13,
15	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	4,90,67,	4,90,67,
16	*ब्याज का भुगतान	..	20,36,50,	20,36,50,
17	*लोक सेवा आयोग	..	7,21,	7,21,
18	सचिवालय	1,23,92,	1,	1,23,93,
19	जिला प्रशासन	1,62,88,	3,	1,62,91,
20	कोषागार तथा लेखा प्रशासन	33,30,	1,	33,31,

*भारित विनियोग से संबंधित क्रम-संख्या ।

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्र रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
21	पुलिस	12,34,76,	1,	12,34,77,
22	कारागार	98,08,	1,	98,09,
23	लेखन-सामग्री और मुद्रण	90,20,	..	90,20,
24	सार्वजनिक निर्माण-कार्य	18,43,	3,	18,46,
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें	90,15,	1,	90,16,
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	2,50,45,	1,52,	2,51,97,
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवायें	1,38,66,	1,	1,38,67,
28	शिक्षा	42,89,08	1,	42,89,09,
29	कला एवं संस्कृति	12,57,	1,	12,58,
30	वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध	4,73,	..	4,73,
31	चिकित्सा	9,07,29,	2,	9,07,31,
32	परिवार कल्याण	1,86,75,	1,	1,86,76,
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,91,02,	1,	2,91,03,
34	मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति	2,09,29,	..	2,09,29,
35	आवास भवन	17,53,	73,	18,26,
36	नगर विकास	6,47,	..	6,47,
37	सूचना तथा प्रचार	24,09,	1	24,10,
38	श्रम एवं सेवायोजन	1,40,49,	4,	1,40,53,
39	हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण	2,93,61,	1,	2,93,62,
40	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें	83,10,	5,	83,15,
41	दैवी आपदाओं के कारण सहायता	69,67	36,34,	1,06,01,
42	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	1,64,	..	1,64,

अनुसूची—(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
43	सहकारिता	99,22	1,	99,23,
44	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र	13,69,79	22,	13,70,01;
45	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	50,00,	1,	50,01;
46	कृषि	6,37,48,	7,	6,37,55,
47	औद्यानिक विकास	45,10,	40,	45,50,
48	गन्ना विकास	1,57,79,	1,	1,57,80
49	सामुदायिक विकास	6,19,62,	5,	6,19,67,
50	भूमि तथा जल संरक्षण	1,11,32,	1,	1,11,33,
51	क्षेत्र विकास	2,82,39,	..	2,82,39,
52	खाद्य	1,36,01,	8,	1,36,09;
53	पशुपालन	2,00,10,	1,	2,00,11,
54	दुग्धशाला (डेरी) विकास	24,11,	1,	24,12,
55	मत्स्य उद्योग	14,24,	1,	14,25
56	वन	1,46,39,	12,	1,46,51,
57	उद्योग	1,00,17,	4,	1,00,21,
58	ग्राम एवं लघु उद्योग	96,98,	..	96,98,
59	खानें तथा खनिज	10,71,	1,	10,72,
60	विद्युत् विकास	25,00,	..	25,00,
61	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	14,84,38,	1,	14,84,39;
62	सिंचाई अधिष्ठान	7,16,25,	2,	7,16,27,
63	सिविल विमानन	2,08,	..	2,08;
64	संचार साधन	4,70,19,	2,	4,70,21,
65	कार्यात्मक भवन	21,53,	3,	21,56,
66	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	3,29,39,	1,	3,29,40,
67	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान	79,11;	..	79,11;
68	सड़क तथा जल परिवहन	2,14,	..	2,14,

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
69	पर्यटन	5,17,	..	5,17,
70	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण	1,66,98,	..	1,66,98,
71	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1,76,21,	17,	1,76,38,
72	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	44,90,	54,	45,44,
73	चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	25,86,	..	25,86,
74	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	59,25	8,	59,33,
75	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4,00,	8,	4,08,
76	सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,31,73	..	1,31,73,
77	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4,81,93,	1,	4,81,94,
78	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2,95,08,	4,17,	2,99,25,
79	जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर	2,02,	..	2,02,
80	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5,60,26,	2,	5,60,28,
81	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,53,81,	..	1,53,81,
82	खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय	21,99,50,	..	21,99,50,

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
83	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	2,52,	..	2,52,
84	वनों पर पूंजीगत परिव्यय	5,01,	1,	5,02,
85	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	33,11,03,	1,	33,11,04,
86	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,42,13,	..	4,42,13,
87	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	8,47,41,	8,	8,47,49,
88	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,	..	1,
89	पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,39,	..	1,39,
*90	राज्य सरकार के ऋण	..	1,11,59,33,	1,11,59,33,
91	ऋण और अग्रिम—शिक्षा	14,52,	..	14,52,
92	ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन	2,39,73,	..	2,39,73,
93	ऋण और अग्रिम—सहायता एवं पुनर्वासन	7,83,	..	7,83,
94	ऋण और अग्रिम—उद्योग	1,68,57,	..	1,68,57,
95	ऋण और अग्रिम—सहकारिता	16,22,	..	16,22,
96	ऋण और अग्रिम—कृषि	1,19,13,	..	1,19,13
97	ऋण और अग्रिम—विद्युत्	30,38,33,	..	30,38,33,
98	ऋण और अग्रिम—वित्त	37,50,	..	37,50
	योग ..	2,97,35,14,	1,39,09,31,	4,36,44,45,

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978

श्री अध्यक्ष—

सचिव सदन को एक सूचना देंगे।

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 1978 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 मार्च, 1978 को वापस प्राप्त हो गया है।

दिनांक 17 मार्च, 1978 को लखनऊ में कांग्रेस (आई) के प्रदर्शन पर लाठी चार्ज के वक्तव्य पर मुख्य मंत्री का शोधन वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री अपना संशोधित वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, 18 मार्च, 1978 को लखनऊ में 17–3–1978 को हुयी घटनाओं के संबंध में विधान सभा में मेरे द्वारा वक्तव्य देने के पश्चात श्री गोविन्द सिंह नेगी ने प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर उस समय की जानकारी के आधार पर ठीक नहीं दिया जा सका। पूछा गया प्रश्न, उस समय सदन में दिया गया उत्तर तथा सही उत्तर निम्नवत है:

किया गया प्रश्न—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिनको चोटें आयी हैं उनमें महिलाओं की संख्या कितनी है ?

[श्री राम नरेश यादव]

दिया गया उत्तर—

मान्यवर, जो अस्पताल में है उनमें से कोई महिला नहीं है।

सही उत्तर—

मान्यवर, महिलाओं की संख्या 11 है जिनमें से 3 अस्पताल में भर्ती हुयी थीं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत कई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से श्री पुरुषोत्तम कौशिक, श्री श्रीराम द्विवेदी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रमा शंकर कौशिक, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी और श्री ब्रजबल्लभ सिंह ने सूचना दी है कि पांच आयुर्वेदिक छात्रों का दिनांक 16 मार्च, 1978 से विधान सभा के सामने आमरण अनशन चल रहा है। इसको मैंने स्वीकार किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी क्या आप इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे क्योंकि बहुत से विधायकों ने आकर मुझसे इस विषय में चिन्ता व्यक्त की है और कहा कि कई छात्रों की स्थिति गम्भीर है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

एक छात्र की हालत चिन्ताजनक हो गयी है सात दिन हो गये। सरकार की ओर से इस पर कुछ प्रकाश पड़े और कुछ प्रयास किया जाय जिससे आमरण अनशन समाप्त हो सके।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जायगा और उन लोगों की स्थिति भी देख ली जायगी।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

यह प्रश्न विचारणीय है। लखनऊ में ही कोई छात्र मर गया तो जनता पार्टी के लोग कलंकित होंगे। मंत्री लोग जाकर देख लें। उनकी मांगें ऐसी नहीं हैं जो पूरी न की जा सकें। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी मांगों को मंजूर कर लें।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी आप कब वक्तव्य देंगे ?

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

वक्तव्य देंगे, कुछ बात भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

29 तारीख को।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

कई दिनों से अनशन चल रहा है। कवल एक बार चिकित्सक ने उनके स्वास्थ्य की परीक्षा की है। यह बड़ी शर्मनाक बात है। पांच छात्र मृत्यु शैय्या पर पहुंच चुके हैं। मुख्य मंत्री जी 29 तारीख को वक्तव्य देने को कह रहे हैं तब तक वह काल कवलित हो जायेंगे।

श्री ऊदल—

गम्भीर स्थिति है। इसका निराकरण शीघ्र करना चाहिए।

श्री राम नरेश यादव—

मैंने संकेत किया कि उनकी क्या स्थिति है उसको शासन देख लेगा। लेकिन वक्तव्य 29 को दिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

उनसे बात तो कर लें।

श्री राम नरेश यादव---

माननीय सदस्य विश्वास रखें कि किसी भी तरह से उनकी जान पर या कोई ऐसी बात नहीं हो पायेगी।

वाराणसी में प्रतिरक्षा मंत्री, श्री जगजीवन राम द्वारा डाक्टर सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण करने के उपरांत कुछ व्यक्तियों द्वारा उसे गंगाजल से धोये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)---

दिनांक 24 जनवरी, 1978 को प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में श्री सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति का अनावरण समारोह सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस (आई) के सहयोगियों तथा राष्ट्रीय छात्र संगठन के विद्यार्थियों, जिनकी कुल संख्या लगभग 60-70 रही होगी, ने प्रतिरक्षा मंत्री के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए हरिजन विरोधी नारे लगाये। इन प्रदर्शनकारियों ने मूर्ति के अनावरण किये जाने के पश्चात् मूर्ति को गंगाजल से भी धोया। प्राप्त सूचना के अनुसार पहली घटना में विद्यार्थियों का प्रयास यह रहा कि समारोह में बाधा डाली जाय तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाय कि उक्त समारोह हो ही न पाये। जिला प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के इस प्रयास को निष्फल कर दिया गया। श्री सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति को जल से धोने की घटना तब घटी जब मुख्य अतिथि तथा अन्य उपस्थित व्यक्ति समारोह की समाप्ति के पश्चात् चले गये। उस समय जिला प्रशासन के अधिकारी भी वहां उपस्थित नहीं थे। उक्त घटना के फलस्वरूप दिनांक 25 जनवरी, 1978 को सिविल राइट्स ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत 4 मुख्य उत्प्रेरकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 29 जनवरी, 1978 को प्रथम सूचना में अंकित दो तथा 16 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी। एक अभियुक्त 15 फरवरी, 1978 को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त, जो गिरफ्तार नहीं हो सका, के विरुद्ध धारा 82-83 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। इस समय कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 19 है। सभी 20 अभियुक्तों के विरुद्ध 15 फरवरी, 1978 को आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जा चुके हैं। 1 अप्रैल, 1978 की तिथि सुनवाई के लिये निर्धारित है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, पहले मुझको मौका दें।

श्री अध्यक्ष---

आप खड़े नहीं हुये, इसलिये उनको दे दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, मैं इस बात पर अत्यन्त खेद प्रकाश करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिना वेरीफाई किये हुये रिपोर्ट दे दी। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उनको वह कृपया दुबारा ठीक कर लें क्योंकि इसमें किसी पार्टी, कांग्रेस (आई) का हाथ बिल्कुल नहीं था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष---

आप लोग कृपया शांत रहें। आप लोग व्यवधान मत करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि चेतगंज.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें नहीं तो मैं विवाद समाप्त कर दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, चेतगंज के दरोगा, जो ड्यूटी पर था, ने 24 जनवरी को जो रिपोर्ट लिखाई उसको मैं पढ़ रहा हूं। इसमें कहीं भी गंगाजल में धोने का उल्लेख नहीं था। रिपोर्ट इस प्रकार है—

"मैं कि सब इन्सपेक्टर गजाधर शर्मा यह हमराह कानिस्टिबिलान व सिलसिले सम्पूर्णानन्द मूर्ति अनावरण तिलियाबाग सिमुहानी से वापस आया। संस्कृत विश्वविद्यालय के डेढ़-दो सौ छात्र भुवनेश कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में आये और मूर्ति जिस कपड़े से ढकी गई थी, उसे उतार लिया तथा भाषण देने लगे। जनता पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जुलूस लेकर विश्वाविद्यालय वापस चले गये।

जगजीवन राम जी आये तो कुछ लोगों ने विश्वविद्यालय के भीतर छात्रसंघ भवन के ऊपर चढ़ कर नारेबाजी की। सड़क पर से भी नारे सरकार विरोधी लगाये गये तथा श्री छेदीलाल निराला के साथ बाबू जी जिन्दाबाद का नारा भी लगाया गया। सरकार विरोधी नारा लगाने वाले श्री चन्द्रमोहन पाण्डेय, सतीश चौबे, राजेश खत्री युवक कांग्रेस के लोग थे। घटनास्थल पर उपस्थित मैजिस्ट्रेट, नगर पुलिस अधीक्षक, सी० ओ० के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर में पी० ए० सी० भेजी गई, चौकीदार से ताली लेकर विश्वविद्यालय का फाटक खुलवाया गया। समारोह समाप्त होने के उपरान्त किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों का एक दल नारा लगाते हुए थाने पर आकर पुलिस के विश्वविद्यालय में प्रवेश के विरोध में प्रदर्शन किया। सी० ओ०, सिटी के खिलाफ नारेबाजों को समझाने बुझाने पर वापस चले गये। विवरण अंकित है।"

तो, मान्यवर, जो दरोगा ड्यूटी पर था, उसने यह रिपोर्ट लिखाई है।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, इस रिपोर्ट, जिसको माननीय तिवारी जी पढ़ रहे हैं, यह मानकर पढ़ रहे हैं कि घटना उस समय की है जिस समय कि मूर्ति का अनावरण किया जाना था। लेकिन मान्यवर, स्थिति यह नहीं है। यह तो सम्पूर्ण कार्यक्रम के बाद, जब अधिकारी लोग चले गये, उसके बाद यह कार्य हुआ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं आभारी हूंगा यदि माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर हां या नहीं में देने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिन 20 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये और जिन 60–70 लोगों ने प्रदर्शन किया, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो भूतपूर्व विधान सभा के सदस्य हैं तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी गुट के उच्च पदाधिकारी भी हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, इतना तो स्पष्ट है कि जांच से मालूम हुआ कि ये सभी लोग कांग्रेस (आई) के हैं और इन्हीं लोगों ने वह सारा कुकृत्य किया, जो नहीं करना चाहिये ।

(शेम, शेम की आवाजें)

(शोर) जब कि ये लोग हरिजनों का नाम लेकर दुहाई देते रहे हैं । (शोर)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हमारी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है यह गलत है । हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आपको अवसर मिलेगा आप बैठिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

चिल्ला देने से झूठ सच नहीं हो सकता. . . . (शोर) . . . चिल्ला देने से झूठ सच नही हो सकता . . . दो सौ आदमियों के चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष—

शान्त रहिये ।

(शोर) ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सूचना इस आदरणीय सदन को दी है उसमें बताया गया है कि 60–70 लोग सभी प्रतिरक्षा मंत्री के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे तथा हरिजन विरोधी नारे लगा रहे थे । मान्यवर, हरिजन विरोधी नारे लगाना कानूनी अपराध है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस समय प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, नारे लगाना तो लोक तंत्र में मान्य है और उस समय वहां की व्यवस्था देखते हुये कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया था ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, बनारस का मामला है ....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। कोई आपको विशेषाधिकार नहीं है। आप बैठिये जिस समय मैं बुलाऊंगा तब बोलेंगे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आपको अनुमति नहीं दी है। यह तर्क गलत है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, यह ज्यादती कर रहे हैं। यह तो साफ-साफ ज्यादती है। इस तरह आप बैठा रहे हैं। बनारस का मामला है आप जबरदस्ती बैठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न नहीं है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं बनारस से संबंधित हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस एक व्यक्ति के खिलाफ 82-83 में कार्यवाही की गयी है वह अब तक गिरफ्तार हुआ या नहीं और उसका नाम क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गयी है। उसका नाम जवाहर लाल है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर तथा श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

मै आपको बोलने के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैं खड़ा हो रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। अपने व्यवहार को बदलिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मेरी सूचना को सही मान कर जिस तरह की यह अप्रिय घटना हुई है उसके पीछे न केवल कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों का, बल्कि विश्वविद्यालय के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों, स्टाफ के लोग प्राध्यापक आदि का हाथ भी था, क्या इस बात की मुख्य मंत्री जी जांच करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जो रिपोर्ट हुई थी उसके आधार पर जांच हुई और मुकदमा कायम हुआ जिसकी चार्जशीट अदालत में भेजी जा चुकी है।

श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 19 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये उनके नाम क्या-क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

नामों की सूची तो नत्थी होगी। यह बतला दिया जाय.....

श्री गोकरन प्रसाद—

मान्यवर, केवल 19 नाम है।

श्री राम नरश यादव—

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य सब का नाम जानना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूं...

भुवनेश उपाध्याय, अनिल कुमार, विजयशंकर पांडेय, रमेश चन्द्र, शशिनाथ उपाध्याय,, जग नारायण, पूर्णानन्द, वीरेन्द्र उपाध्याय, बलराम उपाध्याय, ज्ञान शंकर दुबे, परमात्मा दुबे शिव शंकर पांडेय, नरेश चन्द्र, त्रिवेणी दुबे, जय भारत ब्रह्मानन्द, रामाशंकर शुक्ल, बलदेव प्रसाद।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं यह जानना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घटना 24 जनवरी को बनारस में घटी और 25 जनवरी को चेतगंज थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाई गयी तो 24 घंटे के बाद इतनी देर से यह रिपोर्ट क्यों दर्ज की गयी ?

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी, आप तो शान्त रहिये। आपको मौका मिलेगा। आप कृपया बैठें।

श्री राम नरेश यादव—

सारा समारोह सम्पन्न होने के बाद जब सारे अधिकारी तथा सभी लोग चले गये उसके पश्चात् ही यह एक कुकृत्य किया गया था और उसकी सूचना जब थाने में दी गयी उसके बाद ही कर्यवाही शुरू हो गयी।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

जिस मेवालाल ने एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि वह रिपोर्ट दूसरों की लिखाई हुई है और उसके केवल दस्तखत हैं और मेवालाल स्वयं बनारस से 50 मील दूर रहता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता।

श्री गुलाब सेहरा—

मेरा कहना यह है कि यह षडयंत्र हैं और कांग्रेस (आई) को बदनाम करने के लिये यह किया गया है। मैं स्वयं बनारस गया था और मुझे पता लगा कि मेवालाल ने रुपये लेकर पैसे के लालच से एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई.....

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

बड़े दुख की बात है कि सही बात को भी झठा कहा जा रहा हैं और षडंयन्त्र बताया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

श्री हरी सिंह बैंठें।

(श्री हरी सिंह के खड़े रहने तथा बोलते रहने पर) (शोरगुल)।

माननीय मुख्य मंत्री, हरी सिंह जी को चुप करायें तथा उनको बिठायें।

(श्री हरी सिंह के बैंठ जाने पर)

हरी सिंह जी, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि बिना इजाजत आपको इस तरह का व्यवहार करना सदन का अपमान है। आप भविष्य में संयम से काम लें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

इस मुकदमें की तफतीश के दौरान जो तथ्य सामने आये हैं उनके आधार पर क्या सरकार को यह आशंका है कि इस घटना के पीछे एक सुनियोजित षड़यंत्र था और केवल इन्हीं अभियुक्तों का हाथ नहीं है बल्कि कुछ बड़े व्यक्तियों का भी हाथ है तो क्या इस पूरे मामले की सरकार जांच करा कर जो रिजल्ट आयेगा उसको सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जांच के सम्बन्ध में जिस दल के लोगों का हाथ पाया गया और उन लोगों के खिलाफ जिनके नाम रिपोर्ट में थे तथा तफतीश में जिनके नाम आये है उनके विरुद्ध चार्ज-शीट और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैंनीताल)—

माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब यह घटना की बात की जा रही थी, मुझे सूचना है कि उस समय पुलिस वहां पर थी और यदि यह घटना कानून के विरुद्ध होती तो पुलिस गिरफ्तारी कर सकती थी। थाने में जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसकी तफतीश कौन कर रहा है और अब तक तफतीश होने के बाद कौन सी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री के सामने प्रस्तुत हुई है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय मैं अपना बयान दे रहा था उस समय माननीय सदस्य का ध्यान इधर नहीं रहा। मैं पहले ही कह चूका हूं कि तफतीश नहीं हो रही है। बल्कि तफतीश करने के बाद न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है ?

श्री देव बहादुर सिंह—

किसने तफतीश की ?

श्री अध्यक्ष—

तफतीश करके आदलत में चार्जशीट प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः इसका प्रश्न नहीं उठाता ।

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष जी, क्या मनानीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि इस मुकदमें की एफ0 आई0 आर0 किस अधिकारी के द्वारा लिखायी गई ? किसने सूचना थानें में दी ? क्या वह सुचना उसने अपनी निजी जानकारी के अनुसार लिखाई है या सूचना कें आधार पर एफ0 आई0 आर0 लिखाई है। अगर सूचना निजी जानकारी के आधार पर लिखाई गयी है तो इतनी देर सूचना लिखाने में क्यों की गई ?

श्री अध्यक्ष—

आपका यह सवाल स्वीकार नहीं किया जा सकता । आरोप पत्र न्यायालय में है.....

श्री मोती राम—

यह बहुत आवश्यक प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं देता ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मुझे एक मिनट का समय और दे दें। शासन को 24 तरीख को सूचना हो गई थी। शासन दबाना चाहता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं है ।.....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

पुलिस कप्तान और कलेक्टर को जानकारी थी ।

एक अन्य सदस्य—

आप रिपोर्ट पढ़वा लें ।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री को मालूम है कि जो छात्र 29 जनवरी को गिरफ्तार किये गये थे उनको 11 फरवरी को मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और उन्होंने तथाकथित

[श्री नरायण दत्त तिवारी]

सभी अभियुक्तों को बिना शर्त रिहा कर दिया ? उनका फैसला इस प्रकार हैं—केस डायरी मेरे सामने प्रस्तुत नहीं की गई। विवेचनाधिकारी भी उपस्थित नहीं है। अभियोग में जांच के विवरण को न तो मुझे बताया गया और न मुझे प्रस्तुत किया गया....

(घोर व्यवधान)

इस तरह से जातिवाद की भावनाओं को इस सम्मानित सदन में लाने की कोशिश नहीं होनी चाहिये। इसकी गरिमा होनी चाहिये। मान्यवर, न्यायालय का आदेश इस प्रकार है:— 'केस डायरी मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। विवेचनाधिकारी भी उपस्थित नहीं है। अभियोग में जांच के विवरण को न तो मुझे बताया गया न मेरे पास प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं न ही इनकी कार्यवाही शिनाख्त होनी है। इस समय मेरे समक्ष ऐसा कोई आधार नहीं है कि इन्हें जेल भेजा जाय। सभी अभियुक्तगण को बिना शर्त रिहा करने का आदेश दिया जाता है।' क्या यह बात सही है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह सरकार की तरफ से एक प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था कि गवाहों का बयान लेना अभी बाकी है इसलिए 14 दिन का रिमांड स्वीकार किया जाय उस पर मैजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया, लेकिन चार्जशीट देने पर पुनः लोगों को जमानत दे दी।

(व्यवधान)

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ यह एफ0 आई0 आर0 लाज थी उनका अभियोग पत्र न्यायालय में गया है। क्या उनको जानकारी है कि उसमें कुछ राजनीतिक नेताओं का हाथ था इस बात की वह जांच करायेंगे कि यह सच है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर वह दे चुके हैं।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, इस सम्पूर्ण घटना से जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस के लोगों का एक जाति विशेष के लोगों का हाथ विद्वेष फैलाने के लिये था। क्या मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इस प्रकार विद्वेष फैलाने वालों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, ऐसेलोग जो समाज मेंजातिवाद का विद्वेष फैलाना चाहते हैं उनके खिलाफ जानकारी होने पर कड़ी कार्यवाही इसलिये की जायेगी कि हम नहीं चाहते है कि समाज में ऐसे लोगों को प्रश्रय और प्रोत्साहन मिले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर) तिवारी जी आप को कई बार अवसर दे चुका हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, इतना बड़ा आरोप है।

श्री मन्जूर अहमद (जिला—मेरठ)—

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि प्रथम रिपोर्ट में किसी का नाम है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

अब हम उठते है 27 मार्च को 11 बजे फिर मिलेगें ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 18 मिनट पर सोमवार, 27 मार्च, 1978 के 11बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ—
22 मार्च, 1978 ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 322 पर)

वरिष्ठता सूची

क्रमांक	नाम अध्यापक	जन्म तिथि	विद्यालय में प्रथम अविरल नियुक्ति तिथि	सी0टी0 क्रम में नियुक्ति तिथि	वेतन स्थायीकरण की तिथि सी0टी0 वेतनक्रम में
1	2	3	4	5	6
1	श्री अब्दुल मुकीत ..	28-1-32	8-9-53	8-9-53	8-9-54 पी0टी0 अध्यापक
2	जगदीश प्रसाद शुक्ल ..	10-1-39	13-11-61	14-7-68	14-7-69
3	श्री हुसीन अहमद ..	18-2-44	15-7-68	15-7-68	15-7-69
4	श्री शर्फुद्दीन ..	4-12-48	8-7-69	8-7-69	8-7-70
5	श्री मेंहदी सहन ..	15-6-44	8-7-70	8-7-70	8-7-71
6	श्री मनोहर लाल वर्मा ..	1-10-42	21-7-73	21-7-73	21-7-74
7	श्री वसी रजा सिद्दीकी ..	2-4-45	31-8-73	31-8-73	31-8-74

संसद प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(वैधिय तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 322 पर)

आयुक्त फैजाबाद मंडल द्वारा बनाई गयी अभ्यर्थियों की सूची—

1—श्री गजेन्द्र सिंह, थापा,
व्हाइट हाउस, पोस्ट कुन्डरा घाट, गोरखपुर।

2—श्री गिरीश चन्द्र,
लिपिक, जिलापूर्ति कार्यालय, फैजाबाद।

3—श्री सूर्य पाल सिंह;
लिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय, फैजाबाद।

4—श्री राधेश्याम श्रीवास्तव,
द्वारा श्री हनुमन्त लाल श्रीवास्तव, 509, दालमण्डी, कालेज रोड, फैजाबाद।

5—श्री हरीशंकर श्रीवास्तव,
कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ0 सि0),
फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)।

6—श्री अमर नाथ,
द्वारा श्री राम नाथ, वार्ड मास्टर, जिला चिकित्सालय, फैजाबाद।

7—श्री राम सिंह,
लिपिक, आयुक्त कार्यालय, फैजाबाद।

8—श्री अख्तर हुसैन आत्मज श्री मोहम्मद हुसैन,
28, नियांवां, फैजाबाद।

9—श्री अशहद मासूद हुसैन,
मो0 राठहवेली, म0 नं0 209, फैजाबाद।

10—श्री शीतल प्रसाद श्रीवास्तव,
द्वारा श्री भागीरथी लाल श्रीवास्तव 1350-दिल्ली दरवाजा,
फैजाबाद।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 324 पर)

सूची

विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा वेतनक्रम रु0 400-750 के जीव विज्ञान विषय के उन अभ्यर्थियों की सूची जिन्हें मेरिट के आधार पर सन्, 1975 में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गयी थी ।

गढ़वाल मण्डल

अध्यापक का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3
1—श्री दिनेश प्रसाद वशिष्ठ, राजकीय इन्टर कालेज, गोचर (चमोली) ।	7-10-75	त्याग-पत्र दे दिया ।
2—श्री अनुसुय्या प्रसाद रतूड़ी राजकीय इन्टर कालेज, अजनीसण (टिहरी) ।	3-10-75	—
3—श्री विनोद कुमार बहुगुणा, राजकीय इन्टर कालेज, चकराता (देहरादून) ।	3-10-75	—
4—श्री देवी प्रसाद थपलियाल, राजकीय इन्टर कालेज, गोपेश्वर (चमोली) ।	1-10-75	—
5—श्री प्रकाश चन्द्र नौटियाल, राजकीय इन्टर कालेज, पुजारगांव (टिहरी) ।	2-10-75	—
6—श्री तेजेन्द्र पाल सिंह, राजकीय इन्टर कालेज, राजगढ़ी (उत्तरकाशी) ।	4-10-75	सेवा समाप्त 4-5-76 ।
7—श्री गिरीश चन्द्र पंत, राजकीय इन्टर कालेज, हिंडोसासाल (टिहरी) ।	3-10-75	सेवा समाप्ति के आदेश दिए गए परन्तु आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों के कार्य-भार ग्रहण न करने के कारण अभी सेवारत हैं ।
8—श्री जगदीश चन्द्र पंत, राजकीय इन्टर कालेज, बुमेटीधार (टिहरी) ।	3-10-75	सेवा समाप्त 1-5-76।

कुमायूं मण्डल

9—श्री महेन्द्र सिंह रौतेला, राजकीय इन्टर कालेज, कनालीछीना (पिथौरागढ़) ।	6-10-75	1-11-75 से त्याग-पत्र दिया ।
10—श्री बहादुर सिंह परिहार, राजकीय इन्टर कालेज, डीडीहाट (पिथौरागढ़) ।	9-10-75	सेवा समाप्त 15-5-76 ।
11—श्री नारायण सिंह राधा, राजकीय इन्टर कालेज, थल (पिथौरागढ़) (अनुसूचित जाति)	15-10-75	अनुसूचित जाति का होने के कारण सेवा नहीं समाप्त की गई ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 348 पर)

तालिका

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत नियंत्रण आदेशों की अवहेलना करने में पकड़े गये व्यापारियों का विवरण---

क्रम-सं0	जिले का नाम	माह नवम्बर 1977	माह दिसम्बर 1977	माह जनवरी 1978	कुल संख्या
1	देहरादून ..	1	8	3	12
2	सहारनपुर	..	2	..	2
3	मुजफ्फरनगर ..	..	8	4	12
4	मेरठ ..	10	2	2	14
5	बुलन्दशहर ..	..	3	..	3
8	अलीगढ़ ..	5	19	1	25
7	मथुरा ..	2	12	..	14
8	आगरा ..	7	2	3	12
9	मैनपुरी ..	..	4	..	4
10	एटा ..	8	5	2	15
11	बरेली ..	2	10	3	15
12	बिजनौर ..	5	8	4	17
13	बदायूं ..	2	2	1	5
14	मुरादाबाद ..	..	8	..	8
15	शाहजहांपुर ..	1	4	1	6
16	पीलीभीत ..	1	2	1	4
17	रामपुर ..	..	5	..	5
18	फर्रुखाबाद ..	..	21	..	21
19	इटावा ..	..	10	1	11
20	कानपुर ..	4	26	17	47
21	फतेहपुर ..	1	6	3	10
22	इलाहाबाद ..	7	10	7	24
23	बांदा ..	5	9	1	15
24	हमीरपुर ..	..	7	..	7
25	झांसी ..	..	7	..	7
26	जालौन ..	..	..	..	..
27	ललितपुर ..	1	1	..	2
28	वाराणसी ..	..	6	..	6
29	मिर्जापुर ..	6	4	1	11
30	जौनपुर ..	..	13	10	23
31	गाजीपुर ..	..	2	4	6
32	बलिया ..	2	6	6	14
33	गोरखपुर ..	28	29	21	78
34	देवरिया ..	..	2	1	3
35	बस्ती ..	17	12	3	32

अमर उजाला सभा

क्रम-सं0	जिले का नाम	माह नवम्बर 1977	माह दिसम्बर 1977	माह जनवरी 1978	कुल संख्या
36	आजमगढ़	..	..	3	..	..
37	नैनीताल	..	..	2	..	2
38	अल्मोड़ा	..	..	..	..	..
39	गढ़वाल	..	..	..	..	..
40	लखनऊ	..	1	18	1	20
41	उन्नाव	..	..	2	..	2
42	हरदोई	..	..	2	..	2
43	सीतापुर	..	2	25	8	35
44	रायबरेली	..	3	8	2	13
45	खीरी	..	5	34	..	39
46	फैजाबाद	..	..	5	..	5
47	गोंडा	..	4	8	3	15
48	बहराइच	..	3	3	21	27
49	सुल्तानपुर	..	2	8	3	13
50	प्रतापगढ़	..	7	7	1	15
51	बाराबंकी	..	1	8	1	10
52	टेहरी गढ़वाल	..	..	1	1	2
53	चमोली	..	..	2	3	5
54	उत्तर काशी	..	..	6	..	6
55	पिथौरागढ़	..	..	..	..	..
56	गाजियाबाद	..	4	17	2	23
	योग	..	147	432	146	725

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार उपस्थित किये हुए माने गए संशोधन

(देखिये पीछे पृष्ठ 367 पर)

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री गुलाब सेहरा, श्री कृष्णवीर सिंह कौशल, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, श्री मन्ना लाल द्विवदी तथा श्री अजीत सिंह सेठी (दिनांक 22-3-78 को सदन में मा0 अध्यक्ष द्वारा दिये गए निदेशानुसार कार्य-सूची में सम्मिलित किया गया एवं उपस्थित किया हुआ माना गया ।)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :— (1) प्रदेश में हरिजनों, आदिवासियों, अल्प-संख्यकों एवं निर्बल वर्गों के लोगों पर बढ़ते हुए अत्याचारों को रोकने में इस सरकार की असफलता का कोई जिक्र नहीं किया और न इन अत्याचारों के दोषी व्यक्तियों को कानून की परिधि के अन्दर प्रताड़ित करने की कोई ठोस योजना प्रस्तुत की । (2) निधौली कलां के उप-चुनाव में की गई गड़बड़ियों, निर्बल वर्ग को वोट देने से रोकना, पोलिंग स्टेशनों पर हिंसात्मक कार्यवाही द्वारा कब्जा, फर्जी वोट डलवाना तथा विरोधी दल के कार्यकर्ताओं के साथ किये गये दुर्व्यवहार का कोई उल्लेख नहीं किया है। (3) प्रदेश भर में बढ़ती हुई अराजकता और असामाजिक तत्वों की बढ़ती हुई कार्यवाहियों का कोई उल्लेख नहीं किया है । (4) प्रदेश में जनता के लिये आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में सरकार की असफलताओं का कोई उल्लेख नहीं किया है। (5) प्रदेश के लाखों गन्ना उत्पादकों को निर्धारित मूल्य न मिलने, उनका गन्ना 3 से 6 रुपये क्विंटल खरीदे जाने और इसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक बरबादी का कोई उल्लेख नहीं किया है। (6) प्रदेश के कई छात्रों की गोली-कांड में मृत्यु और लाठी-चार्ज में घायल होने, प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों के बन्द होने, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक कालजों के छात्रों के बर्बरता पूर्ण दमन तथा छात्रों के प्रति सरकार के घोर दमनात्मक रवैये का कोई उल्लख नहीं किया । (7) प्रदेश की जेलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अध्यापकों, छात्रों तथा अन्य राजनीतिक बंदियों पर घातक हमलों तथा भीषण अत्याचारों का कोई उल्लेख नहीं किया है । (8) कानपुर में स्वदेशी काटन मिल्स में कसरकार की अकमर्णयता और अदूरदर्शिता के कारण गोली-कांड से हुई मजदूरों की मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं किया औरन इस बात की कोई ठोस योजना प्रस्तुत की कि वहां की बन्द मिलों को खुलवाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	(9) श्रमिकों को 8.33 प्रतिशत बोनस देने की कोई घोषणा नहीं की ।
	(10) यह घोषणा नहीं की कि राज्य की बीमार चीनी एवं कपड़ा मिलों के लिए पुनरुद्धार की प्रस्तावित योजनायें चालू की जायेंगी एवं चीनी मिलों का आवश्यकतानुसार सहकारीकरण अथवा राष्ट्रीयकरण करने के लिये कदम उठाय जायेंगे ।
	(11) प्रदेश के पूर्वी, पर्वतीय, बुन्देलखंड, पश्चिमी एवं मध्य, पिछड़े जिलों एवं भागों की विशेष समस्याओं व उनके हल का कोई उल्लेख नहीं किया है ?
	(12) प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा उसे कम करने के लिए न तो कोई ठोस योजना प्रस्तुत की और न बेरोजगारों को समुचित भत्ता दिये जाने की घोषणा की ।
	(13) प्रदेश भर में विरोधी पक्षों द्वारा की जाने वाली लोकतांत्रिक, राजनीतिक कार्यवाहियों को रोकने, विरोधी दल के कार्यालयों में ताला बन्दी करने तथा उनके कार्यकर्ताओं को परेशान करने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।
	(14) सत्तारूढ़ दल के चुनाव-घोषणा पत्रमें किये गये वायदे कि प्रदेश से बिक्री-कर को समाप्त कर दिया जायगा, को पूरा करने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है।
	(15) पिछली सरकार द्वारा जनहित में लिये गये निम्न-लिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णयों को बहाल एवं लागू करन की घोषणा नहीं की——
	(क) उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के हित में लगान में कमी कर पुरानी चली आ रही लगान दर बहाल करना।
	(ख) जिन जिलों में 20 प्रतिशत या 20 प्रतिशत से अधिक जन संख्या उर्दू पढ़ने लिखने वाली है वहां उर्दू को द्वितीय राज भाषा का स्थान देने का सिद्धांत स्वीकार करना तथा उसको लागू करने क लिये उच्चाधिकारियों की एक कमेटी बनाना।
	(ग) कि भर जाति के लोगों को पूरे प्रदेश में विमुक्त जाति को दी गयी सुबिधायें सुलभ की जायेंगी।
	(घ) कि सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री परिषद् का प्रदेशीय तथा जिला स्तर पर गठन किया जायेगा।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	(ङ) कि सभी श्रेणियों के राजकीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति के बाद भविष्य निर्वाह निधि प्राप्त करने में कठिनाई को दूर करने के लिये "निधि पास-बुक" दी जायेगी और उनके भविष्य निधि का पूरा लेखा-जोखा विभागाध्यक्ष के स्तर पर रखा जायगा।
	(च) कि पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत राज कर्मचारियों को हिल एलाउन्स दिया जायगा जिससे वे कठिन परिस्थितियों में कार्य कर सकें तथा पिथौरागढ़, उत्तर काशी व चमोली में यह भत्ता भी उनके वेतन का भाग माना जायगा और पेंशन तथा ग्रेच्युटी में उनको इसका लाभ मिल सकेगा।
	(छ) कि ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों जैसे ग्राम-सेवक, लेखपाल, सहकारी सुपरवाइजर, पशु-सेवक, पंचायत सेवक आदि की सेवा शर्तों को अधिक सुविधा-जनक बनाने के उद्देश्य से उनकी कुल संख्या का 20 प्रतिशत विशेष ग्रेड निर्धारित किया जायगा तथा ग्राम सेवकों को सहायक विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के अवसर दिये जायेंगे ।
	(ज) कि चीनी मिल मजदूरों को पूर्व निश्चित फार्मूला-नुसार अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जायेगा।
	(झ) कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को 1 जनवरी, 1977 से 5 कवाल नगरों और 17 अन्य नगरों में राजकीय कर्मचारियों की भांति मकान भत्ता दिया जायगा और इस प्रकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी तथा इलाहाबाद के म्युनिसिपिल कारपोरेशन क्षेत्र में रहने वाले अध्यापक वेतन का 10 प्रतिशत तथा मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, सहारनपुर अलीगढ़ गोरखपुर, झांसी रामपुर, शाहजहांपुर, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फर-नगर, गाजियाबाद और फैजाबाद के म्युनिसिपल क्षेत्रों में रहने वाले अध्यापकों को वेतन का 7 1/2 प्रतिशत (यदि वह 750 रुपये से कम वेतन पा रहे हैं) मकान भत्ता दिया जायगा।
	(ञ) कि राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन-मान स्वीकृत किये जायेंगे तथा अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों पर नवीन वेतन-मान लागू करने की स्वीकृत प्रदान की जायगी।
	(ट) कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को राजकीय कर्मचारियों की दर पर पेंशन 1 मार्च, 1977 से स्वीकृत की जायगी।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	(ठ) कि बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति सेवा काल में 12 मास का चिकित्सकीय अवकाश पूर्ण औसत वेतन पर दिया जायेगा।
	(ड) कि छोटे व्यापारियों द्वारा देय बिक्री-कर के टर्न-ओवर की सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाने के लिये एक आधिकारिक समिति का गठन किया जायगा।
	(ढ) कि व्यापारियों को राहत देने के लिये खाद्यान्न पर अंतिम सूत्र पर बिक्री-कर के बजाय प्रथम सूत्र "बिक्री-कर लगाया जायेगा।"

बी0एस0डू0पी0—ए0पी0 29 बि0सभा—20—7—78(1286)—1978—843(ओ0)।